उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्याः 963/VIII/680–श्रम/2002
देहरादून दिनांक 25 जून, 2005

अधिसूचना

उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा – शर्तों का विनियमन) नियम, 2005

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996(वर्ष , 1996 का अधिनियम स0 27) की धारा 40 एवं धारा 62 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तरांचल राज्य सरकार,*उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–*

भाग – 1

प्रारंभिक

अध्याय 1

1– **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ :–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2005** है ।

(2) ये ऐसे किसी स्थापन से संबंधित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर लागू होंगे, जिनके संबंध में समुचित सरकार उत्तरांचल की राज्य सरकार है।

(3) ये उत्तरांचल राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2– **परिभाषाएं :–** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ' **अधिनियम** ' से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (वर्ष , 1996 का अधिनियम स0 27) अभिप्रेत है ;

(ख) ' **प्रवेश** ' या ' **निर्गम** ' से कोई गलियारा, मार्ग, सीढ़ियाँ, प्लेटफार्म, निसैनी और कोई अन्य साधन अभिप्रेत हैं जो किसी **भवन कर्मकार** द्वारा सामान्यतः कार्यस्थल में प्रवेश करने या उससे बाहर जाने या खतरे की दशा में बचने के लिए उपयोग किये जाने के लिए हैं ;

(ग) ' **अनुमोदित** ' से अधिनियम की धारा– 42 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण द्वारा लिखित में अनुमोदित अभिप्रेत है;

(घ) ' **आधार पट्टी** ' से धातु मचान की दशा में, टैंकों से भार का विभाजन करने के लिए पट्टी अभिप्रेत है;

(ड़) मचान के सम्बन्ध में ' **खंडक कक्ष** ' से मचान के क्षैतिज या ऊर्ध्व सहारों के बीच का वह भाग अभिप्रेत है चाहे वह उस भाग से टिका हुआ हो या उसके सहारे हो, जहाँ से भाग निलम्बित होता है और जो लम्बाई में संलग्न है;

(च) **'अनुबंधनी'** से मचान में स्थिरता के लिए आड़े–तिरछे रूप से लगाया गया जुड़ने और कसने वाला घटक अभिप्रेत है ;

(छ) **'दीवाल'** से कार्यकरण दाब की अपेक्षा निम्न दाब के अधीन कार्यकरण कोष्ठ को मुक्त वायु से या किसी अन्य कोष्ठ से पृथक करने वाली कोई वायुरोधी संरचना अभिप्रेत है ;

(ज) **'नींव कोष्ठक'** से कोई ऐसा वायु या जलरोधी कोष्ठ अभिप्रेत है जिसमें व्यक्तियों के लिये समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक वायु दाब के अधीन जलस्तर से नीचे सामग्री के उत्खलन का कार्य करना संभव हो ;

(झ) **' काफर बांध '** से ऐसी संरचना अभिप्रेत है जिसका सन्निर्माण पूर्णतः या आंशिक रूप से जल स्तर से नीचे या भूगर्भ में भौम जलस्तर से नीचे किया गया है और ऐसे कार्यस्थल का उपबंध करने के लिये आशयित है जो जलमुक्त है ;

(त्र) **' सक्षम व्यक्ति '** से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में किसी परीक्षण स्थापन का है और जिसके पास उत्थापक साधित्रों, उत्थापक गियरों, तार – रज्जुओं या दाब संयंत्र या उपस्कर की जॉच परीक्षण या तापानुशीलन और प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त अर्हता, अनुभव और कौशल है ;

(ट) **' संपीड़ित वायु'** से उस दाब तक यांत्रिक रूप से बढ़ाई गई वायु अभिप्रेत है जो समुद्र तल पर वायु मंडलीय दाब से अधिक है ;

(ठ) **' सन्निर्माण स्थल'** से कोई ऐसा स्थल अभिप्रेत है जहाँ भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबधित कोई प्रक्रियाएं या संक्रियाएं की जाती हैं ;

(ड) **' प्रवहणी'** से कोई ऐसी यांत्रिक युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक भवन सामग्री, वस्तुएं या पैकेज या ठोस प्रपुंज के परिवहन के लिये भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किया जाता है ;

(ढ) **' खतरा'** से किसी दुर्घटना का , क्षति का या स्वास्थ्य के लिए खतरा अभिप्रेत है ;

(ण) **' निथारना'** से व्यक्तियों का किसी मेन–लॉक में समुद्र तल पर वायु मंडलीय दाब तक द्रुत विसंपीड़न और इसके पश्चात तत्परता से किसी निथारन लॉक में उनका पुनः संपीड़न अभिप्रेत है ; जहाँ उनका तब विसंपीड़न अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार समुचित विसंपीड़न टेबल के अनुरूप किया जाता है ;

(त) **' ध्वस्तीकरण'** से किसी भवन या किसी भवन से भिन्न संरचना का पूर्णतः या आंशिक रूप से ध्वस्तीकरण या गिराने के आनुषंगिक या उससे संबंधित कार्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मशीनों या अन्य उपस्कर का हटाना या ध्वस्त करना भी है ;

(थ) **'उत्खनन'** से सन्निर्माण या भंजित करने के कार्य के संबंध में मिट्टी, चट्टान या अन्य सामग्री का हटाना अभिप्रेत है ;

(द) **'कच्चा काम' किसी आकृति या ढांचों** के लिये संरचनात्मक सहारा और अनुबंध अभिप्रेत है ;

(ध) **'ज्वलनांक ताप'** से न्यूनतम द्रवीय ताप अभिप्रेत है जिस पर कोई चिंगारी या ज्वाला द्रव से वाष्प रूप में उठकर शून्य में तात्क्षणिक चमक पैदा करती है ;

(न) **'चौखटा या प्रतिरूपक मचान'** से ऐसा मचान अभिप्रेत है जिसका विनिर्माण इस प्रकार किया जाता है कि मचान की ज्यामिति पूर्व अवधारित हो और मुख्य घटकों के सापेक्ष फासला नियत हो ;

(प) **'सरकार'** से उत्तरांचल राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(फ) **'रक्षक शलाका'** से स्तम्भ को सुरक्षित करने के लिये क्षैतिज शलाका अभिप्रेत है जो व्यक्तियों को गिरने से बचाने के लिये मचानों, भूमि मार्गों, धावन पथों और मार्गिकाओं/सीढ़ियों की खुली तरफ के पार्श्व में परिनिर्मित की गई है ;

(ब) **'परिसंकट'** से खतरा या संभावित खतरा अभिप्रेत है ;

(भ) **'परिसंकटमय पदार्थ'** से कोई ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो उसकी बिस्फोटकता, ज्वलनशीलता, रेडियोधर्मिता, विषाक्तता या संक्षारक गुणों या अन्य समान लक्षणों के कारण ,

(1) क्षति पहुंचा सकता है; या

(11) मानव–तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है ; या

(111) हथालने, परिवहन या भंडारण करते समय कार्य पर्यावरण में जीवन को हानि या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है और राष्ट्रीय मानकों के अधीन या उस दशा में, जहाँ ऐसे मानक विद्यमान नहीं है, साधारणतः स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उस रूप में वर्गीकृत है ;

(म) **'उच्च दाब वायु'** से वातीय औजारों और युक्तियों को शक्ति प्रदाय करने के लिये प्रयुक्त वायु अभिप्रेत है ;

(य) **'स्वतंत्र रूप से सहबद्ध मचान'** से कोई ऐसा मचान अभिप्रेत है जिसका कार्यकरण प्लेटफार्म, आधार से टैंकों की दो या अधिक पंक्तियों के सहारे है जो आवश्यक सहबद्ध के अलावा भवन से पूर्णतया मुक्त रूप से खड़ा है ;

(यक) **'आड़'** से क्षैतिज रूप से फैला हुआ और लम्बाई में मचान को जकड़े हुए कोई घटक अभिप्रेत है और जो अढ़वार या मध्यपट्टी के लिए सहारे के रूप में कार्य करता है ;

(यख) **'उत्थापक साधित्र'** से सामग्री, वस्तुओं या भवन कर्मकार के उत्थापन के लिये प्रयुक्त कोई क्रेन, उत्तोलक, डेरिक, विंच, जिन पोल, शीर लैग्ज, जैक, घिरनी आलंब या अन्य उपस्कर अभिप्रेत है ;

(यग) **'उत्थापक गियर'** से किसी 'उत्थापक साधित्र' की रज्जु, जंजीर, हुक, दौला और अन्य उपसाधन अभिप्रेत है ;

(यघ) **'लाक परिचर'** से किसी मैन–लाक या मेडिकल–लाक का कोई ऐसा प्रभारी व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे लाकों में व्यक्तियों के संपीड़न, पुनः संपीड़न या विसंपीड़न का नियंत्रण करने के लिये सीधा उत्तरदायी है ;

(यड) **'न्यून दाब वायु'** से कार्यकरण कोष्ठों और मैन लाकों और मेडिकल लाकों के निपीड़न के लिये प्रदत्त वायु अभिप्रेत है ;

(यच) **'बारूदखाना'** से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसमें, चाहे भूमि के ऊपर या उसके नीचे, बिस्फोटकों का भंडारण किया जाता है या रखा जाता है ;

(यछ) **'मैन–लाक'** से मेडिकल लाक से भिन्न कोई लाक अभिप्रेत है जिसका उपयोग कार्यकरण कोष्ठ में प्रवेश करने वाले या उसे छोड़ने वाले व्यक्तियों के संपीड़न या विसंपीड़न के लिये किया जाता है ;

(यज) **'सामग्री उत्तोलक'** से विद्युत शक्ति की सहायता से या शारीरिक श्रम से संचालित और निलम्बित कोई प्लेटफार्म या बाल्टी अभिप्रेत है जिसका स्तम्भ शलाकाओं (गाईडरेल) में प्रचालन किया जाता है और अनन्य रूप से सामग्री

के उत्थापन या उतारने के लिये प्रयोग किया जाता है तथा प्रवहरण से बाहर किसी बिन्दु से प्रचालन और नियंत्रण किया जाता है ;

(यझ) **'सामग्री लाक'** से ऐसा कोष्ठ अभिप्रेत है जिसमें से होकर सामग्री और उपस्कर एक वायुदाब पर्यावरण से अन्य में भेजे जाते हैं ;

(यत्र) **'मेडिकल लाक'** से कोई दोहरा कक्ष लाक अभिप्रेत है जिसका उपयोग विसंपीड़न के कुप्रभाव प्रभाव से ग्रस्त व्यक्तियों के चिकित्सीय पुनः संपीड़न और विसंपीड़न के लिये किया जाता है ;

(यट) **'राष्ट्रीय मानक'** से भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा अनुमोदित मानक और भारतीय मानक ब्यूरो के ऐसे मानकों के अभाव में किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मानक अभिप्रेत है ;

(यठ) **'पार्श्व–वर्घ** से किसी भवन के भवनमुख से आगे निकली हुई संरचना, जिसका भीतरी सिरा जकड़ा हुआ है, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रास या अन्य सहारा आता है ;

(यड) **'संयंत्र या उपस्कर'** के अन्तर्गत कोई संयंत्र, उपस्कर, गियर, मशीनरी, साधित्र या साधन अथवा उसका कोई पुर्जा आता है ;

(यढ) **'दाब'** से स्तम्भों में उतना वायु दाब अभिप्रेत है जो वायुमंडलीय दाब से अधिक है ;

(यण) **'दाब संयंत्र'** से दाब वाहिका के साथ संलग्न पाईपों एवं अन्य जुड़नारों से प्रचालित दाब, जो वायुमंडलीय दाब से अधिक है, अभिप्रेत है।

(यत) **'अड़वार'** से कोई क्षैतिज घटक अभिप्रेत है जिस पर कार्यकरण प्लेटफार्म का बोर्ड, तख्ता या मंच रखा जाता है ;

(यथ) **'उत्तरदायी व्यक्ति'** से नियोजक द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विनिर्दिष्ट कर्तव्य या कर्तव्यों का पालन करने के लिये उत्तरदायी हो और जिसके पास ऐसे कर्तव्य या कर्तव्यों के उचित पालन के लिये पर्याप्त ज्ञान और अनुभव तथा अपेक्षित प्राधिकार हो ;

(यद) **'प्रकट संयोजी'** से दो विपरीत सतहों के बीच किसी ट्यूब को कसने के लिये प्रयुक्त संयोजी ट्यूब और फिटिंग का समंजन अभिप्रेत है;

(यध) **'समकोण युग्मक'** से समकोण पर प्रकट संयोजी से दो विपरीत सतहों के बीच किसी ट्यूब को कसने के लिये प्रयुक्त संयोजी ट्यूब और फिटिंग का समंजन अभिप्रेत है। ;

(यन) **'राक बोल्ट'** से यांत्रिक प्रसारण बोल्ट या सीमेन्टयुक्त या रेजिन निबंधन प्रणाली के साथ प्रयुक्त बोल्ट अभिप्रेत है, जो दोलक क्षमता में वृद्धि करने के लिये महराव या सुरंग की दीवार में बेधित छिद्र में लगाया जाता है ;

(यप) **'छत ब्रेकेट'** में ढलवां छत सन्निर्माण में प्रयुक्त ऐसे ब्रेकेट अभिप्रेत हैं जिनमें खिसकने से रोकने के लिये नुकीले बिन्दु या जकड़ने के अन्य साधन है ;

(यफ) **'सुरक्षा आवरण'** से जलप्लावन या जलप्लावित सुरंग से आश्रय के और निकलने के सुरक्षित साधन की व्यवस्थता करने के लिये सुरक्षा आवरण और दीवाल के बीच में सुरंग के शिखर को जलप्लावित होने से रोकने की दृष्टि से

मुख और दीवाल के बीच संपीड़त वायु सुरंग के ऊपरी भाग के आर–पार रखा गया कोई वायु और जलरोधी छिद्रपट अभिप्रेत है ;

(यब) उत्थापक गियर या उत्थापक साधित्र की किसी वस्तु के संबंध में '**निरापद कार्यकरण भार**' से सक्षम व्यक्ति द्वारा यथा निर्धारित और प्रमाणित वह भार अभिप्रेत है जो ऐसा अधिकतम भार है जिसे ऐसी वस्तु या साधित्र पर सामान्य कार्यकरण स्थितियों में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है ;

(यभ) **'पाड़'** से कोई ऐसी अस्थायी रूप से तैयार की गई संरचना, जिससे या जिस पर से भवन कर्मकार, ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में कार्य करते हैं, जिन पर ये नियम लागू होते है, और कोई ऐसी अस्थायी रूप से तैयार की गई संरचना, जो भवन कर्मकार को ऐसे स्थान पर पहुंचने में समर्थ बनाती है या सामग्री को वहाँ तक ले जाने में समर्थ बनाती है, जहाँ पर उक्त कार्य किया जाता है, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई रक्षक शलाका, रोक फलक या अन्य रक्षा कवच और सभी फिक्सिंग के साथ कोई कार्यकरण, प्लेटफार्म, मार्गिका, धावन, निसैनी या सोपान–निसैनी (ऐसी निसैनी या सोपान–निसैनी से भिन्न जो ऐसी संरचना की भागरूप नहीं है) आती है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्थापक साधित्र या उत्थापक मशीन या कोई संरचना नहीं आती है जो केवल ऐसे किसी साधित्र या ऐसी किसी मशीन को या अन्य संयंत्र या उपस्कर को सहारा देने के लिए प्रयुक्त होती है ;

(यम) **'अनुसूची' से** इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

(यय) **'खण्ड'** के अन्तर्गत सुरंग अनुप्रस्थ काट की वक्रता के लिये निर्मित और सुरंग के आधार परिवेश के सहारे के लिये प्रयुक्त ढलवां लोहा या पूर्व निर्मित कंकरीट विभाजित संरचना आती है ;

(ययक) **'सर्विस शैफ्ट'** से किसी निर्माणाधीन सुरंग में कर्मकारों के आने–जाने या सामग्री के लाने ले जाने के लिये शैफ्ट अभिप्रेत है ;

(ययख) **'शैफ्ट'** से क्षैतिज से पैंतालीस डिग्री से अधिक कोण पर, अनुदैर्घ्य अक्ष वाला कोई उत्खनन अभिप्रेत है, जो

(1) किसी भवन कर्मकार या सामग्री के किसी सुरंग में आने–जाने या उसमें से लाने–ले जाने के लिये है; या

(11) किसी विद्यमान सुरंग की ओर है ;

(ययग) **'ढाल'** से कोई जंगम चौखटा अभिप्रेत है जो सुरंग के खान अंताग्र और उसके ठीक पीछे के आधार को सहारा देने के लिये है और इसके अन्तर्गत सुरंग में उत्खनन करने वाले और उत्खनित क्षेत्रों को सहारा देने के लिये परिकल्पित उपस्कर आता है ;

(ययघ) **'आधार पट्टिका'** से आधार पट्ट या काष्ठ मचान की खड़ी बल्ली से आलम्बी स्थल पर भार के वितरण के लिये प्रयुक्त कोई घटक अभिप्रेत है ;

(ययड़) **'ठोस या अच्छे सन्निर्माण'** से ऐसा सन्निर्माण अभिप्रेत है जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के या उस दशा में जहाँ ऐसे राष्ट्रीय मानक विद्यमान नहीं हैं वहाँ अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तरराष्ट्रीय इंजीनियरी मानकों या व्यवहार संहिता के अनुरूप है ;

(ययच) **'ठोस या अच्छी सामग्री'** से ऐसी गुणवत्ता (क्वालिटी) की सामग्री अभिप्रेत है जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के या उस दशा में जहाँ ऐसे राष्ट्रीय मानक विद्यमान नहीं हैं वहाँ अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तरराष्ट्रीय इंजीनियरी मानकों या व्यवहार संहिता के अनुरूप है ;

(ययछ) **'खड़ी बल्ली'** से मचानों के सन्निर्माण में ऊर्ध्व सहारे या स्तम्भ के रूप में प्रयुक्त ऐसा घटक, जो भार को आधार पर या ठोस सन्निर्माण पर पारेषित कर देता है, अभिप्रेत हैं;

(ययज) **'मानक सुरक्षित प्रचालन व्यवहार'** से वे व्यवहार अभिप्रेत हैं जिनका पालन भवन और अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों में कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा ऐसे क्रियाकलापों में प्रयुक्त मशीनरी और उपस्कर के सुरक्षित प्रचालन के लिए किया जाता है और ऐसे व्यवहार निम्नलिखित सभी या किसी के अनुरूप होंगे, अर्थात :––

(प) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित सुसंगत मानक ;

(पप) राष्ट्रीय भवन संहिता ;

(पपप) उपस्कर और मशीनरी के सुरक्षित उपयोग के लिये विनिर्माता के अनुदेश ;

(पअ) समय–समय पर संशोधित अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित सन्निर्माण उद्योग में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार संहिता ;

(ययझ) **'इस्पात की शलाका'** के अन्तर्गत उत्खनित क्षेत्रों का आधार बनाने और स्थिरीकरण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किसी विशिष्ट सुरंग अनुप्रस्थ काट की अपेक्षाओं के अनुरूप आकृति के सभी इस्पात के बीम और अन्य संरचनात्मक घटक आते हैं ;

(ययञ) **'निलंबित मचान'** से रज्जुओं या जंजीरों के माध्यम से निलंबित और ऊपर तथा नीचे किए जाने योग्य मचान अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अन्तर्गत वोसुन कुर्सी या वैसा ही साधित्र नहीं है ;

(ययट) **'परीक्षण स्थापन'** से इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित उत्थापक साधित्रों या उत्थापक गियर या तार रज्जु के परीक्षण, परीक्षा, तापानुशीलन करने या वैसे ही अन्य परीक्षण या प्रमाणन के लिये केन्द्रीय सरकार या मुख्य निरीक्षक भवन और सन्निर्माण निरीक्षण द्वारा यथा अनुमोदित परीक्षण और परीक्षा करने की प्रसुविधाओं सहित कोई स्थापन अभिप्रेत है ;

(ययठ) **'बंधन'** से मचान को किसी दृढ़ स्थिरक स्थान से जोड़ने में प्रयुक्त समंजन अभिप्रेत है ;

(ययड) **'रोक फलक'** से कोई ऐसा घटक अभिप्रेत है जो भवन कर्मकार और सामग्री के कार्यकरण प्लेटफार्म, प्रवेश चौकी, प्रवेश मार्ग, एक पहिया ठेला, ढाल या अन्य प्लेटफार्म पर से गिरने का निवारण करने के लिये उसके ऊपर स्थिर किया गया है ;

(ययढ) **'मध्यपट्टी'** से किसी स्वतंत्र बंधन मचान में क्षैतिज रूप से रखी गई और एक आड़ को

दूसरी से या एक टेक को दूसरे से अनुप्रस्थत बांधने के लिये कोई घटक अभिप्रेत है ;

(ययण) **'कैंची मचान'** के अन्तर्गत ऐसा मचान है जिसमें प्लेटफार्म को आधार देने के लिये निम्नलिखित में से कोई जो अपने आधार पर टिके हों, अर्थात् :– (1) विभक्त सिरा, (2) मुड़वाँ, (3) सोपान–सीढ़ी, (4) तिपाई, या (5) पूर्वोक्त में से किसी के समान कोई चल आविष्कार;

(ययत) **'नालिकाकृत मचान'** से नलिकाओं और युग्मकों से सन्निर्मित मचान अभिप्रेत है ;

(ययथ) **'सुरंग'** से उपरिभार के नीचे उत्खनन द्वारा बनाया गया भूमिगत रास्ता अभिप्रेत है जिसमें कोई भवन कर्मकार काम करने के लिए प्रवेश करता है या जिसमें उसके प्रवेश करने की अपेक्षा है ;

(ययद) **'अंतर्भौम'** से शेफ्ट, सुरंग, नींव कोष्ठक या काफर बांध के घेरे के भीतर का कोई स्थान अभिप्रेत है ;

(ययध) **'यान'** से यांत्रिक या वैद्युत शक्ति से नोदित या चालित कोई यान भी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ट्रेलर, कर्षण इंजन, ट्रेक्टर, सड़क–निर्म़ात्री मशीन और परिवहन उपस्कर भी हैं ;

(ययन) **'कार्यकरण कोष्ठ'** से सन्निर्माण स्थल का कोई ऐसा भाग अभिप्रेत है जहाँ संपीड़ित वायु पर्यावरण में कोई काम किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत मैन–लाक या मेडिकल–लाक नहीं है ;

(ययप) **'कार्यकरण प्लेटफार्म'** से कोई प्लेटफार्म अभिप्रेत है जिसका उपयोग भवन कर्मकारों या सामग्रियों को सहारा देने के लिये किया जाता है और इसके अन्तर्गत कार्यकरण मंच भी है ;

(ययफ) **'कार्यकरण दाब'** से किसी कार्यकरण कोष्ठ में वह दाब अभिप्रेत है, जिसमें भवन कर्मकार को रखा जाता है;

(ययब) **'कार्यस्थल'** से वे सभी स्थान अभिप्रेत हैं जहाँ भवन कर्मकारों से उपस्थित रहने या काम करने, जाने की अपेक्षा है और जो नियोजक के नियंत्रण के अधीन हैं ;

3– **परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचनः–** उन शब्दों या पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

4– **व्यावृत्तिः–** इन नियमों के उपबंध अधिनियम द्वारा अधिरोपित अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिस्थापन के लिये या उनमें कमी करने के लिये है ।

अध्याय – 2
नियोजकों, वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों, डिजाइनरों, भवन निर्माण कर्मकारों, आदि के कर्तव्य और दायित्व

5– **नियोजकों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के कर्त्तव्य और दायित्व :–**

(1) ऐसे प्रत्येक नियोजक का, जो भवन या अन्य सन्निर्माण से संबंधित या उसके आनुषंगिक ऐसी किन्हीं संक्रियाओं या सकंर्मो को कर रहा है, जिसे यह नियम लागू होते हैं, यह कर्त्तव्य होगा कि वह,

(क) इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं का पालन करे जो उससे संबंधित है, परन्तु, यह कि इस खण्ड की अपेक्षाएं किसी भवन निर्माण कर्मकार को प्रभावित नहीं करेंगी यदि तथा जब तक किसी कार्यस्थल पर उसकी उपस्थिति उसके नियोजक के निमित्त किसी कार्य को करने के अनुक्रम में नहीं है तथा उसे उसके नियोजक द्वारा कार्य करने के लिये अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से प्राधिकृत या अनुज्ञात नहीं किया गया ; और

(ख) इन नियमों की उन अपेक्षाओं का अनुपालन करे जो उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य, कृत्य या संक्रिया के संबंध में उससे संबंधित हैं ;

(2) प्रत्येक नियोजक का, जो किसी मचान का परिनिर्माण या उसमें परिवर्तन करता है, इन नियमों के उपबन्धों की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने का कर्तव्य होगा जिसका सम्बन्ध ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों का ध्यान रखते हुए जिसके लिए परिनिर्माण या परिवर्तन करते समय मचान का डिजाइन किया गया था, मचान के परिनिर्माण या परिवर्तन से है और ऐसा नियोजक, जो किसी ऐसे संयत्र या उपस्कर का परिनिर्माण, संस्थापन, कार्य या उपयोग करता है जिसे इन नियमों का कोई उपबन्ध लागू होता है, ऐसे संयत्र या उपस्कर का परिनिर्माण, संस्थापन, कार्य का उपयोग ऐसी रीति से करेगा जो उन उपबन्धों के अनुपालन में हो।

(3) जहाँ कोई ठेकेदार, जो ऐसी किसी संक्रिया या संकर्म का वचनबन्ध करता है जिसे ये नियम लागू होते हैं, सेवाओं के लिये संविदा के अधीन कोई कार्य या सेवा करने के लिए किसी कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है, वहाँ ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वहाँ इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करे जो उस कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और इस प्रयोजन के लिए इन नियमों में किसी कर्मचारी के प्रतिनिर्देश के अन्तर्गत ऐसे कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति के प्रतिनिर्देश होगा और ठेकेदार उसका नियोजक समझा जाएगा।

(4) प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करे जो उसके द्वारा किसी कृत्य को करने या उससे विरत रहने से और इन नियमों को क्रियान्वित करने में सहयोग करने से संबंधित हैं।

(5) प्रत्येक नियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह किसी कर्मचारी को ऐसी कोई बात करने के लिये अनुमति न दे जो राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित मानक सुरक्षित प्रचालन व्यवहारों के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार न हो ।

(6) कोई कर्मचारी, कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित मानक सुरक्षा प्रचालन व्यवहारों के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार नहीं है ।

(7) किसी भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे उसे या किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुँचे ।

(8) प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भवन निर्माण कर्मकार द्वारा प्रयोग करने के लिये ऐसे उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक युक्ति, परिवहन उपस्कर, यान या किसी अन्य युक्ति या उपस्कर के उपयोग को अनुज्ञात न करे जो इन नियमों में दिये गये उपबन्धों के अनुरूप न हो ।

(9) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह शौचालयों, मूत्रालयों, धोवन सुविधाओं और कैंटीन को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बनाये रखे । कैंटीन ऐसे स्थान पर अवस्थित होगी जो शौचालयों और मूत्रालयों और प्रदूषित वातावरण से दूर हो और भवन निर्माण कर्मकारों की सहज पहुंच में हों ।

(10) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों के अनुसार किसी अवधि के लिये मजदूरी के संदाय के लिए उसके द्वारा नियत और अधिसूचित तारीखों का पालन करे और ऐसी तारीखों और ऐसी अवधि में कोई परिवर्तन भवन निर्माण कर्मकारों और निरीक्षक को सूचना के बिना प्रभावी नहीं किया जाएगा । नियोजक इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट यथासमय और उसके द्वारा अधिसूचित स्थान और समय पर मजदूरी का संदाय सुनिश्चित करेगा । जहाँ कोई नियोजक ठेकेदार हो, वहाँ यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण कर्मकारों को मजदूरी का संदाय उस स्थापन के नियोजक या परिसर के स्वामी के, जिससे उसने ठेके पर कार्य प्राप्त किया है, प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाता है, और ऐसे प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मजदूरी के संदाय के साक्ष्य के प्रतीकस्वरूप प्राप्त करेगा ।

(11) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा लिये गए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में प्रयुक्त उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, मिट्टी हटाने वाले उपस्कर, परिवहन उपस्कर या यान, इन नियमों के अधीन यथा उपबन्धित ऐसे उपस्कर के परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप हों । सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों में दी गई उससे सम्बन्धित अपेक्षाओं का अनुपालन करे।

6– **वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिजाइनरों के उत्तरदायित्व :–**

(1) किसी परियोजना या उसके भाग या किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के डिजाइन के लिये उत्तरदायी वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर या डिज़ाइनर का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि योजना प्रक्रम पर ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बातों पर सम्यक्रूप से ध्यान दिया जाता है जो, यथास्थिति, ऐसी परियोजना और संरचनाओं के परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन में नियोजित हैं ।

(2) परियोजना से सम्बद्ध वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर और अन्य वृत्तिकों द्वारा इस बात की पर्याप्त सतर्कता बरती जाएगी कि डिज़ाइन में ऐसी कोई बात सम्मिलित न की जाए जिसमें ऐसी खतरनाक संरचना या प्रक्रिया अथवा सामग्री का प्रयोग अन्तर्ग्रस्त हो, जो, यथास्थिति, परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन के अनुक्रम में भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिये परिसंकटमय हो ।

(3) भवन, संरचनाओं या अन्य सन्निर्माण परियोजनाओं के डिज़ाइन में अन्तर्ग्रस्त वृत्तिकों का यह भी कर्त्तव्य होगा कि संरचनाओं और भवनों के अनुरक्षण और रख–रखाव से सहबद्ध सुरक्षा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जहाँ अनुरक्षण और रख–रखाव का काम विशेष जोखिम वाला है ।

7– **राज्य और बोर्ड की सेवाओं में व्यक्तियों के दायित्व :–** सरकार या बोर्ड की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों का निष्पादन कराने के लिये समय–समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करे ।

8– **कर्मकारों के कर्त्तव्य और दायित्व :–**

(1) प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करे जो उससे संबंधित हैं और इन नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में पूर्ण सहयोग करे और यदि वह परिवहन उपस्कर या अन्य उपस्करों से संबंधित उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक युक्ति में कोई त्रुटि पाता है तो बिना अनुचित विलम्ब के ऐसी त्रुटियों की रिपोर्ट अपने नियोजक या फोरमैन या प्राधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को करे ।

(2) कोई भवन निर्माण कर्मकार, जब तक कि सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो या आवश्यकता पड़ने पर के सिवाय ऐसी किसी बाड़, मार्गिका, गियर, नसैनी, हैच छादन, जीवन रक्षक साधित्र, प्रकाश या कोई भी अन्य वस्तुएं, जिनका उपबन्ध किया जाना अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित हो, नहीं हटाएगा या उनसे छेड़छाड़ नहीं करेगा । यदि पूर्वोक्त किसी वस्तु को हटाया जाता है तो ऐसी वस्तु ऐसी अवधि की सामप्ति पर, जिसके दौरान उसका हटाया जाना आवश्यक था, उक्त कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तित की जाएगी ।

(3) प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार, प्रवेश करने के लिये केवल ऐसे साधनों का उपयोग करेगा जिनका उपबन्ध इन नियमों के अनुसार किया गया है और कोई व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रवेश के साधनों से भिन्न प्रवेश के साधनों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत या आदेशित नहीं करेगा ।

(4) भवन निर्माण कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह उसके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई शौचालय, मूत्रालय, धोवन स्थल, कैंटीन और अन्य सुविधाओं को वह स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखे ।

9– **छूटः–** सरकार, लिखित में आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी अवधि के लिये जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इन नियमों की सभी या किसी अपेक्षा से निम्नलिखित को छूट दे सकेगी,

(क) ऐसा कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा भवन या कार्य ऐसे कर्मकारों तक सीमित है जहाँ इन नियमों में उपबन्धित उपायों का किया जाना सुविधाजनक नहीं है; या

(ख) कोई साधित्र, गियर, उपस्कर, यान या अन्य युक्ति, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साधित्र, गियर, उपस्कर, यान या अन्य युक्ति की अपेक्षाएं प्रयोग के लिये आवश्यक नहीं हैं या उसके बदले में समान रूप से प्रभावी उपाय कर लिये गये हैं ;

परन्तु, सरकार इन नियमों के अधीन तब तक छूट नहीं देगी जब तक कि यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी छूट, भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी ।

भाग – 2

राज्य सलाहकार समिति, स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

अध्याय 3

राज्य सलाहकार समिति

10– **राज्य सलाहकार समिति का गठन :–** राज्य भवन सलाहकार समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(क) एक अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा ;

(ख) उत्तरांचल विधानसभा के सदस्यों में से चयनित विधानसभा के दो सदस्य।

(ग) एक सदस्य, जिसका नामनिर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा।

(घ) मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण– सदस्य पदेन ।

(ड.) मुख्य निरीक्षक, कारखाना और ब्वाइलर – सदस्य पदेन ।

(च) नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य जिनका नाम निर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(छ) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य जिनका नाम निर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(ज) दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, जिनमें से एक वास्तुविदों या इंजीनियरों के राज्य–स्तरीय संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला हो तथा दूसरा सदस्य दुर्घटना बीमा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला हो ।

11– **पदावधि :–**

(1) उत्तरांचल राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों को छोड़कर, समिति का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, राजपत्र में यथा अधिसूचित उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे और उत्तरांचल राज्य विधानसभा के सदस्यों के सम्बन्ध में तीन वर्ष के लिए या उत्तरांचल राज्य

विधानसभा का सदस्य बने रहने तक, इसमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे ।

12– **त्यागपत्र :–**

(1) राज्य सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है ऐसी समिति के अध्यक्ष को पूर्व सूचना देकर श्रम सचिव, उत्तरांचल सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को सम्बोधित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) ऐसे सदस्य का स्थान उस तारीख से जिसको राज्य सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या श्रम सचिव, उत्तरांचल सरकार को उसके त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अवसान पर, इसमें जो भी पहले हो, रिक्त हो जाएगा ।

13– **सदस्यता का समाप्त होना :–** यदि राज्य सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, समिति के अध्यक्ष से ऐसी अनुपस्थिति के लिये छुट्टी प्राप्त किये बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है तो वह उक्त समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा सदस्य पर्याप्त कारणों से लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में असमर्थ रहा है, तो वह निदेश दे सकेगी कि उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी और तब वह उक्त समिति का सदस्य बना रहेगा ।

14– **सदस्यता के लिए निरर्हताः–**

(1) कोई व्यक्ति, राज्य सलाहकार समिति की सदस्यता के लिये अनर्ह माना जायेगा ;....

(प) यदि वह विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ;

(पप) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(पपप) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ।

(2) जहॉ यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या उप–नियम (1) के अधीन कोई निरर्हता उपगत हुई है, वहॉ राज्य सरकार ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगी ।

15– **सदस्यता से हटाया जाना :–** राज्य सरकार, राज्य सलाहकार समिति के किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि उसकी राय में, उक्त सदस्य, ऐसे हित का प्रतिनिधि नहीं रह गया है, जिसका उसके द्वारा ऐसी समिति में प्रतिनिधित्व करना तात्पर्यित है :

परन्तु ऐसे किसी सदस्य को तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये उसे उचित अवसर न दे दिया गया हो ।

16– **रिक्तियां भरने की रीति :–** जब राज्य सलाहकार समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या रिक्ति होने की संभावना है, तब ऐसी समिति का अध्यक्ष, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार, उस प्रवर्ग के व्यक्तियों में से, जिसका कि सदस्यता रिक्त करने वाला व्यक्ति सदस्य है, नियुक्ति

द्वारा रिक्ति भरने के लिए कदम उठाएगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, उस सदस्य की शेष अवधि के लिये पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है ।

17— **राज्य सलाहकार समिति के कर्मचारिवृन्द :—**

(1) (प) राज्य सरकार अपने अधिकारियों में से किसी अधिकारी को, जो राज्य के श्रम विभाग में उप श्रमायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, राज्य सलाहकार समिति के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी और ऐसी समिति को उसके कृत्यों की कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकार के अधीन सेवारत अन्य कर्मचारिवृन्द को भी नियुक्त कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

(पप) ऐसे कर्मचारिवृन्द को ऐसा पारिश्रमिक संदेय होगा, जिसका विनिश्चय समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(2) **राज्य सलाहकार समिति का सचिव** ....

(क) समिति की बैठक बुलाने में ऐसी समिति के अध्यक्ष की सहायता करेगा ;

(ख) ऐसी समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकेगा किन्तु ऐसी बैठकों में वह मत देने का हकदार नहीं होगा ;

(ग) ऐसी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखेगा ; और

(घ) ऐसी समिति की बैठकों में लिये गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के आवश्यक उपाय करेगा ।

18— **सदस्यों के भत्ते :—**

(1) राज्य सलाहकार समिति के शासकीय सदस्य के यात्रा—भत्तों का संदाय, पदीय कर्त्तव्यों के लिए उसके द्वारा की गई यात्रा के संबंध में उसे लागू नियमों के अधीन, उसके वेतन का संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(2) राज्य सलाहकार समिति के गैर—सरकारी सदस्य को ऐसी समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिये यात्रा भत्ते का संदाय ऐसी दर से किया जाएगा जो उत्तरांचल राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को संदेय है और दैनिक भत्ते की संगणना ऐसे अधिकारी को अनुज्ञेय अधिकतम दर से की जायेगी ।

19— **कारबार का निपटारा :—**

(1) ऐसे प्रत्येक विषय, जिस पर राज्य सलाहकार समिति से विचार करने की अपेक्षा है, उस समिति की बैठक में विचार किया जाएगा या यदि ऐसी समिति का अध्यक्ष, ऐसा निदेश दें, तो राय के लिए आवश्यक कागज—पत्र प्रत्येक सदस्य को भेजे जाएंगे और विषय का निपटारा बहुमत के विनिश्चिय अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहाँ किसी विषय पर बहुमत की कोई राय नहीं है और समिति के सदस्य समान रूप से बंटे हुए हैं वहाँ अध्यक्ष का द्वितीयक अथवा निर्णायक मत होगा ।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'राज्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष' पद के अन्तर्गत ऐसी समिति का वह अध्यक्ष भी है जो बैठक की अध्यक्षता करने के लिये नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट या चयनित किया गया है।

(2) राज्य सलाहकार समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि समिति में कोई रिक्ति है अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि है।

20– **बैठकें:–**

(1) राज्य सलाहकार समिति की बैठकें उन स्थानों पर और ऐसे समयों पर होंगी, जिनका विनिश्चय ऐसी समिति का अध्यक्ष करे तथा इसकी बैठक छह माह में कम से कम एक बार होगी ।

(2) समिति की प्रत्येक ऐसी बैठक की अध्यक्षता समिति का अध्यक्ष करेगा जिसमें वह उपस्थित है और उसकी अनुपस्थिति में वह उसके स्थान पर ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए समिति के किसी सदस्य को नामनिर्देशित कर सकेगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में ऐसी बैठक में उपस्थित ऐसी समिति के सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सदस्यों में से किसी का चयन कर सकेंगे।

21– **बैठकों की सूचना और कारबार की सूची :–**

(1) साधारणतया राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों को प्रस्तावित बैठक की दो सप्ताह की सूचना दी जाएगी :

परन्तु यह कि यदि ऐसी समिति के अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है, तो ऐसी बैठक की दीर्घतर अवधि के लिये सूचना दे सकेगा जो एक मास से अधिक की नहीं होगी ।

(2) ऐसी समिति की बैठक की कारबार की सूची में सम्मिलित विषयों से भिन्न किसी अन्य विषय पर समिति के अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जायेगा।

22– **गणपूर्ति :–** राज्य सलाहकार समिति की किसी बैठक में किसी कारबार का सम्व्यवहार तब तक नहीं किया जायेगा जब तक किसी उस बैठक में ऐसी समिति से कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों, जिसमें उत्तरांचल विधानसभा का कम से कम एक सदस्य भी हो;

परन्तु यह कि यदि ऐसी समिति की किसी बैठक में चार से कम सदस्य उपस्थित हैं तो ऐसी समिति का अध्यक्ष किसी अन्य तारीख के लिए बैठक के स्थगन की, उपस्थित सदस्यों को जानकारी देते हुए और अन्य सदस्यों को सूचना देते हुए कि वह स्थगित बैठक में कारबार को निपटाने की प्रस्तावना करता है चाहे उसमें विहित गणपूर्ति हो या नहीं, बैठक स्थगित कर सकेगा और उस पर उसके लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या पर विचार किये बिना, स्थगित बैठक में कारबार का निपटारा करे।

अध्याय 4

स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

23— **स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने की रीति :—**

(1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन कार्य प्रारम्भ होने के 60 दिन के भीतर, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप—1 में तीन प्रतियों में, अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को किया जाएगा, जिसमें कि स्थापनों द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस का संदाय दर्शाने वाले मांगदेय ड्राफ्ट, भुगतान आदेश/बैंकर्स चैक संलग्न किया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसको भेजा जाएगा ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उसपर आवेदन प्राप्त करने की तारीख अंकित करने के पश्चात् आवेदक को उसकी अभिस्वीकृति देगा।

24— **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र का दिया जाना :—**

(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् स्थापन को रजिस्टर करेगा और आवेदक को, आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर, यदि आवेदक ने इन नियमों में अधिकथित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है, और ऐसी अवधि के भीतर आवेदन किया है जो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट है, रजिस्ट्रीकरण—प्रमाण—पत्र जारी करेगा । रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप—ण्ण में होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप—3 में रजिस्टर बनाएगा जिसमें उन अधिष्ठानों की विशिष्टियां दर्शित होंगी, जिनके संबंध में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र दिया गया है ।

(3) यदि किसी स्थापन के संबंध में उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र में विनिर्दिष्ट स्वामित्व या प्रबंध या अन्य विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है तब स्थापन का नियोजक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिसमें ऐसा परिवर्तन होता है ऐसे परिवर्तन की तारीख व विशिष्टियों के संबंध में कारणों की सूचना देगा ।

25— **अतिरिक्त फीस का संदाय और रजिस्टर का संशोधन आदि :—**

(1) जहाँ नियम 24 के उपनियम (3) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस धनराशि से अधिक धनराशि संदेय है, जिसका संदाय नियोजक द्वारा स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के रूप में किया गया है, तो वह ऐसे नियोजक से ऐसी अतिरिक्त धनराशि का संदाय करने की अपेक्षा करेगा जो उसके द्वारा पहले से संदत्त धनराशि को सम्मिलित करते हुए स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिये संदेय फीस की उच्चतर धनराशि के बराबर होगी ।

(2) जहाँ नियम 24 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप – ण्ण् में रखे गए रजिस्टर में किसी स्थापन की विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है तब वह उक्त रजिस्टर और अभिलेखों में उस परिवर्तन के लिए संशोधन करेगा जो दिया गया है।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप– ण्ण् में रजिस्टर में कोई संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक कि नियोजक द्वारा इस निमित्त समुचित फीस निक्षिप्त न कर दी गयी हो ।

26– **रजिस्ट्रीकरण की शर्तें :–**

(1) नियम 24 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात :–

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अहस्तांतरणीय होगा ;

(ख) किसी स्थापन में भवन कर्मकार के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) इन नियमों में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र देने के लिये संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी ।

(2) नियोजक, पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी परिवर्तन की, यदि कोई हो, सूचना देगा ।

(3) नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारंभ और पूर्ण होने से तीस दिन पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–ण्ट में उस निरीक्षक को लिखित सूचना भेजेगा जिसका उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार है, जहाँ प्रस्तावित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का निष्पादन किया जाना है, जिसमें ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण वर्ष के यथास्थिति प्रारम्भ या पूर्ण होने की वास्तविक तारीख की सूचना होगी।

(4) स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र केवल ऐसे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के लिये विधिमान्य होगा जिसके लिए उपनियम (3) के अधीन अपेक्षित सूचना दी गई है।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति परिसरों के ऐसे सहजदृश्य स्थान पर सम्प्रदर्शित की जाएगी जहाँ भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य सम्पन्न किया जाना है ।

27– **फीस :–** नियम 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिये संदेय फीस वह होगी जो नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात :–

(1) यदि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिये किसी एक दिन में भवन कर्मकार के रूप में नियोजित किये जाने वाले कर्मकारों की संख्या

(क) 100 तक है : पांच सौ रूपये

(ख) 100 से अधिक किन्तु : एक हजार रूपये
500 से कम है ।

(ग) 500 से अधिक है : दो हजार पांच सौ रूपये

(2) **विलम्ब फीस** : यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नियम 23 उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब उपनियम (1) में उल्लिखित फीस की दर की 25 प्रतिशत की दर से विलम्ब फीस उदगृहीत की जायेगी।

अध्याय 5

अपील, आदेशों की प्रतियां, फीस का संदाय आदि

28— **अपील अधिकारी के समक्ष अपील फाइल करना :—**

(1) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में अपील अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी ।

(2) ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरूद्ध अपील की गई है तथा दो सौ रूपये का मांगदेय ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा ।

(3) ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से और पृथक शीर्षकों के अन्तर्गत अपील के आधार उपवर्णित होंगे ।

(4) जहाँ अपील का ज्ञापन उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबंधों की अनुपालना नहीं करता है, तो अपील अधिकारी द्वारा नियत किये गये समय के भीतर जो उस तारीख से तीस दिन से अधिक न हो सुनवाई की तारीख निश्चित कर संशोधन के प्रयोजन से उक्त अपील को अपीलार्थी को वापस करेगा।

(5) जहाँ अपील ज्ञापन व्यवस्थित है वहाँ अपील अधिकारी अपील को ग्रहण करेगा, तथा उस पर ऐसे अपील की सुनवाई की तारीख पृष्ठांकित करेगा और इस प्रयोजन के लिये रखी जाने वाली पुस्तिका में अपील को रजिस्टर करेगा, जिसका नाम अपीलों का रजिस्टर होगा ।

(6) (प) जब उपनियम (5) के अधीन अपील ग्रहण कर ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपील की सूचना उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर मामले से संबंधित अभिलेख अपील अधिकारी को भेजेगा ।

(पप) अभिलेख प्राप्त होने पर अपील अधिकारी, ऐसी तारीख और ऐसे समय पर जो अपील की सुनवाई के लिए सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए अपीलार्थी को सूचना भेजेगा ।

29— **सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने में असफलता :—** यदि सुनवाई के लिये नियत तारीख को अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है तो अपील अधिकारी, उपस्थित होने में चूक के लिए अपील को खारिज कर सकेगा ।

30— **अपीलों का प्रत्यावर्तन :—** जहाँ कोई अपील, नियम 29 के अधीन खारिज कर दी जाती है, वहाँ अपीलार्थी, अपील के प्रत्यावर्तन के लिए अपील अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उपस्थित होने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो अपील अधिकारी अपील को उसकी मूल संख्या पर प्रत्यावर्तित करेगा :

परन्तु इस नियम के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन अपील अधिकारी द्वारा ऐसे खारिज किए जाने की तारीख से तीस दिन के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

31— **अपील की सुनवाई :—**

(1) यदि अपीलार्थी, उस समय उपस्थित है, जब अपील सुनवाई के लिये ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता को सुनने के लिए अग्रसर होगा और अपील पर उस आदेश की पुष्टि, उलटना अथवा फेर–फार करने संबंधी अपने आदेश पारित करेगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(2) अपील अधिकारी के आदेश अवधारण के लिए बिन्दु, उस पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चयों के लिये कारण कथित होंगे ।

(3) अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया जाएगा और उसकी प्रति उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी ।

32— **रजिस्ट्रीकरण के आदेश या अपील में आदेश की प्रति :—** रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के या अपील अधिकारी के आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, प्रत्येक आदेश के लिये एक सौ रुपये की फीस के संदाय के साथ, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी को आवेदन करने पर, जिसमें संबंधित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की तारीख और अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी, प्राप्त की जा सकेगी । रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो जाने या विकृत हो जाने पर प्रमाणपत्र की प्रति वैसी ही फीस के भुगतान पर और उसी रीति से प्राप्त की जा सकेगी ।

33— **फीस का संदाय तथा लेखा शीर्ष :—** जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो, इन नियमों के अधीन संदेय सभी फीस स्थानीय कोषागार में विभागीय लेखा–शीर्ष के अन्तर्गत संदत्त की जायेगी परन्तु अधिनियम के अन्तर्गत संदेय सभी फीस का संदाय यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के पक्ष में उत्तरांचल में किसी बैंक पर आहरण योग्य रेखांकित मानदेय ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/बैंकर्स चैक के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा और संबद्ध अधिकारी इस प्रकार संदत्त फीस ऊपर उल्लिखित लेखा शीर्ष में निक्षिप्त करेगा।

भाग – 3

सुरक्षा और स्वास्थ्य

अध्याय 6

साधारण उपबन्ध

34— **अत्यधिक शोर, कंपन आदि :—** नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि अत्यधिक शोर या कंपन के बुरे प्रभावों से भवन कर्मकारों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त उपाय किए गए हैं और ऐसे सन्निर्माण

स्थल पर शोर की प्रबलता का स्तर किसी भी दशा में इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 6 में अधिकथित सीमा से अधिक न हो ।

35– **अग्नि से परित्राण :–**

(क) नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ऐसे सन्निर्माण स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था जाती है:–

(प) अग्निशमन उपस्कर जो ऐसे सन्निर्माण स्थल पर किसी संभावित अग्नि के शमन के लिये पर्याप्त हो ;

(पप) राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त दबाव पर पर्याप्त जल की आपूर्ति ;

(पपप) उपखण्ड (1) के अधीन उपबन्धित अग्निशमन उपस्कर के प्रचालन के लिये अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति ।

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अधीन उपबन्धित अग्निशमन उपस्कर समुचित रूप से रखे जाते हैं और

उनका निरीक्षण उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार नियमित अन्तराल पर किया जाता है और ऐसे निरीक्षणों का अभिलेख रखा जाता है ।

(ग) भवन कर्मकारों के परिवहन के लिये प्रयुक्त लांच या नौका या अन्य यान और प्रत्येक उत्थापक साधित्र जिसके अन्तर्गत चलित केबिन आती है के केबिन की दशा में उपयुक्त प्रकार के वहनीय अग्निशमन उपस्कर की व्यवस्था ऐसे प्रत्येक लांच या नौका या यान या उत्थापक साधित्र पर की जाएगी ।

36– **आपातकालीन कार्य योजना :–** नियोजक किसी भवन या सन्निर्माण के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि उस दशा में जहाँ ऐसे सन्निर्माण स्थल पर पांच सौ से अधिक भवन कर्मकार नियोजित किए जाते है वहाँ निम्नलिखित आपात स्थितियॉ जैसे:–

(क) अग्नि और बिस्फोट,

(ख) उत्थापक साधित्रों और परिवहन उपस्करों का ढह जाना,

(ग) भवन, शेड या संरचनाओं आदि का ढह जाना,

(घ) गैस–रिसाव या खतरनाक माल या रसायनों का छलकना,

(ड.) भवन कर्मकारों का डूबना, वाहिकाओं का धँसना, और

(च) भू–स्खलन, भवन कर्मकार का दब जाना, जलप्लावन, आंधी और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने के

लिये आपातकालीन कार्य योजना तैयार की जाती है और मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जाती है ।

37– **मोटरों आदि की बाड़ लगाना :–** नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ———

(क) सभी मोटरों, दंतचक्र, जंजीरों और घर्षण गियरों, गतिपालक चक्र, धुरातंत्र मशीनरी के खतरनाक और चलित पुर्जों, (चाहे यांत्रिक शक्ति से चालित हो

या न हों) और वाष्प पाइपों की सुरक्षित रूप से बाड़ या लपेट लगाई जाती है ;

(ख) मशीनरी के खतरनाक पुर्जों की बाड़ ऐसी मशीनरी के गतिशील रहते हुए या उसके प्रयोग करते समय हटाई नहीं जाती है ;

(ग) किसी मशीनरी का कोई पुर्जा जो गतिशील है और जिसकी सुरक्षित रूप से बाड़ नहीं लगाई गई है का निरीक्षण, स्नेहन, समायोजन या मरम्मत ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो ऐसे निरीक्षण, स्नेहन समायोजन या मरम्मत के लिए कुशल व्यक्ति है ;

(घ) मशीनों के पुर्जे तब साफ किये जाते हैं जब ऐसी मशीन रोकी जाती है ;

(ड.) जब कोई मशीन सेवा या मरम्मत के लिये रोकी जाती है तब यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त उपाय किए जाते हैं कि ऐसी मशीन अचानक पुनः चालू न हो जाए ।

38— **अत्यधिक भार का उत्थापन और वहन :—** कोई नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर सुनिश्चित करेगा कि, ———

(क) कोई भवन कर्मकार अपने हाथ से या सिर पर या उसकी पीठ या कंधों पर कोई सामग्री, वस्तु, औजार या साधित्र उस भार से अधिक नहीं उठाता है या ले जाता है जिसकी अधिकतम सीमा निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

सारणी

व्यक्ति	**अधिकतम भार** (3000 फीट की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में)	**अधिकतम भार** (3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में)
वयस्क पुरुष	55 कि0 ग्राम	50 कि0 ग्राम
वयस्क स्त्री	30 कि0 ग्राम	25 कि0 ग्राम

जब तक कि किसी अन्य भवन कर्मकार या यांत्रिक युक्ति द्वारा सहायता न ली गई हो,

(ख) कोई भवन कर्मकार अन्य भवन कर्मकारों की सहायता से हाथ से या सिर या उनकी पीठ या कंधों पर कोई सामग्री, वस्तु, औजार या साधित्र उस भार से अधिक नहीं उठाता है या ले जाता है, जो खण्ड (क) के अधीन पृथक—पृथक रूप से प्रत्येक भवन कर्मकार के लिए दी गई अधिकतम सीमा से कुल योग भार से अधिक है, जब तक कि यांत्रिक युक्ति द्वारा सहायता न ली गई हो ।

39— **स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति :—**

(1) (क) पचास या अधिक भवन कर्मकारों को नियोजित करने वाला प्रत्येक स्थापन भवन कर्मकारों से सम्बन्धित नीति का लिखित कथन तैयार करेगा और उसे मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा ।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे , अर्थात :–

(प) भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में स्थापन के आशय एवं प्रतिबद्धताएं ;

(पप) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट नीति के कियान्वयन हेतु पदानुक्रम में अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व को निश्चित करने के लिये संगठनात्मक व्यवस्था;

(पपप) मुख्य नियोजक, ठेकेदार, उप ठेकेदार, परिवहनकर्ता या अन्य अभिकरणों, जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में अन्तर्ग्रस्त हैं, के उत्तरदायित्व ;

(पअ) सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के जोखिम के निर्धारण के लिए तकनीक और पद्धतियाँ एवं उनके उपचारी उपाय ;

(अ) सन्निर्माण कार्य में लगे हुए भवन कर्मकारों, प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों या अन्य व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था ;

(अप) खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति को प्रभावी करने के लिए अन्य व्यवस्थाएँ।

(ग) खण्ड (ख) के उपखण्ड (प) में निर्दिष्ट आशय और प्रतिबद्धता को, संयत्र, मशीनरी, उपस्कर, सामग्री और भवन कर्मकारों की तैनाती के संबंध में विनिश्चिय करते समय ध्यान में रखा जाएगा ।

(2) खण्ड(क) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट नीति की एक प्रति नियोजक के हस्ताक्षर सहित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जायेगी।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति का आवश्यकतानुसार निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन जब भी आवश्यक हो, परीक्षण होगा, अर्थात

(प) जब कभी ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में ऐसा कोई विस्तार या उपांतरण किया जाता है, जिसका कि भवन कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, या

(पप) जब कभी कोई नया भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, पदार्थ, वस्तुएं या तकनीकें जोड़ी जाती है, जिनका भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा ।

(4) उपनियम (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति की एक प्रति हिन्दी और ऐसी स्थानीय भाषा में जो भवन कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाती है, सन्निर्माण स्थल के किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी ।

40– **खतरनाक और हानिकारक पर्यावरण :–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि , –––

(क) जब कोई अन्तर्दहन इंजन किसी परिरूद्ध स्थान पर या , उत्खनन या सुरंग या किसी अन्य कार्य स्थान में रेचित किया जाता है , जहाँ प्रति 10 लाख में 50 अंश से कम वायुमंण्डल में कार्बन मोनाआक्साईड अन्तर्वस्तु रखने के लिये न तो प्राकृतिक संवातन और न ही कृतिम संवातन प्रणाली पर्याप्त है वहां

स्वास्थ्य परिसंकटों से भवन कर्मकारों को बचाने की दृष्टि से ऐसे कार्यस्थान पर पर्याप्त और उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

(ख) किसी भवन कर्मकार को, ऐसे किसी परिरुद्ध स्थान पर टैंक या खाई या उत्खनन में, जिसमें ऐसे प्रकृति की उतनी मात्रा में कोई धूल, धूम या अन्य अपद्रव्य बन्द है, जो भवन कर्मकारों के लिये हानिकारक या कष्टकारक हो जाये या जिसमें विस्फोटक, विषैला, हानिकारक या गैसीय पदार्थ या अन्य हानिकारक वस्तुएं ले जाई जाती हैं या भंडारित की जाती हैं अथवा जहाँ शुष्क बर्फ प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या जिसे धूमित किया जाता है या जिसमें आक्सीजन की कमी की संभावना है, जब तक कि ऐसी धूल, धूम या अन्य अपद्रव्य और खतरे जो उपस्थित हो सकते हैं, दूर करने के लिये तथा उसमें वृद्धि होने के निवारण हेतु सभी व्यवहार्य कदम न उठा लिए गए हों, और जब तक ऐसे कार्यस्थल, टैंक, खाई या उत्खनन को भवन कर्मकारों के प्रवेश के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सुरक्षित और ठीक प्रमाणित न कर दिया गया हो, प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

41— **शिरोपरि संरक्षा :—**

(1) नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्यस्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माणाधीन प्रत्येक भवन की परिधि के साथ–साथ शिरोपरि संरक्षा का परिनिर्माण करेगा जो उसके पूर्ण होने पर ऊंचाई में पंद्रह मीटर या उससे अधिक होगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शिरोपरि संरक्षा की चौड़ाई दो मीटर से कम नहीं होगी और भवन के आधार के ऊपर पांच मीटर से अनधिक की ऊंचाई पर परिनिर्मित की जाएगी और ऐसी शिरोपरि संरक्षा की बाहरी कोर उसकी भीतरी कोर से एक सौ पचास मिलीमीटर ऊंची होगी या उसका परिनिर्माण भवन में उसकी क्षैतिज ढलान से बीस डिग्री से अनाधिक के कोण पर किया जाएगा ।

(3) नियोजक भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ किसी माल, सामग्री या वस्तु के गिरने का खतरा है, को रस्सियों से बांधा जाता है या घेरा डाल दिया जाता है या ऐसे क्षेत्र में कार्य पर भवन कर्मकारों से भिन्न व्यक्तियों को असावधानीवश प्रवेश से अन्यथा रक्षित कर दिया जाता है।

42— **फिसलने, व्यवधान, विदारण, डूबने और गिरने संबंधी परिसंकट :—**

(1) भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सभी गलियारों, प्लेटफार्म और सन्निर्माण कार्य के अन्य स्थानों को , नियोजक द्वारा धूल, मलबा या वैसी ही सामग्री के इकट्ठा होने से और अन्य बाधाओं से जो व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, मुक्त रखा जाएगा ।

(2) कोई निकला हुआ नुकीला भाग या निकली हुई कीलें या उसी तरह की प्रक्षेपित कोई भाग जिससे भवन या निर्माण स्थल पर काम करने वाले कर्मकारों को कटने का भय रहता हो को हटा दिया जोयगा या अन्य उपयुक्त उपाय करके अन्यथा सुरक्षित किया जायेगा।

(3) नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार को सन्निर्माण कार्य पर ऐसे गलियारे, मचान या प्लेटफार्म या किसी अन्य उत्थापित कार्यकरण स्थान का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा जो फिसलन भरा और खतरनाक स्थिति में है और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे जल, ग्रीस, तेल या अन्य वैसे ही पदार्थ, जो उस स्थान को फिसलनभरा कर सकते हैं, को हटा दिया जाए या उसे सन्निर्माण कार्य पर फिसलने के परिसंकट से सुरक्षित करने के लिए बालू या बुरादा डाल दिया जाएगा अथवा उपयुक्त सामग्री से ढक दिया जाय ।

(4) जब कभी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर कार्यरत भवन कर्मकार के जल में गिरने के संकट में फंस सकते हैं वहाँ उन्हें नियोजक द्वारा उसे डूबने और ऐसे संकट से बचाने के लिये समुचित उपस्कर उपलब्ध कराए जाएंगे और यदि मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण आवश्यक समझे कि ऐसे कार्यस्थल पर प्रशिक्षित, कार्मिक सहित पूर्णतया सज्जित नौका या लांच की नियोजक द्वारा व्यवस्थता की जायेगी।

(5) प्रत्येक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर प्रत्येक खुली जगह या द्वार, जिसमें से कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार, यान या उत्थापक साधित्र या अन्य उपस्कर गिर सकते हैं, को गिरने से रोकने के लिए नियोजक द्वारा आच्छादित या उपयुक्त रूप से रक्षित किया जायेगा सिवाय वहाँ के जहाँ कार्य की प्रकृति के कारण वहाँ निर्वाध रूप से पहुँचना आवश्यक हो ।

(6) जहाँ कहीं किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकारों को ऐसे कार्य पर नियोजित रहते समय ऊंचाई से गिरने के संकट का जोखिम है, नियोजक द्वारा ऐसे संकट से उन्हें बचाने के लिये पर्याप्त उपस्कर या साधनों की व्यवस्था की जाएगी, ऐसे उपस्कर या साधन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे ।

(7) जहाँ कहीं भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित सन्निर्माण स्थल पर किसी सामग्री, उपस्कर या भवन कर्मकार के गिरने की संभावना है वहाँ राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियोजकों द्वारा पर्याप्त और उपयुक्त सुरक्षा जाल की व्यवस्था की जाएगी ।

43– **धूल, गैसें, धूम आदि :–** कोई नियोजक, धूल, गैसें या धूमों के संकेन्द्रण का निवारण, अनुज्ञेय सीमा के भीतर उनके संकेन्द्रण के नियंत्रण के लिये उपयुक्त साधनों की व्यवस्था करेगा जिससे कि वे किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार को क्षति न पहुँचाये या उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो ।

44– **संक्षारक पदार्थ :–** नियोजक, यह सुनिश्चित करेगा कि संक्षारक पदार्थ जिसमें क्षार और अम्ल भी सम्मिलित हैं, किसी भवन या सन्निर्माण कार्य पर ऐसे पदार्थों से संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से भण्डारित और प्रयोग किए जाएं जिससे यह भवन

या अन्य सन्निर्माण कर्मकार को खतरा उत्पन्न न करे और नियोजक द्वारा ऐसे पदार्थों के हथालने या उपयोग के दौरान उपयुक्त संरक्षात्मक उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी और ऐसे पदार्थों की भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार पर गिरने की दशा में नियोजक द्वारा तुरन्त उपचारी उपाय किए जाएंगे ।

45– **नेत्र संरक्षण :–** नियोजक द्वारा नेत्रों के संरक्षण के लिए उपयुक्त वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी और भवन कर्मकार, जो वेल्डिंग, कतरन, छीलन, पीसने या इसी प्रकार की संक्रियाओं में, जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर उसके नेत्रों को संकट कारित कर सकते हैं, उनका उपयोग करेंगे ।

46– **सिर का सरंक्षण और अन्य संरक्षा वस्त्र :–**

(1) प्रत्येक भवन कर्मकार से जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के क्षेत्रों के भीतर कार्य करने या वहाँ से जाने की अपेक्षा है और जहाँ कहीं उस पर वस्तुओं या सामग्री के गिरने का संकट है, नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्धारित कोटि के परीक्षित सुरक्षा हेलमेटों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर जल में या गीली कांक्रीट में या इसी प्रकार के अन्य कार्य करने की अपेक्षा है, नियोजक द्वारा उपयुक्त वाटर–प्रूफ जूतों की व्यवस्था की जाएगी ।

(3) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर वर्षा में या इसी प्रकार की गीली स्थिति में कार्य करने की अपेक्षा है, नियोजक द्वारा टोप के साथ वाटर– प्रूफ कोट की व्यवस्था की जाएगी ।

(4) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर क्षार, अम्ल या अन्य वैसे ही संक्षारक पदार्थों का उपयोग और हथालने की अपेक्षा है, नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप समुचित संरक्षात्मक उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर ऐसी तीक्ष्ण वस्तुओं या सामग्री को हथालने में लगा है, जिससे हाथों को क्षति कारित हो सकती है, नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपयुक्त दस्तानों की व्यवस्था की जाएगी ।

47– **विद्युत परिसंकट :–**

(1) नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले किसी ऐसे विद्युत उपस्कर या साधित्र, मशीन या विद्युतमय विद्युत सर्किट से, जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर उसके नियोजन के दौरान विद्युत परिसंकट उत्पन्न कर सकता है, शारीरिक संपर्क में आने से किसी कर्मकार के निवारण करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा ।

(2) नियोजक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के किसी सहजदृश्य स्थान पर हिन्दी में और ऐसी स्थानीय भाषा में जो बहुसंख्यक भवन कर्मकारों द्वारा समझी जाती हो, उपयुक्त चेतावनी प्रतीकों को प्रदर्शित और अनुरक्षित करेगा।

(3) किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के ऐसे कार्यस्थलों पर जहाँ भूमिगत विद्युत शक्ति लाइनों की सही स्थिति ज्ञात नहीं है वहाँ ऐसे जैक हैमर (हथौड़ा), सब्बल या अन्य दस्ती औजार का प्रयोग करने वाले भवन कर्मकारों को, जो विद्युतमय विद्युत लाइन के संसर्ग में आ सकते हैं, नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रकार के विद्युत रोधी संरक्षक दस्ताने और जूते आदि की व्यवस्था की जाएगी ।

(4) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि, यावतसाध्य, कोई तार, जो जल के संसर्ग में आ सकता है या जो यांत्रिकी रूप से क्षतिग्रस्त है, किसी भवन या सन्निर्माण कार्य पर भूमि या फर्श पर छूटा न रह जाए ।

(5) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर प्रयुक्त सभी वैद्युत उपकरण और केबिल उपस्कर ठोस सामग्री से बनाए गए हों और उचित और पर्याप्त रूप से भू–संपर्कित किए गए हों ।

(6) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सभी अस्थायी विद्युत व्यवस्था भू–क्षरण परिपथ वियोजक से उपबन्धित हैं ।

(7) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सभी वैद्युत संस्थापन तत्समय प्रवृत किसी विधि की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ।

48– **यानीय यातायात :–**

(1) जब कभी कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किसी सड़क पर या किसी अन्य स्थान पर जो सड़क से अति निकट अवस्थित है, किया जा रहा हो, जहाँ किसी यानीय यातायात भवन कर्मकारों को क्षति कारित कर सकता है, वहाँ नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य को रोधित किया जाय और ऐसे खतरे से निवारण के लिये उपयुक्त चेतावनी, प्रतीक और प्रकाशों का प्रदर्शन या परिनिर्माण किया जाय और यदि आवश्यक हो तो, वह ऐसे यातायात को नियंत्रित करने के लिये संबंधित अधिकारियों को लिखित में अनुरोध करे ।

(2) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर प्रयुक्त सभी यान, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(3) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ग या वर्णन यानों का ड्राईवर, जिनका प्रचालन भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर किया जा रहा है, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति का धारक है।

49– **संरचनाओं का स्थायित्व :–** नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी संरचना की कोई दीवार, चिमनी या अन्य संरचना या उसका कोई भाग ऐसी स्थिति में अनारक्षित न छोड़ा जाए कि यह वायु–दाब, कंपन के कारण या भवन या अन्य सन्निर्माण कार्यस्थल पर किसी अन्य कारणों से गिर जाय, ढह जाय या कमजोर हो जाय।

50– **गलियारों आदि का प्रदीपन :–** नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के उस स्थल पर जहाँ भवन निर्माण कर्मकारों से कार्य करने या निकलने की अपेक्षा है, सुरक्षित कार्यकरण स्थितियां बनाए रखने के लिये पर्याप्त प्रदीपन की व्यवस्था हो और गलियारों, सीढ़ियों और उतराई के स्थलों पर सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में उपबन्धित मात्रा से कम प्रदीपन न हो।

51– **सामग्री का चट्टा लगाना :–** नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ,–––

(क) सभी भवन सामग्रियों का भंडारण या चट्टा लगाई किसी गलियारे या कार्यस्थल पर अवरोध से बचाने के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित रीति से की जाती है ;

(ख) सामग्री के ढेर का भंडारण या चट्टा लगाई ऐसी रीति से की जाती है जिससे स्थायित्व सुनिश्चित हो सके ;

(ग) किसी फर्श या प्लेटफार्म पर सामग्री या उपस्कर का भण्डारण ऐसी मात्रा से अधिक नहीं किया जाता है जो उसकी सुरक्षित वहन क्षमता से अधिक हो ;

(घ) फर्श या प्लेटफार्म के किसी किनारे के इतने समीप भण्डारण या स्थानन नहीं किया जाता है, जो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो जो उसके नीचे या समीप में कार्य कर रहे हों ;

52– **मलबे का व्ययन :–** नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,–––

(क) मलबे की उठाई–धराई और व्ययन ऐसी किसी पद्धति से किया जाता है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरा कारित न करे ;

(ख) मलबे का इस प्रकार एकत्रित करना अनुज्ञात नहीं किया जाता है जो परिसंकटमय हो जाए ;

(ग) धूल को अनुज्ञात सीमा में रखने के लिए मलबे को पर्याप्त रूप से नम रखा जाय ;

(घ) मलबे को ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य की किसी, ऊंचाई से भीतर या बाहर न फेंका जाय ;

(ड.) कार्य के पूरा होने पर, बची हुई भवन सामग्री, वस्तु या अन्य पदार्थ या मलबे का व्ययन, किसी यातायात या व्यक्ति को कोई परिसंकट से बचाने के लिए जहां तक सम्भव हो शीघ्र किया जाय।

53– **तलों का संख्यांकन और चिन्हांकन :–** नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य का प्रत्येक तल या स्तर, ऐसे तल या स्तर पर पहुंचने का स्थान या समुचित रूप से संख्यांकित या चिन्हांकित है ।

54– **सुरक्षा हेलमेटों और जूतों का प्रयोग :–** नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी व्यक्ति, जो भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य में कोई कार्य या सेवा कर रहे हैं, राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा जूते और हेलमेट पहनते हैं जो मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल द्वारा अनुमोदित हों।

उत्थापक साधित्र और गियर

55– **उत्थापक साधित्र का सन्निर्माण और अनुरक्षण :–** नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के स्थल पर, –––

(क) सभी उत्थापक साधित्र, जिसके अन्तर्गत उनके भाग और कार्यकरण गियर चाहे वे स्थिर हों या सचल हों तथा ऐसे साधित्रों की एन्करिंग या स्थिरीकरण में प्रयुक्त संयंत्र या गियर भी हैं

(प) ठोस सन्निर्माण, ठोस सामग्री के हैं और पर्याप्त सामर्थ्य के हैं जिससे कि वे प्रयोजन की पूर्ति कर सकें जिसके लिये उनका प्रयोग किया जाना है और ऐसे सभी साधित्र प्रत्यक्ष दोषों से मुक्त होंगे, और

(पप) अच्छी मरम्मत और कार्यकरण स्थिति में बनाए रखे गए हैं ;

(ख) (प) प्रत्येक ड्रम या घिरनी, जिसके चारों ओर उत्थापक साधित्र की रस्सी लिपटी रहती है, ऐसी रस्सी के संबंध में पर्याप्त व्यास और ठोस सन्निर्माण की है ;

(पप) कोई रस्सी जो उत्थापक साधित्र के वाइंडिंग ड्रम पर समाप्त होती है , ऐसे ड्रम के साथ सुरक्षित रूप से बंधी है और ऐसे उत्थापक साधित्र की प्रत्येक प्रचालन स्थिति में ऐसी रस्सी के कम से कम तीन घुमाव ऐसे ड्रम पर रहें ;

(पपप) ड्रम का ∂लैंज रस्सी की अंतिम सतह से परे, रस्सी के व्यास से दुगना प्रक्षेपित है और यदि ऐसा प्रक्षेपण उपलब्ध नहीं है तो ऐसी रस्सी को ऐसे ड्रम से निकलने से रोकने के लिये एंटी–स्लैकनेस गार्ड जैसे अन्य उपाय उपलब्ध कराये जाएंगे ;

(ग) प्रत्येक उत्थापक साधित्र में पर्याप्त और दक्ष ब्रेक लगाए गए हैं, जो, ––

(प) निलंबित भार (जिसमें जांच भार भी है) को गिरने से रोकने में और जब भार नीचे किया जा रहा हो तो ऐसे भार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में समर्थ है ;

(पप) बिना आघात पहुंचाए कार्य कर सकते हैं ;

(पपप) सूज से युक्त है जिन्हें चलाने के लिए आसानी से हटाया जा सकता है ; और

(पअ) समायोजन के सरल और आसान पहुँच वाले साधनों से युक्त हैं,

परन्तु यह कि इस खण्ड की कोई बात भाप लिंच पर लागू नहीं होगा, जो इस खंड के अनुसार यथा उपबन्धित ब्रेक के साथ उतने ही सुरक्षित रूप से प्रचालित की जा सकती है ।

(घ) प्रत्येक उत्थापक साधित्र के नियंत्रण , –––

(प) इस प्रकार स्थित होंगे कि ऐसे साधित्र के चालक के पास अपने खड़े होने के स्थान या सीट पर प्रचालन के लिए पर्याप्त जगह हो और उसके द्वारा भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य का यथासाध्य अनिर्वाधित अवलोकन हो सके और यह भी कि वह भार और रस्सियों से दूर हो, तथा उसके ऊपर से कोई भार न गुजरे ;

(पप) ऐसे साधित्र उचित प्रचालन के लिए इरगोनोमिट्रिक विचार को सम्यक् रूप से लगाये गये हैं ध्यान में रखते हैं;

(पपप) इस प्रकार अवस्थित है कि ऐसे साधित्र का चालक ऐसे साधित्र के पूर्ण प्रचालन के दौरान, हील ब्लॉक की ऊंचाई से ऊपर रहे ;

(पअ) उनके ऊपर या पार्श्व में उनका प्रयोजन और प्रचालन की रीति को उपदर्शित करने के लिए स्पष्ट चिन्ह हैं;

(अ) ये जहाँ आवश्यक है, वहाँ आकस्मिक संचलन या स्थापन को रोकने के लिए उपयुक्त लॉकिंग युक्ति लगाई गई हैं ;

(अप) परिणामिक भार संचलन की दिशा में यथासाध्य गतिमान हो सके; और वे

(अपप) जहां स्वचालित ब्रेक लगाई गई है, वहां बिजली चले जाने पर वे स्वतः ही अपनी निष्क्रिय स्थिति में आ जाए।

56– **उत्थापक साधित्र की जांच और कालिक परीक्षण :–** नियोजक भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यस्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि , –––

(क) सभी उत्थापक साधित्रों की जिसके अन्तर्गत उसके सभी भाग और गियर भी हैं, चाहे वे स्थिर हैं अथवा सचल हैं, पहली बार प्रयोग में लाने से पूर्व सक्षम व्यक्ति अथवा इनकी क्षमता और स्थायित्व को प्रभावित करने वाले किसी बदलाव या मरम्मत के पश्चात् या इनके कार्यस्थल पर परिनिर्माण के पश्चात् तथा प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची –1 में विनिर्दिष्ट रीति से निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। ;

(ख) सभी उत्पादक साधित्रों का प्रत्येक बारह महीनों में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से परीक्षण किया जाता है और जहाँ ऐसा परीक्षण करके सक्षम व्यक्ति की यह राय बनती है कि उत्थापक साधित्र आगे सुरक्षित रूप से काम नहीं कर सकता है , वहाँ वह तुरंत अपनी राय से उत्थापक साधित्र के स्वामी को लिखित नोटिस देगा;

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ पूर्ण रूप से जाँच का अर्थ चाक्षुस जाँच अभिप्रेत है, और यदि आवश्यक हो तब परीक्षण के अन्य साधनों जैसे– हथौड़े से परीक्षण ऐसी सावधानीपूर्वक के साथ किया जाये जितना कि आवश्यक हो ताकि परीक्षित किये गए पुर्जों की सुरक्षा के संबंध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके तथा यदि आवश्यक हो तब ऐसे परीक्षण के लिये गियर और साधित्र के पुर्जों को खोला भी जा सके।

57– **स्वचालित सुरक्षित भार सूचक :–**

(क) नियोजक भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(1) प्रत्येक क्रेन के साथ जो यदि इस प्रकार सनिर्मित है कि उसके द्वारा निरापद कार्यकरण भार को ऊपर या नीचे करने अथवा इधर या उधर घुमाने वाली भुजा के साथ स्वचालित सूचक जुड़ा हुआ है, जो भार को इधर या उधर करने के समय क्षमता से अधिक भार उठाने पर आपरेटर को स्वतः चेतावनी दे देता है ;

(11) क्रेन के साथ जहाँ भी सम्भव हो कट आउट लगाये गये हैं, जो निरापद कार्यकरण भार से अधिक भार हो जाने पर उत्थापक साधित्र के हिस्सों के चलन को स्वतः रोक देता है ।

(ख) खंड (क) के उपखंड (1) के उपबंध सभी पर लागू हैं सिवाय वहाँ जहाँ स्वचालित निरापद कार्यकरण भार सूचक लगाना संभव नहीं है, उस दशा में क्रेन पर अनुकूल संगत अथवा जिब के अर्द्धव्यासों पर लगी निरापद कार्यकरण भार दर्शाने वाली सारणी पर्याप्त समझी जाएगी ।

58– **संस्थापन :–**

नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,–––

(क) (प) स्थिर उत्थापक साधित्रों का संस्थापन सक्षम व्यक्तियों द्वारा किया गया है;

(पप) ऐसी रीति से स्थिर किये गये हैं कि ऐसे साधित्र भार, कंपन या अन्य प्रभावों से विस्थापित नहीं हो सकते ;

(पपप) ऐसी रीति से किये गये हैं कि साधित्रों का ऑपरेटर भार, रस्सी या ड्रम के खतरों से बचा रहे; और

(पअ) और ऐसी रीति से किये गये हैं कि जहाँ से ऑपरेटर या तो प्रचालन के क्षेत्र को देख सकता है अथवा, सभी भार लादने और भार उतारने वाले स्थलों के साथ सिग्नल या अन्य संपर्क प्रणाली से संपर्क कर सकता है ।

(ख) उत्थापक साधित्रों के भागों या भार के बीच तथा, ––

(1) दीवारों और चौकियों जैसी स्थिर वस्तुयें या;

(11) विद्युत संवाहकों के मध्य समुचित रिक्त स्थान रखा जाता है।

(ग) उत्थापक साधित्रों को जब उनमें वायु भार लदान किया जाता है, ऐसी लदान सुरक्षा को सहन करने के लिये पर्याप्त अतिरिक्त शक्ति, मजबूती और दृढ़ता दी गयी है।

(घ) उत्थापक साधित्र के किसी भाग पर, उसकी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक परिवर्तन या मरम्मत इस आशय की सक्षम व्यक्ति की राय अभिप्राप्त किए बिना नहीं की जायेगी ।

59– **विंच :–** नियोजक भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,–––

(क) (प) यदि नियंत्रक लीवर अत्यधिक घर्षण या गति के साथ प्रचालित होता है तो विंचों का प्रयोग नहीं किया जाता है;

(पप) दोहरे गियर विंच का प्रयोग तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि गियर शि∂ट को लॉक करने के सकारात्मक उपाय न किये गये हों ;

(पपप) दो गियर वाली विंच पर गियर बदलते समय फाल और हुक संयोजन के अतिरिक्त कोई अन्य भार न हो ;

(पअ) विंच ऑपरेटर को असामान्य मौसम के प्रति पर्याप्त संरक्षण दिया गया है ;

(अ) विंच ऑपरेटरों के लिये अस्थायी आसन या आश्रय जो विंच ऑपरेटरों या अन्य भवन निर्माण कर्मकारों के लिये परिसंकट उत्पन्न कर सकते हैं, का प्रयोग किया जाना अनुज्ञात नहीं है ;

(अप) नियंत्रण लीवर निष्क्रिय स्थिति में है और जिस समय विंच पर कोई न हो तब जब भी सम्भव हो बिजली को बंद कर दिया जाता है जब कभी विंच को अनुप्रयुक्त छोड़ दिया जाता है।

(ख) प्रत्येक भाप विंच को प्रयोग में लाने पर, ––

(प) उससे निसृत भाप से सन्निर्माण स्थल या अन्य कार्यस्थल का कोई भाग धुंध के कारण अदृश्य पड़ जाने या किसी भवन निर्माण कर्मकार के लिये बाधक होने या उसे क्षति पहुँचने से रोकने के लिये उपाय किए जाते हैं ;

(पप) विस्तारक नियंत्रण लीवर, जो अपने भार के कारण गिर जाते हैं, को प्रतिसंतुलित किया जाता है ।

(पपप) विंच ऑपरेटरों को पहियेदार लीवर, जिसमें छोटे हैंडिल लगे होते हैं, को छोड़कर, विंच नियंत्रण विस्तारक लीवर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है और ऐसे लीवर पर्याप्त शक्ति और मजबूती के साथ धातु के बने हुए संयोजनों से आधार के साथ तथा स्थाई नियंत्रण लीवर से जुड़े होते हैं ;

(ग) किसी भवन निर्माण कर्मकार को प्रत्येक विद्युत नियंत्रण सर्किट को स्थानान्तरित, उनमें परिवर्तन या उनका समायोजन करने की अनुज्ञा नहीं है ।

(घ) भवन निर्माण कार्य के लिए इलेक्ट्रिक विंचों का प्रयोग वहाँ नहीं किया जाएगा जहाँ,–––

(प) वैद्युत चुम्बक ब्रेक भार को उठाए रखने में असमर्थ है ; या

(पप) एक या अधिक नियंत्रण बिन्दु, चाहे वे उत्तोलन के लिए है अथवा नीचे उतारने के लिये हैं, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं ।

60– **बाल्टियाँः–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि उलटने वाली बाल्टियों में ऐसी युक्ति लगी है जो सांयोगिक उलटने को प्रभावकारी ढंग से रोकती है ।

61– **निरापद कार्यकरण भार की पहचान और चिन्हांकन :–** नियोजक भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) प्रत्येक उत्थापक साधित्र और वियोजित गियर पर निरापद कार्यकरण भार और पहचान के लिये स्टाम्प लगा कर या अन्य उपयुक्त साधन द्वारा स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया जाता है।

(ख)(प) प्रत्येक डैरिक (डैरिक क्रेन से भिन्न) जब ऐसे डैरिक का प्रयोग निचले ब्लॉक के साथ एकल क्रम में या सभी ब्लॉक स्थितियों में संयुक्त क्रम में किया जाता है, उसके निरापद कार्यकरण भार के लिये स्पष्ट रूप से चिन्हांकित है;

(पप) क्षैतिज से न्यूनतम कोण, जिस पर डैरिक का प्रयोग किया जा सकता है, सुपाठ्य रूप से चिन्हांकित है ।

(ग) प्रत्येक ऐसा उत्थापक साधित्र जिसका एक से अधिक कार्यकरण भार है, ऐसे प्रभावी साधनों ये युक्त है जो ऑपरेटर को प्रयोग की सभी स्थितियों के अधीन प्रत्येक स्थान पर निरापद कार्यकरण भार अवधारित करने में समर्थ करता है ;

(घ) उत्थापक गियरों का, ऐसी स्थितियों के अधीन जिनमें ऐसे गियर प्रयोग किए जा सकते हैं, निरापद कार्यकरण भार अभिनिश्चित करने में ऐसे गियरों का प्रयोग करने वाले कर्मकार को समर्थ करने के लिए साधन दिए गए हैं और ऐसे साधनों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे ,––

(प) स्लिंग या किसी टेबलेट या पिन स्लिंग की दशा में टिकाऊ सामग्री की रिंग पर जो उससे दृढ़ता से जुड़ा है पर साफ अंकों या अक्षरों में निरापद कार्यकरण भार का चिन्हांकन; और

(पप) या तो उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट साधन अथवा तार रस्सी स्लिंग की दशा में विभिन्न आकारों को तार रस्सी स्लिंगों के निरापद कार्यकरण भार का कथन करने वाली सूचना जो इस प्रकार प्रदर्शित की गई है कि किसी भी संबद्ध भवन कर्मकार द्वारा आसानी से पढ़ी जा सके ।

62– **उत्थापक साधित्रों और उत्थापक गियरों पर लदान :–** नियोजक, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि , –––

(क) कोई उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर या तार रस्सी असुरक्षित तरीके से और ऐसी रीति में प्रयोग नहीं की जा रही हैं जिसमें भवन निर्माण कर्मकार के जीवन का जोखिम अन्तर्ग्रस्त हो और यह कि उन पर उस दशा को छोड़कर जब जांच प्रयोजनों के लिए किसी सक्षम व्यक्ति के निदेशाधीन इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट रीति में लदाई की जाती है, उनके निरापद कार्यकरण भार से अधिक लदाई नहीं की जाएगी ।

(ख) कोई उत्थापक साधित्र और उत्थापक गियर या अन्य कोई सामग्री की हथालन करने वाला साधित्र प्रयुक्त नहीं होगा; यदि

(प) अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक का जांच या परीक्षण प्रमाण पत्र अथवा इन नियमों के अधीन यथाउपाबन्धित अधिप्रमाणित अभिलेखों से समाधान नहीं हो गया है ;

(पप) निरीक्षक की दृष्टि में कोई उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर या कोई अन्य सामग्री की हथालन साधित्र भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं है ;

(पपप) कोई पुली ब्लॉक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में तब तक प्रयोग नहीं किया गया जब तक ऐसे ब्लॉक पर निरापद् कार्यकरण भार और पहचान स्पष्ट रूप से चिन्हांकित नहीं की गई ।

63– **ऑपरेटर का केब या केबिन :–** नियोजक भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) बाह्य सेवा वाली प्रत्येक उत्थापक मशीन के ऑपरेटर को एक केब या केबिन दिया गया है जो, ———

(प) अग्नि प्रतिरोधक सामग्री से बना है;

(पप) उपयुक्त सीट और एक पायदान से युक्त है और जिसमें बंधन से सुरक्षा दी गई है ;

(पपप) ऑपरेटर का प्रचालन के क्षेत्र के पर्याप्त अवलोकन की सुविधा देता है ;

(पअ) ऑपरेटर को केब में कार्यकरण भागों तक आवश्यक पहुंच की सुविधा देता है ;

(अ) ऑपरेटर को मौसम के प्रति पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है ;

(अप) पर्याप्त रूप से वातायन युक्त है ; और

(अपप) उपयुक्त अग्निशामकों से युक्त है ।

64— **उत्थापक साधित्रों का प्रचालन :—** नियोजक भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ,——

(क) प्रत्येक क्रेन चालक या उत्थापक ऑपरेटर के पास विशिष्ट उत्थापक साधित्र के प्रचालन के लिए पर्याप्त कुशलता और प्रशिक्षण है ;

(ख) कोई अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी उत्थापक साधित्र या पाड़ विंच के नियंत्रण पर नहीं है या ऑपरेटर को सिग्नल देने का कार्य नहीं कर रहा है ;

(ग) प्रशिक्षित ऑपरेटर द्वारा उत्थापक साधित्र को गति में आने से रोकने के लिए पूर्वावधानी ली जा रही है ;

(घ) उत्थापक साधित्र का प्रचालन सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सिगनलों द्वारा शासित है ;

(ड.) उत्थापक साधित्र के ऑपरेटर का ध्यान कार्य करते हुए भंग नहीं होता है ;

(च) कोई क्रेन, उत्तोलक, विंच या अन्य उत्थापक साधित्र अथवा ऐसी क्रेन, उत्तोलक, विंच या अन्य उत्थापक साधित्र के किसी भाग पर, सिवाय जांच प्रयोजनों के, निरापद कार्यकरण भार से अधिक नहीं लगाया जाता है ;

(छ) उत्तोलक प्रचालन के दौरान किसी व्यक्ति को ऐसे प्रचालन में भार के नीचे खड़े होने या गुजरने से रोकने के लिए प्रभावी पूर्वावधानी ली गई है ;

(ज) ऑपरेटर उत्थापक साधित्र को ऐसी दशा में जब बिजली चालू हो या ऐसे साधित्र पर लगाया गया है, बिना देख—रेख के नहीं छोड़ता है ;

(झ) कोई व्यक्ति लटके हुए भार पर या उत्थापक साधित्र पर सवारी नहीं करता है ;

(त्र) भार का प्रत्येक भाग, जब भार उत्तोलन हो रहा हो या नीचे किया जा रहा हो, किसी खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से लटकाया और सहारा दिया गया है ;

(ट) ईटों, टाइलों, स्लेटों या अन्य सामग्री के उत्तोलन के लिए प्रयुक्त पात्र, ऐसी किसी सामग्री को गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त रूप से बंद है ;

(ठ) उत्तोलन प्लेटफार्म, उस समय बंद रहता है, जब खुली सामग्री अथवा भार से लदे व्हील बैरोज सीधे ऐसे प्लेटफार्म पर रखे जाते हैं या जब ऐसी सामग्री अथवा व्हील बैरीस नीच उतारे जाते हैं ;

(ड) कोई सामग्री किसी उत्थापक साधित्र से इस प्रकार ऊपर, नीचे या धीमी नहीं की जाती है जिससे ऐसे साधित्र को अचानक झटका लगे ;

(ढ) किसी बैरो के उत्तोलन के समय ऐसे बैरो का कोई पहिया तब तक सहारे के साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है जब तक कि ऐसे पहिए के एक्सिल को बियरिंग में से बाहर फिसलने से रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं कर लिए जाते हैं ;

(ण) लम्बी वस्तुओं जैसे पटरा या शहतीर के साथ, ऐसी वस्तुओं को ऊपर या नीचे करते समय खतरे की किसी संभावना को समाप्त करने के लिए टैग लगाई जाती है ;

(त) सामग्री को नीचे उतारने की प्रक्रिया के दौरान, किसी भवन निर्माण कर्मकार को ऐसी सामग्री की लदाई और उतराई देखने के लिए खाली स्थान में झुकने की अनुज्ञा नहीं है ;

(थ) ऐसे स्थानों पर जहाँ यातायात का प्रवाह नियमित रहता है भारों का उत्तोलन बंद स्थान पर किया जाता है या उस दशा में जब ऐसे उत्तोलन के समय यातायात रोकने अथवा मोड़ने के उपाय किये जाते हैं ;

(द) भार को उसके उत्तोलन या उतराई के दौरान किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये है जिससे भार को खिसकने से बचाया जा सके ;

(ध) भारी–भारों को ऊपर या नीचे करते हुए, भारी भार की दिशा देने के लिए साधित्र उपलब्ध कराये गये हैं और उनका प्रयोग किया जाता है जिससे ऐसे भार को ऊपर या नीचे करने के दौरान भवन निर्माण कर्मकारों के हाथों को दबने से बचाया जा सके ।

65– **उत्तोलक :–** नियोजक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) उत्तोलक टावरों की परिकल्पना निर्माण सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया है ;

(ख) उत्तोलक शॉ∂ट में –––

(प) भूमि तल पर ऐसी शॉ∂ट के चारों तरफ ; और

(पप) अन्य सभी तलों पर ऐसी शॉ∂ट तक पहुंच के चारों तरफ, कठोर पैनल या अन्य पर्याप्त बाड़ लगाई गई है ।

(ग) उत्तोलक शॉ∂ट की दीवारें, पहुंच मार्गों के सिवाय ऐसे शॉ∂ट के फर्श या पहुंच के प्लेटफार्म से कम से कम दो मीटर ऊंची है;

(घ) उत्तोलक के पहुंच मार्गों पर द्वार लगाए गए हैं, जो––

(प) दिखाई दे सकने लायक जालीयुक्त हों ;

(पप) कम से कम दो मीटर ऊंचे हैं, और

(पपप) ऐसी युक्ति से युक्त हैं जो ऐसे उत्तोलक के प्लेटफार्म के अवतरण स्थल छोड़ने से पूर्व द्वार बंद कर देती है और जब तक ऐसा प्लेटफार्म अवतरण स्थल पर न पहुँचे तब तक द्वार को खुलने से रोके रख सके ।

(ड.) उत्तोलक के पहुंच मार्ग पर्याप्त रूप से प्रकाशित हैं ;

(च) उत्तोलक प्लेटफार्म के मार्गदर्शक के साथ एक सेफ्टी कैच जुड़ा हो ताकि उनके अटकने की स्थिति में वह मुड़ और उछल न सकें ;

(छ) शिरोपरि बीम और उसके सहारे इतने शक्तिशाली हों कि उनमें मानव भार और अन्य सामान को वहन करने की अपेक्षित क्षमता हो और कम से कम पांच सुरक्षा फैक्टरों से युक्त हो ;

(ज) (प) पिंजरे या प्लेटफार्म को उच्चतम स्थान में स्थिर करने या अधिक मुड़ने के लिये उसके ऊपर खुला स्थान अवश्य हो ताकि पिंजरे और प्लेटफार्म का आवागमन बिना किसी बाधा के आसानी से हो सके;

(पप) प्लेटफार्म या पिंजरे के न्यूनतम टिकाव स्थल पर भी खुला स्थान उपलब्ध हो;

(झ) उत्तोलक शॉ∂ट का मुख उचित रूप से ढका हो ताकि उसमें कोई सामग्री गिरने से रोकी जा सके ;

(ञ) बाह्य उत्तोलक टावर पर्याप्त रूप से मजबूत नींव पर खड़े किए गए हैं, और दृढ रूप से बंधे, उचित रूप से संकेतित और स्थिर हैं ;

(ट) उस दशा में जब कोई अन्य सीढ़ी असानी से पहुंच में नहीं है, तब प्रत्येक बाह्य उत्तोलक टावर के निचले तल से मुख तक एक सीढ़ी लगाई गई और ऐसी सीढ़ी मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल द्वारा अनुमोदित सुसंगत राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करेगी ;

(ठ) किसी उत्तोलक इंजन की अंकित क्षमता ऐसे अधिकतम भार से, जिसे ऐसे इंजन द्वारा उठाया जाना अपेक्षित होगा, कम से कम डेढ़ गुना होगी ;

(ड) उत्तोलन इंजन की सभी गिअरिंग दृढता से बंद हैं ;

(ढ) उत्तोलन इंजन की भाप पाइप, किसी भवन निर्माण कर्मचारी की ऐसी पाईप से दुर्घटनावश छू जाने से बचाने के लिए पर्याप्त रूप से संरक्षित है ;

(ण) उत्तोलन इंजन के विद्युत उपस्कर प्रभावी रूप से सुयोजित है ;

(त) उत्तोलक में उत्तोलन इंजन को, जैसे ही ऐसे उत्तोलक का प्लेटफार्म अपने रुकने के उच्चतम स्थान पर पहुंचता है, रोकने के लिये उपयुक्त युक्ति उपलब्ध है ;

(थ) उत्तोलन इंजन, मौसम और गिरती हुई वस्तुओं के प्रति संरक्षण के लिये उपयुक्त आवरण से युक्त है ;

(द) जनता के किसी आम रास्ते पर लगाया गया उत्तोलन इंजन पूरी तरह से बंद है ;

(ध) सभी भाप निष्कारक का पाइप इस गति से भाप का निस्सारण करती है कि इस प्रकार निकासी से किसी व्यक्ति को नहीं जलाती या आपरेटर के कार्य में बाधा नहीं डालती ।

(न) उत्तोलक को तब तक वापस नहीं मोड़ा जायेगा जब तक कि उसे पहले स्थिर न किया जाय ताकि वापस मुड़ने पर उससे कोई हानि न हो ;

(प) उत्तोलन की गति की दिशा जब तक विपरीत नहीं होगी जब तक वह पहले गतिहीन नहीं हो जाता जिससे कि ऐसी विपरीत दिशा में गति से होने वाली हानि से बचा जा सके ;

(फ) कोई ऐसा उत्तोलक जिसकी परिकल्पना में व्यक्तियों की सवारी सम्मिलित नहीं है, ऐसे उत्तोलक के प्लेटफार्म से गति में नहीं लाया जाता ;

(ब) उत्तोलक के पालस् और रैचेट पहियों की, जिससे ऐसे उत्तोलक के प्लेटफार्म को नीचे करने से पूर्व ऐसे पाल को ऐसे रेचेट पहियों से अलग करना अपेक्षित है, प्रयोग नहीं किया जाता है ;

(भ) उत्तोलक का प्लेटफार्म ऐसे अधिकतम भार की, जिसे ऐसा प्लेटफार्म कम से कम तीन सुरक्षा फैक्टर के साथ उठा सकता है, उठाने में समर्थ है ;

(म) उत्तोलक का प्लेटफार्म उपयुक्त सुरक्षा गियर से युक्त है, जो उत्तोलक रस्सी के टूटने की दशा में ऐसे प्लेटफार्म को इसके अधिकतम भार के साथ उठा सकता है ;

(स) उत्तोलक के प्लेटफार्म पर व्हील बेरौ या ट्रक सुरक्षित स्थिति में प्रभावी रूप से ब्लॉक किये गये है ;

(य) उत्तोलक का पिंजरा या प्लेटफार्म जिसमें भवन निर्माण कर्मकार अवतरण स्थल पर उसमें प्रवेश करते हैं का अचानक ऐसे पिंजरे में प्रवेश करना या प्लेटफार्म पर जाना अपेक्षित है, ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म की उस समय जब कोई कर्मकार ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म में प्रवेश करता है या छोड़ता है, गति में आने से रोकने के लिए , लॉकिंग इंतजाम से युक्त है ;

(यक) उत्तोलक के प्लेटफार्म का पार्श्व, जो भार की लदाई या उतराई के लिये प्रयोग नहीं होता ऐसे प्लेटफार्म में भार के किसी भाग को गिरने से रोकने के लिये टी बोर्ड और तारों के जाल या अन्य किसी उपयुक्त साधनों से युक्त है ;

(यख) उत्तोलक का प्लेटफार्म, जिससे भार के किसी भाग के गिरने की संभावना है, ऐसे की रोकने के लिये पर्याप्त आवरण से युक्त है ;

(यग) उत्तोलक के प्रति–बाट, जो कई भागों का समूह है, इस प्रकार निर्मित है कि सभी भाग दृढ़ रूप से एक साथ जुड़े हैं;

(यघ) उत्तोलक के प्रति–बाट गाइड्स के मध्य रहते है ;

(यड.) कार्य के प्रत्येक स्तर पर भवन कर्मकार को ऐसा कार्य करने के लिए पर्याप्त प्लेटफार्म उपलब्ध है ;

(यच) हिन्दी और साथ ही स्थानीय भाषा में सुपाठ्य सूचना निम्नलिखित स्थानों पर सम्प्रदर्शित की गई है, ––

(प) उत्तोलक के प्लेटफार्म के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना ऐसे उत्तोलक की भार ले जाने की अधिकतम क्षमता को किलोग्राम में दिखाती है ;

(पप) उत्तोलन इंजन के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना ऐसे उत्तोलक की भार उठाने की अधिकतम क्षमता को किलोग्राम में दिखाती है ;

(पपप) व्यक्तियों को प्लेटफार्म या पिंजरे में सवारी करने के लिये प्राधिकृत और प्रमाणित उत्तोलक के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना व्यक्तियों की वह अधिकतम क्षमता दिखाती है जो ऐसे उत्तोलक पर एक बार में जा सकते हैं;

(पअ) माल और अन्य सामग्री को ले जाने वाले उत्तोलक के सहजदृश्य स्थान पर ऐसी सूचना यह बताती है कि ऐसा उत्तोलक व्यक्तियों की सवारी के लिये नहीं है ;

66– **उत्थापक साधित्र तक पहुंच के साधन और उन पर बाड़ लगाना :–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, –––

(क) उत्थापक साधित्र के प्रत्येक भाग तक पहुंच के लिये सुरक्षित साधन उपलब्ध हैं;

(ख) यांत्रिकी शक्ति से चालित प्रत्येक क्रेन या टिप पर ऑपरेटर के प्लेटफार्म पर दृढ बाड़ लगाई गई है और उस समय तक पहुंचने का सुरक्षित साधन है और जहाँ प्लेटफार्म तक ऐसी पहुंच सीढ़ी द्वारा है वहाँ,––

(प) ऐसी सीढ़ी का पार्श्व, ऐसे प्लेटफार्म से समुचित ऊंचाई पर है या उसके स्थान पर कोई अन्य उपयुक्त हैन्डहोल्ड, व्यक्तियों को ऐसे प्लेटफार्म से गिरने से रोकने के लिए उपलब्ध कराया गया है ;

(पप) ऐसे प्लेटफार्म पर उठाई–धराई का स्थान बाधाओं और फिसलन से मुक्त है, और

(पपप) उस दशा में जब सीढ़ी की ऊंचाई छह मीटर से अधिक है, ऐसी सीढ़ी पर उसकी ऊंचाई के प्रत्येक छह मीटर पर आराम करने के लिए प्लेटफार्म और जहाँ इस प्रकार उपलब्ध अंतिम प्लेटफार्म और सीढ़ी के शीर्ष के बीच दो मीटर से अधिक दूरी है तब ऐसे शीर्ष पर भी ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध है ।

67– **डेरिकों की रिगिंग :–** नियोजक भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक डेरिक पर सामयिक तथा संगत रिगिंग योजना है और ऐसे डैरिकों और उसके गिअर की सुरक्षित रिगिंग के लिये अन्य आवश्यक जानकारी है ।

68– **डेरिक फुट का दृढ़ीकरण :–** नियोजक भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि डैरिक के फुट को उसकी सोकेट या सहारे से ऊपर निकलने से रोकने के लिये उपयुक्त उपाय किये गये हैं ।

69– **उत्थापक गिअर की संरचना और रख–रखाव :–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,–––

(क) प्रत्येक उत्थापक गिअर,———

(प) उस कार्य को, जिसके लिए इसका प्रयोग होता है, करने के लिये अच्छा डिजाइन तथा संरचना, अच्छी सामग्री और पर्याप्त मजबूती का है,

(पप) पेटेन्ट विकारों से मुक्त है, और

(पपप) अच्छी मरम्मत और कार्यकरण दशा में उचित रूप से बनाए रखा गया है ।

(ख) नियोजित गिअर का संघटक यदि प्रयोग से उसका कोई आयाम किसी बिन्दु पर दस प्रतिशत या अधिक घट जाता है, प्रयोग के समय नया डाला जाता है ;

(ग) कोई चेन जब खींची जाने पर लम्बाई में उसी लंबाई से पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ जाती है या ऐसी चेन की कोई कड़ी विकसित हो जाती है अथवा अन्यथा नष्ट हो जाती है अथवा उसके ऊपर विकृत टांके उभर आते है, प्रयोग में से हटा ली जाती है ;

(घ) चेन से जुड़े रिंग, हुक, सिंगनल और अंतिम कड़ी उसी सामग्री से बने हैं जिससे चेन बनी है;

(ड.) किसी चुम्बकीय उत्थापक साधित्र को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति की वोल्टता में उतार–चढ़ाव दस प्रतिशत से कम या अधिक नहीं है ।

70– **उत्थापक गिअरों की जाँच और कालिक परीक्षण :–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ,———

(क) कोई उत्थापक गिअर विनिर्माता के लिये इसके प्रयोग से पूर्व या इसमें कोई सारभूत परिवर्तन, जो इसके किसी भाग को इसकी सुरक्षा को प्रभावित करने का दायी बनाते हैं, करने के पश्चात किसी सक्षम व्यक्तियों द्वारा इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रारंभिक रूप से जाँचा गया है और ऐसा गिअर ऐसी जाँच में परिवर्तित ऐसे गिअर को तत्पश्चात प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार इसके स्वामी के उपयोग के लिये जाँचा जायेगा ;

(ख) प्रयोग किये जा रहे किसी उत्थापक गिअर का प्रत्येक बारह मासों में कम से कम एक बार सर्वांग परीक्षण किया जाता है ;

(ग) प्रयोग की जा रही किसी चेन का इसके प्रयोग के लिए प्रत्येक मास कम से कम एक बार जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाता है ;

(घ) इन नियमों के अधीन वियोजित गिअरों की प्रारंभिक और कालिक जांच और परीक्षण के प्रमाण पत्र इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 7 में लिए जाते हैं ।

71– **रस्सियाँ :–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,——

(क) भवन निर्माण अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के लिये किसी रस्सी का प्रयोग केवल तब किया जायेगा जब ——

(प) वह अच्छी क्वालिटी की है और पेटेन्ट विकारों से मुक्त है ;

(पप) तार रस्सी की दशा में उसका इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट रीति में, सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच और परीक्षण किया गया हो ।

(ख) भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य में प्रयुक्त किसी उत्थापक साधित्र और उत्थापक गिअर की प्रत्येक तार रस्सी का प्रत्येक तीन मासों में कम से कम एक बार, ऐसे प्रयोग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है :

परन्तु यह कि जब ऐसी रस्सी में ऐसी कोई तार टूट जाती है तो उसके पश्चात् उसका निरीक्षण, जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मास में कम से कम एक बार किया जाएगा ।

(ग) कोई तार–रज्जु भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिये प्रयुक्त नहीं की जाएगी यदि उक्त रज्जु की मोटाई वाले आठ भागों में से किसी एक के आयाम में दृश्यमान टूटी हुई तारों की संख्या उक्त रज्जु में के कुल तारों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक हो जाती है या उक्त रज्जु में अत्यधिक टूट–फूट जंग या अन्य कमियों के चिन्ह् दिखाई देते है जो निरीक्षण करने वाले व्यक्ति या निरीक्षक, जिसको अधिकारिता है, की राय में प्रयोग के लिये अनुपयुक्त हैं ;

(घ) तार–रज्जुओं से हुक, कड़ा और अन्य ऐसे भागों को जोड़ने के लिये रज्जुओं के कुंडी शिरोबंधन और लूप उपयुक्त छल्ले से बनाए जाते हैं ।

(ड.) किसी तार–रज्जु झूले में बनाए गए छल्ले या लूप शिरोबंधन निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात :–

(प) तार–रज्जु झूले में रज्जु की पूर्ण लड़ों सहित कम से तीन लपटें और उक्त लड़ों में से प्रत्येक तक आधे तारों तक काटी हुई दो लपेटें होनी चाहिएं, प्रत्येक स्थिति में उक्त लड़ों की लपेट रज्जु के बटान की दिशा में होगी ;

(पप) तार–रज्जु झूलों के किसी शिरोबंधन में उक्त लड़ों के बाहर निकले हुए सिरे तक ढक दिए जाएंगे या इस प्रकार उपचारित किए जाएंगे जिससे सिरे पैने न रहें ;

(पपप) तन्तुमय रज्जु झूले में कम से कम चार लपेटें होनी चाहिएं, उक्त लपेट का अंतिम छोर उपयुक्त रीति में टांका गया होना चाहिए ; और

(पअ) कृत्रिम तंतु या रज्जु झूले में पूर्ण लड़ों की कम से कम चार लपेटें होनी चाहिएं जिसके बाद में एक और लपेट प्रत्येक उक्त लड़ तक आधे कटे तंतुओं की होगी और अंतिम लपेट आधे बचे शेष वियोजक तंतुओं की होगी। झूलों का कोई भाग जिसमें उक्त लपेटें हैं, तंतुओं की घटक संख्या सहित, उपयुक्त टेप या अन्य पदार्थ से सुरक्षित रूप से ढका जाना चाहिए :

परन्तु इस उपखण्ड की कोई बात वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ किसी अन्य प्रकार के झूले का, जिसे उपरोक्त मानकों सहित झूले के समान दर्शित किया गया हो, प्रयोग किया गया है ।

72— **उत्थापक गिअरों का तापोपचार :—** नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ——

(क) आरोपक जंजीरों को छोड़कर, सभी जंजीरे और उक्त क्रेनों के उत्तोलन या अवनयन में प्रयोग किये जाने वाले सभी कड़े, कुण्डियाँ और फिरकियाँ प्रभावी रूप से, किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन और निम्नलिखित अंतरालों पर तापानुशीतित किए जाएँ , अर्थात :—

(प) ऐसी जंजीरें, कड़े, हुक, कुण्डे और फिरकियाँ जिनकी लम्बाई साढ़े बारह मिलीमीटर से अधिक नहीं है, प्रति छह मास में कम से कम एक बार उक्त तापानुशीतित किए जाएँ ; और

(पप) सभी अन्य ऐसी जंजीरें, कड़े, हुक, कुण्डे और फिरकियाँ प्रति बारह मास में कम से कम एक बार उक्त रूप में तापानुशीतित की जाएँ :

परन्तु उपखण्ड (1) और उपखण्ड (11) में यथानिर्दिष्ट उक्त तापानुशीतन अपेक्षित नहीं होगा यदि अधिकारिता प्राप्त निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निदेश देता है कि ऐसी जंजीरों, कड़ों, हुकों, कुण्डों और फिरकियों पर कुछ अन्य उपचार किया जाए और ऐसी दशा में ऐसे निरीक्षक द्वारा निदेशित उपचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उक्त क्रेनों पर अनन्य रूप से प्रयोग की जाने वाली ऐसी जंजीरों, कड़ों, हुकों, कुण्डों और फिरकियों और अन्य उत्तोलन यंत्रों, जो हाथ द्वारा चालित हैं, की दशा में उपखण्ड (1) और उपखण्ड (11) के उपबंध, यथास्थिति, लागू होंगे मानो छह मास और बारह मास की अवधि के स्थान पर उसमें क्रमशः बारह मास और दो वर्ष की अवधियाँ प्रतिस्थापित कर दी गई है :

परन्तु यह भी कि ऐसी दशा में जहाँ कि अधिकारिता प्राप्त निरीक्षक की यह राय है कि आकार, डिजाइन, सामग्री या ऐसी जंजीरों कड़ों, हुकों, कुण्डों और फिरकियों के प्रयोग की आवृति के कारण भवन कर्मकारों के संरक्षण के लिए तापानुशीतन के लिये इस खण्ड की आवश्यकता नहीं है, मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात वह उक्त नियोजक को लिखित में प्रमाण पत्र देगा कि उक्त प्रमाणन में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कुण्डों और फिरकियों को उक्त तापानुशीतन से छूट प्रदान की जाती है और तत्पश्चात् इस खण्ड के उपबंध उक्त छूट के अधीन रहते हुए लागू होंगे :

परन्तु यह और भी कि यह खण्ड निम्नलिखित को लागू नहीं होगा ,——

(प) चक्र दन्त या दांतेदार पहियों पर कार्य करने वाली चूड़ीदार जंजीरें ;

(पप) चूड़ीदार (अंतराल) जंजीरों, गरारी या तुलन मशीनों से स्थायी रूप से संलग्न कस, हुक और कुण्डे; और

(पपप) हुक और कुण्डे जिनमें बॉल बियरिंग या अन्य कठोरीकृत आवरण के पुर्जे हैं ।

(ख) उच्चतनीय स्टील या मिश्रधातु स्टील से बनी कोई जंजीर या कोई असंवेष्टित गरारी जिस पर स्पष्टतः ऐसे चिन्ह् सन्निहित किया गया है कि यह उक्त रूप में बनी है ।

(ग) उच्चतनीय स्टील या मिश्रधातु स्टील से बनी कोई जंजीर या असंवेष्टित गरारी किसी प्रकार के ताप उपचार के अधीन नहीं होगी सिवाय जहाँ कि ऐसी जंजीर या असंवेष्टित गरारी की मरम्मत के प्रयोजन के लिये उक्त उपचार आवश्यक है और यह कि उक्त मरम्मत सक्षम व्यक्ति के निदेशन के अधीन की जा रही है ।

(घ) कि व्यंगारित लोहे की गरारी, जिसके पिछले इतिहास का पता मालूम नहीं है, के बारे में संशय है कि वह गलत ताप पर ताप उपचारित की जाती थी, यह किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग किये जाने के पूर्व प्रसामान्य बना ली जाती है ।

73– **वास्तविक जांच और परीक्षण आदि के पश्चात् जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र :–** नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि नियम 56, नियम 62, नियम 71 और नियम 72 के प्रयोजन के लिए सक्षम व्यक्ति केवल वास्तविक जांच या यथास्थिति, उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट उपकरण के परीक्षण के पश्चात प्ररूप–ग में प्रमाण पत्र जारी करें ।

74– **आवधिक परीक्षण, परीक्षा और उनके प्रमाण पत्रों का रजिस्टर :–** नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर ,–––

(क) इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–गगट॰ में एक रजिस्टर रखा जाता है और नियम 56, नियम 62 और नियम 72 के अधीन यथा अपेक्षित उत्थापन साधित्रों, उत्थापन गियरों और ताप उपचार के ऐसे परीक्षण और परीक्षा की विशिष्टियां ऐसे रजिस्टर में प्रविष्ट की जाती है ;

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्ररूपों में सक्षम व्यक्ति से अभिप्राप्त किया जाता है, अर्थात :–

(प) नियम, 56 और नियम 71 के अधीन आरंभिक और आवधिक परीक्षण तथा परीक्षा की दशा में ,–––

(क) विंच, डेरिक और उनके सहायक गियर के लिए इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–ट में, ––

(ख) क्रेन या उत्तोलक और उनके सहायक गियर के लिए इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–टप॰ में,––

(पप) नियम 70 के खण्ड (घ) के अधीन लूज गियर के परीक्षण, परीक्षा और पुनः परीक्षा की दशा में, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–टपप॰ में,––

(पपप) नियम 62 के अधीन तार रस्सों के परीक्षण और परीक्षा की दशा में, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–टपप॰ में ;

(पअ) नियम 72 के अधीन लूज गियर की ताप उपचार और परीक्षा की दशा में, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप– घ में ,––

(अ) नियम 70 के खण्ड (ख) के अधीन, लूज गियर की वार्षिक सम्पूर्ण परीक्षा की दशा में, सिवाय वहाँ के, जहां ऐसी छूट की अपेक्षित विशिष्टियां, खण्ड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में संलग्न की गई हैं, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–ग्गटप में और ऐसे प्रमाण पत्र खण्ड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में संलग्न किए जाते हैं ।

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर और ऐसे रजिस्टर के साथ संलग्न खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र,––

(प) यदि ऐसे रजिस्टर और प्रमाण पत्र उत्थापक साधित्रों, लूज गियर, तार रस्सों से संबंधित हैं तो ऐसे सन्निर्माण स्थल पर रखे जाते हैं ;

(पप) अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के समक्ष मांग पर प्रस्तुत किए जाते हैं; और

(पपप) ऐसे रजिस्टर में की गई अंतिम प्रविष्टि की तिथि के पश्चात कम से कम पांच वर्ष के लिए प्रतिधारित किए जाते हैं ।

(घ) ऐसा कोई उत्थापक साधित्र या उत्थापक गियर, जिसकी बाबत् खण्ड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है और, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे रजिस्टर में परीक्षण और परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में तब तक प्रयुक्त नहीं होता जब तक कि अपेक्षित प्रविष्टियां ऐसे रजिस्टर और प्रमाण पत्रों में नहीं कर दी गई हैं ।

75– **निर्वात और चुम्बकीय उत्थापक गियरः–** नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर ,––

(क) किसी निर्वात उत्थापक गियर, चुम्बकीय उत्थापक गियर या किसी अन्य उत्थापक गियर का जहाँ इस पर का अपना भार अपधर्षक शक्ति द्वारा धारित किया जाता है, उस समय प्रयोग नहीं किया जाता जबकि कर्मकार ऐसे गियर के नीचे संक्रियाएं कर रहे हों ,––

(ख) किसी चुम्बकीय उत्थापक गियर का प्रयोग भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में विद्युत के ऐसे विकल्प प्रदाय जैसे बैटरी का उपबंध किया गया है, जो मुख्य विद्युत आपूर्ति के असफल होने की दशा में, तत्काल प्रयोग में आ सकती है ;

(ग) कोई भवन निर्माण कर्मकार उत्थापक गियर या भार या भवन या ऐसे उत्थापक गियर में लटकी हुई अन्य सन्निर्माण सामग्री के झूला क्षेत्र के भीतर कार्य नहीं करेगा ।

76– **जंजीर और तार रस्सों में गांठ होनाः–** नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल में यह सुनिश्चित करेगा कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किसी गांठ वाली जंजीर या तार रस्से का प्रयोग नहीं किया जाता है ।

77– **उत्थापक साधित्रों आदि के द्वारा व्यक्तियों को लाना–ले जाना :–**

(1) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल में किसी भवन निर्माण कर्मकार को ,

(क) चालक के प्लेटफार्म पर क्रेन में लगे चालक के सुरक्षित प्रकोष्ठ में; या

(ख) किसी उत्तोलक पर ; या

(ग) किसी अनुमोदित प्रलंबित मचान पर पहुँचाने के सिवाय किसी कर्मकार को विद्युत चालित उत्थापक साधित्र से ऊपर उठाने, नीचे उतारने नहीं दिया जायेगा :

परन्तु किसी भवन निर्माण कर्मकार को निम्नलिखित दशा में विद्युत चालित उत्थापक साधित्र से ऊपर उठाया, नीचे उतारा जा सकता है, ––

(प) जब किन्हीं परिस्थितियों में उत्तोलक या प्रलंबित मचान का प्रयोग युक्ति–युक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है और उपनियम(2) की अपेक्षाएँ पूरी कर दी जाती है ; अथवा

(पप) ऐसी दशा में जहाँ किसी हवाई विद्युत वाहक केबिल या हवाई रज्जूपथ के संबंध में, उपनियम(2) में विहित अपेक्षाएँ पूरी कर दी गई हैं ।

(2) उपनियम (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट अपेक्षाएँ निम्नलिखित हैं, अर्थात :

(प) परन्तुक में निर्दिष्ट साधित्र को केवल एक अवस्था में ही प्रचालित किया जा सकता है ;

(पप) परन्तुक में निर्दिष्ट साधित्र के संबंध में प्रयुक्त कोई विंच नियम 59 की अपेक्षाओं को पूरी करती है ;

(पपप) किसी व्यक्ति को परन्तुक में निर्दिष्ट साधित्र के द्वारा

(क) कुर्सी या सुरक्षित प्रकोष्ठ में बैठाकर ; या

(ख) किसी डोल या आधान में जो कम से कम तीन फुट गहरा हो और जो किसी व्यक्ति के सुरक्षित वहन के लिये उपयुक्त हो और ऐसी कुर्सी, सुरक्षित प्रकोष्ट, डोल या अन्य आधान अच्छी संनिर्मिति का है, ठोस सामग्री का बना हुआ है और उसमें पर्याप्त मजबूती है तथा उसमें से किसी अधिभोगी को गिरने से बचाने के लिए उपयुक्त साधनों से सज्जित किया हुआ है तथा ऐसी किसी सामग्री या औजार से मुक्त है, जो किसी अधिभोगी के हाथ या पैर की पकड़ में हस्तक्षेप कर सकता है अथवा उसे नुकसान पहुंचा सकता है ; और

(ग) कुर्सी, सुरक्षित प्रकोष्ठ, डोल या अन्य आधान में, ऐसी बुनाई या नोक (टिपिंग) जो उसमें बैठे किसी अधिभोगी के लिए खतरनाक हो सकती है, रोकने के लिये उपयुक्त उपाय किए जाएंगे ।

78– मानव संवाहक उत्तोलक :–नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) उत्तोलक द्वारा किसी भवन कर्मकार तब तक वहन नहीं किया जायेगा जब तक कि ––

(प) उसमें ऐसा सुरक्षित प्रकोष्ठ न बना हो जिसमें उत्तोलक में सवार व्यक्ति को बाहर गिरने से बचाने के लिए उसके द्वार बंद रखे गए हों या यह भी सावधानी रखी जाती है कि सुरक्षित प्रकोष्ठ के किसी भाग से या स्थिर किसी बनावट या उत्तोलक के गतिमान किसी हिस्से में उसका अंग न फंस जाये अथवा किसी वस्तु या सामग्री से न टकरा जाये जो उत्तोलक के मार्ग में ऊपर से उतर रहा हो, और

(पप) वह सुरक्षित प्रकोष्ठ जो हर तरफ से इस प्रकार फिट किया गया है कि उसमें उतरने के स्थान पर बाहर निकलने का द्वार बना है जो मजबूत आंतरिक ताले या ऐसी किसी अन्य युक्ति से सुरक्षित किया गया है ताकि द्वार तब तक न खुले जबतक कि सुरक्षित प्रकोष्ठ उतरने के स्थान पर नहीं पहुँच जाता है और ऐसा सुरक्षित प्रकोष्ठ नियत स्थान से अन्यत्र नहीं हटाया जाय जब तक कि उसका द्वार बंद न हो जाय।

(ख) व्यक्तियों को लाने ले–जाने में प्रयुक्त ऐसे प्रत्येक उत्तोलक के भीतर निर्मित पिंजर द्वार ऐसे सफल अन्तः पाश से आवद्ध हैं या ऐसी युक्ति से मजबूत किए गए हैं कि द्वार तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि वह उतरने के स्थान पर नहीं पहुंच जाता और यह पिंजरा नियत स्थान से दूसरी जगह नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसका दरवाजा बंद न किया गया जाए।

(ग) भवन निर्माण कर्मकारों के लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक उत्तोलक में यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें उपयुक्त और अच्छी स्वचल युक्तियों का उपबंध किया गया है ताकि ऐसे उत्तोलक का सुरक्षित प्रकोष्ठ उस निम्नतर बिन्दु पर विश्राम स्थिति में आ सकता है जहाँ से कि सुरक्षित प्रकोष्ठ इधर–उघर घूम सके ।

79– **भार के साथ अनुलग्नक :–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) जब गोफन (स्लिंग) उत्तोलक का प्रयोग लंबी सामग्रियों के लिये किया जाता है, तब उत्थापक कड़ी का प्रयोग उचित संतुलन बनाने के लिये स्लिंग लेग्स के मध्य स्थान बनाने के लिये किया जाता है और जब भार स्लिंग के दो या उससे अधिक किनारों से लटका हुआ हेाता है, तब ऐसे स्लिंग के उत्थापक लेग्स के छिद्रों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसे गुंथे हुए स्लिंग का छिद्र हुक पर रखा जाता है अथवा उत्थापक लेग्स के छिद्रों को, यथास्थिति, उत्तोलक ब्लॉक, बॉल या सतुंलन शहतीर के साथ जोड़ दिया जाता है ।

(ख) पत्थर, ईंट, टाइल, स्लेट या अन्य वैसी ही वस्तुओं को उठाने या झुकाने के लिये प्रयुक्त प्रत्येक पात्र या आधान, उत्थापक के साथ इस तरह संलग्न किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं को गिरने से रोका जा सके ।

(ग) भार से लदे हुए पहियेदार ठेले को उत्थापक के उत्थान स्थल पर सीधे रखा जाता है ताकि उठाने या नीचे करने में ठेला हिल डुल न सके। उत्थान स्थल को चारों ओर से घेर दिया जाता है ताकि पहियेदार ठेले से सामान नीचे न गिर पाए।

(घ) किसी उत्तोलक का अवतरण स्थल (लैडिंग) इस प्रकार डिज़ाइन और व्यवस्थित किया जाता है कि ऐसे उत्तोलक पर किसी सामग्री की लदाई और उतराई के लिए खाली स्थानों में भवन निर्माण कर्मकारों को झुकने की आवश्यकता न पड़े।

80– **टावर क्रेन :–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) ऊंचाई पर कार्य करने में समर्थ प्रशिक्षित ऑपरेटर से भिन्न किसी व्यक्ति को टावर क्रेन चलाने के लिये नियोजित नहीं किया जाता है ;

(ख) वह तल, जिस पर टावर क्रेन खड़ी की जाती है, पर्याप्त सहन क्षमता वाला है ।

(ग) टावर क्रेनों और रेल पर चढ़ाए गए टावर क्रेनों के ट्रकों के लिए आधार तल सपाट सतह वाले हैं और ऐसी क्रेनें उत्खनन स्थल से सुरक्षित दूरी पर खड़ी की जाती हैं और ऐसी क्रेनों के विनिर्माताओं द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रवण सीमाओं के भीतर प्रचालित की जाती हैं ।

(घ) टावर क्रेनें ऐसी जगह पर रखी जाती हैं जहाँ उनको खोलने, जोड़कर खड़ी करने तथा प्रचालन के लिए खुली जगह उपलब्ध हो ;

(ड.) टावर क्रेनों को, उन निर्माण स्थलों को छोड़कर, जहाँ उनका प्रयोग किया जाना है, ऐसी जगह पर खड़ा न किया जाय कि उन पर लदे हुए भार को उठाने, रखने का काम, घिरे हुए स्थान, आम रास्ते, रेल–मार्ग या बिजली के केबल के निकट किया जाय;

(च) जहाँ दो या दो से अधिक टावर क्रेनें खड़ी की जाती हैं या प्रचालित की जाती है वहाँ किसी संभावित खतरे या दुर्घटना से बचने के लिए ऐसी क्रेनों के ऑपरेटरों के बीच परस्पर उचित संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सावधानी बरती जाती है ।

(छ) टावर क्रेनों का प्रयोग ऐसे लोडिंग चुंबक, या बॉल सर्विस के विघटन, सामान का ढेर लगाने के कार्य या इसी प्रकार के ही अन्य प्रचालनों के लिए किया जाता है ताकि ऐसी क्रेनों की संरचना पर अधिक भार–दबाव अधिरोपित न हो ।

(ज) ऐसी क्रेनों के प्रयोग एवं प्रचालन से पूर्व टावर क्रेन के संबध में विनिर्माताओं द्वारा सुरक्षित प्रचालन संबधी आदर्श व्यवहार के अनुदेशों का पालन किया जाता है

81– **उत्थापक विंचों और संकेतक आदि के प्रचालन हेतु ऑपरेटर की अर्हता :–** नियोजक भवन के सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि उत्थापक साधित्र चाहे वह यांत्रिक शक्ति से चालित है अथवा दूसरी रीति से चलने वाले हैं, को प्रचालित करने, प्रचालन के लिए संकेत देने के लिये, किसी रिंग या डेरिक या उत्थापक साधित्र के ऑपरेटर या चालक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह,––

(प) अठारह वर्ष से अधिक आयु का नहीं है ;

(पप) पर्याप्त रूप से दक्ष और विश्वसनीय नहीं है;

(पपप) उत्थापक साधित्र के प्रचालन में अन्तर्निहित खतरों की जानकारी नहीं रखता है ; तथा

(पअ) समय–समय पर उसके स्वास्थ्य की चिकित्सीय जांच नहीं की जाती है जैसा कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

अध्याय 8
चलनपथ और ढलानें

82– **भवन निर्माण कर्मकार द्वारा चलन पथ और ढलानों का प्रयोग :–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) भवन कर्मकार के प्रयोग हेतु प्रदत्त चलन पथ या ढलानों की ,न्यूनतम चौड़ाई 430 मिलिमीटर तथा मोटाई 25 मिलिमीटर मोटी पट्टी से बना है और ऐसे सामान से निर्मित है, अपेक्षित भार क्षमता को सहन करने में समर्थ है तथा मजबूती से आधारित है, और जिसकी विस्तृति और बंधन की संरचना का सन्निर्माण और अभिकल्पना चलन पथ और ढलानों के निर्माण के लिए निर्धारित सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ।

(ख) भवन कर्मकार के उपयोग के लिए निर्मित प्रत्येक चलनपथ या ढलान आधार या तल से तीन मीटर से अधिक ऊंचाई पर इस तरह बनाया जाय कि उसकी खुली दिशायें न्यूनतम 1000 मि0 मी0 ऊंचाई की मजबूत लौह पट्टी से आवृत कर सुरक्षित की जाय।

83– **यानों द्वारा प्रयोगः–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) सभी चलनपथ और ढलान ठोस सन्निर्माण, और मजबूती के हैं तथा बंधनी से सुरक्षित रूप से आवृत और समर्थित हैं ;

(ख) परिवहन उपस्कर जैसे ट्रेलरों, ट्रकों या भारी यानों के उपयोग के लिए निर्मित प्रत्येक चलनपथ या ढलान 3.7 मीटर से कम चौड़ाई के नहीं है तथा उनके किनारे लकड़ी या अन्य सामग्री से बने हुए दो सौ ग दो सौ मि0 मी0 चौड़ाई के लकड़ी के कोणों से समानांतर दोनों तरफ लगाये गए हैं और ऐसे चलनपथ और ढलान सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं ।

84– **रपटों का झुकाव :–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ढलान का झुकाव एक अनुपात चार (वन इन फोर) से अधिक नहीं बनाया गया है और पहियेदार ठेलों पर सामान ले जाने वाले निर्माण कर्मकारों द्वारा प्रयुक्त ढलान की ऊंचाई 3.7 मीटर से अधिक नहीं है, जब तक कि उक्त ढलानों पर 1.2 मीटर लम्बाई का क्षैतिज अवतरण स्थल न बनाया गया हो या जो कि सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपबन्धित किया गया है ।

85– **पहियेदार ठेला (व्हील बैरो) आदि का प्रयोग :–** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ,––

(क) पहियेदार ठेला (व्हील बैरों) हाथगाड़ियों या हैंड ट्रकों के लिए प्रयुक्त प्रत्येक चलनपथ या ढलान चौड़ाई में एक मीटर से कम नहीं है और न्यूनतम पचास मिलीमीटर मोटाई के तख्तों से सन्निर्मित हैं तथा ऐसे उपयोग के लिये पर्याप्त रूप से टेक द्वारा समर्थित और बंधनी से घिरे हैं।

(ख) प्रत्येक चलनपथ या ढलान आधार तल से कम से कम तीन मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं तथा उसकी खुली दिशायें उपयुक्त मजबूती के लौह पट्टियों से सुरक्षित की गई हैं।

अध्याय 9
जल में या जल के समीप स्थल पर कार्य करना

86– **जल द्वारा परिवहन :–**

(1) नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ,––

(क) जब किसी भवन निर्माण कर्मकार को किसी भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रयोजन के लिए किए कार्य स्थल पर जलमार्ग से जाना पड़ता है तब उसके सुरक्षित परिवहन हेतु समुचित उपाय किए जाते हैं तथा ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जलयान को किसी उत्तरदायी व्यक्ति के भार साधन में रखा जाता है और वह सुरक्षित नौवहन के लिए भली प्रकार सज्जित किए गए हैं तथा ठीक हालत में रखे जाते हैं।

(ख) ऐसे जलयानों पर सुसंगत प्रवृत कानून के अधीन स्पष्ट रूप से एवं सहज दृश्य स्थान पर यह अंकित किया जायेगा कि उक्त जलयान कितने अधिकतम व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से लाने– ले जाने के लिए समर्थ है और ऐसे जलयान में उपयोग के दौरान यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक न हो।

(2) उपनियम (1) के खण्ड क में निर्दिष्ट जलयान निम्नलिखित के अनुरूप होगीं, अर्थात;––

(प) ऐसी जलयान में सवार भवन निर्माण कर्मकारों को प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए पर्याप्त संरक्षण में रखा जाता हैं;

(पप) ऐसा जलयान तत्समय प्रवृत सुसंगत विधि के अनुसार यथेष्ट रूप से अनुभवी कर्मीदल द्वारा नियंत्रित किया जाता है;

(पपप द्ध यदि जलयान की अड़वाल, जलयान के डैक के स्तर से साठ सेन्टीमीटर से कम है तो अड़वाल का खुला किनारा उपयुक्त बाड़ से सज्जित होगा जिसकी ऊंचाई ऐसे डैक और सीकचों, गूंटे से एक मीटर कम नहीं होगी और ऐसी बाड़ में उपयोग किये गए पुर्जों की दूरी दो मीटर से अधिक न होगी।

(पअ) जलयान के डैक पर जीवन रक्षक बोया की संख्या, जलयान के कर्मीदल की संख्या के बराबर होगी किन्तु दो से कम न होगी;

(अ) जलयान के डैक पर सभी जीवन रक्षक बोया अच्छी दशा में रखी जाएगी और ऐसे स्थान पर रखी जाएगी कि यदि जलयान डूबता है तो वह तुरन्त तैरने की स्थिति में हो। जीवन रक्षा बोया में से एक जलयान, उसके चालक (स्टेयरमैन) की आसान पहुँच में रहेगी जो दूसरी जीवन रक्षा बोया जलयान के साथ ही पीछे से बंधी होगी; और

(अप) जलयान में चालक की स्थिति ऐसी होगी जिससे की वह चारों तरफ निर्बाध रूप से देख सके।

87– **डूबने से बचाव–** नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सन्निर्माण स्थल पर या उसके निकटवर्ती निर्माण स्थल पर, जहाँ पर यह नियम लागू हैं, और ऐसे निर्माण स्थल जो जल के भीतर स्थित हैं, पर नियुक्त कर्मकार, जिनके डूबने का खतरा नियोजन के दौरान बना रहता है, की सुरक्षा हेतु समुचित बचाव उपस्कर प्रदान किए जाते हैं और उन्हें सफल संचालन की स्थिति में तुरन्त प्रयोग के लिए तैयार रखा जाता है तथा उनके अविलम्ब बचाव के लिए ऐसे उपाय किए जाते हैं कि कोई कर्मकार डूबने न पाए। जहॉ निकटवर्ती जमीन के किसी कोने से या निकटवर्ती किसी ढांचे से या पानी के ऊपर तैरने वाले किसी बेड़े से डूबने का विशेष खतरा हो वहाँ जमीन के किनारे पर या ढांचे पर या तैरने वाले बेड़े पर, जैसी भी स्थिति हो, सुरक्षित बाड़ लगाई जाती है ताकि गिरने से बचा जा सके और ऐसी बाड़ हटाई या लगे रहने की स्थिति में रखी जा सके जो आवश्यकतानुसार कर्मकारों के आवागमन या सामान लाने–ले जाने के समय उनकी आसान पहुँच के भीतर हो।

ऊपर निर्दिष्ट बचाव उपस्करों के संचालन के लिए कम से कम दो कुशल गोताखोर ऐसे निर्माण स्थल पर उपलब्ध रहने चाहिए।

अध्याय 10
परिवहन और मिट्टी हटाने के उपस्कर

88– **मिट्टी हटाने के उपस्कर और यान–** नियोजक भवन सन्निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ,

(क) सभी यान और मिट्टी हटाने के उपस्कर अच्छी सामग्री, उचित डिजाइन तथा ठोस निर्माण के बने हुये हैं तथा ऐसे उपस्कर के उपयोग में लाने के लिए यह सुनिश्चित करना कि वे सन्निर्माण के प्रयोजनों के लिए संकर्म उपयुक्त है, उन्हें मरम्मत करके अच्छी दशा में रखा गया है तथा उनका सुरक्षित प्रचालन अभ्यास मानकों के अनुसार समुचित उपयोग किया जाता है :

परन्तु आधानों की ढलाई के परिवहन के लिए ट्रक या ट्रेलर बिना किसी कठिनाई के आधानों को ले जाने के लिए पर्याप्त आकारों के हैं। ऐसे प्रत्येक ट्रक या ट्रेलर के धारों, कोनों पर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कुण्डेदार आंकड़े (बिस्ट लॉक) लगे हुए हैं और ऐसा ट्रक या ट्रेलर ऐसे उपयोग के लिए तत्समय प्रवृत सुसंगत विधि के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है तथा माह में कम से कम एक बार किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है और ऐसे निरीक्षण का अभिलेख रखा जाता है;

(ख) सभी परिवहन या मिट्टी हटाने के उपस्कर और यानों का किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाता है और उपस्कर या यान में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे तुरन्त उपयोग से हटा लिया जाता है;

(ग) पावर ट्रक और ट्रेक्टरों में प्रभावकारी ब्रेक, हेडलाईट, और पिछली बत्तियाँ लगी हैं तथा उन्हें अच्छी मरम्मत करके काम के लायक बनाए रखा जाता है।

(घ) (प) पावर ट्रकों और ट्रेलरों पर भारी और लम्बी वस्तुएँ ले जाने के लिए दोनों तरफ के सींकचे ठोस

निर्माण सामग्री के बने हुये हैं और त्रुटि रहित है;

(पप) पावर ट्रकों और ट्रेलरों पर भार को बाँधने के लिए लगे सींकचों में ऐसे सींकचों को इधर–उधर बिखरने से रोकने के लिए ऊपर चारों ओर आर–पार जंजीरें दी हुई हैं; और

(पपप) ऐसे सींकचों को लदाई या उतराई के समय सही स्थिति में रखा जाता है।

(ङ) लॉरियों, ट्रकों, ट्रेलरों और वैगनों में लादने और उनसे उतारने के कार्य में लगे भवन सन्निर्माण कर्मकारों के आने जाने के लिए सुरक्षित मार्गिकायें बनाई गई है;

(च) ट्रकों और अन्य उपस्करों पर सुरक्षित भार वहन छमता से अधिक भार नहीं लादा जायेगा जिसकी चेतावनी ऐसे ट्रकों और उपस्करों पर स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी;

(छ) हाथ ठेलों के हत्थों का डिजाइन इस प्रकार का होगा कि उनको चलाने वाले निर्माण कर्मकारों के हाथों की सुरक्षा हो सके या ऐसे हत्थों पर पोर रक्षक लगे हों;

(ज) ऐसे संकर्म में नियोजित परिवहन उपस्कर पर कोई अनधिकृत व्यक्ति सवार नहीं होगा;

(झ) किसी परिवहन उपस्कर का चालक जो, ऐसे उपस्कर पर कार्यरत है, किसी संकेतक के निर्देश के अधीन कार्य करेगा;

(त्र) विद्युत सप्लाई को अलग करने या सुरक्षित ऊँचाई वाले शिरोपरि बाधकों को खड़ा करने के समय पर्याप्त सावधानी बरती जाती है जब मिट्टी हटाने के उपस्कर या यान को किसी जीवित विद्युत चालक के नजदीक संचालित करने की अपेक्षा की जाय।

(ट) यानों और मिट्टी हटाने के उपस्करों को ढलवा रास्ते पर उस समय नहीं छोड़ा जाएगा जब ऐसे यानों या उपस्कर के इंजन चालू हालत में हों;

(ठ) सभी मिट्टी हटाने के उपस्कर, यान और अन्य परिवहन उपस्कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा ही प्रचालित किए जाते हैं जो ऐसे उपस्कर, यान या अन्य परिवहन उपस्कर के सुरक्षित प्रचालन के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है और जिसके पास ऐसा प्रचालन कौशल है।

89– विद्युत चालित बेलचे और उत्खनित्रः–

नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा–

(क) ऐसे बेलचे या उत्खनित्र, चाहे वे वाष्प या विद्युत या अन्तर दहन द्वारा प्रचालित किये जाते हों, और जिनका ऐसे संकर्म में उपयोग किया जाता है, तत्समय प्रवृत राष्ट्रीय मानकों के अधीन यथा अपेक्षित रूप से निर्मित, संस्थापित, प्रचालित, परीक्षित है और जांच किए जाते हैं।

(ख) सचल क्रेन के उपयोग के लिए सज्जित उपखनित्र,––

(प) ऐसी सचल क्रेन की जांच और परीक्षण नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है;

(पप) क्रेन में स्वतः सुरक्षित कार्य भार संकेतक स्थापित है।

(ग) विद्युत चालित बेलचों के ढाल या झामों की मरम्मत करते समय या ऐसे ढालो या झामों के दांते की पकड़ बदलते समय उनके संचलन को रोकने के लिए पर्याप्त टेक लगाई गई है।

90– बुलडोजर –– नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) बुलडोजर का आपरेटर ऐसे बुलडोजर छोड़ने से पहले ––

(प) ब्रैक लगा देता है;

(पप) ब्लेड और सिपर नीचे गिरा देता है; और

(पपप) शिफ्ट लिवर को न्यूट्रल में डाल देता है।

(ख) किसी ऐसे बुलडोजर को जिसका उपयोग किया जाता है, कार्य समाप्त होने पर बुलडोजर को समतल भूमि पर खड़ा करेगा;

(ग) चढ़ाई पर चढाते समय ऐसे बुलडोजर की ब्लेड नीचे की ओर रखी जायेगी;

(घ) आपात स्थिति के सिवाय बुलडोजरों के ब्लेडों को ब्रेक के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

91– स्क्रेपर –– नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) ट्रेक्टर और स्क्रेपर प्रचालन के समय सुरक्षित रेखा से जुड़े हुए है;

(ख) स्क्रेपर के ब्लेडों को बदलते समय स्क्रेपर कटोरों (बाउल) को ऊपर उठाया जाता है;

(ग) निचले ढाल पर स्क्रेपर को गियर में डाल दिया गया है।

92– **डामर परतें बिछानेवाली और उसे अंतिम रूप देने वाली सचल मशीनें** –– नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा, कि ––

(क) मिश्रण उष्थापक लकड़ी या धातु की चादर से बने पिंजरे में होगा और उसे देखने, स्नेहन तथा अनुरक्षण के लिये उसमें खिड़की बनी होगी;

(ख) राल मिश्रण डोल समुचित प्रकार से ढके हुए हैं;

(ग) जब कोई डामर संयत्र सार्वजनिक मार्ग पर कार्यरत है तो ऐसे मार्ग पर पर्याप्त यातायात नियंत्रण बनाए रखा जाता है और ऐसे संयंत्र पर कार्यरत भवन निर्माण कर्मकारों को परावर्तक जैकेट दी जाती है;

(घ) ऐसे कार्यस्थल पर जहाँ अग्नि कांड संभावित है वहाँ पर्याप्त मात्रा में अग्निशामक यंत्र तैयार रखे जाते हैं;

(ङ) उत्थापक में सामग्री तब डाली जाए जब ऐसे उत्थापक की नाली सूखने के पश्चात् गरम हो गई हो;

(च) डामर का स्तर अभिनिश्चित करने के लिये खुले प्रकाश का उपयोग नहीं किया जाता है;

(छ) निरीक्षण खिड़की को तब तक न खोला जाए जब तक कि बॉयलर में दबाव बना रहता है, जो किसी भवन निर्माण कर्मकार को क्षति पहुंचा सकता है।

93– **समतल करने वाला यंत्र (पेवर)** –– नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे समतल करने वाले यंत्र के स्किप के नीचे से आने वाले भवन निर्माण कर्मकारों को रोकने के लिए उसमें समुचित रक्षक लगे हुए हैं।

94– **रोड रोलर ––**नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) भूमि पर रोड रोलर का उपयोग किए जाने से पूर्व ऐसी भूमि की भारवहन क्षमता और सामान्य सुरक्षा विशेष रूप से ऐसी भूमि के ढलान के किनारों की जांच कर ली गई है;

(ख) इंजन के गियर में न होने पर रोलर का ढाल पर न चलना।

95– सामान्य सुरक्षा––नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) प्रत्येक यान या मिट्टी हटाने के उपस्कर निम्नलिखित से सज्जित हैः ––

(प) साईलेंसर;

(पप) पिछली बत्ती;

(पपप) पावर और हाथ की ब्रेकें;

(पअ) प्रतिवर्ती अलार्म; और

(अ) आगे–पीछे आने–जाने के लिये सर्चलाइट, जो ऐसे यान या मिट्टी हटाने के उपस्कर के सुरक्षित चालन के लिये अपेक्षित है।

(ख) यान या मिट्टी हटाने वाली उपस्कर की गाड़ी उत्खनन की जा रही भूमि से संलग्न अग्र भाग से कम से कम एक मीटर दूरी पर रखी जाएगी;

(ग) जब क्रेन या बेलचों को ले जाया जा रहा हो तो उस क्रेन या बेलचे का अग्र भाग उसी दिशा में होने चाहिए जहाँ यान ले जाया जा रहा हो तथा क्रेन या बेलचे से संलग्न डोल या स्कूप ऊपर उठी हुई है और भार रहित है सिवाय उस स्थिति के जब यान उतार की ओर जा रहा हो।

अध्याय 11
कंक्रीट संकर्म

96– कंक्रीट के उपयोग के संबंध में साधारण उपबंध –– नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) कंक्रीट या पुनर्वलित कंक्रीट के उपयोग के किए सभी सन्निर्माण निम्नानुसार रेखांक पर आधारित है––

(प) ऐसे सन्निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इस्पात और कंक्रीट तथा अन्य सामग्री के विनिर्देश सम्मिलित किए गए हैं;

(पप) उपखण्ड (प) में यथा विनिर्दिष्ट सामग्री के सुरक्षापूर्वक लगाने और उठाई–धराई करने की पद्धतियों के संबंध में तकनीकी ब्यौरे दिए जाते हैं;

(पपप) ऐसे सन्निर्माण कार्य की प्रत्येक संरचना के प्रकार, गुणवत्ता और उसके प्रत्येक भाग की व्यवस्था को उपदर्शित किया जाता है; और

(पअ) ऐसे सन्निर्माण को पूरा करने के लिये किये जाने वाले उपायों की श्रृंखला का उल्लेख किया जाता है।

(ख) कंक्रीट कार्य के लिए उपयोग किये गये फरमा और टेक संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित हैं तथा परस्पर अच्छी तरह से कसे हुये या बंधे हुये हैं ताकि ऐसे फरमा या टेक की स्थिति और आकार–प्रकार को बनाए रखा जा सके।

(ग) यदि ढांचा दो या दो से अधिक मंजिल का है तो कंक्रीट संकर्म में प्रयुक्त फरमे और ढांचो के मध्य ढांचे के निरीक्षण के लिए सुरक्षित खुली जगह या सांकरी रखी जाती है।

(घ) तार जालियों, स्क्रीन जालियों आदि का प्रयोग करके मशीनरी या किसी वस्तु को गिरने से रोका जाता है।

97– कंक्रीट तैयार करना और उसे उड़ेलना तथा कंक्रीट ढांचे का परिनिर्माण ––

नियोजक भवन सन्निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार जो सीमेन्ट या कंक्रीट का कार्य कर रहा है, उसने––

(प) चुस्त वस्त्र, दस्ताने, हेलमेट या कठोर टोपे, सुरक्षा चश्में, ठीक जूते और श्वसिस्त्र या मास्क ऐसे कार्य करने में किसी खतरे से बचाव के लिये पहने हुए है;

(पप) ऐसे कार्य करने में खतरे से संरक्षण करने के लिए अपेक्षित अपने शरीर को ढके हुए रहेगा;

(पपप) ऐसा कार्य करने में अपनी त्वचा से सीमेंन्ट और कंक्रीट को दूर रखने के लिए सभी आवश्यक पूर्वावधानियॉ बरतेगा।

(ख) चूने के गड्ढों के चारों ओर कटीले तार लगाए गए हैं या उन्हें ढका गया है;

(ग) चूने के गड्ढों को जिनमें कर्मकारों के जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है ऐसी युक्तियों द्वारा भरा और खाली किया जाता है;

(घ) उत्थापकों, उत्तोलकों, चिक, बंकरों, प्रवीणकाओं, भरण उपस्कर के भ्रमण पुर्जों को जो कंक्रीट संकर्म के लिए उपयोग किए जाते हैं और अन्य उपस्करों को जो भण्डारण, परिवहन और कंक्रीट के संघटकों की उठाई–धराई में उपयोग किए जाते हैं और उनके चारों ओर सुरक्षापूर्ण कांटेदार तार लगाए गए हैं, जिससे कि भवन सन्निर्माण कर्मकारों को ऐसे भ्रमण कर रहे पुर्जों के संपर्क से दूर रखा जा सके;

(ङ) सीमेन्ट चूना अैर अन्य धूलवाली सामग्री के लिए उपयोग किए जाने वाले स्क्रूवाहक पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं।

98– बाल्टियॉ –– नियोजक भवन सन्निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि––

(क) कंक्रीट की बाल्टियॉ, जिनसे कंक्रीट का संचयन गिराया जाता है तथा जो केन या हवाई रज्जुओं से बंधी हैं, का रास्ता खुला रहना चाहिए और बीच में कोई खड़ी वस्तु नहीं होनी चाहिए ;

(ख) कंक्रीट बाल्टियाँ का भ्रमण संकेतों द्वारा संचालित हैं जो ऐसे भ्रमण से होने वाले किसी खतरे से बचने के लिए आवश्यक हैं।

99– पाईप और पम्प ––नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) ऐसी प्रत्येक पाड़, जिस पर पम्प की हुई कंक्रीट पाईप के द्वारा ले जाई जा रही है तथा ऐसे समय जब पाईप में कोई ठोस या द्रव भरा होने के साथ–साथ उस पर निर्माण श्रमिक भी मौजूद हैं, पर्याप्त रूप से मजबूत है, ताकि वह द्रव से भरे हुए पाईप के साथ निर्माण सभी कर्मकारों के बोझ को भी सहन करने में समर्थ हो जो उस समय ऐसे पाड़ पर हो।

(ख) पम्प की गई कंक्रीट ले जाई जाने वाली प्रत्येक पाईप––

(प) के अन्तिम सिरे सुरक्षित तौर से लंगर किए गए हैं तथा प्रत्येक मोड़ पर ठीक से जुड़े हैं;

(पप) ऐसे पाईप के शीर्ष भाग के निकट एक वायु निर्वातक वाल्व लगा हुआ है; और

(पपप) वह किसी पम्प नोजल के साथ किसी बोल्ट की गई कालर या अन्य पर्याप्त साधन से सुरक्षा पूर्वक संलग्न है।

(ग) कंक्रीट पम्प का परिचालन सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अन्तर्गत निर्धारित मानक संकेतों से शासित होता है, ;

(घ) कंक्रीट पम्प के आस–पास नियोजित प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार सुरक्षा चश्में पहने हुए हैं।

100– कंक्रीट का मिश्रण करना और उड़ेलना–– नियोजक किसी भवन सन्निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ––

(क) कंक्रीट सम्मिश्रण में ऐसी कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए जो ऐसी कंक्रीट के सेट किए जाने को असामयिक रूप से प्रभावित करे या कंक्रीट को कमजोर करे या उसमें प्रयुक्त इस्पात को नष्ट करे;

(ख) जब कंक्रीट के शुष्क संघटकों को बंद जगह जिसे शिलोस में मिश्रित किया जा रहा हो तब ––

(प) ऐसे मिश्रण के समय धूल को साफ कर दिया जाएगा और;

(पप) जहाँ उपखण्ड (प) में यथा विनिर्दिष्ट धूल का निकाला जाना संभव नहीं है वहाँ प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार मिश्रण करते समय श्वसस्त्र पहनेंगे;

(ग) जब कंक्रीट बाल्टियों से उड़ेली जा रही हो तो भवन निर्माण कर्मकारों को ऐसी बाल्टियों के किसी प्रतिघात के रेंज से दूर रखा जाता है;

(घ) सेट हो रही कंक्रीट पर कोई बोझ या दबाव नहीं रखा जाता है।

101– कंक्रीट–चौखट और फलक –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;––

(क) कंक्रीट–चौखट या कंक्रीट फलक के सभी भाग समान रूप से उठाये गये हैं;

(ख) कंक्रीट–चौखट उनकी अंतिम स्थिति में पर्याप्त रूप से कसे गए हैं और उनकी कसावट तब तक उसी स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि ऐसे चौखटों को,

जहाँ उनका प्रयोग किया जा रहा है, सन्निर्माण के अन्य भागों से उसको सहारा नहीं मिल जाता है।

(ग) जब ऐसे कंक्रीट–चौखटों को घुमाया जा रहा हो तब उनके अस्थायी बंधन इस तरह सुरक्षित रूप से कसे होने चाहियें कि चौखट का कोई हिस्सा अलग न छिटक जाय।

102– प्रतिवलित और तनावयुक्त अवयव –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) जब कंक्रीट की धरन और बीम पर कंक्रीट का प्रतिवलन किया जा रहा हो तब कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार उत्थापक उपस्कर के ठीक नीचे खड़े नहीं रहते हैं;

(ख) किसी पूर्ववलित कंक्रीट ईकाई को, उस ईकाई के कुछ बिन्दुओं को छोड़कर जहॉ उसका प्रयोग ऐसी युक्तियों के विनिर्माता द्वारा ऐसे संकर्म के लिए विनिर्दिष्ट युक्तियों के अनुसार किया जाता है, से छेड़छाड़ नहीं कि जाती है;

(ग) पूर्ववलित कंक्रीट धरन या कंक्रीट बीम को, परिवहन के दौरान उन्हें कसकर या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा सीधे खड़ा रखा जाता है;

(घ) पूर्ववलित कंक्रीट धरन या कंक्रीट बीमों की लंगर–फिटिंग को एंकर फिटिंग के विनिर्माताओं के द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार सुरक्षित दशा में रखा जाता है;

(ङ) कोई भवन निर्माण कर्मकार पूर्ववलित कंक्रीट धरन या कंक्रीट बीमों के तनाव संक्रिया के दौरान तनाव यंत्रों और जैक उपस्करों की सीध में या जैकों के पीछे खड़े नहीं होते हैं;

(च) कोई भवन निर्माण कर्मकार पूर्ववलित कंक्रीट धरन या कंक्रीट बीमों के तारों को तब तक नहीं काटते हैं जब तक कि उक्त धरन या बीम प्रयोग में लाने से पूर्व पर्याप्त रूप से कठोर न हो जाय।

103– प्रकम्पक –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि––

(क) केवल ऐसा भवन निर्माण कर्मकार जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी हालत में हो, कंक्रीट संकर्म में उपयोग किये, जाने वाले प्रकम्पकों का प्रचालन करता है;

(ख) कंक्रीट संकर्म कार्य करने वाले प्रचालकों को प्रसारित प्रकम्पन की मात्रा को कम करने के लिये सभी व्यवहारिक उपाय करने होते हैं;

(ग) जब विद्युत प्रकम्पकों का कंक्रीट संकर्म में उपयोग किया जाता है तब ––

(प) ऐसे प्रकम्पकों को भूसंपर्कित किया जाएगा;

(पप) ऐसे प्रकम्पकों की प्रवाही तारे अत्यधिक विद्युत्रोधी होंगी; और

(पपप) जब इन प्रकम्पकों का उपयोग नहीं किया जा रहा हो तब विद्युत धारा को बन्द कर दिया जायेगा।

104– निरीक्षण और पर्यवेक्षण––नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो किसी कंक्रीट–संकर्म के लिये उत्तरदायी है, उस फर्मा, टेक, कसाव और अन्य सहारों का, जिनका ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग किया जा रहा हैं, का निरीक्षण किया जाता है।

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो कंक्रीट संकर्म के लिये उत्तरदायी है, यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसा प्रत्येक फर्मा, ऐसे कंक्रीट संकर्म में परिनिर्माण के पश्चात् सुरक्षित है, प्रत्येक फर्मा का पूर्ण रूप से निरीक्षण करता है;

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कंक्रीट संकर्म के लिये उत्तरदायी है, कंक्रीट जमाये जाने के दौरान फर्मा, टेक, कसाव पुनर्टेक और अन्य सहारों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है;

(घ) खण्ड (क) और खण्ड (ग) के अधीन उल्लिखित निरीक्षणों के दौरान किसी असुरक्षित दशा का पता चलने पर उसका तुरन्त उपचार किया जाता है;

(ङ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कंक्रीट संकर्म के लिये उत्तरदायी है कार्यस्थल पर ऐसे निरीक्षणों के संबंध में खण्ड(क) और (ख) में निर्दिष्ट निरीक्षणों के सभी अभिलेख रखता है और उन्हें अधिकारिता रखने वाले किसी निरीक्षक को माँग किये जाने पर निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करता है।

105– श्हतीरें, तल और छतें ––नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) कंक्रीट संकर्म में उपयोग की जा रही फर्मा की संरचनात्मक स्थिरता बनाये रखने के लिए यथा आवश्यक क्षितिजीय और द्विकोणीय कसाव का अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दशाओं में उपबन्ध किया गया है और ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग की गई टेकें समुचित रूप से शिखर पर और निर्माण तल पर रखी गई है तथा वे अपने स्थानों पर सुरक्षित है;

(ख) जहां कंक्रीट संकर्म में टेकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें जमीन पर स्थिर किया जाता है तथा ऐसी टेकों को स्थिर तथा समतल पर बनाये रखने के लिए आधार प्लेटें उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ग) जहां किसी कंक्रीट संकर्म के तल से छत तक की ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या जहां ऐसे कंक्रीट संकर्म के लिए ढांचा निर्माण मंच का प्रयोग किया जाता है वहां दो या उससे अधिक मंजिल के सहारों द्वारा उसको सहारा दिया जाता है अथवा जहाँ कंक्रीट संकर्म में प्रयुक्त ढांचे में स्थिर या गतिशील भार प्रयोग में लाया जाता है तब ऐसा भार 700 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा तथा ऐसे ढांचे का डिजाईन प्रासंगिक निर्माण क्षेत्र के किसी व्यावसायिक इंजीनियर द्वारा तैयार किया जायेगा तथा ढांचे का रेखाचित्र और नाप के विवरण सन्निर्माण स्थल पर उपलब्ध रहेंगे जो अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जायेंगे।

(घ) जहां कंक्रीट संकर्म में उपयोग किये गये ढांचे की संरचना किसी व्यवसायिक इंजीनियर द्वारा डिजाइन की जाती है वहां ऐसे ढांचे के सन्निर्माण और स्थायित्व की देखरेख के लिए ऐसा इंजीनियर उत्तरदायी होगा।

106– आवरण उतारना –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ––

(क) कंक्रीट संकर्म में उपयोग किये गये ढांचे को हटाना तब तक आरम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे ढांचे पर कंक्रीट पूर्ण रूप से सैट नहीं हो जाती, उसका परीक्षण नहीं कर लिया जाता और उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा इस निमित उसे प्रमाणित नहीं कर दिया जाता तथा ऐसे परीक्षण और प्रमाणन का अभिलेख रखा जाता है;

(ख) कंक्रीट संकर्म में निर्लेपित किए गए फर्मा हटा लिये जाते हैं या उन सभी क्षेत्रों से जिन में भवन निर्माण कर्मकारों का कार्य करना या आवागमन अपेक्षित हैं उन्हें हटाने के पश्चात् शीघ्रता से समूह में इकट्ठा कर दिया जाता है;

(ग) बाहर निकली हुई कीलें, तारबंधानी और अन्य फर्मा के उपांग जो पश्चात्वर्ती कंक्रीट संकर्म के लिये अपेक्षित नहीं हैं, उन्हें खींच लिया जाता है, काट दिया जाता है या अन्यथा सुरक्षित बना दिया जाता है।

107– पुनर्टेकन –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) कंक्रीट संकर्म में प्रयुक्त फलक या धरन के आवरण उतरने के बाद उसके सुरक्षित सहारे के लिए पुनर्टेकन का प्रयोग किया जाता है अथवा जहाँ फलक और शहतीर पर निर्माण कार्य के कारण अतिरिक्त भार रखा हो तब भी पुनर्टेकन का प्रयोग किया जाता है।

(ख) इस अध्याय के अधीन किसी कंक्रीट संकर्म में टेक के सम्बन्ध में लागू उपबन्ध ऐसे संकर्म में पुनर्टेकन के लिये भी लागू होंगे।

अध्याय 12
ध्वस्तीकरण

108– तैयारी –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी ध्वस्त करने सम्बन्धी कार्य को आरम्भ करने से पहले सभी सीसे या उसी प्रकार की सामग्री या बाहर की ओर खुलने वाली वस्तुओं को हटा दिया जायेगा, और सभी जल, वाष्प, विद्युत, गैस और अन्य उसी प्रकार की प्रदाय संबंधी लाईनों को बन्द किया जाएगा तथा उन पर समुचित रूप से ढक्कन लगाया जायेगा और समुचित सरकार के सम्बद्ध विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को सूचना दी जाएगी और जहां आवश्यक हो ध्वस्त करने की कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व अनुज्ञा ली जायेगी अर्थात जहाँ कहीं जल, गैस लाईन या बिजली की लाईन या विद्युत शक्ति को ध्वस्तीकरण के दौरान बनाये रखना आवश्यक है वहाँ ऐसी लाईनें उसी प्रकार अवस्थित रहेंगी या उन्हें पर्याप्त रूप से ढककर उनकी संरक्षा की जाएगी जिससे कि उन्हें नुकसान होने से बचाया जा सके तथा भवन निर्माण कर्मकारों एवं आम जनता को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

109– निकटवर्ती संरचनाओं का संरक्षण –– किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर ध्वस्तीकरण के लिए उत्तरदायी प्रत्येक नियोजक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे कार्य की ध्वस्तीकरण प्रक्रिया के दौरान ध्वस्त किये

जाने वाले ढांचे से लगी हुई संरचनाओं की दीवारों को उनकी मोटाई जानने के लिए परीक्षा की जाती है तथा निकटवर्ती संरचना को दिए गए सहारों की प्रणाली को समझा जाता है तथा यदि नियोजक के पास ऐसा मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि निकटवर्ती कोई ढांचा असुरक्षित है अथवा ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान असुरक्षित हो सकता है तब वह ऐसी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तब तक नहीं करेगा जब तक कि उपचारी उपाय –जैसे चादरों की ढेर लगाना, टेक लगाना, बंधनी लगाना या इसी तरह के अन्य साधन जो निकटवर्ती ढांचे को गिरने से बचाने की सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। ध्वस्तीकरण स्थल के समीपवर्ती सभी सड़को और खुले स्थानों को बंद कर दिया जायेगा अथवा ठीक तरह से बाड़ लगाकर सुरक्षित किया जायेगा।

110– दीवारों, संभागों आदि को ध्वस्त करना–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ––

(क) दीवारों या संभागों को ध्वस्त करने का कार्य मानक सुरक्षा प्रचालन परिपाटी के अनुसार सुव्यवस्थित रीति से आरम्भ किया गया है तथा आधार तल की शहतीरों पर टिकी किसी मंजिल के ऊपर सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हों ताकि ऐसे आधार स्तभ सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर न पड़ जायें।

(ख) चिनाई को न तो ढीला छोड़ा गया है और न ही उसे अत्यधिक मात्रा में या आयतन में या भार में गिरने दिया जाता है, जिससे कि किसी तल की संरचनात्मक स्थिरता या संरचनात्मक सहारे को खतरा हो;

(ग) किसी दीवार, चिमनी या अन्य संरचना के या संरचना के किसी भाग को ऐसी स्थिति में असुरक्षित नहीं छोड़ा गया है कि वह वायु दाब या प्रकम्पन के कारण गिरे, ढहे या कमजोर हो जाए;

(घ) हाथ से बाह्म दीवारों को ध्वस्त किये जाने की दशा में, ऐसा ध्वंस करने के लिये नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों के लिए खड़े होने की समुचित व्यवस्था की गई है तथा उनके खड़े होने के लिए मजबूत मचान या पाड़ की व्यवस्था की गई है।

(ङ) ऐसी दीवारों या उनके संभाग, जिन्हें हाथ से ध्वस्त किया जाता है, सबसे ऊंचे तल पर, जिस पर व्यक्ति काम कर रहा है, एक मंजिल से अधिक से अधिक की ऊंचाई तक खड़ा नहीं छोड़ा जाएगा।

111– प्रचालन की पद्धति –– नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि मलबा, ईंटें और अन्य सामग्री या वस्तुओं को , ––

(प) ढालू प्रणाली द्वारा;

(पप) बाल्टी या उत्तोलक साधन द्वारा;

(पपप) आधार तलों के छिद्रों को खोलकर

(पअ) या अन्य सुरक्षित साधनों के द्वारा हटाया जायेगा।

112– तल तक पहुँच –– प्रत्येक नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे भवन को ध्वस्त किये जाने के दौरान सभी समय प्रत्येक भवन तक सुरक्षित पहुँचने एवं बाहर निकलने के प्रवेश द्वार,

हॉल के रास्ते, सीढ़ियाँ और कमन्द उपलब्ध हैं जिन्हें इस तरह सुरक्षित रखा जाता है कि किसी सामग्री या वस्तु के गिरने पर भवन कर्मकार के द्वारा उनका प्रयोग किया जा सके।

113– ढांचागत इस्पात का ध्वस्त किया जाना–– प्रत्येक नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) सभी इस्पात निर्मित ढांचे स्तम्भ से स्तम्भ तक और सोपान से सोपान तक ध्वस्त किये गये हैं तथा ढांचे की प्रत्येक इकाई जो ध्वस्त की जा रही हो किसी दबाव के अन्तर्गत न हो और ऐसी ढांचागत ईकाई इस प्रकार उचित ढंग कसाघात द्वारा तोड़ी जाय कि वह अनियंत्रित रूप से इधर–उधर झूलने न पाए या अकस्मात् नीचे न गिर जाय या एकदम न टूट जाय।

(ख) वृहत संरचनात्मक इकाईयों भवन से फेंकी या गिराई नहीं जाती है किन्तु उपयुक्त सुरक्षित प्रणाली को अपनाकर सावधानीपूर्वक नीचे गिराई जाती हैं;

(ग) जहाँ ध्वस्तीकरण के लिए उत्थापक साधित्र के रूप में डैरिक को उपयोग में लाया जाता है, वहां वह आधारतल जिस पर ऐसा उत्थापक साधित्र टिका हुआ है पूरी तरह ऊपर से तख्तों द्वारा ढका हुआ या सहारा देकर टिका हुआ है और ऐसा आधारतल ऐसी उचित मजबूती का बना हुआ है कि वह उत्थापक साधित्र के भार को तथा उस पर किए जा रहे कार्य के दबाव को सहन कर सके।

114– सामग्री या वस्तुओं का भंडारण– प्रत्येक नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) ध्वस्त किए जाने वाले किसी भवन के तल, सीढ़ी के रास्तों या फर्श पर कोई सामग्री और वस्तुएँ नहीं रखी जाती हैं और न ही भंडारित की जाती हैं।
परन्तु यह पाड़ ऐसे भवन के तल के लिए लागू नहीं होगी जहाँ तल की मजबूती इतनी है कि वह उस पर रखे गए भार या भंडारित सामग्री और वस्तुओं के भार को सुरक्षित रूप से वहन कर सके।

(ख) भवन के किसी सीढ़ीद्वार या गलीद्वार में पहुँचने के रास्ते को किसी सामग्री या वस्तु के भंडारण से प्रभावित या रोका नहीं गया है;

(ग) भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा प्रयुक्त किसी स्थान पर किसी सामग्री या वस्तुओं के खिसकने या टकराकर लौटने के खतरे से बचने के लिए उचित रूकावटें खड़ी की गई हैं।

115– तल का खोला जाना –– नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल में हो रहे निर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक तल से मलवे को हटाने के लिये उपयोग में लाए जा रहे प्रत्येक निष्कासन द्वार को बंद नहीं रखा गया है सिवाय ऊपरी तल या उस तल के जहां कार्य चल रहा है और आधार तल से फर्श तक ऐसे बाड़ा लगाया गया है या प्रवेश द्वार को ऐसी बाधा द्वारा बंद किया गया है कि कोई भवन कर्मकार, उस दरवाजे से, जहां से मलबा गिराया जाता है, से छः मीटर की क्षैतिज दूरी तक पहुँचने न पाए।

116– निरीक्षण –– प्रत्येक नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ध्वस्तीकरण प्रक्रिया के दौरान उसके लिए

उत्तरदायी व्यक्ति, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान ध्वस्तीकरण प्रक्रिया का निरंतर निरीक्षण करता रहता है ताकि कमजोर या जर्जर तलों या दीवारों या खुली हुई सामग्री या वस्तुओं से होने वाले खतरों का पता चल सके, और यह भी कि किसी भवन निर्माण कर्मकार को, जहाँ ऐसा परिसंकट विद्यमान है, कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है जब तक कि ऐसे परिसंकट से बचने के लिए उपचारी उपाय–जैसे टेकबन्दी या बन्धन की व्यवस्था नहीं की जाती है।

117– चेतावनी, संकेत, रूकावटें आदि–– नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) ध्वस्तीकरण की संक्रियाओं के दौरान ऐसे भवन या अन्य सन्र्म्माण कार्य के स्थलों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये ध्वस्त किये जाने वाले भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के स्थल के चारों तरफ लम्बाई और चौड़ाई में, चेतावनी संकेत और रूकावटें परिनिर्मित की जाती हैं।

(ख) किसी चिनाई की दीवार के बाहरी हिस्से या किसी छत को तोड़े जाते समय उस दीवार या छत के निकटवर्ती भूतल से 12 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ध्वस्तीकरण प्रक्रिया के दौरान यदि ऐसी दीवार या छत के नीचे खड़े व्यक्तियों पर वस्तुओं के गिरने का खतरा बना रहता है तब वहां उचित और सुरक्षित पकड़ का मंच कार्यकरण स्तर से 6 मीटर नीचे बनाया जाता है सिवाय उन जगहों के जहां पर बाहरी पाड़ का निर्माण ऐसे कर्मकारों के सुरक्षित और पर्याप्त बचाव के लिए बनाया गया है।

(ग) राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपयुक्त और मानक चेतावनी संकेत कार्य स्थल के सहज दृश्य स्थानों या स्थलों पर संप्रदर्शित या परिनिर्मित किये जाते है;

118– ध्वस्त किये जाने की यांत्रिक पद्धति –– नियोजक किसी भवन या अन्य सन्र्म्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जब ध्वस्तीकरण का कार्य यांत्रिक विधि, जैस, वजन लटकाकर, क्लैमशैल बाल्टियों, विद्युत चालित बेल्चों, बुलडोजर या इसी तरह के अन्य यांत्रिक विधियों को प्रयोग में लाकर किया जाता है तब उस दशा में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जाती है, अर्थात;––

(क) भवन या किसी संरचना या उसका कोई अवशेष भाग ऊंचाई में 24 मीटर से अधिक नहीं होंगे;

(ख) जहाँ ध्वस्तीकरण के लिये प्रलंबित भार का उपयोग किया जाता है, वहाँ इस प्रकार ध्वस्त किये जाने वाली संरचना या उसके अवशेष भाग की ऊंचाई से कम से कम डेढ़ गुने अर्द्धव्यास का ऐसा ध्वस्तीकरण क्षेत्र प्रलंबित भार के बिन्दुओं के आस–पास परिनिर्मित किया जायेगा;

(ग) जहाँ ध्वस्तीकरण के लिये किसी क्लैम सेल बाल्टी का उपयोग किया जा रहा है, वहाँ ऐसी बाल्टी के प्रचालन सीमा रेखा के 8 मीटर की परिधि में एक ध्वस्तीकरण क्षेत्र बनाये रखा जायेगा;

(घ) जहाँ किसी भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म को पूर्णरूपेण या भागतः गिराये जाने के लिये अन्य यांत्रिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, वहाँ गिराये जाने वाले हिस्से की ऊंचाई से ढेड़ गुने माप का एक ध्वस्तीकरण क्षेत्र बनाया जायेगा जिसमें भवन या अन्य सन्निर्माण स्थल के प्रभावित हिस्से गिर सकेंगे।

(ङ) ध्वस्त किये जाने के कार्य में लगे भवन निर्माण कर्मकारों या अन्य व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को ध्वस्तीकरण क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी तथा इस हेतु वहां पर खण्ड (क) में निर्दिष्ट पर्याप्त संख्या में रूकावटों की व्यवस्था की जायेगी।

अध्याय 13
उत्खनन और सुरंग खोदने का संकर्म

119– उत्खनन और सुरंग खोदने के संकर्म को प्रारम्भ करने के आशय की अधिसूचना ––

(1) प्रत्येक नियोजक, जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर, उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म करा रहा है, ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के प्रारंभ करने से पूर्व 30 दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल को ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने की योजना की विस्तृत रूपरेखा, सन्निर्माण की पद्वति और उसके कार्यक्रम के बारे में लिखित सूचना देगा।

(2) जहां किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य अथवा उसके किसी आनुसंगिक कार्य में सम्पीड़क वायु का प्रयोग किया जाता है तब वहां सभी मेनलॉक और मेडिकल लॉक के संबंध में तकनीकी ब्यौरे तथा नक्शा, नाम व पतों के साथ सन्निनिर्माण चिकित्साअधिकारी, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 11 में विहित अर्हता रखते हों तथा उत्खनन और सुरंग कार्य के निमित नियोजक द्वारा नियुक्त किए गए हों, के संबंध में लिखित सूचना मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल को प्रेषित की जायेगी।

120– परियोजना इंजीनियर –– (1) प्रत्येक नियोजक ,जो कोई उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म करा रहा है, ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म की परियोजना के सुरक्षित प्रचालन के लिये, जिसके लिये ऐसा इंजीनियर नियुक्त किया गया है, किसी परियोजना इंजीनियर की नियुक्ति करेगा;

(2) ऐसे परियोजना इंजीनियर ऐसी परियोजना के प्रचालन और क्रिया कलापों को सम्पूर्ण रूप से नियंत्रण करेगा और उनके सुरक्षापूर्ण कार्यकलापों के किये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।

121– उत्तरदायी व्यक्ति –– (1) नियोजक, जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म कर रहा है, ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के सुरक्षापूर्ण प्रचालन के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा;

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति के कर्त्तव्य और दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,––

(क) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म को सुचारू रूप से करना;

(ख) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के संबंध में किसी परिसंकटमय स्थिति का निरीक्षण और उसे दूर करना;

(ग) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म से संबंधित किसी असुरक्षित पद्धति या दशाओं से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय करना;

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल को भेजा जाएगा।

122– चेतावनी संकेत और सूचनाएं–– नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म को कर रहे भवन सन्निर्माण कर्मकारों को सुरक्षा के लिए अपेक्षित समुचित चेतावनी संकेत या सूचनाएं किसी सहज दृश्य स्थान पर हिन्दी और उस भाषा में जो ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में लगे अधिकाशं भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती है सम्प्रदर्शित और परिनिर्मित किये जायेगें;

(ख) सम्पीड़न वायु में कार्य करने के सम्बंध में ऐसे चेतावनी संकेत और सूचनाओं में ,––

(प) ऐसे सम्पीड़न वायु संकर्म में अन्तर्ग्रस्त खतरे;

(पप) अग्नि और विस्फोट परिसंकट तथा;

(पपप) ऐसे खतरे या परिसंकट से बचाव के लिए आपातकालीन प्रक्रियाएँ सम्मिलित होंगी।

123– रोजगार नियोजन आदि का रजिस्टर ––

(1) नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य चल रहा हो वहाँ ऐसे उत्खनन या सुरंग खुदाई का काम कर रहे भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन का एक रजिस्टर रखा जाता है और अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को माँग किये जाने पर प्रस्तुत किया जाता है;

(2) ऐसे उत्खनन या सुरंग कार्य की अवधि, जिसमें ऐसे भवन सन्निर्माण कर्मकार नियोजित हैं, रजिस्टर को दिन–प्रतिदिन के आधार पर रखा जाएगा और ऐसा रजिस्टर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के मांग किये जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

124– प्रकाश व्यवस्था ––

(1) नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि उन सभी कार्य स्थलों को जिनमें उत्खनन या सुरंग खोदने का काम चल रहा है सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रकाशमय किया जाएगा।

(2) प्रत्येक नियोजक जो किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म उत्खनन या सुरंग खुदाई का कार्य कर रहा है ऐसे सन्निर्माण स्थलों पर आपातकालीन जेनेरेटरों की व्यवस्था करेगा जिससे कि उन सभी संकर्म स्थलों पर जहाँ ऐसे उत्खनन कार्य या सुरंग खुदाई कार्य चल रहे हैं विद्युत आपूर्ति में रूकावट आने पर पर्याप्त प्रकाश सुनिश्चित किया जा सके।

125– संरचना का स्थिरीकरण –– नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) जहां कार्य स्थान या उत्खनन किये जाने वाले अन्य क्षेत्रों में या जिसमें सुरंग खुदाई का कार्य किया जा रहा है के निकटवर्ती किसी संरचना के स्थिरीकरण

के संबंध में कोई संदेह होने पर नियम 120 में निर्दिष्ट परियोजना इंजीनियर ऐसी संरचना को सहारा देने के लिए और ऐसी संरचना के निकटवर्ती स्थान पर कार्य कर रहे किसी भवन निर्माण कर्मकार को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए या ऐसी संरचना के निकटवर्ती किसी ढांचे या सम्पत्ति अथवा उपकरण को नुकसान से बचाने के लिए पुस्ता लगाना, इस्पात की चादरों का चट्टा लगाना, टेकबन्दी करना, बंधनी लगाना जैसे साधनों या इसी तरह के अन्य उपायों की व्यवस्था करेगा;

(ख) जहां कोई भवन निर्माण कर्मकार जो उत्खनन कार्य में लगा है उसके ऊपर ऐसे उत्खनन स्थल या किसी किनारे से किसी खतरनाक वस्तु के गिरने या सामग्री फिसलने से परिसंकट का पता चलता है, जो उसके खड़े होने के स्थान से डेढ़ मीटर ऊंचा है, ऐसे कर्मकार को, ऐसे किनारे या छोर पर पर्याप्त आड़ खड़ी कर के संरक्षित किया जाता है।

(ग) उत्खनन स्थल या उसके आसपास की जांच नियम 121 में निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वर्षा, तूफान या ऐसे ही घटित होने वाली अन्य परिसंकटमय घटनाओं के पश्चात् की जाएगी, और ऐसी जांच करते समय किसी परिसंकट का पता चलने की दशा में परिसंकट को रोकने के लिए तथा फिसलने और धसकने के विरूद्ध पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाता है;

(घ) किसी प्रतिधारण दीवार का सन्निर्माण करने के लिए अधिस्थापित अस्थायी खड़ी की गई चादरें, उत्खनन के पश्चात हटाई नहीं जाती है, सिवाय तब तक कि जब नियम 121 में निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी व्यक्ति ने कोई निरीक्षण किये जाने के पश्चात् ऐसी सलाह न दी हो;

(ङ) जहाँ किसी उत्खनन स्थल के किनारे काटे जा रहे हों वहां किनारों पर लटकते हुए वस्तु या सामग्री को सहारा देने के लिए पर्याप्त टेकबंदी की व्यवस्था की जाती है तथा किसी ऐसे लटके हुए किनारे के ऊपर सामग्री या किसी वस्तु से सहारे की व्यवस्था की जाती है;

(च) कोई उत्खनित सामग्री, खुले उत्खनित स्थल या खोदी गई खाई के किनारे से 0.65 (शून्य दशमलव छः पांच) मीटर दूरी पर भंडारित नहीं की जाती हैं, या उत्खनित स्थान या खाई के किनारों पर लगी हुई पत्थर की चट्टानों को नंगा कर ढीला नहीं छोड़ा जाता है जिससे कि ऐसी ढीली चट्टानें और दूसरी चीजें नीचे कार्य कर रहे निर्माण श्रमिकों के ऊपर खिसक जाय, लुढ़क जाय या गिर जाय।

(छ) किसी व्यक्ति को उत्खनित स्थल या खाई में गिरने से रोकने के लिए उत्खनन कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर पर्याप्त और समुचित चेतावनी संकेत लगाये जाते हैं;

(ज) नियम 121 में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति उत्खनन कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करता है कि किसी भवन निर्माण कर्मकार को वहां कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है जहां ऐसे उत्खनन में उपयोग की गई उत्खनन मशीनरी या सामग्री या वस्तुओं में ऐसे किसी भवन निर्माण कर्मकार को आघात या खतरा हो सकता है।

126– बल्ली लगाना, टेकबन्दी करना और कसना–– नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य में चादर करने के लिये प्रयुक्त तख्ता मजबूत सामग्री का और पर्याप्त टिकाऊ है;

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य में उपयोग किया गया टेकबन्दी और कसाव पर्याप्त विमाओं के हैं और इस प्रकार लगाये गये हैं कि वे इच्छित प्रयोजन के लिए प्रभावी हो सकें;

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य में उपयोग में लाये गये भूतल सहारे, जाले टेकबन्द या कसाव पर्याप्त रूप से खड़े होने के क्षेत्र और स्थिरता वाले हैं, जिससे कि ऐसे टेकबन्दियों या कसावों को हिलने से रोका जा सके।

127– सुरक्षित पहुँच –– नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि कमंद, निसैनी, या रपटे की उत्खनन में यथास्थिति सुरक्षित पहुँच और उत्खनन को फिसलने से बचाने के लिए जहाँ उत्खनन की गहराई डेढ़ मीटर से अधिक है, की व्यवस्था की गई है और ऐसे कमंद, निसैनी या रपटा सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

128– खाईयॉं –– प्रत्येक नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि यदि किसी खाई या उत्खनन स्थल की गहराई डेढ़ मीटर से अधिक है, तब उसमें किसी व्यक्ति के गिरने से बचाव के लिये समुचित उपाय किए गए है और यदि खाई की गहराई 4 मीटर से अधिक है, तब ऐसे बचाव का परिनिर्माण सुधरी हुई स्थिति में किसी व्यवसायिक इंजीनियर के द्वारा तैयार किए गए डिजाइन और आरेख के अनुसार किया जायेगा।

129– खाईयों की गहराई–– नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) जहां किसी खाई की गहराई में चादर खड़ी करने की दो लम्बाईयों में एक दूसरे के ऊपर चादरें खड़ी करने की अपेक्षा है नीचे की पाईलिंग तल की गहराई पर या ऊपरी पाइल की दीवारों पर लगाई जाती है और ऐसे चादर की पाइलिंग नीचे की ओर ले जाई जाती है और उत्खनन जारी रहने के दौरान उसे कस दिया जाता है;

(ख) सभी चादर की पाइलें जो उत्खनन या किसी खाई के उपयोग में लाई जाती हैं उनकी सुरक्षित रूप से किन्हीं अन्य समरूप साधनों द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर जुड़ाई की जाती है।

130– मशीनरी का लगाना और उपयोग करना–– नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कोई मशीनरी की जो उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग करने के कार्य में लगाई जाती है, इस प्रकार रखी और प्रचालित की जाती है कि ऐसी मशीनरी से उसके निकटस्थ किसी व्यक्ति को कोई खतरा नहीं है।

131– श्वसन साधित्र –– नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) किसी भवन निर्माण कर्मकार के सम्पीड़क वायु पर्यावरण में कार्य करने के दौरान उसके प्रयोग हेतु समुचित श्वसन साधित्र उत्खनन स्थल या सुरंग खोदने के स्थान पर प्रदान किए जाते हैं;

(ख) ऐसे श्वसन साधित्र को हर समय अच्छी कार्यकरण हालत में रखा जाता है।

132– सुरंग खोदने संबंधी कार्य **के लिए सुरक्षा उपाय––** प्रत्येक नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) जहाँ किसी छत के आमुख या किसी सुरंग की दीवार से सामग्री के गिरने या फिसलने का कोई खतरा हो वहाँ पर्याप्त उपाय अर्थात टेकबन्दी, रॉकबोल्ट सेगमेन्ट या स्टील सेट द्वारा सहारा देकर भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किये जाते हैं;

(ख) उत्खनित क्षेत्र समुचित रूप से डिजाइन किये गये और लगाये गये स्टील सेट, राकबोल्ट या वैसे ही अन्य सुरक्षा साधनों द्वारा उपयोग करके सुरक्षित बनाये जाते हैं;

(ग) नियम 121 में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति किसी सुरंग में कार्य आरंभ होने से पूर्व और तत्पश्चात् नियमित अंतरालों पर ऐसे सुरंगों में भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण और निरीक्षण करेगा;

(घ) खंडित भूमि या चट्टानों वाले किसी सुरंग के प्रवेश क्षेत्र जहां किसी व्यक्ति को क्षति पहुॅचने की सम्भावना है उन्हें सहारों द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

133– गैस यांत्रिकी औजार–– नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सुरंग के भीतर उपयोग किये जाने वाले गैस यांत्रिकी औजारों के लिये प्रदाय लाईनें यथास्थिति नल या सुरक्षा चेन या सुरक्षा तार द्वारा फिट की गयी हैं।

134– कूपक (शॉ∂ट)––नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) उत्खनन या सुरंग संकर्म में उपयोग में लाये जाने वाले शॉ∂ट के चारों ओर समुचित ऊंचाई की संरचना से सुरक्षित किया जाता है ताकि वह बह न जाय;

(ख) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर जब किसी भवन निर्माण कर्मकार को शॉ∂ट में प्रवेश करने की अपेक्षा की जाय तब उसके प्रवेश हेतु सुरक्षित पहुँच के साधन प्रदान किए जाते हैं।

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य पर प्रत्येक शॉ∂ट में स्टील का खोल, रोड़ी की चट्टा बन्दी, टिम्बर कसाव करने के या पर्याप्त मजबूती की अन्य सामग्री की व्यवस्था की जाती है ताकि ऐसे शाफ्ट में काम करने वाले भवन कर्मकार को सुरक्षा प्रदान की जा सके;

(घ) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य पर प्रयुक्त शॉ∂ट के कवच और टोकने की व्यवस्था समुचित डिजाइन के अनुसार गहराई के स्थान तक प्रत्येक उत्खनन या सुरंग खोदने के स्थल पर की जायेगी।

(ङ) यदि शॉफ्ट के चारों ओर का स्थान अस्थिर अथवा असुरक्षित है तब उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य स्थल पर शॉ∂ट में प्रवेश द्वार के चारों ओर प्रवलित कंक्रीट का तरापा (राफ्ट) और शहतीर की व्यवस्था की जाती है।

135– शॉ∂ट के लिए लि∂ट–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म स्थल पर किसी शॉ∂ट में अवरोही क्रम में 50 मीटर से अधिक नीचे भवन सन्निर्माण कर्मकारों और सामग्री या वस्तुओं के परिवहन के लिए लि∂ट की व्यवस्था की गई है।

136– संचार के साधन –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य के निम्नलिखित अवस्थानों जैसे,

(प) उत्खनन के लिए कार्य प्रकोष्ठ;

(पप) सुरंग के साथ 100 मीटर के अंतराल पर ;

(पपप) किसी मैनलॉक के दरवाजे के निकट कृत्यकारी प्रकोष्ठ में;

(पअ) किसी ऐसे मैनलॉक के द्वार के निकट ;

(अ) लॉक अटेंडेंस के तैनाती–स्थल पर सहज दृश्य स्थान पर;

(अप) सम्पीड़क संयंत्र के स्थान पर ;

(अपप) प्राथमिक उपचार केन्द्र और;

(अपपप) निवाहिका या किसी शे∂ट के शिरे के बाहर के स्थान पर विश्वसनीय एवं प्रभावी संचार साधन जैसे टेलीफोन या वॉकी टाकी की व्यवस्था की जाती है और उत्खनन एवं सुरंग खोदने के कार्य हेतु अच्छी एवं प्रभावी संचार व्यवस्था बनायी रखी जाती है।

(ख) खण्ड(क) के उपखण्ड (प) से (अपपप) में निर्दिष्ट अवस्थानों में हर समय उतनी संख्या में घंटियॉ और सीटियॉ उपलब्ध कराई जाती है जितनी कि ऐसे अवस्थानों पर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों।

137– संकेत –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि मानक श्रव्य और दृश्य संकेत उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य में उपयोग किये जाते हैं और कार्य स्थल तथा ऐसे अन्य अवस्थानों में जो ऐसे उत्खनन या सुरंग खुदाई के कार्य में नियोजित सभी भवन निर्माण कर्मकारों की जानकारी में लाये जाने आवश्यक हैं, कार्य स्थलों के सहज दृश्य स्थान पर अवस्थित या उनके निकट सम्प्रदर्शित किये जाते हैं।

138– अन्तर–स्थान –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई के कार्य में उपयोग किये गये किसी यान के किसी भाग और किसी जुड़नार या अन्य उपस्कर के बीच ऐसे जुड़नार या उपस्कर की फेंक या झूलन को अनुज्ञात करने के पश्चात् आधा मीटर की न्यूनतम पार्श्विक रिक्त स्थान रखा जाता है;

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य पर किसी वाहन के चालन के लिए ऊपरी खुला स्थान ड्राईवर की सीट से कम से कम 1.10 मीटर से कम न हो तथा

उस स्थान से, जहॉ ड्राईवर बैठता है, 2 मीटर से कम न हो अथवा सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के द्वारा निर्धारित विमाओं के अनुसार हो।

139– आश्रय –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण कर्मकारों के रक्षोपाय हेतु पर्याप्त संख्या में आश्रय उपलब्ध कराये गए हैं, क्योंकि कार्य करने के दौरान सुरंग के भीतर चलते हुए वाहनों द्वारा या सामान की उठाई–धराई करने वाले उपकरणों से उनको चोट लग सकती है।

140– अन्तर्दहन इंजन का उपयोग –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य में भूमि के भीतर किसी अन्तर्दहन इंजन का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा इंजन इस प्रकार सन्निर्मित न हो कि, ––

(क) इंजन में प्रविष्ट वायु को इसके प्रवेश करने से पहले ही निकाल दिया जाता है; और

(ख) इंजन से कोई धुआं या चिनगारी नहीं निकलती है।

141– प्रज्जवलनशील तेल –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यकरण बिन्दु से कम तापक्रम पर प्रज्जवलनशील किसी तेल का प्रयोग नहीं किया जायेगा जिससे की उसके उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य में सुरंग के भीतर प्रज्जवलित होने की संभावना हो।

142– कपलिंग और होसेस –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि भूमिगत हाईड्रोलिक संयंत्र पर केवल उच्च दाब हाईड्रोलिक कपलिंग और होसेस का उपयोग किया जाता है और ऐसे होसेस और कपलिंग उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में किसी सम्भाव्य नुकसान के विरूद्ध पर्याप्त रूप से संरक्षित है।

143– होज संस्थापन –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी हाइड्रोलिक लाइने और संयत्र, जो 70 सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम पर कार्य कर रहे हैं, पर्याप्त रोधी उपाय से या अन्यथा संरक्षित किए गए हैं अथवा उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य में अनजाने में होने वाले मानव सम्पक् के विरूद्ध पर्याप्त रोधी उपाय किए गए हैं।

144– अग्नि प्रतिरोधी होसेस –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जब किसी हाइड्रोलिक संक्रियात्मक मशीनरी और उपस्कर सुरंग में लगाये जाते हैं तब अग्नि प्रतिरोधी हाइड्रोलिक होसेस से भिन्न कोई अग्नि प्रतिरोधी हाइड्रोलिक होसेस प्रयोग में नहीं लाये जाते हैं।

145– ज्वालारोधी उपस्कर –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ सुरंग के भीतर प्रजज्वलनशील या विस्फोटक वातावरण विद्यमान रहने का खतरा रहता है वहाँ केवल सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्धारित समुचित प्रकार के ज्वालारोधी उपस्कर ही उपयोग में लाए जाते हैं।

146– तेल और भूमिगत ईधन का भण्डारण –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) सभी तेल, ग्रीज या भूमिगत भंडारित ईधन उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य स्थल पर मजबूती से सील किये गये आधानों में रखे गए हैं तथा प्रज्जवलनशील रसायनों एवं विस्फोटक सामग्री से सुरक्षित दूरी पर किसी अग्निरोधी क्षेत्र में रखे जाते हैं;

(ख) उपखण्ड (1) में यथाविनिर्दिष्ट समुचित ज्वालारोधी संस्थापन का प्रयोग ऐसे भण्डारण क्षेत्रों में किया जाता है।

147– भूमिगत गैस का उपयोग –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) नियम, 120 के अधीन परियोजना इंजीनियर के पूर्वानुमोदन के सिवाय सुरंग के भीतर पेट्रोल या तरल पैट्रोलियम गैस या किसी अन्य प्रज्जवलनशील पदार्थों का उपयोग और भण्डारण नहीं किया जाता है;

(ख) खण्ड ''क'' में विनिर्दिष्ट पेट्रोल या तरल पेट्रोलियम गैस या उच्च प्रज्जवलनशील पदार्थों का उपयोग करने के पश्चात् सभी अवशिष्ट पेट्रोल या तरल पेट्रोलियम गैस या उच्च प्रज्जवलनशील पदार्थों को ऐसी सुरंग से तुरंत हटा दिया जाता है।

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य में किसी आक्सीएसीटिलीन गैस का सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में उपयोग नहीं किया जाता है।

148– अग्निशमन के लिए जल –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य पर पर्याप्त संख्या में जल निकासो का उपबंध किया गया है और पूरी सुरंग में अग्निशमन संबंधी प्रयोजन के लिये आसान पहुंच के भीतर रखा जाता है और ऐसे जल निकासों को प्रभावी रूप से अग्निशमन के लिए बनाये रखा जाता है;

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य सभी एयर ब्लाक अग्निशमन सुविधाओं से सुसज्जित रहते हैं;

(ग) जब कभी उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य पर आग लगती है तो भवन सन्निर्माण कर्मकारों को चेतावनी देने के लिए किसी सुनाई देने वाला अग्नि चेतावनी यंत्र उपलब्ध रहते हैं;

(घ) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य पर आग लगने पर अग्निशमन के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त संख्या और प्रकार के अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था की जाती है और आसानी से उपलब्ध रहते हैं;

(ङ) सुरंग या अन्य बंद स्थानों पर वाष्पणीय द्रवों या उच्च दाब युक्त कार्बनडाईआक्साइड वाले अग्निशामकों का उपयोग नहीं किया जाता है;

(च) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर अग्निशमन के लिए किए जाने वाले उपाय के संबध में अनुदेश हिन्दी ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर नियोजित अधिकांश भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में लिखित रूप से ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य के किसी सहजदृश्य और सुरक्षित स्थान पर समप्रदर्शित किए जाते हैं।

149– जल प्लावन –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) जहां किसी शॉ∂ट से एक से अधिक सुरंग प्रचालित किये जाते हैं वहां सुरंग खुदाई कार्य के दौरान जल प्लावन को रोकने के लिए सुरंग के प्रवेश द्वार पर जलरोधी भारी दरवाजा संस्थापित किया जाता हैं;

(ख) भारी दरवाजा बन्द करते समय सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सुरंग के अंदर किसी एंकात स्थान में कोई भवन निर्माण कर्मकार फंसा न रह जाये।

(ग) जहां सुरंग खोदने के कार्य के दौरान किसी सुरंग में जल प्लावन या जल भरने की संभावना है तब ऐसे जल प्लावन में से पानी को बाहर निकालने के लिए तुरंत जल–पम्पों को आरंभ करने की व्यवस्था की जाती है और खतरे से भवन निर्माण कर्मकारों तथा अन्य व्यक्तियों को बाहर निकालने के चेतावनी संकेत दिये जाते हैं;

150– इस्पात की कनातें–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सुरंग खोदने के कार्य पर जहां जल–प्लावन होने की संभावना है वहॉ वायुरोधी इस्पात कनातों की व्यवस्था की जाती है। अवरोही सुरंग की दशा में ऐसी कनातों को सुरंगों की ऊपरी अर्द्धभाग पर लगाया जाता है ताकि बचाव के प्रयोजनार्थ वायु के क्षेत्रों को प्रतिधारित किया जा सके।

151– विश्राम आश्रय **––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) जहाँ किसी सुरंग खोदने के कार्य में भवन निर्माण कर्मकारों को सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में नियोजित किया जाता है और उन्हें दबाव से भी सम्पीड़ित करने के पश्चात् कार्य स्थल पर एक घंटा या उससे अधिक रहना पड़ता है अथवा एक शलाका से अधिक दाब का विसम्पीड़न होने के पश्चात् रूके रहना पड़ता है वहां निर्माण कर्मकारों को विश्राम करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) किसी सुरंग या खुदाई कार्य में प्रयुक्त प्रत्येक मैनलॉक, मेडिकल लॉक अथवा इन लॉक्स के भीतर अन्य सुविधाओं को स्वच्छ अवस्था और अच्छी मरम्मतशुदा स्थिति में रखा जाता है;

(ग) किसी सुरंग खोदने के कार्य में सन्निर्माण स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का उपबंध किया जाता है और उसे हर समय उपलब्ध रखा जाता है;

(घ) प्रत्येक मैनलॉक परिचारक केन्द्र पर सुरंग कार्य के निर्माण स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी रखी जाती है।

152– रसायनों के अपावरण की अनुज्ञेय सीमा –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) सुरंग या किसी शॉ∂ट के कार्यकरण वातावरण में, जिसमें भवन निर्माण कर्मकार नियोजित हैं, किसी परिसंकटमय पदार्थ की सांद्रता इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची 12 में निर्धारित अनुज्ञेय सीमा से अधिक नहीं होगी।

(ख) नियम 121 में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति किसी सुरंग खोदने के कार्य में कार्य आरंभ करने से पूर्व किसी दिन मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल द्वारा नियत किये अन्तरालों पर यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करता है कि अनुज्ञेय सीमा से अधिक अपावरण नहीं होता है और ऐसे परीक्षण का अभिलेख रखा जाता है तथा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक की मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

153– संवातन–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि वायु मुक्त किसी सुरंग में मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल द्वारा यथाअनुमोदित संवातन पद्धति का उपबंध किया गया है, ताजा वायु प्रत्येक भवन, भवन–निर्माण कर्मकार के लिए जो ऐसी सुरंग में भूमिगत नियोजित हैं प्रत्येक मिनट 6 धनफुट मीटर से कम नहीं है और निर्बाध वायु प्रवाह ऐसे सुरंग के भीतर 9 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं है।

154– वायु आपूर्ति ग्रहण स्थल –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वायु सम्पीड़कों के लिये वायु आपूर्ति ग्रहण स्थल उन स्थानों पर अवस्थित हैं जहां से वायु प्राप्त बिन्दु धूल, गन्ध, वाष्प और निर्वातित गैसों या अन्य संदूषणों से संदूषित नहीं हों।

155– आपात जेरनेटर –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) सुरंग में प्रत्येक सम्पीड़क वायु प्रणाली में सम्पीड़क वायु की अबाध आपूर्ति को बनाये रखने के लिए आपातकालीन विद्युत प्रदाय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जो ऐसे सम्पीड़क वायु प्रणाली में लगे वायु सम्पीड़क और आनुषंगिक प्रणालियों के प्रचालन के लिए समर्थ है;

(ख) प्रत्येक उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य पर आपातकालीन विद्युत प्रदाय प्रणाली बनाये रखी जाती है जो हर समय आसानी से उपलब्ध रहती है।

156– प्रमुख वायु नलिका–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक प्रमुख वायु नलिका, जिससे उत्खनन स्थल अथवा सुरंग कर्म में प्रयुक्त कार्यकरण कक्ष, मैनलॉक या मेडिकल लॉक को हवा की आपूर्ति की जाती है, को दुर्घटनाजनित हानियों से संरक्षित किया जाता है तथा जहां ऐसा संरक्षण उपलब्ध कराना व्यवहारिक नहीं है वहां एक दूसरी प्रमुख वायु नलिका की व्यवस्था की जाती है।

157– पोतभीत और वायु बन्ध – नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) जब सम्पीड़क वायु प्रतिधारित करने वाले किसी पोतभीत या वायुरोधी मध्यपट का प्रयोग किसी सुरंग या शॉ∂ट में किया जाता है, तब ऐसे पोतभीत या मध्यपट का निर्माण इस तरह किया जाता है कि वह पोतभीत या मध्यपट के कार्यकरण दबाव को 1.25 गुणे अधिकतम सीमा तक सहन कर सके और ऐसे पोतभीत या

मध्यपट को नियम 121 में निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे पोतभीत या मध्यपट समुचित कार्यकरण स्थिति में हैं, इसके उपयोग में लाने से पूर्व परीक्षण किया जाता है;

(ख) ऐसा उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड ''क'' में निर्दिष्ट प्रत्येक परीक्षण का अभिलेख रखता है और ऐसा अभिलेख, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के मांग किये जाने पर निरीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है;

(ग) खण्ड ''क'' में निर्दिष्ट पोतभीत या मध्यपट पर्याप्त शक्तिशाली और ठोस सामग्री से निर्मित है और वह अधिकतम दबाव सहन करने की क्षमता रखता है जिसके लिए वे किसी भी समय उपयोग के अधीन रहता है;

(घ) किसी पोतभीत स्थिरण और वायु बन्ध को, किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म स्थल पर संस्थापित किये जाने के तुरन्त पश्चात् उनका परीक्षण किया जाता है;

158– मध्यपट –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मध्यपट जो किसी शॉ∂ट में आरपार अनुप्रस्थ रूप में लगाए गए हैं, उन्हें उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य पर सुरक्षित रूप से स्थिर किया गया है।

159– वहनीय विद्युत हाथ–औजार –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य में भूमिगत या किसी बंद स्थान में उपयोग किए जाने वाले सभी वहनीय विद्युत हाथ–औजार और निरीक्षण लैम्प 24 वोल्ट से अनधिक विद्युत शक्ति पर प्रचलित किए जाते हैं।

160– सर्किट विच्छेदक –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य पर उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक विद्युत वितरण प्रणाली और उसकी उप प्रणालियों के लिए अन्तरीय भूमिगत दोष सर्किट विच्छेदक का पर्याप्त संख्या में संस्थापित किये गये हैं और प्रत्येक सर्किट की संवेदनशीलता सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप समायोजित की जाती है;

(ख) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य में भूमिगत स्थान पर किसी अर्द्ध अनुलग्न ∂यूज यूनिट का उपयोग नहीं किया जाता है।

161– ट्रान्सफार्मर –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पीड़ित वायु के अधीन सुरंग के किसी भाग में ट्रान्सफार्मर का तब तक उपयोग नहीं किया जाता है जब तक कि ऐसे ट्रान्सफार्मर शुष्क प्रकार का और सुसंगत मानकों के अनुरूप न हो।

162– विद्युन्मय तार–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य के कार्य क्षेत्रों में, विद्युन्मय लाइनों पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर्मकारों के सिवाय कोई अन्य भवन कर्मकार नग्न विद्युन्मय तार के सम्पर्क में न आने पाए।

163– बेल्डिंग सेट –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी सुरंग में उपयोग किए जाने वाले सभी वेल्डिंग सेट मुख्य

निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल द्वारा अनुमोदित पर्याप्त क्षमता के और समुचित प्रकार के हैं।

164– वायु की क्वालिटी **एवं मात्रा ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) प्रत्येक उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य पर जिसके कार्यकारी चेम्बर में सम्पीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है वहां ऐसी वायु का प्रदाय उसमें कार्य कर रहे प्रति व्यक्ति के लिए प्रति मिनट 0.3 घनमीटर से कम न हो;

(ख) किसी सुरंग खुदाई कार्य में उपयोग किये गये मैन लॉक और मेडिकल लॉक के लिए सम्पीड़ित वायु की आपूर्ति की आरक्षित आपूर्ति हर समय उपलब्ध रहती है;

(ग) किसी सुरंग खुदाई कार्य में सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में प्रदाय की गई वायु यथाशक्य साध्य गन्ध और अन्य संदूषणों जैसे धूल, धूम एवं अन्य विषैले पदार्थों से मुक्त है;

165– कार्य करण **तापक्रम––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य के कार्यकरण कक्ष में, जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किये गये हैं, तापक्रम 29 (उन्तीस) डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है और ऐसे अभिलेख रखने के लिए व्यवस्था कि जाती है जिसके अनुसार कार्यकरण कक्ष का तापक्रम प्रत्येक घंटे में शुष्क बल्ब और आर्द्र बल्ब द्वारा नापा जाता है, और ऐसा अभिलेख अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता हैं।

166– मैनलॉक और सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में कार्य करना–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) सुरंग खुदाई कार्य में प्रयुक्त मैनलॉक पर्याप्त शक्तिशाली है, मजबूत सामग्री के बने हुए हैं तथा इस प्रकार डिजाइन किये गये हैं कि जो सामान्य प्रयोग के समय अथवा आपतकालीन स्थिति में संभावित आन्तरिक अथवा बाहरी वायुदाब को सहन कर सके ।;

(ख) (प) प्रत्येक उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य पर मैनलॉक के दरवाजे इस्पात के बने हुए हैं;

(पप) प्रत्येक सुरंग खुदाई कार्य पर प्रयुक्त मैन लॉक वायुरोधी होते हैं और जब ऐसे लॉक वायु दबाव में अधीन हों तब दरवाजों को सील करने हेतु युक्तियों की व्यवस्था की गई है;

(पपप) सुरंग खुदाई कार्य पर उपयोग में लाये गये किसी मैनलॉक का बंधन–जुड़ाव मैनलॉक पर वायु द्वारा पड़ने वाला दबाव को सहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता का हो;

(पअ) सुरंग खुदाई कार्य पर प्रयुक्त मैनलॉक में कार्य कर रहे भवन निर्माण कर्मकारों के लिए पर्याप्त कक्ष उपलब्ध है;

(अ) जहां किसी सम्पीड़ित वायु सुरंग में कार्य किया जा रहा है ऐसे सुरंग के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किसी मैनलॉक का उपयोग किया जाता है।

(ग) (प) जहां किसी सुरंग खुदाई कार्य में मैनलॉक का उपयोग किया जाता है, वहॉ हिन्दी और स्थानीय भाषा में, जो वहाँ नियोजित अधिकाशं भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती है; सुरक्षा निर्देश ऐसे सुरंग खुदाई कार्य के सहज दृश्यस्थान पर सम्प्रदर्शित किये जाते हैं;

(पप) आपातकाल के सिवाय सम्पीड़न और विसम्पीड़न संक्रियाएँ सुरंग खुदाई कार्य पर उपयोग में लाये गये किसी मैनलॉक में की जाती है;

(पपप) सुरंग खुदाई कार्य में किसी आपातकालीन स्थिति में भवन निर्माण कर्मकारों के द्वारा सम्पीड़न और विसम्पीड़न के लिए किसी भी मेटिरियल लॉक का प्रयोग किया जा सकेगा, जिसका लिखित अभिलेख रखा जाएगा तथा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा;

(पअ) जहां किसी सुरंग कार्य पर मैनलॉक और मेटिरियल लॉक दोनों की स्थापना किया जाना व्यवहार्य नहीं है, वहॉ भवन निर्माण कर्मकारों के सम्पीड़न और विसम्पीड़न के लिए मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल की अनुज्ञा से मेटेरियल लॉक का उपयोग किया जा सकता है;

(अ) सुरंग खुदाई कार्य पर सभी कर्मकारों का वातावरणीय दशाओं में सम्पीड़न मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल द्वारा अनुमोदित किसी विसम्पीड़न प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है;

(अप) भवन निर्माण कर्मकार के सम्पीड़न या विसम्पीड़न से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए सुरंग खुदाई कार्य में मैनलॉक का उपयोग नहीं किया जाता है;

(अपप) किसी आपातकालीन स्थिति के सिवाय सुरंग खुदाई कार्य पर भवन निर्माण कर्मकारों का निस्तारण मुख्य निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाता है;

(अपपप) सुरंग खुदाई कार्य पर प्रयुक्त किसी मैनलॉक में विसम्पीड़न के दौरान किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार के अचानक गिर जाने या उसके बीमार पड़ जाने की दशा में, ऐसे मैनलॉक का परिचारक, मैनलॉक में तब तक दबाव को बढ़ाये रखेगा जब तक कि ऐसा दबाव अधिकतम दबाव के बराबर न हो जाये जो विसम्पीड़न से पूर्व भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा कार्यकरण कक्ष में लगाया गया था और वह परिचारक, गिरने की घटना के संबंध में, मेडिकल लॉक परिचारक और ऐसी सुरंग खुदाई कार्य में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी को तुरन्त रिर्पोट करेगा;

(पग) ऐसा कोई भवन निर्माण कर्मकार जिसने किसी प्रशिक्षित भवन निर्माण कर्मकार से सुरंग खुदाई कार्य में किसी सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में कार्य करने का पूर्व में प्रशिक्षण लिया था उसे ऐसे सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए नियोजित किया जाता है;

(ग) ऐसा कोई भवन निर्माण कर्मकार, जो सुरंग खुदाई कार्य पर आठ घंटे की अवधि के भीतर एक छड़ से अधिक के दबाव से तीन विसम्पीड़कों से

गुजर चुका है, उसे बचाव कार्य करने के प्रयोजन के सिवाय, किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(गप) ऐसा कोई भवन निर्माण कर्मकार जो किसी सुरंग खुदाई कार्यों में आठ घंटे की अवधि के लिए किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में नियोजित किया जाता है उसे तब तक दुबारा ऐसे पर्यावरण में नियोजित नहीं किया जाता जब तक कि उसने वातावरणीय दाब में 12 घंटे से अन्यून का समय विश्राम मे नहीं बिताया हो;

(गपप) किसी भवन निर्माण कर्मकार को, किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में उस दाब पर जो तीन छड़ों से अधिक है, सुरंग खुदाई कार्य में तब तक नियोजित नहीं किया जाता है जब तक कि मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल से ऐसे नियोजित किये जाने के संबंध में लिखित में पूर्व अनुज्ञा नहीं ली गई हो;

(गपपप) किसी भवन निर्माण कर्मकार को, किसी सुरंग खुदाई कार्य में एक मास के दौरान किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में लगातार 14 दिन से अधिक अवधि के लिए नियोजित नहीं किया जाता है;

(गपअ) किसी सुरंग खुदाई कार्य पर सम्पीड़क वायु पर्यावरण में नियोजित सभी भवन सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन का एक रोजगार रजिस्टर रखा जाता है;

(गअ) सुरंग खुदाई कार्य में सम्पीड़क वायु पर्यावरण में नियोजित किसी भवन निर्माण कर्मकार के लिए एक पहचान बिल्ला प्रदान किया जाता है;

(गअप) उपखण्ड (गअ) में निर्दिष्ट किसी भवन निर्माण कर्मकार के पहचान बिल्ले में उसका नाम, कार्य हेतु उसको आवंटित मेडिकल लॉक की अवस्थिति, उसके उपचार के लिए सम्बद्ध चिकित्सा अधिकारी का टेलीफोन नम्बर और उसको अज्ञात बीमारी और संदेहपूर्ण कारणों की दशा में निदेश अन्तर्विष्ट होते हैं;

(गअपप) उप खण्ड (गअप) के अधीन भवन निर्माण कर्मकार को प्रदाय किये गये सभी पहचान बिल्लों का अभिलेख एक रजिस्टर में रखा जाता है;

(गअपपप) ऐसे सभी भवन निर्माण कर्मकार जिनका नाम उपखण्ड (गअपप) में निर्दिष्ट रजिस्टर में है उन्हें खण्ड (गअ) के अधीन प्रदाय किये गये बिल्ले सुरंग खुदाई कार्य पर उनके कार्य समय के दौरान सभी समय पहनने होते हैंः–

(गपग) सुरंग खुदाई कार्य पर सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में समुचित चेतावनी संकेत निम्नलिखित को रोकने करने के लिए सम्प्रदर्शित किये जाते हैं;

(क) मादक पेयों का सेवन,

(ख) लाईटर, माचिस या आग पैदा करने के अन्य साधनों को साथ रखना और उनका प्रयोग,

(ग) धूम्रपान, और

(घ) ऐसे व्यक्ति का प्रवेश जिसने मादक पेयों का सेवन किया हो।

167– **सुरक्षा अनुदेश ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी भवन निर्माण कर्मकार, जो सुरंग खुदाई कार्य पर सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में नियोजित हैं, ऐसे नियोजन के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए जारी किये गये निर्देशों का पालन करेंगे।

168– **मेडिकल लॉक ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) सुरंग खुदाई कार्य पर जहां भवन निर्माण कर्मकार एक छड़ से अनधिक दाब के किसी कार्यकरण कक्ष में नियोजित किये जाते हैं वहां समुचित रूप से सन्निर्मित मेडिकल लॉक की व्यवस्था की जाती है;

(ख) जहां किसी सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में किसी सुरंग खुदाई कार्य पर एक छड़ से अनधिक का सम्पीड़ित वायु दबाव है, वहॉ 100 से अधिक भवन निर्माण कर्मकारों के लिये या उसके भाग के लिये एक मेडिकल लॉक की व्यवस्था की जाती है और यह मेडिकल लॉक ऐसे सुरंग खुदाई कार्य पर प्रयुक्त प्रमुख लॉक के यथासंभव निकट स्थित होता है।

अध्याय 14
दुरारोह **छत का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण**

169– **दुरारोह छत पर संकर्म ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जब कोई भवन निर्माण कर्मकार दुरारोह छत पर कार्य कर रहा है तो उसे गिरने से बचाने के लिए सभी व्यवहार्य उपाय किये जाते हैं।

170– **छत की रूकावटों का सन्निर्माण और स्थापन ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) **छत की बंधनी का निर्माण ––** दुरारोह छत को ऊंचाई देने के लिए छत बंधनी का सन्निर्माण किया जाता है और ऐसे बंधनी का उपयोग कार्यकरण मंच के लिए समतल प्रदान करना भी होता है ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट छत बंधनी को उसके स्थान पर स्थिर रखने के लिए धातु निर्मित नुकीले वहिर्विष्ट प्रक्षेपकों से इस प्रकार स्थिर की जाती है कि बंधनी के भीतरी हिस्से में नोकदार कील डालकर उसके सिरे को चोटी के खम्ब के ऊपर रस्सी डालकर सुरक्षित किया जाता है और ऐसी छत से बांधा जाता है।

171– **विसर्पी बोर्ड ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) दुरारोह छत पर कार्य करने के लिए उपयोग में लाये गये सभी विसर्पी बोर्ड पर्याप्त शक्ति के हैं, ठोस सामग्री के बने है और सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपयोग के प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रकार के हैं;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विसर्पी बोर्ड की अच्छी तरह मरम्मत की जाती है और उनको प्रयोग में लाने से पूर्व किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है;

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विसर्पी बोर्ड में किसी दुरारोह छत पर जहॉ इसका उपयोग किया जाता है चोटी हुक या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा सुरक्षित है;

(घ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक विसर्पी बोर्ड के अतिरिक्त ऐसे विसर्पी बोर्ड के उपयोग किये जाते समय उसकी सम्पूर्ण लम्बाई के साथ पर्याप्त प्रबलता में जकड़ी हुई बचाव रस्सी लगी होती है।

अध्याय 15
निसैनी और सोपान निसैनी

172– सन्निर्माण और सुरक्षित उपयोग –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) प्रत्येक निसैनी या सोपान निसैनी, जो भवन सन्निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग में लाई जाती है, अच्छी निर्मिती, ठोस सामग्री और पर्याप्त शक्ति की बनी है तथा उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, जिसके लिए निसैनी या सोपान निसैनी उपयोग किया जाता है;

(ख) जब किसी निसैनी का संचार के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है तब उसे किसी स्थिर ढांचे से बांध दिया जाता है जिससे कि ऐसी सीढ़ी पर कार्य करते समय वह फिसल न जाए;

(ग) कोई निसैनी या सोपान निसैनी खुली हुई ईटों पर या अन्य खुली पैकिंग पर खड़ी नहीं की जाती है और उसका आधार स्थल, समतल और मजबूत होता है;

(घ) स्थिर निसैनी, जहां प्रयोग की जाये, उस निसैनी में पैर रखने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए और भवन निर्माण कर्मकारों के उपयोग के लिए उसमें हाथ सहारे के लिए पकड़ लगी होनी चाहिये।

(ङ) प्रत्येक निसैनी,––

(प) सुरक्षित है ताकि उसको अनावश्यक झूलने से रोका जा सके,

(पप) उसके प्रत्येक सोपान पर समान रूप से समुचित टेक लगाये गये हैं;

(पपप) इस प्रकार उपयोग में लाई जाती है कि उसमें धसकन न हो, और

(पअ) यथासंभव इस प्रकार निकट रखा जाय जिससे कि एक पर चार का तारतम्य बना रहे।

(च) सभी निसैनी और सोपान निसैनी सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने पर ही उपयोग में लाई जाएं।

173– डण्डे –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी निसैनी, जिसमें कोई डंडा गायब हो या दोषयुक्त हो या ऐसा डंडा, जो पूर्ण रूप से उसकी कीलों के सहारे उसकी नोक या जुड़नार पर टिका है, का उपयोग नहीं किया जायेगा।

174– निसैनी के लिए सामग्री–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि भवन सन्निर्माण संकर्म में उपयोग में लाई गई सभी काष्ठ की निसैनी,––

(क) पर्याप्त मजबूती के साथ सीधी सन्निर्मित हैं, उन्नत किस्म की सीधी लकड़ी से बनी हुई है, दोषों से मुक्त है और ऐसे काष्ठ से निर्मित है जिसकी लंबाई में दाने हो;

(ख) सीधी उन्नत किस्म की लकड़ी से बने डण्डे दोषों से मुक्त और छिद्रविहीन हों या सुरक्षित खांचे बनाये गये हों; और

(ग) यदि निसैनी के जोड़ लकड़ी के पच्चड़ से सुरक्षित नहीं किए गए हैं तब उन्हें धातु के बने तार से मजबूत किया जायेगा।

अध्याय 16

पकड़ चबूतरा, तख्तों की अस्थाई बाड़ , ढालू प्रणाल, सुरक्षा बेल्ट और जाल

175– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) **पकड़ चबूतरा का प्रयोग** सामग्री के भण्डारण या कार्यकरण मंच के रूप में नहीं किया जायेगा;

(ख) **पकड़ चबूतरा** कम से कम दो मीटर चौड़ा और झुका हुआ हो जिससे कि ऐसे चबूतरे के बाहरी किनारों की स्थिति आंतरिक किनारे से 1500 मि.मी. ऊंची हो;

(ग) **पकड़ चबूतरा** का खुला किनारा ठीक प्रकार से बाड़ से घिरा हो जिसकी ऊंचाई एक मीटर से कम न हों।

176– तख्तों की अस्थाई बाड़ का उपयोग –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, तख्तों की अस्थाई बाड़ का सन्निर्माण तब किया जाता है जब रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इसे भवन निर्माण कर्मकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे और नियोजक को ऐसे तख्तों की अस्थाई बाड़ लगाने के निर्देश दें।

177– ढालू प्रणाल, उसका सन्निर्माण और उपयोग –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, प्रत्येक ––

(क) काष्ठ या धातु निर्मित प्रणाल, जो क्षैतिज स्थिति में 45 डिग्री के कोण से अधिक ढाल पर निर्मित है, का प्रयोग सामग्री हटाने के लिए किया जाता है जो सब तरफ से बंद रहती है सिवाय उन निकासी द्वारों के जहां से कोई सामग्री या वस्तु प्राप्त की जाती है या छोड़ी जाती है।

(ख) ढालू प्रणाल के सभी छोर उनके शिरे के भाग के सिवाय जब वे उपयोग में नहीं है, बंद कर दिये जाते है;

(ग) प्रत्येक ढालू प्रणाल––

(प) ठोस सामग्री से सन्निर्मित है, पर्याप्त मजबूती के हैं और उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त है जिसके लिए उनका उपयोग आशायित है;

(पप) जिसकी ऊंचाई 12 मीटर से अधिक है और उसका सन्निर्माण किसी व्यवसायिक इंजीनियर द्वारा ऐसे सन्निर्माण के लिए तैयार किए गए डिजाइन और रेखाओं के अनुसार है जो मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल के द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से अनुमोदित है।

(घ) प्रत्येक ढालू प्रणाल के निकासी सिरे पर हिन्दी अथवा स्थानीय भाषा में समुचित चेतावनी सूचना सहज दृश्य स्थान पर सम्प्रदर्शित की जाती है;

(ङ) प्रत्येक ढालू प्रणाल की निकासी तब की जाती है जब इतनी ऊंचाई तक मलबा इकठ्ठा हो जाये कि उससे भवन निर्माण कर्मकारों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाये किन्तु किसी भी दशा में ऐसी निकासी की आवृति दिन में एक से अधिक बार न की जाये।

178– सुरक्षा बेल्ट और इसका उपयोग ––नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) सुरक्षा बेल्ट, बचाव रस्सी और ऐसी बचाव रस्सी से संलग्न करने के लिए अन्य युक्तियाँ सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं;–

(ख) प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को उसके संरक्षण के लिए सुरक्षा बेल्ट और बचाव रस्सी प्रदान की जाती है और ऐसे भवन निर्माण कर्मकार ऐसे बेल्ट और बचाव रस्सीयों को अपने कार्य निष्पादन के दौरान उपयोग करते हैं।

(ग) सुरक्षा बेल्ट और बचाव रस्सी उपयोग करने वाले सभी भवन निर्माण कर्मकारों को ऐसे बेल्ट और बचाव रस्सी के सुरक्षित उपयोग और अनुरक्षण का ज्ञान होता है तथा इसके उपयोग के लिए आवश्यक अनुदेश प्रदान किये जाते हैं;

(घ) खण्ड(ख) में निर्दिष्ट सुरक्षा बेल्ट और बचाव रस्सी के उपयोग का पर्यवेक्षण करने वाला उत्तरदायी व्यक्ति निरीक्षण करता है और सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा बेल्ट और बचाव रस्सी उपयोग के लिए दिए जाने से पूर्व ठीक हालत में है।

179– सुरक्षा जाल और उसका उपयोग –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) प्रत्येक सुरक्षा जाल पर्याप्त शक्ति का है, ठोस सामग्री का बना है और सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रयोग किये जाने के लिए उपयुक्त है;

(ख) सुरक्षा जाल के अनुरक्षण और प्रयोग के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे सुरक्षा जालों को सुरक्षित ढंग से लगाने तथा उन्हें ठीक तरह से बांधे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करता है ताकि जिन प्रयोजनों के लिए उनका प्रयोग अपेक्षित है वह सिद्ध हो सके।

180– सुरक्षा बेल्ट और जाल आदि का भण्डारण–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा बेल्ट, बचाव रस्सी और सुरक्षा जालों के सुरक्षित भंडारण के लिए जब वे उपयोग में नहीं लाई जाती है, की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है और उन्हें यांत्रिक टूट–फूट, रसायनों से गलकर नष्ट होने, तथा जीव –जन्तुओं द्वारा क्षति पहुॅचाने से बचाया जा सके।

अध्याय 17
संरचनात्मक ढांचा और आकृति निर्माण

181– साधारण उपबंध –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) सरचनात्मक ढांचे अथवा आकृति को खड़ा करने, भवन अथवा किसी ढांचे को गिराने, अभियांत्रिकी कौशल का कार्य, आकृति निर्माण, कच्चे काम की बनावट

करने तथा टेकबंदी लगाने में संरचनात्मक ढांचा और आकृति खड़ी करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किसी प्रशिक्षित, भवन निर्माण कर्मकार को नियोजित किया जाता है।

(ख) किसी ढांचे की अस्थाई कमजोर स्थिति अथवा अनुपयुक्ता से उत्पन्न परिसंकटों से बचने के लिए समुचित सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।

182– आकृति निर्माण, कच्चा संकर्म और टेकबन्दी–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) आकृति निर्माण और कच्चे कार्य को इस प्रकार डिजाइन, सन्निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा कि ऐसे आकृति निर्माण और कच्चे कार्य, उस भार को सहन कर सके जो उन पर अधिरोपित किया जाये;

(ख) ऐसे आकृति निर्माण इस प्रकार परिनिर्मित किया जाता है कि उक्त आकृति के साथ कार्यकरण मंच, पहुॅचने के साधन, पट्टा लगाने, उठाने–धरने और टिकाने के साधन आसानी से उक्त आकृति के साथ जोड़े जा सकें।

183– इस्पात या **पूर्वरचित ढांचे का परिनिर्माण और उसे खोलना––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) इस्पात निर्मित ढांचे और पूर्वरचित ढांचे के परिनिर्माण अथवा उन्हें खोलने में संभावित खतरों से बचने के लिए समुचित साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे,

(प) निसैनी, संकरा गलियारा या स्थिर चबूतरा;

(पप) चबूतरे, बाल्टियॉ, नावनुमा कुर्सियॉ या अन्य समुचित साधन जो उत्थापक साधित्रों से लटकाये गये हैं;

(पपप) सुरक्षा साज सामान, बचाव रस्सी, पकड़ जाल या पकड़ चबूतरा;

(पअ) विद्युतचालित चल कार्यकरण चबूतरा।

(ख) भवन अथवा कोई ढांचा, आकृति निर्माण या कच्चा कार्य, टेकबन्दी या किसी सिविल इंजीनियरी के परिनिर्माण या खोलने का कार्य प्रशिक्षित भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन किये जाते हैं;

(ग) इस्पात या ढाल से पूर्वरचित ढांचे इस प्रकार डिजाइन किये और बनाये जाते हैं कि ढांचे सुरक्षित रूप से परिवहनित, परिनिर्मित किये जा सकें और ऐसे ढांचे की प्रत्येक यूनिट का भार ऐसे यूनिट के ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित किये जाते हैं;

(घ) ऐसे प्रत्येक भाग का डिजाइन, खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में निर्दिष्ट ढांचे के प्रत्येक भाग की स्थिरता को बनाये रखने हेतु, जब परिनिर्मित किया जाए और खतरे को रोका जाए तब डिजाइन में निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाएगा,––

(प) ऐसे भागों के परिनिर्माण के दौरान छिलाई, परिवहन, भंडारण और अस्थाई अवलम्बन संबंधी प्रचालनों में सुसंगत दशाऍ और जोड़ने की पद्वति, और

(पप) कार्यकारी चबूतरे के साथ रेलिंग के उपबंध और ऐसे रेलिंग या चबूतरों का ढांचागत इस्पात या ढाले गए पुर्जे को आसानी से चढ़ाने के लिए रक्षोपाय।

(ङ) ढांचागत इस्पात या ढाले गए पुर्जों पर हुक और अन्य युक्तियों का बनाना या उपलब्ध कराना जो उत्थापन और परिवहन के लिए अपेक्षित है, ऐसे पृष्ठ तनावों को, जिनके लिए ऐसे हुकों या अन्य युक्तियाँ अध्यधीन है, सहारा देने के लिए अवस्थित किये जाते हैं;

(च) कंक्रीट से बनाये गये पूर्वरचित पुर्जे, ऐसे कंक्रीट के सेट होने और आरेख में उपबंधित पर्याप्त सीमा तक उनके कठोर होने से पूर्व, ढीले या परिनिर्मित नहीं किये जाते हैं और ऐसे पुर्जों का उनके उपयोग किये जाने से पूर्व उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा टूट–फूट के किसी चिन्ह का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है;

(छ) भंडारण स्थान इस प्रकार सन्निर्मित किये जाते हैं कि,––

(प) ढांचागत इस्पात या पूर्व ढाले गए पुर्जो के गिरने या लुढ़कने का कोई जोखिम न हो,

(पप) भंडारण की दशाओं में साधारणतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि भंडारण की पद्वति और वातावरणीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए स्थायित्व को बनाए रखा जाता है और टूट–फूट से बचाया जाता है;

(पपप) रैकों को मजबूत आधार पर सेट किया जाता है और इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि भंडारित कोई ईकाई ऐसे भंडारण स्थलों में संयोगतः हिल न सकें;

(ज) ढांचागत इस्पात या पूर्व ढाले गए पुर्जे जब वे भंडारित या परिवहनित या उठाये या गिराये जा रहे हों उनकी स्थिरता के प्रतिकूल दबाव के अधीन न हो

(झ) ढांचागत इस्पात और पूर्व ढाले गए पुर्जो के उत्थापन के लिए चिमटे, क्लैम्प और अन्य साधित्र, ––

(प) ऐसे आकार और परिमाणों के हो जिससे ऐसे पुर्जो को नुकसान पहुॅचाये बिना कोई सुरक्षित पकड़ सुनिश्चित की जा सकें,

(पप) अधिकतम प्रतिकूल उत्थापन दशाओं में अधिकतम अनुज्ञेय भार अंकित किया जाता है।

(ञ) ढांचागत इस्पात या पूर्व ढाले गए पुर्जे ऐसी पद्वति और उपयोजनों द्वारा उत्थापित किये जाते हैं कि जिससे उनके दुर्घटनाग्रस्त घुमाव को रोका जा सके;

(ट) ढांचागत इस्पात या पूर्व ढाले गए पुर्जे, किसी संकर्म में प्रयोग किये जाते समय, ऐसे पुर्जों के उत्थापन से पूर्व भवन निर्माण कर्मकारों, सामग्री या वस्तुओं के गिरने के कारण हानि को रोकने के लिए रेलिंग और कार्यकारी चबूतरों की व्यवस्था की गई है;

(ठ) ढांचागत इस्पात द्वारा पूर्व ढाले गए पुर्जो की उठाई–धराई या भंडारण या परिवहन या उनके उत्थापन या उनको उतारने के समय भवन सन्निर्माण कर्मकारों, भवन संरचना या उपस्करों को होने वाली क्षति से बचने के लिए सभी उपयुक्त व्यवहार्य उपाय किये जाते है;

(ड) ढांचों पर तेज तूफान या तीव्र हवाओं या किन्हीं अन्य खतरनाक परिस्थितियों में कार्य नहीं किया जाता है;

(ढ) भवन निर्माण कर्मकारों के, ऊंचे और ढालूदार गार्डरों पर चलते समय, गिरने के जोखिम को पर्याप्त सामूहिक सुरक्षा के संपूर्ण साधनों द्वारा अथवा तैयार रखे गए

सुरक्षा साजो सामान द्वारा, जो पर्याप्त रूप से किसी मजबूत सहारे से अच्छी तरह सुरक्षित है।

(ण) ढांचागत इस्पात पुर्जे, जिन्हें अत्यधिक ऊंचाई पर परिनिर्मित किया जाए उन्हें यथाशक्य व्यवहार्य रूप से धरातल पर समज्जित किया जाता है;

(त) जब ढांचागत इस्पात अथवा पूर्व ढाले गए पुर्जे परिनिर्मित किये जा रहे हों, कार्यस्थल के समीप पर्याप्त विस्तारित क्षेत्र को तारों से घेरकर सुरक्षित किया जाएगा;

(थ) ऐसे इस्पात बंध जिन्हें परिनिर्मित किया जा रहा है, उनकी तब तक पर्याप्त रूप से टेकबन्दी, बन्धनी या तारबंधाई नहीं की जाती है जब तक कि वह स्थाई रूप से सुरक्षित स्थिति में नहीं है;

(द) स्थापक उपकरणों द्वारा ढांचे की संरचना से संबंधित अव्ययवों को उस स्थान पर जबरन नहीं रखा जायेगा जहां कोई भवन निर्माण कर्मकार ऐसी स्थिति में हो जिससे ऐसे प्रचालन द्वारा उसको चोट लगने की संभावना हो।

184– आकृति निर्माण —— नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) सभी आकृति निर्माण, के डिजाइन भवन निर्माण कर्मकारों, भवन या संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं।

(ख) संरचनात्मक चौखटे और आकृति निर्माण के कार्य के लिए प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति,––

(प) प्रयोग में लाए जाने से पूर्व सभी सामग्री, काष्ठ, ढांचागत इस्पात और पाड़ की शक्ति और उपयुक्ता की परख करने के लिए उनका भली प्रकार निरीक्षण और परीक्षण करता है;

(पप) संरचनात्मक चौखटे और आकृति निर्माण कार्य के सभी प्रक्रमों के लिए प्रक्रिया अधिकथित करता है।

(पपप) संरचनात्मक चौखटे और आकृति निर्माण का पर्यवेक्षण करता है;

(पअ) संरचनात्मक चौखटे और आकृति निर्माण, कार्य के निष्पादन के दौरान दुर्घटना या संभावित खतरनाक घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है अथवा उसको ठीक करने के उपाय करता है।

185– टेक उतारना—— नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) जब टेक हटाई जाती है तब किसी संभावित परिसंकट से बचने के लिए टेकबन्दी के स्थान पर पर्याप्त अवलंब छोड़ दिए जाते है;

(ख) किसी खतरे से बचने के लिए टेक हटाये जाने पर उसको किसी सहारे से बांधा या जोड़ा जाता है।

अध्याय 18

चट्टा लगाना और चट्टा हटाना

186– सामग्री और वस्तुओं के चट्टे लगाना और चट्टे हटाना —— नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) जहॉ किसी सन्निर्माण सामग्री या वस्तुओं का चट्टा लगाने या चट्टा हटाने, भराई करने या खाली करने या उनकी उठाई–धराई करने का काम बिना सहायता के सुरक्षात्मक ढंग से नहीं किया जा सकता हो, वहां टेकबन्दी लगाकर या अन्य किसी साधन द्वारा संभावित किसी दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना से बचने के समुचित उपाय किए जाते हैं।

(ख) सामग्री या वस्तुओं का चट्टा लगाने का कार्य मजबूत नींव पर किया जाता है जो ऐसी सामग्री या वस्तुओं को टिकने या इधर–उधर होने नहीं देती है और ऐसे तल पर अधिक भार नहीं डाला जाता है जिस पर ऐसे चट्टे लगाने का कार्य चल रहा है;

(ग) किसी सामग्री या वस्तुओं का चट्टा गोदाम की दीवार या उसके विभाजित हिस्से या भंडारण स्थान में तब तक नहीं लगाया जायेगा जब तक की यह ज्ञात न कर लिया जाये कि ऐसा विभाजित हिस्सा या दीवार इतनी शक्ति का नही है कि वह चट्टा लगाई गई सामग्री या वस्तुओं के भार को सहन कर सके।

(घ) सामग्री या वस्तुओं के चट्टे इतनी ऊंचाई तक और इस रीति में नहीं लगाये जाते है कि उससे ऐसे चट्टे की ढेर अस्थिर हो जाए और भवन निर्माण कर्मकारों या आम आदमी को परिसंकट उत्पन्न हो जाय;

(ङ) जहाँ भवन निर्माण कर्मकार डेढ़ मीटर से अधिक ऊंचाई के चट्टे पर कार्य कर रहा हो वहॉ चट्टे पर पहुँच के लिए सुरक्षित साधनों की व्यवस्था की जाती है;

(च) चट्टा लगाने या चट्टा हटाने संबंधी सभी संक्रियाएँ, ऐसे चट्टे लगाने या चट्टे हटाने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षणधीन की जाती है;

(छ) सन्निर्माण सामग्री या वस्तुओं के चट्टे किसी उत्खनन स्थल, नुकीली धुरी युक्त वस्तु, गढ्ढे या किसी अन्य अभिमुख के निकट नहीं लगाये जाते हैं।

(ज) ऐसे चट्टे बहुत संकरे या अस्थिर होने वाले हैं या गिरने वाले हैं तो उनके चारों ओर रूकावटें लगाई जाती है।

187– सीमेंट और अन्य सामग्री के थैलों के चट्टे लगाना–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) सीमेंट या अन्य वस्तुओं के कट्टे, दस–दस के ढेर में, अलग–अलग, उनके आकार के अनुसार किसी खाने में सुव्यवस्थित कर रखे जाते हैं, तथा दो पंक्तियों के बीच कम से कम 600 मिलीमीटर रिक्त स्थान रखा जाए जिससे कि इधर–उधर चलने में बाधा न हो।

(ख) चट्टे के खानों से थैलों को निकालते समय ऐसे चट्टे के ढेर की स्थिरता को सुनिश्चित किया जाता है;

(ग) सीमेंट या चूनेवाले थैलों को शुष्क स्थानों पर भंडारित किया जाता है;

(घ) ईंटों, टाइलों या ब्लाकों जैसी सामग्री को मजबूत आधार पर भंडारित किया जाता है;

(ङ) पुनर्वलित इस्पात को उनके आकार–प्रकार और लंबाई के अनुसार भंडारित किया जाता है;

(च) पुनर्वलित इस्पात के चट्टे यथासम्भव कम ऊंचाई पर रखे जाते हैं;

(छ) किसी पाईप को, ऐसे रैक या चट्टे में, जिसमें ऐसे पाइप के मोड़े जाने में गिरने की संभावना हो, भंडारित नहीं किया जाता है;

(ज) जहाँ किसी खुली सामग्री के चट्टे लगाये जाते हैं वहाँ सामान टांगने के लिए कोण बनाये रखा जाता है;

(झ) जब धूलकणयुक्त सामग्री का भंडारण या उसकी उठाई–धराई की जानी है तब ऐसे भंडारण या उठाई–धराई से उत्पन्न धूल को दबाने के लिए उपाय किया जाता है और ऐसे भंडारण या उठाई–धराई के कार्य में लगे प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर प्रदान किये जाते हैं।

अध्याय 19

पाड़

188– पाड़ का सन्निर्माण––नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करता है, कि ––

(क) प्रत्येक पाड़ और उसके संघटक पर्याप्त रूप से सन्निर्मित हैं, मजबूत सामग्री से बने हैं, दोषों से मुक्त हैं और उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए इसका उपयोग किया जाना आशयित है, सुरक्षित है;

(ख) पाड़ के लिए बांस का प्रयोग किए जाने की दशा में ऐसा बांस उपयुक्त क्वालिटी या अच्छी स्थिति का है और उसकी गांठे बाहर निकली हुई नहीं होंगी तथा ऐसे बांस का काम करते समय भवन निर्माण कर्मकारों को होने वाली किसी क्षति से बचाने के लिए उन्हें छीला जाता है;

(ग) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में प्रयोग की वाली सभी धातु निर्मित पाड़े सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

189– उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण ––नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, पाड़ को खड़ा करने, या उसमें जोड़ लगाने, परिवर्तित करने या उसे खोले जाने का कार्य ऐसे व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा जो ऐसे परिनिर्माण, परिवर्धन, परिवर्तन या विखण्डन के लिए उत्तरदायी है, अन्यथा नहीं

190– अनुरक्षण –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में प्रयुक्त पाड़ को अच्छी मरम्मत करके अनुरक्षित किया जाता है और इसके दुर्घटनापूर्ण विस्थापन या किन्हीं अन्य परिसंकटों के विरूद्ध उपाय किया जाता है;

(ख) किसी पाड़ या उसके भाग को अंशतः विखण्डित नहीं किया जाता है और न ही उसे ऐसी स्थिति में रहने दिया जाता है जब तक कि ––

(प) ऐसे पाड़ की सुरक्षा के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा पाड़ के शेष भाग की स्थिरता या सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती है;

(पप) यदि भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा पाड़ के शेष भाग का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो तब उस दशा में इस आशय की एक आवश्यक चेतावनी सूचना, कि पाड़ प्रयोग के लिए अनुपयुक्त है, हिन्दी में और

ऐसी अन्य भाषा में जो अधिकांश भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती हो, उस स्थान पर जहॉ ऐसी पाड़ का परिनिर्माण किया गया है, संप्रदर्शित की गई है।

191– मानक, आड़ी धरन, अड़वार –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) पाड़ के मानक निम्न प्रकार हैं––

(प) साहुल जहाँ साध्य हो;

(पप) ऐसी पाड़ के आशयित उपयोग के लिए सभी संभाव्य कार्य संचालन–परिस्थितियों और दशाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी पाड़ की स्थिरता को सुरक्षित बनाने के लिए एक दूसरे को पर्याप्त रूप से सटी हुई दूरी, पर स्थिर किया जाना;

(पपप) पाड़ की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए यथा शक्य निकट दूरी रखना;

(ख) यथावश्यक एक ही ∂लेट अथवा आधार प्लेट की व्यवस्था करके किसी पाड़ के मानक के विस्थापन को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाते हैं;

(ग) पाड़ की सुरक्षा और स्थिरता का सम्यक् ध्यान रखते हुए धातु की पाड़ की आड़ों को लम्बवत् अंतरालों पर रखा जाता है;

(घ) बांस की पाड़ की आड़ों को यथासम्भव निकट रखा जाता है, पाड़ की स्थिरता का सम्यक् ध्यान रखते हुए किसी पाड़–मानकों के अनुसार बांधा जाता है।

192– कार्यकरण मंच –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) कार्यकरण मंच का सन्निर्माण ऐसे भवन के स्थायी ऊपरी तल के निकटस्थ किसी भवन के सामने या उसके किनारे किसी ऐसे स्तर पर जहॉ भवन का सन्निर्माण कार्य किया जा रहा हो, उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) कार्यकरण मंच का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि उस मंच में पाड़ के प्रत्येक खंड पर कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या, ऐसे मंच पर पाड़ के कार्य हेतु सामग्री या वस्तुएँ तथा औजार, जो उनके साथ ऐसे खंड पर ले जाये जाते हैं, के लिए पर्याप्त स्थान हो।

(ग) भवन सन्निर्माण स्थल पर कार्यरत कर्मकारों की सूचना के लिए प्रत्येक पाड़ पर सुरक्षित भार क्षमता और उसमें कार्यरत कर्मकारों की संख्या के संबंध में चेतावनी सम्प्रदर्शित की जाती है।

193– बोर्ड, तख्ता और छत सज्जा –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) कार्यकरण प्लेटफार्म के सन्निर्माण में प्रयुक्त बोर्ड, तख्ता और छत सज्जा समान आकार और शक्ति के हों तथा भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भार और भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या को सहारा देने के लिए समर्थ हों;

(ख) धातु निर्मित छत सज्जा में, जो किसी कार्यकरण प्लेटफार्म का हिस्सा होता है, फिसलन रहित सतह की व्यवस्था की गई है;

(ग) कार्यकरण मंच पर प्रयुक्त किसी बोर्ड या तख्ते को, बिना टेक के तब तक नहीं उठाया जायेगा जब तक कि उसके किनारे प्रभावकारी ढंग से मुड़ने या उठने से नहीं रोके जाते हैं;

(घ) बोर्ड, तख्ते या छत सज्जा कसकर सुरक्षित ढंग से बांधकर रखे जाते हैं।;

(ङ) किसी खण्ड पर दिन में एक बार दो से अधिक कार्यकरण मंच प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, जिन पर कार्यरत निर्माण कर्मकार या सामग्री या वस्तुएं विद्यमान रहती हैं।

(च) सामग्रियों या वस्तुओं के गिरने के कारण होने वाली क्षति से बचने के लिए समुचित उपाय जैसे सुरक्षा जाल का प्रयोग या अन्य उचित साधन प्रयुक्त किए जाते हैं।;

(छ) पाड़ के किसी मंच पर कंक्रीट या अन्य मलबे या सामग्री को इकट्ठा होने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है;

(ज) जहाँ किसी दीवार के छोर पर कार्य किया जाना है, तब कार्यकरण मंच को उसके सामने या जहाँ कहीं रखा जाना व्यवहार्य हो उस दीवार के छोर से कम से कम शून्य दशमलव साठ मी. दूरी पर बनाया जाए

194– क्षतिग्रस्त पाड़ की मरम्मत –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) कोई भी भवन निर्माण कर्मकार ऐसी पाड़ पर जो क्षतिग्रस्त या कमजोर हो गई है, जब तक ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यथोचित सुरक्षा उपाय नहीं कर लिए जाते हैं कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं है;

(ख) ऐसे स्थानों पर, जहाँ पाड़ की मरम्मत का कार्य चल रहा हो, चेतावनी संकेत संप्रदर्शित कर दिये जाते हैं।

195– खुली जगह –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) कार्यकरण मंच पर पहुॅचने के लिए छोड़े गए खुले स्थान के सिवाय कार्यकरण मंच पर अन्य कोई खुली जगह नहीं रखी जायेगी;

(ख) किसी प्लेटफार्म पर जहाँ भी खुली जगह छोड़ा जाना अपरिहार्य हो, तब प्लेटफार्म से सामग्रीं के अथवा भवन निर्माण कर्मकारों के गिरने से बचने के लिए उपयुक्त सुरक्षाजाल, पट्टे या इसी प्रकार के अन्य साधनों की व्यवस्था कर आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं;

(ग) जब किसी पाड़ पर एक कार्यकरण मंच से दूसरे मंच पर पहुँचना अपेक्षित हो, तब ऐसे मंच पर कार्य करने वाले भवन निर्माण कार्यकारों के प्रयोग हेतु उपयुक्त और सुरक्षित निसैनी की व्यवस्था की जाती है;

(घ) फर्स पर प्रत्येक खुले स्थान अथवा शाफ्ट के स्थान पर किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ को गिरने से बचाने के लिये कम से कम 900 मिलिमीटर की ऊँचाई की समुचित रेलिंग से सुरक्षा प्रदान की जायेगी ।

196– रक्षक पटरियॉ –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी कार्यकरण मंच के प्रत्येक कोने जिससे किसी व्यक्ति के गिरने

की संभावना हो ऐसे मंच से किसी भवन निर्माण कर्मकार, सामग्री या औजारों को गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त और सुरक्षित रक्षक पटरियों और यक्षोचित मजबूती के टोबोर्ड की व्यवस्था कर दी जाती है।

197– **विभिन्न नियोजकों के भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पाड़ ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) जहाँ किसी पाड़ या पाड़ के किसी भाग का प्रयोग पूर्व में किसी अन्य नियोजक द्वारा नियुक्त भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा भी किया गया हो तब ऐसे पाड़ या पाड़ के भाग का प्रयोग किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण के पश्चात प्रयोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त घोषित किए जाने के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

(ख) यदि किसी पाड़ या उसके भाग में उसके उपयोग के सुभीते के लिए किसी सुधार, परिवर्तन या उपांतरण की जरूरत समझी जाती है, तब ऐसा सुधार, परिवर्तन या उपांतरण पाड़ या उसके भाग के प्रयोग में लाने से पूर्व खंड (क) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति के परामर्श से किया जाता है।

198– **विद्युतवाहक तारों से संरक्षण ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि पाड़ पर कार्य करने वाले किसी भी भवन निर्माण कर्मकार को विद्युत तारों या खतरनाक उपस्करों के सम्पर्क में आने से रोकने के लिए उसकी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक और व्यवहारिक उपाय कर लिए गए हैं;

199– **रक्षावरण जाल और तार की जालियॉ ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ पाड़ किसी ऐसे क्षेत्र में परिनिर्मित की जाती है जहाँ सन्निर्माण क्रियाकलापों के निकट पैदल चलने वालों या यानीय यातायात से सामग्री के गिरने का परिसंकट रहता है, वहाँ ऐसी पाड़ के आवरण के लिए तारों की जालियॉ या रक्षावरण जाल प्रयोग में लाए जाते है।

200– **मीनार पाड़ ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में प्रयुक्त प्रत्येक मीनार पाड़ की ऊंचाई ऐसी पाड़ के आधार माप से लघुतर की आठ गुनी से अधिक नहीं है;

(ख) मीनार पाड़ को भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने से पूर्व किसी भवन या किसी स्थिर संरचना के साथ रस्सी से बांध दिया जाता है;

(ग) किसी मीनार पाड़ को घुमाया या निक्षेपित किया जा सकता है,यदि

(प) उसके स्थायित्व को ध्यान में रखकर उसे सन्निर्मित किया जाता है और यदि आवश्यक हो, उसके आधार स्थल पर यथोचित वजन रखा जाता है।

(पप) उसका प्रयोग केवल समतल और स्थायी धरातल पर ही किया जाता है, और

(पपप) ऐसी पाड़ को अपनी स्थिति में रखने के लिए सकारात्मक परिबंधन युक्तियों की व्यवस्था की गई है।

(घ) पाड़ को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदले जाते समय उसमें कोई भवन निर्माण कर्मकार, औजार, सामग्री न रखी जाये।

201– पाड़–निलंबन के लिए गियर –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) पाड़–निलंबन के लिए उपयोग में ली गई जंजीरें, रस्से या उठाने वाले गियर यक्षोचित ठोस सामग्री से निर्मित हैं और उनके उपयोग के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त है तथा अच्छी मरम्मत की हालत में है;

(ख) पाड़–निलंबन के लिए जंजीर, तार, रस्से और धातु की नालियॉ––

(प) प्रत्येक बंधन–जोड़ पर और पाड़ की धरन के साथ उसके मुख्य सहायक अव्ययवों को ठीक प्रकार से तथा सुरक्षित ढंग से बांधकर रखा जाता है, तथा

(पप) ऐसी स्थिति में रखा जाता है जिससे कि पाड़ कि स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

202– गतिशील पाड़ ढांचा तथा घोड़िया पाड़ –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) किसी भी **गतिशील पाड़** में तीन से अधिक तल निर्मित नहीं किए जायं और यदि कार्यकरण मंच भूतल से 4.5 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है या ऐसा आधारतल जिस पर पाड़ परिनिर्मित की गई है तब **गतिशील पाड़ का डिजाइन** किसी व्यावसायिक इंजीनियर द्वारा तैयार किया जाये और प्रयोग किए जाने से पूर्व मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण , उत्तरांचल से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है;

(ख) कोई भी **गतिशील पाड़** किसी निलंबित पाड़ पर परिनिर्मित नहीं की जाती है;

(ग) किसी भी घोड़िया पाड़ का प्रयोग तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उचित रूप से सहारे पर न टिका हो तथा सहारे की विपरीत दिशा पर अचल रूप से बंधा हुआ हो तथा सहारे की उलंडी समुचित लम्बाई की हैं तथा जहां आवश्यक हो पाड़ की सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए उन्हें पर्याप्त ढंग से सहारा दिया हो या बांधा गया हो ;

(घ) कोई कार्यकरण मंच, जो ऐसी आधार–बल्ली पर टिका हो जिसका एक सिरा दीवार के अन्दर घुसा हो, का प्रयोग तब तक न किया जाये जब तक कि उसको कोई दूसरा सहारा न दिया गया हो तथा उसकी आधार–बल्लियाँ पर्याप्त शक्ति की हैं और दूसरी ओर अच्छी तरह बंधी हैं तथा दूसरे सिरे पर भी सुरक्षित रूप से आबद्ध हैं।

203– भवन पर अवलंबित पाड़ –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) किसी भवन का कोई भाग या पाड़ का कोई हिस्सा तब तक प्रयुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि भवन का वह भाग काफी मजबूत और ठोस सामग्री का न बना हो जो पाड़ के लिए सुरक्षित सहारा प्रदान कर सके।

(ख) बाहर निकले हुए छज्जे, परनाले पाड़ के समर्थन के लिए उपयोग में नहीं लाए जाते हैं;

(ग) भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने से पूर्व निलंबित पाड़ का निर्माण सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया हो।

204– निलंबित–**पाड़ के लिए विंच और आरोहकों का प्रयोग ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) निलंबित–पाड़ को, विंच या आरोहकों के द्वारा तब तक ऊपर उठाया या नीचे नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी पाड़ ठोस सामग्री से निर्मित न हो, पर्याप्त मजबूती की न हो तथा प्रयोग में लाये जाने से पूर्व किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षित न की जायं, तथा विंच या आरोहकों के द्वारा पाड़ को उठाने या नीचा करने के लिए निरापद प्रमाणित न किया गया हो।

(ख) प्रतिभार द्वारा प्रतिसंतुलित सभी निलंबित–पाड़ ऐसे नमूने की हों जो भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने से पूर्व मुख्यनिरीक्षक, निरीक्षण, भवन एवं सन्निर्माण उत्तरांचल द्वारा अनुमोदित किए जायं।

(ग) निलंबित–पाड़ का कार्यकरण मंच भवन अथवा ढांचे के साथ सुरक्षित रूप से आबद्ध हो ताकि ऐसे मंच को झूलने से रोका जा सके।

(घ) जहाँ निलंबित–पाड़ का प्रयोग किया जा रहा हो उस स्थान पर निलंबित–पाड़ में रखे जाने वाले कार्यकरण भार की वहन क्षमता के संबंध में सूचना सम्प्रदर्शित की जाये।

205– निलंबित–**पाड़ के लिए सुरक्षा युक्तियॉं ––** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, विंच या आरोहकों द्वारा निलंबित पाड़ को ऊपर उठाने या नीचा करने के लिए प्रलंबन बिन्दु पर एक सुरक्षा रस्सी स्वचालित सुरक्षा युक्ति के साथ ऐसी प्रत्येक रस्सी के ऊपर आरोपित कर बांधी जाती हैं ताकि वह सुरक्षा रस्सी स्वचालित सुरक्षा युक्ति के साथ पाड़ के मंच को सहारा दे सके जब कोई आरंभिक प्रलंबन तार रस्सी, विंच अथवा आरोहकों द्वारा निलंबित–पाड़ को ऊंचा उठाने या नीचा करने के लिए युक्त कोई यंत्र रचना असफल हो जाये, परन्तु यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ,

(क) पाड़ का मंच, दो स्वतंत्र निलंबित तार रस्सीयों पर आधारित हो या ऐसे मंच के प्रत्येक किनारे के समीप ऐसी रस्सियाँ लगी हों ताकि निलंबित तार की एक रस्सी के टूट जाने पर दूसरी तार रस्सी मंच के भार को वहन करने के लिए सक्षम हो तथा मंच को झुकने या मुड़ने से रोक सके, या

(ख) जहाँ ऐसा तंत्र सम्मिलित है कि पाड़ को सहारा देने वाली पहली निलंबित तार रस्सी और उसके भार के टूट जाने पर पाड़ के मंच को सहारा देने के लिए स्वचालित व्यवस्था विद्यमान है।

अध्याय 20
जलावरोध (काफर डाम) और नींव कोष्ठक

206– साधारण उपबन्ध –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) प्रत्येक जलापरोध और नींव कोष्ठक ––

(प) अच्छी संरचना, मजबूत सामग्री का और यक्षोचित सामर्थ्य का है;

(पप) यथास्थिति ऐसे जलापरोध या नींव कोष्ठक की चोटी पर पानी के आधिक्य की स्थिति में भवन निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षित रूप से पहुॅचने के लिए यथोचित साधनों का उपबन्ध है;

(पपप) यथास्थिति ऐसे जलापरोध और नींव कोष्ठक के ऐसे प्रत्येक स्थान पर, जहाँ ,भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं, पहुॅचने के सुरक्षित साधनों की व्यवस्था है;

(ख) जलापरोध या नींव कोष्ठक के सन्निर्माण, अवस्थिति, उपान्तरण या जलापरोध विखण्डन से संबंधित कार्य किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाता है;

(ग) सभी जलापरोध और नींव कोष्ठकों का निरीक्षण, मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल द्वारा यथानिर्दिष्ट अंतरालों पर किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा किया जाता हैं;

(घ) किसी भवन निर्माण कर्मकार को जलापरोध अथवा नींव कोष्ठक के अंदर तभी कार्य करने की अनुमति दी जायेगी जब कि उसका निरीक्षण पूर्व में मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल द्वारा अनुमोदित पूर्ववर्ती अवधि के भीतर किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा न कर लिया गया हो तथा कार्य करने के लिए सुरक्षित न पाया गया हो तथा ऐसे निरीक्षण का अभिलेख किसी रजिस्टर में रखा जाता है ।

(ङ) किसी जलापरोध या नींव कोष्ठक में सम्पीड़ित वायु में कार्य;

(प) सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है;

(पप) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा किया जाता है जो अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं , और जिनकी चिकित्सकीय परीक्षा नियम 223 की अपेक्षा के अनुसार की गयी है;

(पपप) किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया जाता है;

(च) यदि जलापरोध या नींव कोष्ठक में कार्य पारियों में किया जाता है, तब किसी भवन निर्माण कर्मकार द्वारा ऐसी प्रत्येक पारी में किए गए कार्य में व्यतीत समय का अभिलेख, एक रजिस्टर में रखा जाता है जिसमें किसी निर्माण कर्मकार द्वारा सम्पीड़न हेतु लिये गए समय, यदि कोई हो, से संबंधित विशिष्टियॉ अन्तर्विष्ट होंगी।

(छ) प्रत्येक निर्माण स्थल या परियोजना के किसी जलापरोध या नींव कोष्ठक में, जहाँ भवन निर्माण कर्मकार सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में कार्य करने के लिए नियोजित किये जाते हैं, वहां ऐसे कार्य स्थल पर अथवा परियोजना कार्य के दौरान हर समय एक निर्माण चिकित्साधिकारी किसी प्रशिक्षित प्राथमिक चिकित्सा परिचारक या परिचारिका के साथ उपलब्ध रहते हैं।

(ज) प्रत्येक कार्यस्थल या परियोजना में जलावरोध या नींव कोष्ठक में एक आरक्षित कम्प्रेशर आपातकाल में प्रयोग हेतु उपलब्ध रहता है।

207– दाब संयत्र और उपस्कर –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) दाब संयत्र और उपस्कर, ––

(प) ऐसे कार्य के लिए उपयोग में लाए जाने से पहले सक्षम व्यक्ति द्वारा जाँच कर परीक्षित कर लिए जाते हैं;

(पप) जो उपयुक्त डिजाइन और सन्निर्माण के हैं तथा उस कार्य के सम्पादन की यथोचित सामर्थ्य के हैं जिसके लिए उनका प्रयोग किया जाता है;

(पपप) अच्छी मरम्मत और कार्यकरण की दशा में रखे जाते हैं;

(ख) उपनियम (क) में निर्दिष्ट दाब संयंत्र और उपस्कर के साथ , ––

(प) एक ऐसा उपयुक्त सुरक्षा वाल्व या अन्य प्रभावी युक्ति लगी रहती है जो किसी समय दाब की सीमा बढ़ने पर उस दाब को सुरक्षित रूप से अधिकतम सीमा तक मुक्त कर सके;

(पप) एक ऐसा उपयुक्त दाब मापक, जिसकी घड़ी का डायल 1.5 गुणा और कार्यकरण दाब की अधिकतम सीमा की दुगुनी कोटि से अनधिक परिधि का है, आसानी से दिखाई देने वाला तथा जो हर समय आंतरिक दाब को किलोग्राम में प्रतिवर्ग सेंटीमीटर तक सूचित करने के लिए डिजाइन किया गया हो और सुरक्षित कार्यकरण दाब की क्षमता दर्शाते हुए ऐसे सयंत्र और उपस्कर के साथ संयुक्त कर चिन्हित किया गया हो।

(पपप) एक उपयुक्त स्टाप वाल्व या ऐसे वाल्व जिनके द्वारा दाब संयत्र या दाब संयंत्र प्रणाली को दाब के प्रदाय स्रोत से या किसी दूसरे स्रोत से पृथक किया जा सके।

(ग) प्रत्येक दाब संयत्र या उपस्कर का सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्णतया परीक्षण किया जाएगा,––

(प) वाहय रूप से छह मास की प्रत्येक अवधि में एक बार ;

(पप) आंतरिक रूप से बारह मास की प्रत्येक अवधि में एक बार, और,

(पपप) जलीय परीक्षण द्वारा चार वर्ष की अवधि में एक बार;

अध्याय 21
सुरक्षा संगठन

208– सुरक्षा समितियॉ ––

(1) प्रत्येक स्थापन जिसमें पांच सौ या उससे अधिक भवन निर्माण कर्मकार साधारणतः नियोजित किए जाते हैं वहाँ नियोजक द्वारा एक सुरक्षा समिति गठित की जाएगी जिसमें नियोजक और भवन निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधि समान संख्या में होंगे किन्तु किसी भी दशा में नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या भवन निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधियों से अधिक नहीं होगी। जहाँ श्रमिक यूनियनें अस्तित्व में हैं, वहां समिति में मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जायेगा।

(2) सुरक्षा समिति के मुख्य कृत्य निम्नलिखित होंगेः––

(क) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में दुर्घटना के अधिसंभाव्य कारणों और असुरक्षित पद्धतियों को पहचानना और उपचारी उपाय सुझाना;

(ख) आवश्यकतानुसार अथवा जब अपेक्षित हो, सुरक्षा सप्ताहों, सुरक्षा प्रतियोगिताओं, सुरक्षा विषय पर वार्ता और फिल्म प्रदर्शन, के आयोजनों के माध्यम से पोस्टर आदि तत्समान उपायों के द्वारा

नियोजकों एवं भवन निर्माण कर्मकारों में सुरक्षा के प्रति अभिरूचि जागृत करना।

(ग) असुरक्षित कार्य प्रणालियों की जांच–पड़ताल करने तथा असुरक्षित कार्य दशाओं का पता लगाने के उद्देश्य से सन्निर्माण स्थल का दौरा करना और उनके सुधार के लिए उपचारी उपाय, जिनमें प्राथमिक चिकित्सीय उपचार सहायता और कल्याणकारी सुविधाएँ सम्मिलित हैं, की सिफारिश करना;

(घ) विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों, रसायनों और अन्य सन्निर्माण–सामग्री की उठाई–धराई से संबंधित स्वास्थ्य परिसंकटों का ध्यान रखने तथा उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग आदि के संबंध में उपचारी उपाय सुझाना;

(ङ) निर्माण स्थल में कल्याणकारी सुख सुविधाएँ समुन्नत करने और भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण के अन्य विविध पहलुओं से संबंधित उपाय सुझाना;

(च) भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य के दौरान प्रयोग किए जाने वाले उपस्कर के प्रयोग, उठाई–धराई तथा रख–रखाव से संबंधित परिसंकटों की ओर नियोजक का ध्यान आकर्षित करना।

(3) सुरक्षा समिति की नियमित अंतरालों पर कम से कम एक मास में एक बार बैठक करेगी और निर्माण स्थल के काम– काज पर संपूर्ण नियंत्रण रखने वाले किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा इसकी अध्यक्षता की जायेगी।

(4) बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त सभी संबंधित व्यक्तियों को परिचालित की जाएगी जो भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझाी जाने वाली भाषा में होगी तथा निरीक्षण के लिए माँग किए जाने पर निरीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) सुरक्षा समिति द्वारा लिए गए विनिश्चयों तथा सिफारिशों का परिपालन नियोजकों द्वारा युक्ति युक्त समय–सीमाओं के भीतर किया जाएगा।

209– सुरक्षा अधिकारी––

(1) ऐसे प्रत्येक स्थापन में जहाँ पर पांच सौ या उससे अधिक कर्मकार साधारणतया नियोजित किए जाते हैं, नियोजक इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–8 में अधिकथित मान के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करेगा तथा ऐसे सुरक्षा अधिकारीयों की सहायता के लिए उपयुक्त और पर्याप्त संख्या में तैनात किए जायेंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों के कर्त्तव्य, अर्हताएँ और सेवा शर्तें इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–8 में यथा उपबंधित होंगी।

(3) जहाँ किसी एक नियोजक द्वारा नियोजित कर्मकारों की संख्या पाँच सौ से कम है, वहाँ नियोजक अपना एक समूह बना सकेंगें और मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल की पूर्व अनुज्ञा से नियोजकों के ऐसे समूह के लिए एक सामूहिक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे।

210– दुर्घटनाओं की रिपोर्ट देना ––

(1) निर्माण स्थल पर ऐसी दुघर्टना जो या तोः–

(क) जीवन हानि कारित करती है; या

(ख) ऐसी दुर्घटना जो भवन निर्माण कर्मकार को अड़तालीस घंटों तक अशक्त कर दे या दुर्घटना के फौरन बाद उसकी सूचना तार, टेलीफोन, फैक्स या अन्य साधनों से जिसमें विशेष संदेशवाहक भी सम्मिलित हैं के द्वारा घातक दुर्घटना की स्थिति में चार घण्टे के भीतर तथा अन्य दुर्घटनाओं के मामले में 72 घण्टे के भीतर निम्नलिखित को सूचना प्रेषित करेगा।

(प) अधिकारिता रखने वाले संबंधित क्षेत्र, जिसमें स्थापन अवस्थित है और जहाँ दुर्घटना घटित हुई है, से संबंधित सहायक श्रम आयुक्त/उप श्रमायुक्त/अपर श्रमायुक्त को प्रेषित करेगा ऐसे सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/अपर श्रमायुक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी होंगे।

(पप) बोर्ड, जिसके द्वारा दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त भवन निर्माण कर्मकार फायदाग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था;

(पपप) मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल; और

(पअ) दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त भवन निर्माण कर्मकार का निकट संबंधी या संबंधीगण।

(2) भवन निर्माण या अन्य सन्निमार्ण कार्य के निर्माण स्थल पर कोई ऐसी दुर्घटना जो;––

(क) जीवन हानि कारित करती है; या

(ख) या जो दुर्घटना भवन निर्माण कर्मकार को दस या दस से अधिक दिनों तक काम से निवारित रखे।

के संबंध में सूचना निम्नलिखित को भी भेजी जाएगीः––

(प) निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी,

(पप) जिला मजिस्ट्रेट अथवा उसके आदेश द्वारा निर्दिष्ट कोई सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन होने वाली दुर्घटना की दशा में क्षतिग्रस्त भवन निर्माण कर्मकार को प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और उसके बाद चिकित्सीय उपचार के लिए किसी अस्पताल या अन्य स्थान में तुरन्त स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

(4) जहाँ कोई दुर्घटना निःशक्तता कारित करते हुए तत्पश्चात् किसी भवन निर्माण कर्मकार की मृत्यु में परिणित हो जाती है तो ऐसी मृत्यु की लिखित रूप से सूचना, मृत्यु के बहत्तर घंटे के भीतर उपनियम (1) और उपनियम (2) में यथा उल्लिखित प्राधिकारियों को संसूचित की जाएगी।

(5) निम्नलिखित कोटि की खतरनाक दुर्घटनाओं की, चाहे उनसे किसी भवन निर्माण कर्मकार की मृत्यु या निःशक्तता कारित होती है अथवा नहीं, उपनियम (1) में विहित रीति में अधिकारिता वाले निरीक्षक को रिर्पोट की जाएगी, अर्थात् :–

(क) उत्थापक साधनों या उत्तोलक या प्रवहयी भवन निर्माण सामग्री की उठाई–धराई के लिए अन्य वैसे ही उपस्कर का ढह जाना या निष्फल हो जाना या रस्सा, जंजीर या वियोजित गियरों का निष्फल हो जाना, भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली क्रेनों का उलट जाना, ऊंचाई में वस्तुओं का गिर जाना;

(ख) मिट्टी, दीवार, फर्श, गैलरी, छत या किसी संरचना, प्लेटफार्म, मंजिल–पाड़ के किसी भाग या पहुंच के किसी साधन, जिसके अंतर्गत कोई ढांचा (फ्रेमवर्क) भी शामिल है, का ढह जाना या धंस जाना;

(ग) संविदा कार्य, उत्खनन, पारेषण मीनार (ट्रांसमिशन टावर), पाइप लाइनों, पुलों आदि का ढह जाना;

(घ) भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी गैस या गैसीय द्रवों या ठोस वस्तुओं के भण्डारण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रापक या पात्र का वातावरणीय दबाव बढ़ने के कारण विस्फोटन;

(ङ) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर, जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं क्षति कारित करने वाली अग्नि और विस्फोट;

(च) परिसंकटमय पदार्थों का बहाव या रिसाव और उनके आधानों की क्षति;

(छ) यातायात उपस्कर का ढह जाना, लुढ़क कर गिर जाना या टकरा जाना;

(ज) सन्निर्माण स्थल पर हानिकारक विषैली गैसों का रिसाव या विमोचन।

(6) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर किसी उत्थापक साधित्र, वियोजित गियर, उत्तोलक या भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य मशीनरी तथा यातायात उपस्कर की असफलता की दशा में ऐसे साधन, गियर, उत्तोलक, यन्त्र अथवा उपस्कर और ऐसी घटना के उस स्थल का जब तक अधिकारिता वाले निरीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं कर लिया जाता है, जहां तक सम्भव हो, छेड़छाड़ नहीं की जायेगी।

(7) उपनियम (1), उपनियम (2) या उपनियम (4) के अधीन दी गई प्रत्येक सूचना के अनुसरण में उचित अधिस्वीकृति के अधीन, प्ररूप–ग्प्ट में एक लिखित रिपोर्ट निरीक्षक, अधिनियम की धारा 39 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, बोर्ड तथा मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल, को भेजी जाएगी।

211– दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारणों के जांच की प्रक्रिया ––

(1) अधिनियम की धारा 39 की यथास्थिति उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन जाँच, नियम 210 के उपनियम(1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात्:––

(क) जांच यथाशीघ्र प्रारंभ की जायेगी और किसी भी दशा में नियम 210 के अधीन दुर्घटना या खतरनाक घटना की सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर प्रारम्भ की जाएगी;

(ख) जांच, नियम 210 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वंय या ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी जांच अधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी;

(ग) यथास्थिति प्राधिकारी या जाँच अधिकारी ऐसी जाँच में हाजिर होने के हकदार उन सभी व्यक्तियों को जिनके नाम और पते ऐसे प्राधिकारी या जाँच अधिकारी को ज्ञात हैं, ऐसी जाँच की तारीख, समय और स्थान संसूचित करते हुए लिखित में सूचनाओं की तामील करेगा या तामील करवाएगा;

(घ) खण्ड (ख) के उपबंध में किसी बात के होते हुए भी ऐसे अन्य व्यक्ति जो किसी तरह से ऐसी जाँच में सम्बद्ध या हितबद्ध है, यथास्थिति प्राधिकारी या जाँच अधिकारी अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी जाँच की तारीख, समय और स्थान संसूचित करते हुए, एक या अधिक स्थानीय समाचार–पत्रों में ऐसी जाँच की सूचना प्रकाशित कर सकेंगे।

(2) जाँच के लिए हाजिर होने के हकदार व्यक्तियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं––

(क) अधिनियम के सुरक्षा उपबंधों और संबंधित स्थापन के लिए इन नियमों के प्रवर्तन या अनुपालन से सम्बद्ध राज्य सरकार या किसी उपक्रम या लोक निकाय का निरीक्षक या कोई अधिकारी;

(ख) व्यवसाय संघ या कर्मकार संगम या नियोजकों का संगम;

(ग) दुर्घटना से अंतर्ग्रस्त कर्मकार या उसका विधिक वारिस या प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(घ) उस परिसर का स्वामी जिसमें घटना घटी;

(ङ) यथास्थिति प्रधिकारी या जांच अधिकारी के विवेक पर कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो उसके विषय में जानकारी रखता है या जिसके ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के संबंध में तात्विक साक्ष्य या सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने की संभावना है।

(3) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट हकदार व्यक्ति कोई निगमित निकाय, कम्पनी या कोई अन्य संगठन, संगम या व्यक्तियों का समूह है तब ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसके अन्तर्गत काउंसेल या सॉलिसिटर भी है, के माध्यम से किया जा सकेगा ।

(4) उपनियम (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच सार्वजनिक रूप से की जाएगी।

(5) ऐसी दशाओं में जहाँ,––

(क) सरकार की यह राय है कि जांच के विषय या उसका कोई भाग ऐसी प्रकृति के हैं कि सार्वजनिक रूप से जाँच करना राष्ट्र की सुरक्षा हितों के प्रतिकूल होगा और यथास्थिति उक्त प्राधिकारी की जाँच उक्त अधिकारी को बंद कमरे में जाँच करने की निर्देश देती है; या

(ख) जाँच से संबंधित किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट यथास्थिति प्राधिकारी अथवा जाँच अधिकारी की राय में यदि जाँच सार्वजनिक रूप से करने में किसी व्यवसायिक गोपनीयता से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण होता है तब उस दशा में जाँच

अथवा जाँच से संबंधित शेष कार्यवाही बंद कमरे में करने का निर्णय लिया जायेगा और ऐसी जाँच सार्वजनिक रूप से नहीं की जाएगी।

(6) सुनवाई के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई जानकारी या उपनियम (5) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में साक्ष्य, जाँच के प्रयोजन के सिवाय किसी व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी।

(7) किसी जाँच में साक्ष्य या व्यपदेशन देने के लिए बुलावा उपनियम (2) के अधीन हाजिर होने का हकदार व्यक्ति केवल जाँच करने वाले प्राधिकारी या जांच अधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीमा और स्थिति तक ही प्रारंभिक कथन करने, साक्ष्य देने, विनिर्दिष्ट दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने की माँग के लिए जाँच अधिकारी से अनुरोध करने के लिए एवं अन्य व्यक्ति की साक्ष्य की प्रति–परीक्षा करने का हकदार होगा।

(8) किसी जाँच के कोई भी साक्ष्य, जाँच के दौरान प्राधिकारी या जाँच अधिकारी के विवेकाधिकार पर ही ग्रहण किये जा सकेंगे , जो यह भी निर्देश दे सकेगा कि साक्ष्य में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को किसी हकदार या ऐसी जाँच में हाजिर होने के लिए अनुज्ञात व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा और यह कि उनकी प्रतियां लेने या प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी।

(9) प्राधिकारी या जाँच करने वाला जाँच अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो राज्य सरकार का अधिकारी है, जहाँ आवश्यक हो, जाँच करने के प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकारी या जाँच अधिकारी की सहायता करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत किया गया अधिकारी सम्बद्ध स्थापन के परिसर में कार्य के घंटों के दौरान प्रवेश कर सकेगा, और ऐसी जाँच से सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण कर परिसर में कार्य के घंटों के दौरान प्रवेश कर सकेगा, और ऐसी जाँच से सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा, अन्वेषण कर सकेगा और ऐसे साक्ष्य ले सकेगा जो ऐसी जाँच करने के लिए अपेक्षित हो।

(10) गवाहों के कथनों सहित मूल रूप से सभी साक्ष्यों के साथ जाँच के निष्कर्षों को, ऐसे मामलों में, जहाँ उप–जाँच ऐसे प्राधिकारी द्वारा स्वंय नहीं की गई थी, जाँच की समाप्ति के पांच दिन के भीतर अधिनियम की धारा 39 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा।

(11) इस नियम के अधीन की गई जाँच से संबंधित तथ्यों से संक्षिप्त विवरण के साथ निष्कर्षों की एक प्रति मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल तथा सरकार को नियम 210 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी जाएगी।

अध्याय 22
विस्फोटक

212– विस्फोटकों की उठाई–धराई–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) सभी विस्फोटकों की उठाई–धराई, उपयोग या भंडारण ऐसे विस्फोटकों के विनिर्माता द्वारा दिए उपलब्ध कराये गए अनुदेशों और सामग्री–आंकड़े शीट के अनुसार किए जाते हैं;

(ख) विस्फोटकों का प्रयोग सुरक्षित रीति से किसी भी व्यक्ति को क्षति से बचाने के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन किया जाता है;

(ग) विस्फोटक प्रयोग करने से पूर्व भवन कर्मकारों और साधारण जनता को खतरे की चेतावनी देने के लिए, आवश्यक चेतावनी और खतरे के संकेत विस्फोटक के प्रयोग के सहज–दृश्य स्थान पर परिनिर्मित किए जाते हैं।

213– पूर्वसावधानियॉ –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) नियम 212 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी ऐसे विस्फोटकों के परिवहन, उठाई–धराई, उपयोग या भंडारण और उपयोग के स्थानों पर निम्नलिखित पूर्व सावधानियों का पालन किया जाता है, अर्थात्:––

(प) जहाँ विस्फोटकों की उठाई–धराई, भंडारण और प्रयोग किया जाता है उसके आस–पास में धूम्रपान, खुली बत्तियों और अन्य ज्वलनशील स्रोतों का प्रतिषेध किया जाता है;

(पप) विस्फोटकों की पेटियों को खोलते समय सुरक्षित दूरी रखना तथा चिनगारी न छोड़ने वाले औजारों का उपयोग करना;

(पपप) जब मौसम के हालात ऐसे उपयोग या उठाई–धराई के लिए उपयुक्त नहीं हों तब विस्फोटकों के उपयोग और उनकी उठाई–धराई को बंद रखा जाता है।

(ख) इस अध्याय के उपबंधों के अतिरिक्त विस्फोटक अधिनियम, 1884 (अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1884) के अधीन बनाए गए नियम के अधीन विस्फोटकों के प्रयोग, उठाई–धराई, भण्डारण या परिवहन के लिए पालन किये जाने वाले सभी अपेक्षित उपायों और पूर्व चेतावनियों का अनुपालन किया जाता है।

अध्याय 23
ढेर लगाना (पाइलिंग)

214– साधारण उपबंध –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) सभी ढेर लगाने वाले उपस्कर एर्गोनोमिक सिद्धांतों का विचार करते हुए अच्छी डिजाइन और ठोस सन्निर्माण के है तथा उपयुक्त रूप से पोषित किए जाते है;

(ख) ढेर लगाने वाले उपस्कर के चालक के बैठने का स्थान किसी भारी काष्ठ की सिल, कंक्रीट–बैड या अन्य सुरक्षित आधार पर टिका होना चाहिए;

(ग) यदि ढेर लगाने के उपस्कर–चालक को किसी विद्युत संवाहक के समीप खतरनाक स्थिति तक की निकटता में परिनिर्मित किए जाने की अपेक्षा की जाती है तब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक पूर्व सावधानियॉ ली जाती है;

(घ) वाष्प– हौज और वायु–हथौड़े को परस्परा मजबूती से बांधा जाता है ताकि कनेक्शन या ब्रेक की स्थिति में उन्हें कशाघात से रोका जा सके।;

(ङ) ढरे लगाने वाले उपस्कर–चालक को उलटने से रोकने के लिए यथोचित पूर्व सावधानी ली जाती है;

(च) हथौड़ा को पाइल से चूकने से रोकने के लिए समस्त आवश्यक पूर्वावधानी ली जाती है;

(छ) ढेर चालन उपस्कर के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसको प्रयोग में लाने से पूर्व ऐसे उपस्कर का निरीक्षण किया जाता है और ऐसे उपस्कर द्वारा ढेर लगाने का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भवन कर्मकारों की सुरक्षा के लिए यथाअपेक्षित समुचित उपाय अपनाता है।

215– पार्श्वस्थ संरचना की स्थिरता –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ संरचना की स्थिरता का कोई प्रश्न है, उसके साथ लगे हुए क्षेत्र में ढेर लगाने के लिए निर्मित संरचना की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के और किसी व्यक्ति की क्षति रोकने के लिए अन्य साधनों का सहारा लिया जाता है।

216– आपरेटर की सुरक्षा –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ढेर चालन उपस्कर का आपरेटर गिरती हुई वस्तुओं, वाष्प, राख या पानी से बचने के लिए भली प्रकार आवरणयुक्त है अथवा अन्य साधनों से संरक्षित किया गया है।

217– ढेर–चालन उपस्कर पर कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों को अनुदेश तथा उनका पर्यवेक्षण –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ढेर–चालन उपस्कर पर कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मकार को ढेर प्रचालन में अनुसरण की जाने वाली सुरक्षित कार्य प्रणाली के विषय में अनुदेश दे दिये जाते हैं और ऐसे समस्त कार्य के दौरान किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उनको पर्यवेक्षित किया जाता है।

218– अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी ढेर–चालन क्षेत्र, जहॉ ढेर–चालन उपस्कर प्रयोग में हैं, अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए प्रभावी रूप से परिवेष्ठित किए जाते हैं।

219– ढेर–चालन उपस्कर का निरीक्षण और अनुरक्षण –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, ––

(क) ढेर–चालन उपस्कर, का प्रयोग तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसका निरीक्षण नहीं कर लिया गया है और प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं पाया गया है,

(ख) भवन निर्माण कर्मकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में चल रहे ढेर–चालन उपस्करों का निरीक्षण उपयुक्त अंतरालों पर ऐसे निरीक्षण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा किया जाता है;

(ग) सभी पंक्तिबद्ध ढेरों और गरारी खण्डों का निरीक्षण किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक पारी में ढेर प्रचालन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व किया जाता है।

220– ढेर–चालन उपस्कर का प्रचालन–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) केवल अनुभवी और प्रशिक्षित भवन निर्माण कर्मकार की ढेर–चालन उपस्कर प्रचालित करता है ताकि ऐसे प्रचालन से किसी संभाव्य खतरे से बचा जा सके;

(ख) ढेर–चालन संक्रियाएँ साधारणतः प्रचालित या स्वीकृत संकेतों से शासित होती हैं ताकि ऐसी संक्रियाओं में संभाव्य खतरे को रोका जा सके;

(ग) ढेर–चालन उपस्कर के प्रचालन में नियोजित या ऐसे ढेर–चालन उपस्कर प्रचालन के समीप कार्यरत प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार कानों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा आवरण, सुरक्षा –हेल्मेट या सख्त–टोप और सुरक्षा जूते पहनता है;

(घ) ढेर–चालन संक्रिया के स्थान से इतनी दूरी पर दूसरा ढेर लगाया जाये जो उस स्थान से कम से कम सबसे लम्बी पंक्ति के ढेर की दुगुनी लम्बाई के बराबर की दूरी पर स्थित हो;

(ङ) जब कोई ढेर उपस्कर चालक प्रयोग में नहीं है तब ऐसे ढेर चालक के हथौड़े को ढेर चालक के सिरों के पैंदे पर निरूद्ध कर दिया जाता है।

221– पाइलिंग चौखटों पर कार्यकरण मंच–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि–– जहाँ कोई संरचना–मीनार पाइल चालक के शीशे को सहारा देती है वहाँ ऐसे शीशों के समतलों पर यथोचित शक्ति के उपयुक्त कार्यकरण प्लेटफार्मों की व्यवस्था की जाती है, जो कि भवन निर्माण कर्मकारों के लिए काम करने के लिए आवश्यक है तथा ऐसे पाइल चालकों के हथौड़े या ऐसे प्लेटफार्म के शीशे के पार्श्वों को छोड़कर ऐसे प्लेटफार्म में सुरक्षा रेलिंग और ऐसे प्लेटफार्म की प्रत्येक पार्श्व पर दो बोर्ड लगाए जाते हैं। जहाँ ऐसे प्लेटफार्मों में ऐसी रेलिंग और दो बोर्डों की व्यवस्था नहीं की जा सकती, वहाँ प्रत्येक ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को एक सुरक्षा बेल्ट प्रदान की जाती है।

222– पाइल परीक्षण –– नियोजक भवन या अन्य सनिर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) पाइल का परीक्षण ऐसे परीक्षण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित किया जाता है;

(ख) जहाँ पाइल परीक्षण किया जाता है वहाँ सभी यथासाध्य उपाय, जैसे चेतावनी, सूचनाओं का सम्प्रदर्शन, क्षेत्र का अवरूद्ध करना और अन्य इसी प्रकार के उपाय क्षेत्र की संरक्षा के लिए किये जाते हैं;

(ग) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाइल परीक्षण क्षेत्र में साधारण जनता का प्रवेश प्रतिषिद्ध किया जाता है।

अध्याय 24
चिकित्सा सुविधाएँ

223– भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय परीक्षा आदि–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) (प) ऐसा कोई भवन निर्माण कर्मकार, जो ऐसे कार्य जिसमें जोखिम या परिसंकट अंतनिर्हित है, के लिए नियोजित किया जाता है, ऐसे कर्मकार के कालिक स्वास्थ्य परीक्षा के लिए जैसा मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल समुचित समझता है, उसकी चिकित्सीय जाँच ऐसे अंतरालों पर कर ली जाती है, जैसा मुख्य निरीक्षक समय–समय पर निदेश देता है;

(पप) क्रेन, विचं या अन्य उत्थापक यातायात उपस्कर यान के प्रत्येक ऑपरेटर की ऐसे आपरेटर के नियोजन से पूर्व और पुनः कालिकतः ऐसे अंतरालों पर, जैसा मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल समय–समय पर निर्देश दे, चिकित्सीय जाँच कर ली जाती है;

(पपप) उपखण्ड (प) और उपखण्ड (पप) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा इन नियमों से संलग्न अनुसूची–7 के अनुसार है और ऐसे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा या ऐसे अस्पतालों पर संचालित होगी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय–समय पर अनुमोदित किये जाते हैं;

(पअ) ऐसे किसी भवन निर्माण कर्मकार के मामले में जो उसके कार्य की प्रकृति के कारण कार्य के दौरान विशेष प्रकार के व्यावसायिक परिसंकटों का सामना करता है, का कालिक स्वास्थ्य परीक्षण उपखण्ड (प) या उपखण्ड (पप) में निर्दिष्ट रीति से किया जायेगा जिसमें ऐसा विशेष अन्वेषण भी सम्मिलित है जो उस कर्मकार की व्यवसायजन्य रोग के निदान के लिए सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाये।

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (प) या उपखण्ड (पप) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा के लिए कोई भवन निर्माण कर्मकार भारित नहीं किया जाता है और ऐसी जांच का खर्च भवन निर्माण कर्मकार को नियाजित करने वाले नियोजक द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) खण्ड (क) के उपखण्ड (प) या उपखण्ड (पप) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा का प्रमाण–पत्र इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप –ग्ग में जारी किया जाता है।

(घ) नियोजित किए गये प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार का खण्ड (क) के उपखण्ड (प) या उपखण्ड (पप) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा का अभिलेख इन नियमों से संलग्न प्ररूप –ग्ग्ग में निर्धारित रजिस्टर में रखा जाता है तथा ऐसा रजिस्टर मांग किए जाने पर अधिकारिता वाले निरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ङ) यदि खण्ड (क) के उपखण्ड (प) या उपखण्ड–(पप) के अधीन किसी भवन निर्माण कर्मकार की जाँच कर रहे सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी की राय में उस सन्निर्माण कर्मकार की स्वास्थ्य रक्षा हेतु उसको उस कार्य से पृथक किया

जाना आवश्यक है जहाँ वह कार्यरत है, तब वह चिकित्सा अधिकारी तद्नुसार ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के नियोजक को तद्नुसार सूचित करेगा और वह नियोजक भी, इस राय की सूचना बोर्ड को देगा जहाँ कर्मकार फायदाग्राही के रूप में रजिस्टर्ड है।

224– सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारियों के कर्त्तव्य –– (1) नियम 223 के खण्ड (क) के उपखण्ड (प) या उपखण्ड (पप) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) ऐसे सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी के कर्त्तव्य और जिम्मेदारी नीचे दी गई अनुसार होगी, अर्थात्––

(क) भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय परीक्षाः

(ख) प्राथमिक उपचार देखरेख जिसमें आपात् चिकित्सीय उपचार भी सम्मिलित है;

(ग) इन नियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों को व्यावसायिक बीमारियों की सूचना देना;

(घ) प्रतिरक्षण सेवाएँ;

(ङ) चिकित्सीय–अभिलेख अनुरक्षण और रख–रखाव;

(च) स्वास्थ्य शिक्षा जिसमें परिवार–कल्याण पर परामर्शी सेवाएं, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता और सुरक्षा आदि भी है;

(छ) संदर्भित किए गए मामलों में परामर्श।

225– व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य जिसमें इन नियमों से संलग्न अनुसूची– 9 के प्रधीन विनिर्दिष्ट परिसंकटमय संक्रियाएं सम्मिलित हैं, के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) ऐसे स्थल पर चल या स्थिर व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंध कर दिया जाता है और सुवयवस्था में रखा जाता है;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इन नियमों से संलग्न अनुसूची– 10 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है;

(ग) व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी इन नियमों से संलग्न अनुसूची–11 में तथा अधिकथित अर्हता रखता है।

226– एम्बुलेंस कक्ष –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) यदि ऐसे सन्निर्माण स्थल पर जहाँ पांच सौ या उससे कम कर्मकार नियोजित किए जाते हैं वहाँ ऐसे सन्निर्माण स्थल पर एक एम्बुलेंस कमरा है या किसी निकट के अस्पताल में एम्बुलेंस कक्ष उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है और ऐसा एम्बुलेंस कक्ष किसी अर्हता प्राप्त नर्स के भारसाधन में है तथा ऐसे एम्बुलेंस कक्ष की सेवायें सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकार को जब वह काम पर है, प्रत्येक समय उपलब्ध रहती है;

(ख) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर जहाँ पांच सौ से अधिक भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं वहाँ एम्बुलेंस कक्ष प्रभावी संचार प्रणाली से युक्त है और ऐसा एम्बुलेंस कक्ष किसी अर्हता प्राप्त नर्स के भारसाधन में हैं और एम्बुलेंस कक्ष की सेवा सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों को, जब वह काम पर हैं, प्रत्येक समय पर उपलब्ध रहती है तथा एम्बुलेंस कक्ष किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी के संपूर्ण प्रभार में रहता हैं;

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट एम्बुलेंस कक्ष इन नियमों से संलग्न अनुसूची– 4 में विनिर्दिष्ट सामान से सज्जित है।

(घ) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट एम्बुलेंस कक्ष पर उपचारित दुर्घटनाओं और बीमारियों के सभी मामलों का अभिलेख रखा जाता है और मांग किए जाने पर अधिकारिता वाले निरीक्षण को प्रस्तुत किया जाता है।

227– एम्बुलेंस गाड़ी –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सन्निर्माण स्थल पर एक एम्बुलेंस गाड़ी उपलब्ध कराई गई है अथवा निकटस्थ किसी अस्पताल में दुर्घटना के गम्भीर मामलों या बीमारी की हालत में मरीजों को तुरन्त अस्पताल पहुँचाने के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और ऐसी एम्बुलेंस गाड़ी ठीक हालत में रखी जाती है तथा इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची पांच में विनिर्दिष्ट मानक सुविधाओं से सज्जित है।

228– स्ट्रेचर –– प्रत्येक नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सन्निर्माण स्थल पर पर्याप्त संख्या में आसानी से उपलब्ध स्ट्रेचरों का प्रबंध आपातकालीन स्थितियों के लिए किया जाता है।

229– भवन निर्माण कर्मकारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ सेवाएं ––

(1) नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर, जहाँ पांच सौ से अधिक भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं, पर सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर सभी समयों पर विशेष चिकित्सीय सेवा या व्यावसायिक सेवा उपलब्ध है और ऐसी सेवा,––

(प) प्राथमिक उपचार और आपातकालीन उपचार का प्रबंध करेगी:

(पप) व्यवसायजन्य परिसंकटों से बचने के लिए विशेष चिकित्सकीय जांच की व्यवस्था भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने से पूर्व और तत्पश्चात् ऐसे अन्तरालों पर जैसा मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल द्वारा समय– समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, परीक्षण करने की व्यवस्था की जाती है।

(पपप) ऐसी चिकित्सीय सेवा के प्राथमिक उपचार कार्मिकों के प्रशिक्षण का संचालन करेगी;

(पअ) भवन निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य को परिसंकटों से बचाने के लिए नियोजक को कार्य की दशाओं और अपेक्षित सुधार हेतु सलाह देगी;

(अ) भवन निर्माण कर्मकारों की स्वास्थ्य शिक्षा जिसमें परिवार कल्याण भी सम्मिलित है, प्रोन्नत करेगी;

(अप) भवन निर्माण कर्मकारों के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाले संदिग्ध रासायनिक, भौतिक या जैव कारकों का पता चलाने, मापन और मूल्यांकन करने में अधिकारिता वाले निरीक्षक का सहयोग करेगी;

(अपप) टिटनेस, मोतीझरा, हैजा के और अन्य संक्रामक बीमारियों के विरूद्ध ऐसे सभी कर्मकारों के लिए प्रशिक्षण का जिम्मा लेगी।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विशेष चिकित्सीय सेवा, उस भवन निर्माण कर्मकारों के उपचार, नौकरी नियोजन, दुर्घटना निवारण और कल्याण के मामलों में उत्तरांचल सरकार के श्रम–विभाग या किसी अन्य सम्बद्ध विभाग या सेवा के साथ सहयोग करती है।

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विशेष–चिकित्सीय सेवा की अध्यक्षता किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है और उसमें यथोचित कर्मचारीवृंद, प्रयोगशाला और अन्य उपस्करों की व्यवस्था की जाती है।

(घ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विशेष–चिकित्सीय सेवा के परिसर सुविधानुसार सुगम है जिनमें कम से कम एक प्रतीक्षालय कक्ष, एक परामर्श कक्ष, एक उपचार कक्ष, एक प्रयोगशाला और ऐसी सेवा की नर्सों और अन्य कर्मचारीवृंद के लिए उपयुक्त सुविधा होती है।

(ङ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विशेष चिकित्सीय सेवा खण्ड (क) के उपखण्ड (प) से (अपप) में निर्दिष्ट इसके कार्यकलापों के संबंध में अभिलेख रखती है तथा प्रत्येक तीन मास में एक बार निम्नलिखित पर लिखित रूप में जानकारी मुख्य निरीक्षक को भेजती है,––

(प) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य की दशा; और

(पप) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों में से किसी को भी होने वाली व्यवसायजन्य क्षति या बीमारी की प्रकृति और कारण ऐसे कर्मकार को उपलब्ध कराया गया उपचार और ऐसी क्षति या बीमारी के आवर्तन निवारण के लिए किये गये उपाय।

230– विषाक्तता या उपजीविका जन्य रोग की सूचना –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) जब कोई भवन निर्माण कर्मकार इन नियमों से संलग्न–अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किसी रोग के सम्पर्क में आता है तो इन नियमों से संलग्न प्ररूप–ग्ग्ग् में एक सूचना अधिकारिता वाले निरीक्षक और उस बोर्ड को अविलम्ब भेज दी जाती है, जिसके साथ ऐसा भवन निर्माण कर्मकार एक फायदाग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकृत है।

(ख) यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी या सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी खण्ड (क) में निर्विष्ट किसी रोग से पीड़ित किसी भवन निर्माण कर्मकार का उपचार करता है तो ऐसा चिकित्सा व्यवसायी या सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नाम और पूर्ण विशिष्टियों और उसके द्वारा भोगी जा रही रोग की बाबत जानकारी अविलम्ब मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तरांचल को भेजेगा।

231– प्राथमिक उपचार पेटियॉ –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा, कि––

(क) भवन निर्माण कर्मकारों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराये जाने के लिए प्राथमिक उपचार पेटियों या आलमारियों की पर्याप्त संख्या में प्रबंध किया जाता है तथा बनाये रखा जाता है;

(ख) प्रत्येक प्राथमिक उपचार–पेटी या आल्मारी पर स्पष्टतः '' प्राथमिक उपचार '' अंकित कर चिन्हित की जाती है और इन नियमों से संलग्न–अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से सुसज्जित रहती है;

(ग) प्राथमिक उपचार पेटी या आल्मारी में प्राथमिक उपचार के लिए अपेक्षित वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखा जाता है और इस पेटि या आलमारी को इस प्रकार रखा जाता है कि इसको धूल अथवा अन्य बाह्य पदार्थ के संदूषण से या आद्रता के भेदन से संरक्षा की जा सके तथा ऐसी पेटी या आल्मारी प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित किसी ऐसे व्यक्ति के भारसाधन में रखी जाती है जो कार्यकरण के घंटों के दौरान सदैव आसानी से उपलब्ध रहता है।

232– आपातकालीन देखभाल सेवाएं या आपातकालीन उपचार –– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,––

(क) निम्नलिखित का नियंत्रण करने के लिए अनिवार्य जीवन–रक्षक सहायक और अपेक्षित साधन उपलब्ध करा दिये जाते हैं और किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रखे जाते हैं;––

(प) सिर की क्षति एवं मेरूदंड की क्षति;

(पप) रक्त स्त्राव;

(पपप) अस्थियों और जोड़ो का भंग और विसंधान;

(पअ) कुचलकर क्षति;

(अ) आघात जिसमें विद्युत आघात भी सम्मिलित है;

(अप) किसी भी कारण से शरीर में पानी की कमी होना;

(अपप) सर्पदंश, कीटदंश, बिच्छू दंश और मधुमक्खी दंश;

(अपपप) जलने जिसमें रासायनिक जलन भी सम्मिलित हैं;

(पग) शरीर का झुकना या गोताखोर लकवा;

(ग) अन्य शल्य चिकित्सा, स्त्री रोग, प्रसूती रोग या बाल रोग से संबंधित आपदायें;

(गप) डूबना;

(गपप) भवन निर्माण कर्मकारों को लू लगना और पाला मारना;

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (प) से (गपप) में निर्दिष्ट किसी भी आपतकालिक प्रास्थिति के लिए आवश्यक जीवन–रक्षक साधन किसी घायल या किसी बीमार भवन निर्माण कर्मकार को भवन निर्माण स्थल से अस्पताल तक उसके परिवहन के दौरान और अस्पताल में किसी डाक्टर द्वारा ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की देखभाल किए जाने तक उपलब्ध करा दिए जाते हैं;

(ग) समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे भवन निर्माण स्थल पर विशेष स्थानीय दशाओं और सन्निर्माण कर्मकार प्रक्रियाओं से उदभूत भवन

निर्माण कर्मकारों की आपातकालीन देखभाल या उपचार के लिए अपेक्षित कोई अन्य उपस्कर या सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जाती हैं।

अध्याय 25
भारतीय मानक ब्यूरो को सूचना

233– भारतीय मानक ब्यूरो को सूचना देना – नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ,––

(क) भवन या अन्य सन्निर्माण परियोजना के निष्पादन से सम्बद्ध प्रत्येक वास्तुविद और अन्य वृतिक जैसे संरचना इंजीनियर या परियोजना इंजीनियर भवन निर्माण सामग्री, वस्तुओं या ऐसे भवन में उपयोग की गई प्रक्रिया के सम्पादन और विचलन या कमी, यदि कोई हो, तथा अन्य सन्निर्माण परियोजना जिसके लिए भारतीय मानक पहले से ही उपलब्ध हैं, के विषय में ब्यौरे भारतीय मानक ब्यूरो को देता है;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट वास्तुविद् और अन्य वृतिक भवन निर्माण सामग्री वस्तुओं या ऐसे भवन में उपयोग की गई प्रक्रियाओं तथा अन्य ऐसे निर्माण कार्य–कलाप जिसके लिए भारतीय मानक ब्यूरों के साथ भारतीय मानक विद्यमान नहीं है और ऐसी सामग्री वस्तुओं या प्रक्रियाओं के सम्पादन के ब्यौरे भारतीय मानक ब्यूरो के विचार करने और आवश्यक मानक स्थापित करने में उसे समर्थ बनाने के लिए उनके सुधार के लिए सुझावों के साथ भारतीय मानक ब्यूरो को जानकारी देता है।

भाग –4
काम के घण्टे, सुख–सुविधाएँ, मजदूरी का संदाय, रजिस्टर और अभिलेख आदि

अध्याय 26
काम के घण्टे, विश्राम के अंतराल और साप्ताहिक छुटटी आदि

234– काम के घण्टे, विश्राम के अंतराल और विस्तृति आदि––

(1) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भी भवन निर्माण कर्मकार से एक दिन में 9 घण्टे या एक सप्ताह में अड़तालिस घण्टे से अधिक के लिए कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भी भवन निर्माण कर्मकार से, जब तक वह आधा घण्टा से अन्यून का विश्राम का अन्तराल नहीं ले लेता है, पांच घण्टों से अधिक के लिए लगातार कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(3) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित भवन निर्माण कर्मकार का कार्यदिवस इस प्रकार क्रमांकित किया जायेगा कि विश्राम–अन्तराल यदि कोई हो, को मिलाकर किसी भी दिन में बारह–घण्टों से अधिक की विस्तृति नहीं होगी।

(4) जब कोई भवन निर्माण कर्मकार किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किसी दिन को 9 घण्टे से अधिक के लिए या किसी सप्ताह में अड़तालिस घण्टे से अधिक के लिए कार्य करता है तो वह अतिकालिक कार्य की बाबत मजदूरी की सामान्य दर से दुगुनी मजदूरी के लिए हकदार होगा।

235– साप्ताहिक विश्राम, विश्राम के दिन पर किये गये कार्य के लिए अतिकालिक दर पर संदाय––

(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को प्रत्येक सप्ताह विश्राम का एक दिन (जिसे इसमें एतद्पश्चात् विश्राम–दिवस कहा गया है) अनुज्ञात होगा जो सामान्य रूप से रविवार होगा, किन्तु नियोजक सप्ताह का कोई अन्य दिन विश्राम–दिवस के रूप में नियत कर सकता है;

परन्तु यह कि विश्राम के रूप में नियत किये गये दिन की और ऐसे विश्राम–दिवस में पश्चात्वर्ती किसी परिवर्तन की जानकारी, ऐसा परिवर्तन करने से पूर्व, इस निमित अधिकारिता वाले निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर नियोजन के स्थान में सूचना के सम्प्रदर्शन द्वारा भवन निर्माण कर्मकार को दी जायेगी।

(2) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भी कर्मकार किसी विश्राम–दिवस पर कार्य करने के लिए तब तक अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा ऐसे विश्राम–दिवस से ठीक पहले या बाद में पांच दिन में से एक सम्पूर्ण दिन के लिए प्रतिस्थापित विश्राम पहले से नहीं ले लिया गया था या ले लिया जायेगा;

परन्तु ऐसा कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा, जो किसी भवन निर्माण कर्मकार का एक सम्पूर्ण दिन के लिए किसी विश्राम–दिवस के बिना लगातार दस दिन से अधिक के लिए कार्य करने का कारण होता है।

(3) जहाँ भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भवन निर्माण कर्मकार ने किसी विश्राम–दिवस पर कार्य किया है और इसे उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में यथाउपबन्धित उस विश्राम–दिवस से पूर्व या बाद के पांच दिन में से कोई एक प्रतिस्थापित विश्राम–दिवस दे दिया गया है। ऐसा विश्राम–दिवस, कार्य के साप्ताहिक घण्टों की गिनती करने के प्रयोजन के लिए उस सप्ताह में, जिसमें ऐसा प्रतिस्थापित विश्राम–दिवस आता है, सम्मिलित किया जायेगा।

(4) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित भवन निर्माण कर्मकार को ऐसे विश्राम–दिवस के पूर्ववर्ती दिन को लागू दर पर संगणित किसी विश्राम–दिवस के लिए मजदूरी दी जायेगी और यदि उसने किसी विश्राम–दिवस पर कार्य किया है और उसको कोई प्रतिस्थापित विश्राम–दिवस दे दिया गया है, तब ऐसे विश्राम–दिवस के लिए, जिस पर उसने काम किया था, उसे अतिकालिक दर पर मजदूरी और ऐसे प्रतिस्थापित विश्राम–दिवस के पूर्ववर्ती दिन को लागू दर पर ऐसे प्रतिस्थापित विश्राम–दिवस के लिए मजदूरी का संदाय किया जायेगा।

स्पष्टीकरण –– (1) इस नियम के प्रयोजन के लिए '' पूर्ववर्ती दिन '' से अभिप्रेत है यथास्थिति किसी विश्राम–दिवस का पूर्ववर्ती वह अंतिम दिन या कोई प्रतिस्थापित विश्राम का दिन जिसमें किसी भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया था और जहाँ ऐसा प्रतिस्थापित विश्राम–दिवस ऐसे विश्राम–दिवस के ठीक बाद में पड़ता है तब ऐसे ''पूर्ववर्ती दिन'' का अभिप्रायः ऐसे विश्राम–दिवस के पूर्ववर्ती अंतिम दिन से है, जिसमें भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया था।

स्पष्टीकरण –– (2) इस नियम के प्रयोजन के लिए '' सप्ताह '' का अभिप्राय शनिवार की मध्यरात्रि से आरम्भ होने वाले सात दिन की कालावधि से है।

236– रात्रि की पारियाँ –– जहाँ भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भवन निर्माण कर्मकार किसी ऐसी पारी पर कार्य करता है जिसका मध्यरात्रि के पश्चात् विस्तार होता है, वहां ––

(क) नियम 235 के प्रयोजनों के लिए विश्राम–दिवस उस समय से जब ऐसे पारी समाप्त होती है, आरम्भ होने वाले लगातार 24 घण्टे की कालवधि को अभिप्रेत करेगा;

(ख) मध्यरात्रि के पश्चात् ऐसे घण्टे जिनके दौरान किसी भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया है पूर्ववर्ती दिन के लिए गिने जायेगें:– और

(ग) अगला दिन जब ऐसी पारी समाप्त होती है, उस समय से आरम्भ होने वाले 24 घण्टे की अवधि समझी जायेगी।

237– भवन निर्माण कर्मकारों के कतिपय वर्गों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना–– (1) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) तक के अधीन विनिर्दिष्ट भवन निर्माण कर्मकारों के वर्गो को इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित के अध्याधीन लागू होगें, अर्थात्––

(क) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भी भवन निर्माण कर्मकार विश्राम–अंतराल को मिलाकर एक दिन में पन्द्रह घंटे या एक सप्ताह में साठ घंटे से अधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा;

परन्तु यह कि नियम 234 के उपनियम (2) में अधिकाथित अनुसार लगातार कार्य के प्रत्येक पांच घंटे के पश्चात् आधा घंटा से अन्यून के विश्राम–अंतराल दिए जाते हैं;

(ख) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भी भवन निर्माण कर्मकार चौदह दिन से अधिक दिन लगातार कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा जब तक ऐसे कर्मकार को विश्राम के लिए चौबीस घंटे का विश्राम नहीं दिया जाता है।

(2) जहाँ भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भवन निर्माण कर्मकार की बाबत कार्यकरण–घंटे नियम 234 के उपनियम (1) के लागू होने के कारण किसी विश्राम–दिवस से वंचित कर दिया गया है, ऐसे कर्मकार को दैनिक या साप्ताहिक घंटो के अतिरिक्त किए गये कार्य और विश्राम–दिवस

पर किये गये कार्य की बाबत सामान्य मजदूरी की दर से दुगुनी दर पर संदाय किया जाएगा।

अध्याय 27
सूचनाएं, रजिस्टर, अभिलेख और आंकड़ों का संग्रहण

238– मजदूरी कालावधि आदि की सूचना––

(1) प्रत्येक नियोजक उसके नियंत्रणधीन स्थापन के कार्यस्थल में सहज–दृश्य स्थान पर ऐसे स्थापन में कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की मजदूरी की दरें, उनकी मजदूरी कालावधि, मजदूरियों के संदाय की तारीख, ऐसे स्थापन की अधिकारिता वाले निरीक्षकों के नाम और पते, ऐसे कर्मकारों की असंदत्त मजदूरी के संदाय की तारीख दर्शित करने वाली सूचना अंग्रेजी, हिन्दी में और भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में संप्रदर्शित करवाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की एक प्रति अधिकारिता वाले निरीक्षक को भेजी जाएगी और जब भी ऐसी सूचना में अंतर्विष्ट तथ्यों की बाबत् कोई परिवर्तन होता है, तब ऐसे परिवर्तन की सूचना निरीक्षक को नियोजक द्वारा भेज दी जायेगी।

239– कार्य प्रारंभ और समापन की सूचना ––

(1) प्रत्येक नियोजक उसके नियंत्रणाधीन किसी भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारंभ होने से कम से कम तीस दिन पहले ऐसे प्रारंभ होने की वास्तविक तिथि, कार्य समापन की प्रसंभाव्य तिथि और ऐसे भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य की बाबत् अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट अन्य विशिष्टियों को संसूचित करते हुए, इन नियमों से संलग्न **प्ररूप**–प्ट में एक लिखित सूचना अधिकारिता वाले निरीक्षक को भेजेगा या भिजवाएगा।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन भेजी गई विशिष्टयों में से किसी में भी कोई परिवर्तन होता है, नियोजक ऐसे परिवर्तन की सूचना दो दिन के भीतर अधिकारिता वाले निरीक्षक को देगा।

(3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य की ऐसे वर्गों के कार्यों पर लागू नहीं होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आपातिक कार्य होना विनिर्दिष्ट करती है।

240– भवन निर्माण कर्मकारों के रूप में नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर –– प्रत्येक नियोजक ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन रखेगा, जहाँ वह भवन निर्माण कर्मकार नियोजित करता है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप–ग्ट में रजिस्टर रखेगा।

241– मस्टर रोल, मजदूरी रजिस्टर, कटौती रजिस्टर, अतिकालिक रजिस्टर और वेतन पुस्तिकायें और सेवा प्रमाण–पत्रों का जारी किया जाना ––

(1) प्रत्येक नियोजक प्रत्येक ऐसे कार्य की बाबत जिस पर वह भवन निर्माण कर्मकारों को लगाता है निम्नलिखित अभिलेख सम्पोषित करेगा––

(क) इन नियमों से संलग्न प्ररूप–ग्टप और प्ररूप–ग्टप्प में क्रमशः एक मस्टर रोल और एक रजिस्टरः

परन्तु यह कि इन नियमों से संलग्न प्ररूप–ग्टप्प्प में मजदूरी एवं मस्टर रोल का एक सम्मिलित रजिस्टर, जहाँ ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के लिए मजदूरी कालावधि एक पक्ष या इससे कम है, नियोजक द्वारा सम्पोषित किया जाएगा;

(ख) इन नियमों में संलग्न प्ररूप–ग्घ, प्ररूप–ग्ग और प्ररूप–ग्ग्प में क्रमशः क्षति या हानि रजिस्टर, जुर्मानों का रजिस्टर और अग्रिमों का रजिस्टर;

(ग) अतिकालिक कार्य, यदि कोई हो, के घंटों की संख्या और उसके लिए संदत्त मजदूरी का उसमें अभिलेख करने के लिए इन नियमों से संलग्न प्ररूप–ग्ग्प्प में अतिकाल का एक रजिस्टर।

(2) प्रत्येक नियोजक ऐसे प्रत्येक कार्य की बाबत जिस पर वह भवन निर्माण कर्मकार को लगाता है,––

(क) जहाँ मजदूरी कालावधि एक सप्ताह या इससे अधिक है ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को इन नियमों से संलग्न प्ररूप–ग्ग्प्प में ऐसे प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को मजदूरी–पुस्तिका जारी करेगा, जिसमें उनको मजदूरी के संवितरण से कम से कम एक दिन पूर्व प्रविष्टियाँ की जाएगी;

(ख) कार्य समापन के कारण अथवा किसी अन्य कारण से उसकी सेवा की समाप्ति पर सभी भवन निर्माण कर्मकारों को इन नियमों से संलग्न प्ररूप–ग्ग्ट में सेवा प्रमाण–पत्र जारी करेगा;

(ग) यथास्थिति, मजदूरियों के रजिस्टर या मस्टर रोल एवं मजदूरियों के रजिस्टर पर प्रत्येक भवन कर्मकार से संबंधित प्रविष्टियों के सामने उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेगा और ऐसी प्रविष्टियॉ नियोजक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी।

(3) ऐसे किसी स्थापन की बाबत् जिस पर मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, (1936 का 4), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) लागू होते हैं, तब ऐसे अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी नियोजक द्वारा सम्पोषित किये जाने वाले निम्नलिखित अनिवार्य रजिस्टरों और अभिलेखों को इन नियमों के अधीन नियोजक द्वारा सम्पोषित रजिस्टर और अभिलेख समझाा जयेगा, अर्थात्––

(क) मस्टर रोल;

(ख) मजदूरियों का रजिस्टर;

(ग) कटौतियों का रजिस्टर;

(घ) अतिकाल का रजिस्टर;

(ङ) जुर्मानों का रजिस्टर;
(च) अग्रिमों का रजिस्टर;
(छ) मजदूरी एवं मस्टर रोल सम्मिलित रजिस्टर।

(4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्ररूप के बदले में कोई सम्मिलित या विकल्पी प्ररूप का, किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिये या प्रशासनिक सुविधा के लिये, कार्य के दोबारा करने से बचने के लिये, किसी नियोजक द्वारा उपयोग किया जाना चाहा जाता है, वहाँ ऐसे सम्मिलित या विकल्पी प्ररूप को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही उपयोग किया जा सकेगा।

(5) प्रत्येक नियोजक ऐसे कार्यस्थल के सहजदृश्य स्थान पर, जहाँ वह भवन निर्माण कर्मकारों को लगाता है, अधिनियम और इन नियमों के संक्षिप्त सार को अंग्रेजी में और हिन्दी में तथा ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली किसी भाषा में संप्रदर्शित करेगा।

(6) प्रत्येक नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम या इन नियमों के अधीन रखे जाने वाले अपेक्षित रजिस्टरों या अन्य अभिलेखों को पूर्ण और अद्यतन रखा जाता है अन्यथा उपबंधित शर्तों के सिवाय सम्बंधित कार्यस्थल की प्रसीमाओं के भीतर किसी कार्यालय या निकटतम सुविधाजनक भवन में रखा जाता है।

(7) किसी स्थापन से संबंधित रजिस्टर और अन्य अभिलेखों को जिनका अधिनियम और इन नियमों के अधीन रखा जाना अपेक्षित है, सुपाठ्य अंग्रेजी में और हिन्दी में या ऐसे स्थापन में नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सम्पोषित किया जाएगा।

(8) उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक रजिस्टर या अन्य अभिलेख को उस नियोजक द्वारा, जिससे ऐसा रजिस्टर या अन्य अभिलेख संबंध रखता है, उसमें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से तीन कैलेण्डर–वर्ष की अवधि के लिए मूल रूप से बनाए रखा जाएगा।

(9) अधिनियम या इन नियमों के अधीन बनाये गए प्रत्येक रजिस्टर, अभिलेख या सूचना को मांग किये जाने पर निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या संबंधित नियोजक द्वारा प्रस्तुत करवाया जाएगा।

(10) जहां किसी मजदूरी कालावधि के दौरान किसी भवन निर्माण कर्मकार की मजदूरी से कोई कटौती नहीं की गई है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार द्वारा कोई अतिकालिक कार्य नहीं किया गया है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को अतिकालिक कार्य के लिए कोई संदाय नहीं किया गया है वहाँ यथास्थिति प्ररूप 19,20,21 या 22 में रखे गए सुसंगत रजिस्टर में समुचित स्थान पर ऐसी मजदूरी कालावधि के सामने ''शून्य'' अंकित कर प्रविष्टि की जाएगी।

242– विवरणियाँ —— किसी रजिस्ट्रीकृत स्थापन का प्रत्येक नियोजक इन नियमों से संलग्न प्ररूप– 25 में दो प्रतियों में ऐसे स्थापन के बाबत् एक विवरणी की एक प्रति, प्राधिकारिता वाले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रत्येक कैलेण्डर–वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद पन्द्रह फरवरी तक प्रेषित करेगा जिसकी एक प्रति अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को भी भेजी जायेगी।

अध्याय 28
भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु सुविधाएँ

243– शौचालय और मूत्रालय की सुविधा —— यथास्थिति शौचालय या मूत्रालय अधिनियम की धारा 33 के अधीन उपबंधित की अपेक्षानुसार नीचे या विनिर्दिष्ट नमूने के होगे, अर्थात्––

(क) प्रत्येक– शौचालय ढका हुआ होगा और इस प्रकार विभाजित होगा ताकि एकांतता सुनिश्चित की जा सके तथा उसमें यथोचित दरवाजा और कुंडियॉ लगी होंगी;

(ख) (प) जहाँ पुरूष और महिला दोनों भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किये जाते हैं वहाँ शौचालयों या मूत्रालयों के प्रत्येक खण्ड के बाहर की तरफ एक सूचना संप्रदर्शित की जाएगी उसमें यथास्थिति '' केवल पुरूषों के लिए '' या '' केवल महिलाओं के लिए '' संकेत, ऐसे कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाएगा;

(पप) ऐसे सूचनापट पर यथास्थिति पुरूष की या महिला की आकृति भी बनी होगी;

(ग) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय सुविधाजनक रूप में स्थित होगा और सभी समय पर भवन निर्माण कर्मकारों की पहुँच में होगा;

(घ) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय यथोचित रूप से प्रकाशित होगा और सभी समयों पर स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा जायेगा;

(ङ) स्वक्षालन मल–जल प्रणाली से जुड़े हुए शौचालय या मूत्रालयों से भिन्न अन्य प्रकार निर्मित प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्मित होंगे।

(च) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय में जल प्रदाय की सुविधा, पानी के नल या किसी अन्य साधन द्वारा सुविधाजनक रूप से निकटस्थ की जायेगी;

(छ) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय की दीवारें, भीतरी छतें और विभाजनों पर प्रत्येक चार माह में एक बार सफेदी या रंग किया जाएगा।

244– जलपानगृह ——

(1) ऐसे प्रत्येक स्थान में जहां दो सौ पचास से अन्यून भवन निर्माण कर्मकार साधारणतः नियोजित किए जाते हैं वहां ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के उपयोग के लिए नियोजक द्वारा इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट रीति में यथोचित जलपानगृह का प्रबंध किया जायेगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट जलपानगृह में उसका उपयोग करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की सुविधा के लिए पर्याप्त फर्नीचर युक्त एक डाइनिंग–हाल, एक

रसोईघर, भण्डार–कक्ष, रसोई–भण्डार और भवन निर्माण कर्मकारों के हाथ–मुहँ धोने तथा बर्तनों की धुलाई के लिए पृथक स्थान होंगे।

(3) (प) उपनियम (1) में निर्दिष्ट जलपानगृह हर समय पर्याप्त रूप से प्रकाशित होगा ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा उसमें सहज रूप से प्रवेश किया जा सके।

(पप) जलपानगृह की फर्श चिकनी और अभेद्य सामग्री की बनी होगी तथा जलपानगृह की भीतरी दीवारों पर कम से कम प्रत्येक छह माह में एक बार सफेदी या रंग किया जाएगा;

परन्तु जलपानगृह के रसोईघर की ऐसी भीतरी दीवारों पर प्रत्येक तीन मास में एक बार सफेदी की जाएगी।

(4) (प) उपनियम (प) में विनिर्दिष्ट जलपानगृह का परिसर साफ और स्वच्छ हालत में रखा जाएगा;

(पप) जलपानगृह से अपशिष्ट पानी, उपयुक्त ढकी हुई नालियों के द्वारा बाहर किया जायेगा और जलपानगृह के आस–पास इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा;

(पपप) जलपानगृह से कूड़ा–कचरा (जूठन) के संग्रहण और व्ययन के लिये उपयुक्त प्रबंध किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट जलपानगृह का भवन किसी शौचालय या मूत्रालय या धूल, धुआँ या हानिकारक धूम के किसी स्रोत से कम से कम पन्द्रह दशमलव दो मीटर की दूरी पर स्थित होगा।

245– जलपानगृह में परोसा जाने वाले खाद्य पदार्थ –– नियम 244 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट जलपानगृह में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य चीजें भवन निर्माण कर्मकारों की सामान्य आहार–पथ्य आदतों के अनुरूप होंगी।

246– कार्य स्थलों पर चाय–नाश्ता परोसा जाना –– ऐसे किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्यस्थल पर, जहॉ कोई कार्य स्थल नियम 244 के उपनियम (1) के अधीन उपबंधित शून्य दशमलव दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, भवन निर्माण कर्मकारों को चाय और हल्का नाश्ता परोसने के लिये उस स्थान पर भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने वाले नियोजक द्वारा प्रबंध किया जायेगा।

247– खाद्य पदार्थ के लिए प्रभार –– (1) नियम 244 के उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट जलपानगृह में परोसी जाने वाले खाद्य–पदार्थ एवं पेय–पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं के लिए प्रभार ''हानि– लाभ शून्य स्थिति'' पर आधारित होंगे तथा ऐसी वस्तुओं की मूल्य–सूची जलपानगृह में सहजदृश्य स्थान पर संप्रदर्शित की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करते समय निम्नलिखित व्यय को विचार में नहीं लिया जाएगा; अर्थात् ––

(क) जलपानगृह की भूमि और भवन के लिए किराया;

(ख) भवन और जलपानगृह में उपलब्ध कराये गये उपस्कर के लिए अवरक्षण और अनुरक्षण प्रभार;

(ग) उपकरण जिनमें फर्नीचर, क्राकरी, छुरी–कांटा, बर्तन भी शामिल हैं के क्रय–मूल्य, मरम्मत और बदली पर खर्च धनराशि तथा जलपानगृह के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई वर्दी पर व्यय;

(घ) जल–प्रभार और जलपानगृह की रोशनी और संवातन के लिये उपगत अन्य प्रभार; और

(ङ) जलपानगृह के लिये फर्नीचर एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाने और उनके अनुरक्षण पर व्यय की गई धनराशि पर ब्याज की धनराशि।

अध्याय 29
मजदूरी

248– मजदूरी का संदाय –– भवन या सन्निर्माण कार्य करने के लिये सन्निर्माण स्थल पर नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि––

(क) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर, जहाँ भवन निर्माण कर्मकार एक हजार से कम नियोजित किये जाते हैं, वहाँ नियोजित किये गये प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार की मजदूरी, उस समयावधि जिसके बाबत मजदूरी संदेय है, के सातवें दिन की समाप्ती से पूर्व संदाय किया जाता है और अन्य दशाओं में उस समयावधि, जिसके बाबत ऐसी मजदूरी संदेय है, के अंतिम दिन के पश्चात् दसवें दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाता है;

(ख) यदि किसी भवन निर्माण कर्मकार का नियोजन नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से समाप्त किया जाता है तब ऐसे भवन निर्माण कर्मकार द्वारा अर्जित मजदूरियों का संदाय उस दिन से, जब उसका नियोजन समाप्त किया जाता है, द्वितीय कार्यदिवस की समापित से पूर्व संदाय किया जाता है;

(ग) मजदूरियों के सभी संदाय ऐसे सन्निर्माण स्थल पर और कार्य करने की अवधि में और पूर्व संसूचित तिथियों पर कार्यदिवसों में किया जाता हैं और यदि कार्य समाप्त हो जाता है तब ऐसे समापन के अड़तालिस घंटो के भीतर मजदूरों का अंतिम संदाय किया जाता है।

249– मजदूरियों के संदाय की तारीख के बारे में मजदूरी की सूचनाओं का सम्प्रदर्शन–– नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कालावधि, जिसके लिए मजदूरियों का संदाय किया जाना है, मजदूरियों के वितरण के स्थान और समय को दर्शाने वाली एक सूचना अंग्रेजी, हिन्दी और ऐसे सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में, संन्निर्माण–स्थल के सहजदृश्य स्थान पर संप्रदर्शित की जाती है;

भाग – पॉच
अध्याय – 30
उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

250– **परिभाषाएं –** इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ....

(क) 'बोर्ड' से अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) 'अभिदाय' से अधिनियम की धारा 16 के अधीन फायदाग्राही द्वारा निधि को देय धनराशि अभिप्रेत है ;

(ग) किसी फायदाग्राही के संबंध में 'कुटुम्ब' से उसका पति या उसकी पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां तथा पूर्णरूप से आश्रित माता–पिता अभिप्रेत है ;

(घ) ' निधि ' से अधिनियम की धारा 24 के अधीन बोर्ड द्वारा गठित उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि अभिप्रेत है ;

(ड़) 'सचिव' से अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;

(च) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

251– **बोर्ड का गठन** – (1) बोर्ड में निम्नलिखित होंगे ।

(प) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष ।

(पप) एक सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित ।

(पपप) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य जिनमे एक मुख्य निरीक्षक, भवन और संन्निर्माण, निरीक्षण, एक सदस्य वित्त विभाग तथा एक सदस्य विधि विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा।

(पअ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य जो नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हों ।

(अ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य जो भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

(2) नियुक्त सदस्यों में एक महिला होगी ।

(3) शासकीय सदस्यों को छोड़कर बोर्ड के सदस्यों एवं अध्यक्ष की पदावधि नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष होगी परन्तु पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति होने तक सदस्य पदासीन बने रह सकते हैं,

परन्तु यह और कि सदस्यगण नियुक्ति की तिथि से चार वर्ष से अधिक अवधि तक पदासीन नहीं रहेंगे ।

252– **आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना :–**

(1) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नाम निर्देशित कोई सदस्य उस सदस्य की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्देशित किया गया है ।

253– **बोर्ड की बैठक :–** बोर्ड की बैठक सामान्यतः दो माह में एक बार होगी, परन्तु बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित में अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर अध्यक्ष पन्द्रह दिन के भीतर उसकी बैठक बुलायेगा ।

254– **बैठक की सूचना और कामकाज की सूची :–** बैठक की तारीख, समय तथा स्थान सूचित करने वाली सूचना, बैठक में संपादित किए जाने वाले काम–काज की सूची के साथ, बैठक से पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी । परन्तु जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए, जो उसकी राय में अत्यावश्यक प्रकृति का है, बैठक बुलाता है तब कम से कम तीन दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी ।

255– **अध्यक्ष द्वारा बैठकों की अध्यक्षता** :– (1) बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि अध्यक्ष, बोर्ड की बैठक में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ है तब अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(2) जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो और उसके द्वारा उपनियम (1) के अधीन किसी सदस्य का नाम निर्देशित न किया गया हो, तब उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक सदस्य को चुना जायेगा और ऐसा चुना गया सदस्य बैठक के संचालन में अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(3) बोर्ड की किसी बैठक में कोई काम–काज तब तक संपादित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसमें कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हों, जिनमे कम से कम एक उन सदस्यों में से होगा, जो नियम 251 के खण्ड (3) उपनियम (1) के अधीन नामनिर्देशित किये गये हों ।

256– **राज्य से अनुपस्थिति :–** यदि कोई सदस्य बिना अध्यक्ष को सूचना दिये कम से कम 6 माह की अवधि तक राज्य से बाहर रहता है तब उसके द्वारा बोर्ड की सदस्यता को त्याग दिया गया समझा जायेगा ।

257– **कारबार का समव्यवहार :–** ऐसे समस्त प्रश्न, जो बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष विचारार्थ आयें, मतदान के द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

258– **बैठक के कार्यवृत :–** बोर्ड की बैठक में लिए गये प्रत्येक विनिश्चय को उसी बैठक में कार्यवाही पुस्तिका में अभिलिखित किया जायेगा , जिस पर अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर किए जायेंगे। कार्यवाही पुस्तिका स्थाई अभिलेख के रूप में रखी जायेगी ।

259– फीस **और भत्ते :–**

(1) बोर्ड के प्रत्येक अशासकीय सदस्य को बैठक के दिनों बैठक–फीस के रूप में एक सौ रूपया या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिये फीस का संदाय किया जायेगा। यह फीस उप–समितियों की बैठकों पर लागू नहीं होगी ।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष को बैठक–फीस छह सौ रूपया या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत की गयी दर से बैठक में भाग लेने के लिये भुगतान की जायेगी ।

260– **उपसमितियों का गठन एवं नियुक्ति :–**

(1) बोर्ड ऐसी उप समितियॉ नियुक्त कर सकेगा जैसा कि वह उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिये उचित समझे। अशासकीय सदस्यों को बैठकों में भाग लेने हेतु उसी दर से यात्रा–भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जो उत्तरांचल सरकार के उप श्रमायुक्त को संदेय अधिकतम दरों पर अनुज्ञेय है ।

(2) **उप समिति का गठन** – उप समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात

(क) बोर्ड का अध्यक्ष,

(ख) नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य

(ग) भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य

(घ) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य, जो उप श्रमायुक्त की पंक्ति से न्यून न हो ।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष ही उपसमिति का भी अध्यक्ष होगा । यदि किसी समय अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तब उप समिति के उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।

(4) उप समिति की बैठक में कोई भी कारबार तब तक सम्व्यवहृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसमें समिति के कम से कम तीन सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें एक सदस्य नियोजकों का तथा दूसरा सदस्य भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य होगा ।

(5) उप समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा ;
परन्तु उप समिति नई उप समिति के गठन होने तक कार्य करती रहेगी ;
परन्तु यह और कि किसी भी दशा में कोई उप समिति, उसके मूल गठन की तिथि से दो वर्ष की तारीख से परे कार्य नहीं करेगी ।

(6) उप समिति की सिफारिशें बोर्ड के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखी जाएगी ।

261– **बोर्ड की शक्तियॉ, कर्तव्य एवं** कृत्य :– (1) बोर्ड निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगा ।

(क) निधि के प्रशासन से सम्बन्धित सभी विषय ।

(ख) निधि में जमा राशि के विनिधान के लिए नीतियां अधिकथित करना ।

(ग) सरकार की स्वीकृति हेतु वार्षिक बजट प्रस्तुत करना ।

(घ) बोर्ड की गतिविधियों के विषय में सरकार को वार्षिक रिर्पोट प्रस्तुत करना ।

(ड.) लेखाओं का समुचित रख–रखाव ।

(च) बोर्ड के लेखाओं का अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लेखाओं का वार्षिक सम्परीक्षण ।

(छ) निधि में अंशदान एवं अन्य प्रभारों का संग्रहण ।

(ज) बोर्ड के लिये और उसकी ओर से अभियोजन दायर करना ।

(झ) दावों का त्वरित निस्तारण तथा अग्रिम धनराशि एवं अन्य फायदों की स्वीकृति ।

(ञ) बोर्ड को देय रकमों की समुचित व समय पर वसूली ।

(2) बोर्ड सरकार को समय–समय पर ऐसी जानकारी देगा जो सरकार द्वारा अपेक्षित हो ।

262– **बोर्ड का सचिव :–**

(1) बोर्ड का सचिव, बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा ।

(2) बोर्ड का सचिव, अध्यक्ष की पूर्वानुमति से बोर्ड की बैठक आहूत करने हेतु नोटिस भेजेगा तथा बोर्ड द्वारा कृत कार्यवाहियों का अभिलेखन करेगा, साथ ही बोर्ड द्वारा किये गये विनिश्चयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठायेगा ।

263– **बोर्ड के सचिव एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति :–**

(1) बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति से किसी अधिकारी को जो श्रम विभाग के उप श्रमायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो , बोर्ड का सचिव नियुक्त करेगा ।

(2) बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति से ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा;

(प) जो श्रम विभाग में सहायक श्रमायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, तथा

(पप) सरकार के किसी अन्य विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये आवश्यक समझे ।

264– सचिव की प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियां :–

(1) बोर्ड का सचिव बोर्ड की सलाह के बिना ही आकस्मिक व्यय, संभरण एवं सेवाओं के निमित वस्तुओं का क्रय, निधि के प्रशासन हेतु कोष की प्रतिपूर्ति, ऐसी सीमाओं तक किसी वस्तु की खरीद के लिए व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम होगा जिसकी सीमा बोर्ड द्वारा समय–समय पर निश्चित की जाये ।

(2) सचिव, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विषयों को छोड़कर, ऐसे समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो उसको बोर्ड द्वारा समय–समय पर प्रतिनिधायित की जायें ।

(3) बोर्ड , विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, जैसा वह उचित समझे, समय–समय पर, कार्य के कुशल सम्पादन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधायन अपने अधीन कार्यरत किसी अन्य अधिकारी को कर सकेगा जिस सीमा तक वह ऐसा करना उचित समझे ।

265– उत्तरांचल भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि :–

(1) बोर्ड, इन नियमों के प्रवृत होने पर यथाशीघ्र, अधिनियम एवं इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उत्तरांचल भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगा ।

(2) निधि बोर्ड में निहित होगी तथा उसके द्वारा प्रशासित होगी ।

(3) निधि के नामें निम्नलिखित जमा होंगे :–

(क) भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये गये अनुदान या ऋण या कोई अग्रिम धनराशि

(ख) फायदाग्राहियों द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत संदत्त अंशदान ।

(ग) बोर्ड द्वारा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायें।

266– सदस्यता :–

(1) प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार, जिसने आयु के 18 वर्ष पूर्ण कर लिये है किन्तु आयु के 60 वर्ष पूर्ण नहीं किए है, तथा जो विधि द्वारा स्थापित एवं तत्समय प्रवृत किसी कल्याण निधि का सदस्य नहीं है, और जिसने पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, निधि की सदस्यता के लिये पात्र होगा ।

(2) आवेदन पत्र के साथ आयु सम्बन्धी प्रमाण के रूप में अधोलिखित विनिर्दिष्ट हों,

(प) विद्यालय से प्राप्त अभिलेख,

(पप) जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रमाणपत्र,

(पपप) उपरोक्त प्रमाणपत्रों के न होने पर किसी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(3) नियोजक या ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र जिससे पुष्टि हो कि आवेदक सन्निर्माण कर्मकार है, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा । यदि ऐसा प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तब किसी रजिस्ट्रीकृत भवन सन्निर्माण कर्मकार संघ का अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त द्वारा प्रदत् प्रमाणपत्र अथवा पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर भी विचार किया जा सकेगा ।

(4) प्रत्येक सन्निर्माण कर्मकार जो निधि के लिये फायदाग्राही होने की पात्रता रखता हो, निर्धारित प्ररूप संख्या ग्गटसप में आवेदन, बोर्ड सचिव अथवा उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ऐसे प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ इस नियम में उल्लिखित दस्तावेज तथा 25/– (रूपया पच्चीस) रजिस्ट्रीकरण फीस भी देय होगी ।

(5) जहाँ बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का सम्यक जाँच के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिर्दिष्ट पात्रता की शर्तें पूरी करता है, वह ऐसे निर्माण कर्मकार को सदस्य के रूप में रजिस्टर करेगा ।

(6) उपनियम (5) के अधीन लिए गए विनिश्चय के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति 30 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील दायर कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम समझा जायेगा ।

(7) निर्माण कर्मकार प्ररूप ग्गटसप में नामांकन पत्र भी दाखिल करेगा । विवाहोपरान्त यह नामांकन उसके पति या पत्नी के नाम संशोधित किया जा सकेगा अथवा कुटुम्ब की स्थिति में कोई कानूनी परिवर्तन होने पर संशोधित किया जा सकेगा ।

(8) सचिव अथवा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक फायदागग्रही को प्ररूप ग्गग्स में एक फोटो पहचान पत्र जारी करेगा, जिसमें फायदाग्राही का फोटो चिपका होगा तथा जारी किये गये पहचान पत्रों का अभिलेखन निर्धारित पंजिका प्ररूप ग्गसप पर रखेगा ।

267– निधि में अभिदाय :–

(1) प्रत्येक फायदाग्राही 25/– रूपया मासिक दर से निधि में अभिदाय करेगा। अभिदाय बोर्ड द्वारा उस जिले में, जहां लाभार्थी निवास करता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये बैंकों में से किसी बैंक में, प्रत्येक त्रैमास पर अग्रिम में प्रेषित करेगा ।

(2) यदि कोई फायदाग्राही लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अभिदाय का संदाय करने से चूक करता है तब वह फायदाग्राही नहीं रह जायेगा । परन्तु सचिव अथवा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से फायदाग्राही की सदस्यता प्रत्यावर्तित हो सकेगी, यदि अभिदाय की बकाया धनराशि दो रूपया प्रतिमाह की दर से जुर्माने के साथ जमा की जाए, किन्तु यह प्रत्यावर्तन दो बार से अधिक आवृति पर न होगा ।

268– विवरणियां दाखिल करना नियोजक का कर्तव्य :–

(1) प्रत्येक नियोजक, इन नियमों के प्रवृत होने की तारीख से 15 दिन के भीतर बोर्ड के सचिव को समेकित विवरणी भेजेगा, जिसमें रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार सन्निर्माण कर्मकारों को दिये जा रहे मूल वेतन, भत्ते तथा निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान किये जाने पर खर्च की गई धनराशि, यदि कुछ हो, सम्मिलित होगा।

(2) प्रत्येक नियोजक, माह की 15 तारीख से पूर्व बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को एक विवरण प्ररूप–ग्ग में प्रेषित करेगा, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के हकदार कर्मकारों तथा ऐसे कर्मकारों का विवरण अंकित होगा जो विगत माह में नौकरी छोड़कर चले गये हैं ।

(3) प्रत्येक नियोजक अपने संस्थापन के सम्बन्ध में बोर्ड के सचिव अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप–ग्गग में विवरणी भेजेगा, जिसमें संस्थापन की शाखाओं, संचालकों, प्रबन्धकों, अधिभोगियों, भागीदारों, व्यक्ति/व्यक्तियों की, जिनका स्थापन के कार्यकलापों पर प्रत्यक्ष या अन्तिम नियंत्रण है, विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी ।

269– अभिलेखों तथा रजिस्टरों का रखा जाना तथा प्रस्तुत किया जाना :–

(1) प्रत्येक नियोजक एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निर्माण कर्मकारों से सम्बन्धित विशिष्टियां अंकित होगी तथा एक रजिस्टर अभिदाय के सम्बन्ध में ऐसे प्ररूप में रखा जायेगा जो बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाय।

(2) जब कभी बोर्ड का सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी नियोजक से व्यक्तिशः लिखित सूचना द्वारा निर्माण कर्मकार से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे तब नियोजक सम्बन्धित अधिकारी को ऐसे अभिलेख निरीक्षण के लिये उपलब्ध करायेगा और यदि अभिलेख तत्काल वापस नहीं किये जाते हैं तब निरीक्षणकर्ता अधिकारी, उसके द्वारा इस प्रकार रखे गये अभिलेखों की एक रसीद जारी करेगा ।

270– किसी विद्यमान निधि में संचित रकम का अन्तरण :–

(1) किसी कर्मकार के द्वारा इस निधि की सदस्यता ग्रहण करने पर उसके पक्ष में विद्यमान किसी निधि में संचित रकम का अन्तरण सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(2) अन्य कल्याण निधि से सम्बन्धित प्राधिकारी, बोर्ड के सचिव या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को एक विवरणी प्रेषित करेगा, जिसमें ऐसे सदस्य के नाम कुल जमा पूंजी की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो अन्तरण की

तिथि पर उसके नाम जमा थी जैसा कि उपनियम (1) में दिया गया है तथा अग्रिम के रूप में उसके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि, यदि कोई हो, का विवरण भी दिया जायेगा ।

271— **प्रसूति प्रसुविधा :—** प्रत्येक महिला कर्मकार, जो निधि के अन्तर्गत फायदाग्राही है, को प्रसूति की अवधि के दौरान रूपया 1000/— प्रसूति प्रसुविधा दी जायेगी । इस प्रसुविधा हेतु उसके द्वारा प्रपत्र ग्ग्प्ट में आवेदन यथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ बोर्ड के सचिव को दिया जायेगा ।

परन्तु यह प्रसुविधा दो बार से अधिक अनुमन्य नहीं होगी ।

272— **पेंशन के लिये पात्रता :—** इस निधि का प्रत्येक सदस्य, जो निर्माण श्रमिक के रूप में न्यूनतम अवधि एक वर्ष से नियोजित रहते हुये इस नियमों के लागू होने की तिथि पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, पेंशन के लिये पात्र होगा । पेंशन की देयता उस आगामी माह की प्रथम तिथि को हो जायेगी, जिसमें उसने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो ।

273— **पेंशन संदाय के लिए प्रकिया :—**

(1) पेंशन के लिए आवेदन प्रपत्र संख्या ग्ग्ट में बोर्ड के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी को दिया जायेगा ।

(2) यदि बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की राय में आवेदक पेंशन के लिए पात्र है, तो वह पेंशन स्वीकृत कर, पेंशन स्वीकृत सम्बन्धी आदेश आवेदक को प्रेषित करेगा ।

परन्तु कोई आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को सुने जाने का अवसर नहीं दिया जाता है ।

(3) यदि यह पाया जाता है कि आवेदक पेंशन के लिये पात्र नहीं है, तब आवेदन अस्वीकार किया जायेगा और तद्नुसार आवेदक को सूचित किया जायेगा ।

(4) आवेदक आदेश प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर उप नियम (3) के अन्तर्गत लिये गये विनिश्चय के विरूद्ध बोर्ड के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

परन्तु अपील दायर करने में एक वर्ष तक की अवधि के विलम्ब को बोर्ड पर्याप्त लिखित कारणों के साथ क्षमा कर सकता है ।

(5) पेंशन की राशि एक सौ पचास रूपये प्रतिमाह होगी । पांच वर्ष बाद इसमें दस रूपये की वृद्धि सेवा के प्रति एक वर्ष पूर्ण करने की दर से की जायेगी । बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात पेंशन को पुनरीक्षित कर सकता है ।

(6) पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी प्ररूप ग्ग्टस में एक रजिस्टर रखेगा ।

274— **भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु अग्रिम :—**

(1) किसी सदस्य द्वारा आवेदन किये जाने पर बोर्ड पचास हजार रूपये से अनाधिक धनराशि अग्रिम के रूप में मकान की तुरन्त खरीद अथवा निर्माण के लिये स्वीकृत कर सकता है । फायदाग्राही प्ररूप ग्ग्सग में आवेदन के साथ ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें ।

(2) उप नियम (1) के अधीन कोई अग्रिम धनराशि ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत नहीं की जायेगी जो निरन्तर पांच वर्षों से निधि का सदस्य नहीं है तथा जिसकी अधिवर्षता के लिए 15 वर्ष से कम समय शेष है ।

(3) अग्रिम आहरित होने की तिथि से 6 माह के भीतर बोर्ड के सचिव को कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि की वसूली बोर्ड द्वारा निर्धारित समान किश्तों में की जायेगी ।

275– **निःशक्तता पेंशन :–** (1) बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, दुघर्टना आदि के कारण स्थाई रूप से निःशक्त हो गया है, एक सौ पचास रूपये प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन स्वीकृत कर सकता है । इस पेंशन के अतिरिक्त वह पांच हजार रूपये से अनधिक अनुग्रह राशि के लिए भी पात्र होगा जो निःशक्तता के प्रतिशत तथा बोर्ड द्वारा विनिश्चित किसी शर्त के अधीन होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन निःशक्तता पेंशन और अनुग्रह संदाय के लिए आवेदन, ऐसे प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ, जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किये जाये, प्ररूप गगगग्ग में किया जायेगा।

276– **औजार क्रय करने के लिए ऋण :–** निधि के सदस्य को पांच हजार रूपये तक की राशि औजारों को क्रय करने के लिए ऋण के रूप में स्वीकृत की जा सकती है । ऐसे सदस्य जिन्होंने निधि में अपनी सदस्यता 3 वर्ष तक पूरी कर ली है और जो अपना अभिदाय नियमित रूप से करते हैं, इस ऋण के लिये पात्र होंगे । फायदाग्राही की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिये। ऋण की धनराशि की वसूली साठ किश्तों से अधिक में नहीं की जाएगी । इस ऋण हेतु आवेदन प्ररूप संख्या ग्स में बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित किया जायेगा ।

277– अन्त्येष्टि–सहायता का भुगतान :– बोर्ड, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अन्त्येष्टि संस्कार खर्च के लिए एक हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत कर सकता है। इस फायदा के लिये आवेदन प्ररूप ग्स्प में प्रस्तुत किया जायेगा ।

278– **मृत्यु पर सहायता का संदाय :–** बोर्ड किसी सदस्य की मृत्यु पर उसके नामितों/आश्रितों को पन्द्रह हजार रूपये की मृत्यु सहायता के रूप में संदाय स्वीकृत कर सकता है । यदि मृत्यु नियोजन के दौरान घटित दुघर्टना से कारित हुई हो तब सदस्य के नामिती/आश्रितों को मृत्यु सहायता के रूप में पचास हजार रूपया दिया जायेगा ।

279– **मृत्योपरांत सहायता :–**

(1) कोई नामिती जो इन नियमों के अन्तर्गत मृत्योपरान्त देय सहायता के लिये हकदार हैं, बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रारूप संख्या ग्ग्टसप् में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ मृत्यु के सम्बन्ध में/ दुघर्टना जनित मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण पत्र राजकीय चिकित्सक से प्राप्त कर एवं अन्य दस्तावेज, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(2) सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक की पात्रता के सम्बन्ध में जांच कर सकता है ।

(3) यदि सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किया है वह इस लाभ को पाने का लिये पात्र है, तब वह सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान करेगा ।

(4) स्वीकृतिकर्ता अधिकारी इस निमित प्ररूप ग्ग्टससप में एक रजिस्टर रखेगा ।

(5) उपनियम (3) के अन्तर्गत लिये गये किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उस उपनियम के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम माना जाएगा ।

280— **फायदाग्राहियों को चिकित्सा सहायता :—** बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो दुघर्टना या बीमारी के कारण 5 या अधिक दिनों से चिकित्सालय में भर्ती है, को आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकता है । आर्थिक सहायता की राशि प्रथम पांच दिनों के लिए दो सौ रूपया तथा तत्पश्चात शेष दिनों में 25/— रूपया प्रतिदिन किन्तु अधिकतम एक हजार रूपया तक सीमित रहेगी । यह सहायता उस फायदाग्राही को दी जा सकेगी जो दुघर्टनाग्रस्त होने पर पलास्टर पट्टी में अपने घर पड़ा है । यदि निःशक्तता दुघर्टना से कारित हुई हो, तब कर्मकार पॉच सौ रूपये तक की आर्थिक सहायता के लिए पात्र होगा किन्तु यह निःशक्तता के प्रतिशत पर निर्भर करेगा । इस हेतु आवेदन प्रारूप संख्या ग्स्सप या ग्स्टप पर ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करें ।

281— **शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता :—** सदस्यों के बच्चे ऐसी आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगे जैसा बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा तथा शिक्षा के उन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में लागू होगा जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जायें । ऐसा आवेदन प्ररूप सं0 ग्स्प्प में ऐसे दस्तावेजों के साथ और ऐसे समय के भीतर जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रस्तुत किया जायेगा।

282— **विवाह हेतु आर्थिक सहायता** :— ऐसे निर्माण कर्मकार जो निरन्तर 3 वर्ष से सदस्य हैं, अपनी संतान के विवाह हेतु दो हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे । निधि की महिला सदस्य भी स्वयं के विवाह हेतु इस सहायता के लिए पात्र होगी । यह सहायता फायदाग्राही को दो संतानों के विवाहों तक सीमित रखते हुए स्वीकृत की जाएगी । इस हेतु आवेदन प्ररूप संख्या ग्स्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

283— **कुटुम्ब पेंशन :—** पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को दी जाएगी । पेंशन की धनराशि, पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त की गयी पेंशन का 50 प्रतिशत अथवा एक सौ रूपये जो भी अधिक हो, निश्चित होगी । इस हेतु आवेदन पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से 3 माह के भीतर प्ररूप की संख्या ग्स्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

284— **अग्रिम धन और ऋण की वसूली :—** अग्रिम धन और ऋण की वसूली के सम्बन्ध में बोर्ड को शर्तें निर्धारित करने की शक्तियां होंगी ।

285— **मृत सदस्य के अभिदाय की वापसी :—**

(1) किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके नाम संचित अभिदाय की धनराशि उसके नामिती को दी जायेगी । नामिती न होने की दशा मे यह धनराशि उसके विधिक वारिसों में समान हिस्सों में संदत्त की जायेगी ।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत देय सभी आर्थिक सहायताएं, मृत्यु पर मिलने वाली सहायता तथा दुघर्टना के समय मिलने वाली चिकित्सकीय सहायता को छोड़कर, कर्मकार के द्वारा निधि की सदस्यता ग्रहण करने के एक वर्ष पश्चात ही संदेय होगी ।

286– जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम के संदाय के लिए धन का प्रत्याहरण :–

(1) निधि के सदस्य को जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम का भुगतान करने हेतु, उसके नाम निधि में उपलब्ध अवशेष से धनराशि आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है । इस प्रयोजन के लिये धनराशि का आहरण वर्ष में एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा ।

(2) पालिसी से सम्बन्धित पूर्ण विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में सचिव को प्रस्तुत की जायेगी जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

(3) प्रीमियम भुगतान के लिए वस्तुतः अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि सदस्य के नामें अवशेष में से स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

287– निधि के पक्ष में बीमा पालिसी का समनुदेशन :–

(1) धनराशि के प्रत्याहरण के 6 माह के भीतर बीमा पालिसी, बोर्ड के सचिव को निकाली गई धनराशि की प्रतिभूति के रूप में समानुदेशित की जायेगी ।

(2) किसी पुरानी पालिसी को धारित करते हुए उसके प्रीमियम के भुगतान हेतु आरहण की स्वीकृति प्रदान करते समय बोर्ड सचिव, जीवन बीमा निगम से यह सुनिश्चित कर लेगा कि वह बीमा पालिसी किसी विललंगम से मुक्त है अथवा नहीं ।

(3) एक बीमा पालिसी का दूसरी बीमा पालिसी में अन्तरण करते समय पालिसी में कोई भी परिवर्तन बोर्ड सचिव की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा तथा बीमा पालिसी में परिवर्तन सम्बन्धी विशिष्टियां अथवा नई पालिसी में अन्तरण किये जाने की सूचना ऐसे प्ररूप में बोर्ड सचिव को प्रेषित की जायेगी जैसा उसके द्वारा विहित किया जाय ।

(4) यदि पालिसी इस प्रकार समानुदेशित और न्यस्त नहीं की गयी है , तब बीमा पालिसी के नामे निधि से आहरित की गयी प्रत्येक धनराशि को सदस्य तुरन्त निधि को ब्याज सहित उसी दर से वापस करेगा जो बोर्ड द्वारा सरकार से परामर्श करने के पश्चात नियत की जायेगी ।

288– **बीमा पालिसी की वापसी :–** बोर्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमा पालिसी को लौटा देगा यथा,

(प) सदस्य द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर स्थायी रूप से सेवा त्याग ।

(पप) किसी शारीरिक अथवा मानसिक निःशक्तता के कारण स्थाई रूप से सेवा त्याग ।

(पपप) सेवा त्यागने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर ।

(पअ) सदस्य द्वारा सेवा परित्याग से पूर्व पालिसी का परिपक्व होना अथवा किसी अन्य

रूप में सदस्य का संदाय प्राप्ति के लिए हकदार हो जाना ।

289– **लेखा :–**

(1) प्रशासनिक व्यय के सिवाय सभी ब्याज, किराया तथा वसूल की गई कोई अन्य आय तथा निवेश पर समस्त लाभ या हानि, यदि कोई है यथास्थिति – **'ब्याज उचन्त खाते'** में जमा उधार अथवा नामे–खर्च, दर्ज की जायेगी।

(2) बोर्ड का सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को या किसी अन्य तिथि को जैसा सरकार विनिर्दिष्ट करें, सरकार को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसके साथ निधि के अन्तर्गत आस्तियों का एक वर्गीकृत विवरण वार्षिक रिपोर्ट के रूप में संलग्न किया जायेगा।

290– **धन का विनिधान :–** निधि से सम्बन्धित सभी धनराशि का विनिधन राष्ट्रीयकृत बैंकों या अनुसूचित बैंकों अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1882) की धारा 20 के खण्ड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में किया जायेगा ।

291– **निधि का उपयोग :–** निधि से धन का खर्च सरकार की पूर्व सहमति के बिना अधिनियम और नियमों में उल्लिखित प्रयोजनों के सिवा किसी दूसरे प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

292– **निधि से व्यय :–**

(1) निधि के प्रशासन से सम्बन्धित सभी खर्च, बोर्ड के सदस्यों की फीस और भत्ता, यात्रा–भत्ता, सम्पूरक भत्ते, भारित भत्ते, पेंशन अभिदाय एवं कर्मचारीगणों की सुविधाओं पर व्यय, बोर्ड की विधिसम्मत आवश्यकताओं तथा स्टेशनरी के खर्चे, निधि के प्रशासनिक लेखा से वहन किए जायेंगे ।

(2) निधि के प्रशासन पर सरकार द्वारा खर्च धनराशि ऋण के रूप में प्रशासनिक लेखा से प्रतिदत्त की जायेगी ।

293– **बोर्ड के क्रिया कलापों के सम्बन्ध में रिपोर्ट :–** बोर्ड द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कृत कार्यवाहियों से सम्बन्धित रिपोर्ट बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात आगामी वर्ष की 15 जून से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी तथा सरकार को उसी वर्ष 31 जुलाई से पूर्व प्रेषित की जायेगी ।

294– **रजिस्टरों एवं रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत किया जाना :–** बोर्ड का सचिव, रजिस्टरों की प्रतियां तथा निधि की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां किसी नियोजक या निधि के सदस्य द्वारा लिखित रूप से अनुरोध किए जाने तथा बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर सरकार के अनुमोदन से उपलब्ध करायेगा ।

295– **बकाया रकम की वसूली :–** यदि कोई रकम किसी नियोजक या सदस्य की ओर बकाया है, तब बोर्ड का सचिव या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बकाया धनराशि की सुनिश्चित जानकारी लेने के पश्चात, उस रकम की वसूली हेतु सम्बन्धित जिला कलेक्टर को प्रमाणपत्र जारी करेगा। ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर

जिला कलेक्टर उक्त धन की वसूली भूराजस्व के रूप में देय बकाये के रूप में करेगा ।

296– **संविदा का निष्पादन :–** सभी आदेश तथा अन्य लिखतें बोर्ड के नाम में किये और निष्पादित किए जायेंगे तथा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे ।

भाग– 6
प्रकीर्ण उपबन्ध
अध्याय– 31
मुख्य निरीक्षक, भवन और संनिर्माण, निरीक्षण तथा निरीक्षकों की शक्तियाँ

297– विशेषज्ञ, अभिकरण नियोजित करने की शक्ति ––

(1) मुख्य निरीक्षक, भवन और संनिर्माण निरीक्षण जैसा आवश्यक समझे, सिविल इंजीनियरिंग, संरचनात्मक अभियांत्रिकी, स्थापत्य कला तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी विधाओं के क्षेत्र में दक्ष व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर दुर्घटना के कारणों या खतरनाक घटनाओं के घटित होने के कारणों के संबंध में निरीक्षण, अन्वेषण अथवा जाँच करने के प्रयोजन से नियोजित कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास :–

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में उपाधि (डिग्री) होगीः–

(ख) संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र का होगा।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिकरण संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की ख्याति का होगा और सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होगा।

(4) उत्तरांचल राज्य सरकार समय–समय पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों और अभिकरणों का एक पैनल तैयार कर सकेगी।

(5) उपनियम (1) के अधीन नियोजित इंजीनियर, विशेषज्ञ अथवा अभिकरण को ऐसे यात्रा–भत्तों तथा दैनिक–भत्तों का संदाय उसी दर से अनुमन्य होगा, जो उसको उसके संगठन में, जहाँ वह नियोजित है, देय होना अनुज्ञात है, अथवा यात्रा–भत्ते तथा दैनिक–भत्ते की दरें, जो उत्तरांचल सरकार के अधीन सेवारत प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य है।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट यात्रा–भत्तों तथा दैनिक–भत्तों के अतिरिक्त किसी इंजीनियर, वास्तुविद या अभिकरण को मानदेय का संदाय भी उसी दर से किया जायेगा जैसा राज्य सरकार समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

298– निरीक्षकों की शक्तियॉ ––

(1) निरीक्षक, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर, ——

(प) ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाए गये अथवा प्रयोग किये जाने वाले ऐसे सन्निर्माण स्थल, स्थान या परिसर का निरीक्षण कर सकेगा;

(पप) किसी व्यक्ति का साक्ष्य, घटनास्थल पर या अन्यत्र ले सकेगा, जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंद्ध किसी परीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझता है;

परन्तु ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या कोई ऐसी साक्ष्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा, जिसकी प्रवृति उसे अपराध में फंसाने की हो।

(पपप) फोटोग्राफ, वीडियो क्लिप्स, सैम्पल वजन, माप या अभिलेख ले सकेगा या ऐसे रेखाचित्र बना सकेगा जो इन नियमों के अधीन किसी परीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है;

(पअ) किसी ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारण की जांच कर सकेगा जिसके लिये उसके पास यह विश्वास करने के लिए कारण है कि वह ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से सम्बद्ध या आनुसांगिक किसी संक्रिया का परिणाम था अथवा अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों में से किसी के अनुपालन न करने का परिणाम था।

(2) निरीक्षक, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिये वह नियुक्त किया जाता है, अधिनियम या नियमों के अधीन यथा– उपबंधित भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण के विषय में नियोजकों को कारण बताओ सूचना या चेतावनी जारी कर सकेगा।

(3) निरीक्षक, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिये वह नियुक्त किया जाता है, अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में अधिकारिता वाले न्यायालय में कोई परिवाद या अन्य कार्यवाही दाखिल कर सकेगा।

(4) निरीक्षक, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिये वह नियुक्त किया जाता है, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी ठेकेदार या नियोजक को, भवन निर्माण कर्मकारों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए निदेश दे सकेगा।

(5) निरीक्षक, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिये वह नियुक्त किया जाता है, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति वाले यथास्थिति किसी व्यक्ति या ऐसे सन्निर्माण स्थल के नियोजक, परियोजना प्रभारी या कार्यस्थल–प्रभारी से ऐसे साधन या सहायता उपलब्ध करवाये जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) या ऐसे सन्निर्माण स्थल या परियोजना से संबंधित इस नियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये ऐसे निरीक्षक द्वारा प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षण या जाँच के लिये अपेक्षित है।

299– प्रतिषेध आदेश ——

(1) यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि कोई स्थल या स्थान, जिस पर कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जा रहा है, ऐसी हालत में है कि वह भवन कर्मकारों या आम जनता के जीवन सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है तो वह लिखित में भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजक पर या उस स्थापन के स्वामी या उस स्थल या स्थान के प्रभारी व्यक्ति पर ऐसे स्थल या स्थान पर किसी भवन या सन्निर्माण कार्य का तब तक के लिए प्रतिषेध करते हुए आदेश तामिल करा सकेगा, जब तक कि संतोषजनक रूप से खतरे के कारणों को दूर करने के समुचित उपाय न कर लिये जाएं।

(2) उपनियम (1) के अधीन आदेश तामील करने वाला निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण को एक प्रति पृष्ठांकित करेगा।

(3) ऐसे प्रतिषेध आदेश का नियोजक द्वारा तुरन्त पालन किया जाएगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उसे ऐसा आदेश संसूचित किया जाता है, 15 दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक, भवन और संनिर्माण निरीक्षण को या जहाँ ऐसा आदेश मुख्य निरीक्षक, भवन और संनिर्माण निरीक्षण का है वहां श्रम सचिव, उत्तरांचल शासन, श्रम विभाग को अपील कर सकेगा और यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक, भवन और संनिर्माण निरीक्षण या श्रम सचिव, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता से अपील का निपटारा करेगाः

परन्तु यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक, भवन और संनिर्माण निरीक्षण या श्रम सचिव, उत्तरांचल शासन, श्रम विभाग का यदि यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा समय के भीतर अपील दाखिल न करने का पर्याप्त कारण था तो वह 15 दिन की उक्त समयावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगाः

परन्तु यह और कि प्रतिषेघ आदेश की बाध्यता, मुख्य निरीक्षक, भवन और संनिर्माण निरीक्षण या श्रम सचिव, उत्तरांचल शासन, श्रम विभाग के विनिश्चय के लंबित रहने तक रहेगी।

अनुसूची–1
(नियम 56 (क), नियम 71 (क) और नियम 72 देखें)
उत्थापक साधित्र, वियोजित गियर और तार रज्जु के प्रथम उपयोग से पूर्व किये जाने जाँच और परीक्षण की रीति।

जाँच भारः

(1) **उत्थापक साधित्र** –– प्रत्येक उत्थापक साधित्र इसके उपसाधन गियर के साथ, ऐसे जाँच भार के अध्यधीन रखा जाएगा जो निरापद कार्यकरण भार (नि.का.भा..) से इस प्रकार अधिक होगा जैसा निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट हैः––

सारणी

निरापद कार्यकरण भार	जाँच भार
(1)	(2)
20 टन तक	निरापद कार्यकरण भार से 25 प्रतिशत अधिक
20 से 50 टन	निरापद कार्यकरण भार से 5 टन अधिक
50 से अधिक	निरापद कार्यकरण भार से 10 प्रतिशत अधिक

(2) **नियोजित गियर ––**

(क) प्रत्येक रिंग, हुक, चैन, शैकल, सिववैल, आई–बोल्ट, प्लैट क्लैम्प, त्रिभुजाकार प्लैट अथवा घिरनी खंड (सिबान एकल शीव खंड के) ऐसे जाँच भार के अध्याधीन रखा जाएगा जो निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम नहीं होगाः

सारणी

निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जाँच भार (टनों में)
25 तक	2ग निरापद कार्यकरण भार
25 से ऊपर	(1.22 ग निरापद कार्यकरण भार). 20

(ख) एकल शीव खंड के मामले में निरापद कार्यकरण भार ऐसा अधिकतम भार होगा जिसे खंड, जब इसे शीर्ष फिटिंग द्वारा लटकाया गया हो और भार उस रज्जु से जोड़ा गया हो जो खंड की शीव के चारों ओर लिपटी हे, सुरक्षित रूप से उठा सकता है और प्रस्तावित निरापद कार्यकरण भार के चार गुणा से कम कार्यभार खंड के शीर्ष पर नहीं लगाया जाएगा।

(ग) बहु शीव खंड के मामले में, जांच भार निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम नहीं होगाः–

सारणी

निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जाँच भार (टनों में)
(1)	(2)
25 तक	2 ग निरापद कार्यकरण भार
25 ये 160	(0.9933 ग निरापद कार्यकरण भार). 27
160 से ऊपर	1.1 ग निरापद कार्यकरण भार

(घ) हस्त–चालित घिरनी खंडों के, जो स्थिर चैनो और रिंगों , हुकों, शैवलस अथवा इससे स्थायी रूप से जुड़ी सिववेल के साथ प्रयुक्त होते हैं, मामले में वह जाँच भार लगाया जाएगा जो निरापद कार्यकरण भार से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होगा।

(ङ) बालटी से युक्त घिरनी खंड की दशा में, बालटी की जांच की जाएगी और उस खंड की जाँच के दौरान बालटी पर लगाये गए भार को बालटी के जाँच भार के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(च) दो टांगों वाली स्लिंग की दशा में, निरापद कार्यकरण भार तब संगणित किया जाएगा, जब दोनों टांगों के बीच 90 अंश का कोण हो। कई टांगों वाली स्लिंग की दशा मे निरापद कार्यकरण भार राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संगणित किया जाएगा।

(छ) प्रत्येक उत्थापक बीम, उत्थापक विरचना, छिड़काल करने वाला पात्र (कन्टेनर स्प्रेडार) बालटी, टब अथवा अन्य समान युक्तियों पर नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम जाँच भार नहीं लगाया जाएगाः–

सारणी

प्रस्तावित कार्यकरण भार (टनों में)	**जाँच भार (टनों में)**
(1)	(2)
10 टन तक 10 से 160 160 से ऊपर	2 ग निरापद कार्यकरण भार (1.04 ग निरापद कार्यकरण भार). 9ण्6 1.1 ग निरापद कार्यकरण भार

(ज) **तार रज्जु–** तार रज्जुओं की दशा में एक नमूने की, जब तक वह नष्ट न हो जाए, जाँच की जाएगी। जाँच प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी। निरापद कार्यकरण भार उस भार को जिस पर नमूना टूट जाता है, उपयोग के गुणांक से जो निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्टानुसार अवधारित होता है, भाग देकर निश्चित किया जाएगाः–

सारणी

मद	**उपयोग का गुणांक**
(1)	(2)
(क) वह तार रज्जु जो स्लिंग का भाग हैः स्लिंग का नि. का.भा. 10 टन तक या उसके बराबर नि. का.भा. 10 टन से ऊपर 160 टन के बराबर। 160 टन से ऊपर नि.का.भा. (ख) वह तार रज्जु जो उत्थापक साधित्र का अभिन्न अंग हैः उत्थापक साधित्र का नि.का.भा. 160 टन तक या उसके बराबर सु.का.भा.10 160 टन से ऊपर नि.का.भा	5 10 (8.85ग नि.का.भा.)1910 3 10 ———————————————————————————— (8.85 ग नि.का.भा.). 1910

(झ) कोई जाँच किये जाने से पूर्व लगे हुए उत्थापक साधित्र या उत्पादक गिअर का प्रत्यक्ष निरीक्षण संचालित किया जाएगा और कोई प्रकट खराब गिअर प्रतिस्थापित या नवीकृत किया जाएगा।

(ञ) जाँच किए जाने के पश्चात् समस्त उत्पादक गिअर का यह देखने के लिये परीक्षण किया जाएगा कि क्या कोई भाग, जाँच से क्षतिग्रस्त या स्थायी रूप से निरूपित हुए हैं।

जाँच की प्रक्रिया :

(3) डेरिक ––

(क) डेरिक की जाँच ऐसी अवस्था में होगी जब इसकी बूम इसके क्षैतिज से जिसके लिये डेरिक बनाया गया है, न्यूनतम कोण पर हो (साधारणतया 15 अंश) अथवा कोई ऐसा बड़ा

कोण जिन पर सहमति हो। वह कोण जिस पर जाँच की गई है, जाँच प्रमाण–पत्र में उल्लिखित होगा। जाँच भार चल बाटों के उत्तोलन द्वारा लगाया जाएगा। जाँच के दौरान बूम को जाँच भार के साथ दोनों दिशाओं में जहाँ तक हो सके झुलाया जाएगा।

(ख) लटके हुए भार के साथ शक्ति से ऊपर ऊठाये जाने के लिये बनाये गये डेरिक बूम को (क) में की जाँचों के अतिरिक्त (लटके हुए भार के साथ) क्षैतिज से और दो बाह्तय स्थितियों से अधिकतम कार्यकरण कोण तक उठाया जाएगा।

(ग) भारी उत्थापक डेरिक पर जाँच भार लगाते हुए, जाँच के लिये जिम्मेदार सक्षम व्यक्ति उस पर चल बाट लगाते समय मालिक से वह अभिनिशिचित करेगा कि पोत जांच के लिये पर्याप्त मजबूत है।

(4) खंड (3) के अधीन जाँचे गये डेरिक का उपयोग संघ क्रय रिंग में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि,––

(क) संध क्रय रिगड़ डेरिकों की जांच संध क्रय में नि.का.भा. के समुचित जांच भार से नहीं की जाती (बनाए गए हैं हैडरूम पर अगर जब डेरिक बूम अपनी अनुमोदित कार्यकरण स्थितियों में हो):

(ख) उस डेरिक का संघ क्रय रिंग में दिया निरापद कार्यकरण भार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्ररूप अ की रिपोर्ट में भी विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाताः

(ग) उक्त रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं या शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाताः और

(घ) दोनों उत्तोलक रज्जुओं की स्विवेल असेम्बली द्वारा इकट्ठे युग्मित नहीं किया जाता।

टिप्पण–– डैरिकों का निरापद कार्यकरण भार (संघ क्रय सहित रिंग की प्रत्येक रीति के लिये) जाँच के प्रमाण–पत्र पर उपदर्शित किए जाएगा और डेरिक बूमों पर भी चिन्हांकित किया जाएगा।

(5) **उत्थापक साधित्र (पोत डेरिकस् और विन्चों से भिन्न)––**

(क) जाँच भार को ऊपर उठाया जाएगा और दोनों दिशाओं में जितनी दूरी तक संभव हो झुलाया जाएगा। यदि क्रेन के जिब या बूम का अर्द्धव्यास परिर्वतन शील है तो उसकी जाँच अधिकतम और न्यूनतम अद्धव्यासों पर जाँच भार लगा कर की जाएगी। हाइड्रोलिक क्रेनों की दशा में जब दबाव की परिसीमा के कारण मद (1) के अधीन सारणी के अनुसार में जाँच भार उठाना असंभव है तब सार्वाधिक संभव भार को जो निरापद कार्यकरण भार से अधिक होगा, उठाना पर्याप्त है।

(ख) जाँच अधिकतम, न्यूनतम और मध्यवर्ती अर्द्धव्यास बिन्दुओ पर और साथ ही चक्रानुक्रम के वृतांश के ऐसे बिन्दुओं पर जो सक्षम व्यक्ति विनिश्चित को संपादित की जाएगी। जाँच में उत्तोलन, नीचे करना, तोड़ना और सभी स्थितियों में भुनाना और सामान्यतः संपादित संक्रियाएँ सम्मिलित हैं। निरापद कार्यकरण भार लटकाकर मशीन का उसकी अधिकतम कार्यकरण गति पर परिचालन कर एक अतिरिक्त जाँच भी की जाएगी।

(6) **जाँच भार डालने के लिये स्प्रिंग या हाइड्रोलिक तुला इत्यादि का उपयोग ––** सामान्यतः सभी जाँचे स्थावर बाटों की सहायता से की जाएगी। कालिक जाँच प्रतिस्थापना या नवीकरण, की दशा में जाँच भार स्प्रिंग या हाइड्रोलिक तुला के द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, जाँच भार, जब बूम दोनों दिशाओं में यथासाध्य बाहर हो, लगाया जाएगा। जाँच को तब तक संतोषप्रद नहीं माना जाएगा जब तक कि तुला–2.0 प्रतिशत तक की यर्थार्थता के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की जाती और मशीन की सुई जाँच भार पर कम से कम पांच मिनट की अवधि के लिये स्थिर नहीं रहती।

(7) **जाँच करने वाली मशीनें और स्थावर बाट ––**

(क) जंजीरों, तार रज्जुओं और अन्य उत्थापक गियरों की जाँच के लिये उपयुक्त जाँच मशीनों का उपयोग किया जाएगाः

(ख) जाँच भार लगने, जाँच और चैक करने के लिये उपयोग में लाई जाने वाली जाँच मशीनों और तुलाओं का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा। जब तक कि वे सक्षम प्राधिकारी

द्वारा पूर्ववर्ती बारह मासों से कम से कम एक बार यथार्थता के लिये प्रमाणित न किये गए हो;

(ग) उत्थापक साधित्रों को जाँच भार लगाने में प्रयुक्त होने वाले जंगम बाट, जिनका निरापद कार्यकरण भार बीस टन से अधिक नहीं है, यथार्थता के लिये प्रमाणित यथार्थता वाली उपयुक्त तुलन मशीन द्वारा चैक किए जाएंगे।

(8) **जाँच अथवा जाँच के लिये भार लगाने के पश्चात् सम्पूर्ण परीक्षण** —— जांच अथवा जाँच के लिये भार लगाने के पश्चात् प्रत्येक उत्थापक साधित्र और सहयुक्त गियर की सम्पूर्ण जाँच यह देखने के लिये की जाएगी कि जाँच के दौरान इनका किसी भाग को नुकसान तो नहीं पहुँचा अथवा वह स्थायी तौर पर विरूपित तो नहीं हो गया।

इस प्रयोजन के लिये उत्थापक साधित्र या गियर तो उस प्रमाण तक खोला जाएगा जिसे सक्षम व्यक्ति आवश्यक समझता है।

अनुसूची 2
भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में अधिसूचनीय उपजीविका जन्य रोग
(नियम 230 (क) देखें)

1. उपजीविकाजन्य त्वचा शोथः
2. उपजीविकाजन्य कैन्सर;
3. एस्वे स्टोसिसः
4. सिलिकोसिसः
5. शीशा विषाक्तता जिसमें शीशे की किसी निर्मिती या सम्मिश्रण या उनके अनुगम की विषाक्तता सम्मिलित हैः
6. बैनेजीन विषाक्तता जिसमे इसकी किसी सजातीय, उनके नाइट्रो अथवा अमाइडो व्युत्पन्न या इसके अनुगम की विषाक्तता सम्मिलित हैः
7. उपजीविकाजन्य अस्थमाः
8. जीवनाशी विषाक्तता
9. कार्बन मोनो आक्साइड विषाक्तताः
10. विषैला पीलिया;
11. विषैली रक्तक्षीणता;
12. संपीड़ित वायु रूग्णता (रो नींव कोष्ठक);
13. शोर प्रेरित श्रवण क्षति;
14. आइसोसाइनेट विशाक्तता;
15. विषैली नैफराइटिस

अनुसूची 3
प्राथमिक उपचार पैटिका की अंतर्वस्तुएं
(नियम 231 (ख) देखें)

(प) आसुत जल अथवा उपयुक्त द्रव से भरी नेत्र प्रक्षालन बोतलों की पर्याप्त संख्या जो सभी समय दृश्यमान सुभेदक चिन्ह द्वारा स्पष्ट रूप से उपदर्शित होंगी।

(पप) 4 प्रतिशत जाइलोकेन आई ड्राप्स और बौरिक एसिड आई ड्राप्स और सोड़ा बाई कार्बोनेट आई ड्राप्स।

(पपप) चौबीस छोटी विसंक्रमित मरहम पट्टी।

(पअ) बारह मध्यम विसंक्रमित मरहम पट्टी।

(अ) बारह बड़ी विसंक्रमित मरहम पट्टी।

(अप) बारह बड़ी विसंक्रमित बर्न मरहम पट्टी।

(अपप) पन्द्रह से.मी. विसंक्रमित रूई के बारह पैकेट।

(अपपप) सिटरीमाईड घोल (1 प्रतिशत) या उपयुक्त पूर्तिरोधी घोल की बोतल (दो सौ मि.ली)।

(पग) पानी में मरक्यूरोक्रोम (2 प्रतिशत) घोल की 1 बोतल (दो सौ मि. ली.)।

(ग) साल्वोलेटाईल की 1 बोतल (एक सौ बीस मी. ली.) जिसके लेबल पर डोज और उसके देने/लगाने की रीति उपदर्शित हो।

(गप) एक कैंची।

(गपप) आसंजक प्लास्टर का एक रोल (छः सेमी. ग एक मीटर)।

(गपपप) आसंजक प्लास्टर के दो रोल (दो सेमी. ग एक मीटर) ।

(गपअ) पृथक सीलबन्द पैकेट में विसंक्रमित आई पैड के बारह पैकेट।

(गअ) सौ एस्प्रिन या किसी अन्य पीड़ाहारी सौ गोलियॉ (प्रत्येक तीन सौ पच्चीस मि. ग्रा. की) वाली एक बोतल।

(गअप) दस से. मी. चौड़ी बारह रोलर पट्टियॉ।

(गअपप) पांच से. मी. चौड़ी बारह रोलर पट्टियॉ।
(गअपपप) एक टुर्निकेट।
(गपग) उपयुक्त स्पलिन्ट की पूर्ति।
(गग) सुरक्षा पिन के तीन पैकेट।
(गगप) गुरदा ट्रे।
(गगपप) एक सर्पदंश नश्तर।
(गगपपप) पोटाशियम परमेगनेट क्रिस्टल्स वाली एक बोतल (तीस मि.ली.)।
(गगपअ) महा निदेशक द्वारा जारी किये गये प्राथमिक उपचार पर्चे की एक प्रति।
(गगअ) छः त्रिभुजाकार पट्टियॉ।
(गगअप) उपयुक्त, विसंक्रमित, असंक्रमित दस्तानों के दो जोड़े।

अनुसूची 4
(नियम 226 (ग) देखें)
एम्बुलेंस कमरे के लिये वस्तुयें

(प) एक कांचित सिंक जिसमें गर्म और ठण्डा पानी सदैव उपलब्ध रहे।
(पप) चिकने फलक वाली एक मेज जिसका फलक कम से कम 180 से.मी. ग 105 से. मी. हो।
(पपप) उपकरणों को विसंक्रमित करने के साधन।
(पअ) एक कोच।
(अ) दो स्टेचर।
(अप) दो बाल्टियॉ अथवा आधान जिनके ढक्कन ठीक से बंद होते हों।
(अपप) दो रबड़ के गर्म पानी के थैले।
(अपपप) एक केतली और स्पिरिट स्टोव अथवा पानी उबालने का कोई उपयुक्त साधन।
(पग) बारह लकड़ी के समतल स्पालीन्ट 900 से.मी. ग 100 से. मी. ग 6 से. मी.।
(ग) बारह लकड़ी के समतल स्पालीन्ट 350 से.मी. ग 15 से. मी. ग 6 से. मी.।
(गप) छह लकड़ी के समतल स्पालीन्ट 250 से. मी. ग 50 से. मी. ग 12 से. मी.।
(गपप) छह ऊनी कंबल।
(गपपप) तीन धमनी चिमटी के जोड़े।
(गपअ) स्पिरिटस् एनीमियां एरिमेशन की एक बोतल (120 मि. ली.)
(गअ) स्मैलिंग साल्ट (60 ग्राम)।
(गअप) दो मध्यम आकार की स्पंज।
(गअपप) छह छोटे तौलिए।
(गअपपप) चार गुर्दा ट्रे।
(गपग) चार हाथ धोने के साबुन की टिकिया जो अधिमानतः प्रतिरोधी हो, ।
(गग) दो पानी पीने के गिलास और दो मदिरा के गिलास।
(गगप) दो क्लीनिकल थर्मामीटर।
(गगपप) दो छोटे चम्मच।
(गगपपप) दो अंशाकित मापन गिलास (120 मि. ली.)।
(गगपअ) दो न्यूनतम मापन गिलास।
(गगअ) आँखें के प्रक्षालन के लिए एक प्रक्षालन बोतल (1000 सी. सी.)
(गगअप) कार्बोलिक लोशन – 20 में की एक बोतल (एक लीटर)
(गगअपप) तीन कुसियॉ।
(गगअपपप) एक स्क्रीन।
(गगपग) एक छोटी वैद्युत चोर बत्ती।

(गगग) चार प्राथमिक उपचार पेटिकाएँ या कपबोर्ड जिनमें अनुसूची 7 में विहित मानकों के अनुसार सामान हो।
(गगगप) टैटनस टोक्साईड की पर्याप्त आपूर्ति।
(गगगपप) मार्फिया, पेथिडाइन, एट्रोफिन, एडरेनेलिन, कोरामाइन, नोबोकाइन के टीके(प्रत्येक 6)।
(गगगपपप) क्रयमाईन द्रव (60 मि. ली.)
(गगगपअ) एन्टीहिस्टामिनिक एन्टीस्थास्मोडिक की गोलियॉ (प्रत्येक 25)।
(गगगअ) सिरिंजे– 2 सी. सी., 5 सी. सी., 10 सी. सी. और 500 सी.सी. की सुईयों के साथ।
(गगगअप) तीन शल्यक कैंचियॉ।
(गगगअपप) दो सुई पकड़ने वाले, एक छोटा और एक बड़ा।
(गगगअपपप) टांका लगाने वाली सुईयॉ और सामग्री।
(गगगपग) तीन विच्छेदन करने वाली चिमिटियॉ।
(गस) तीन मरहम पट्टियॉ करने वाली चिमटियॉ।
(गस्प) तीन छुरिकाएँ
(गस्पप) एक स्टेथेस्कोप और एक बी. पी. उपकरण।
(गस्पपप) रबड़ पट्टी – दाब पट्टी।
(गस्पअ) आक्सीजन सिलेंडर आवश्यक संलग्नकों के साथ।
(गस्अ) ट्रोपाइन ऑखों का विलेपन।
(गस्अप) आई. बी. तरल और सेट 10 संख्या में।
(गस्अपप) उचित, पाव के खुलने वाले, ढक्कन वाले, कचरे के आधान।
(गस्अपपप) पर्याप्त संख्या में विसंक्रमित, असंक्रमित दस्तानों के जोड़े।

अनुसूची 5
(नियम 227 देखें)
एम्बुलेंस वैन या गाड़ी की अन्तर्वस्तुएँ

एम्बुलेंस वैन या गाड़ी में नीचे यथाविहित उपस्कर रखे होंगेः–

(क) **साधारण** :– एक वहनीय स्ट्रेचर जिसमें मुड़ने और समायोजी युक्तियाँ हों के साथ ही स्ट्रेचर का शीर्ष भाग ऊपर उठने में समर्थ हो। उपस्कर के साथ स्थिर चूषण इकाई, उपस्कर के साथ स्थिर आक्सीजन–आपूर्ति उपकरण, गिलाफ सहित तकिया, चादरें, कम्बल, तौलिए, आपातकालीन थैला, बैड– पैन, मूत्रदानी, गिलास।

(ख) **सुरक्षा उपस्कर** –– तीन हजार मिनट तक सक्रिय रहने वाला फ्लैरोस, फलोर लाइटें, ∂लैश लाइटें, अग्निशामक (शुष्क पाउडर टाइप), विद्युतरोधी गेन्टलेट।

(ग) **आपात देखरेख उपस्करः–**

(प) **पुनर्जीवन–** वहनीय चूषण इकाई, वहनीय आक्सीजन इकाई, बेगबाल्व मास्क, हस्त–चालित कृत्रिम वातायन इकाई, वायु मार्ग, मुखबन्धनी– ट्रेकियोस्टोमी अनुकूलक, छोटा स्पाइन बोर्ड, आई0 वी0 फ्लूड लगाने वाली इकाई सहित रक्तचाप मापी यंत्र, मैनोमीटर कफ तथा स्टेथिस्कोप।

(पप) **अनम्यता ––** लम्बे और छोटे गद्देदार बोर्ड, तार सीढ़ी स्पलिंट, त्रिभुजाकार पट्टी–लम्बे और छोटे स्पाइन बोर्ड।

(पपप) **मरहम पट्टी ––** गॉज पैड – 100 मि. मी. ग 100 मि.मी., सर्वप्रयोजन मरहम पट्टी 250 मि. मि.ग 1000 मि. मी., एल्युमिनियम पन्नी का बंडल, मुलायम रोलर पट्टी 150 मि. मी. ग 5 मि. मी., चिपकने वाली टेप. 75 मि. मी. नाप की, रोल में से∂टी पिन, बैन्डेज शीट, जलन पट्टी।

(पअ) **विषाक्तता ––** इपेकाक का सिरप, सक्रियित चारकोल पूर्व पैकेटेड डोज , सर्पदशं किट और पेय जल।

(अ) **आपातकालीन दवाईयॉ ––** अपेक्षानुसार अन्य दवाईयॉ, निर्माण चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अधीन।

अनुसूची 6
निरन्तर शोर के मामले में अनुज्ञेय उच्छन
(नियम 34 देखें)

उच्छन का कुल समय (निरन्तर अथवा अल्पकालीन उच्छनों की संख्या) प्रतिदिन घंटों में	ध्वनि दाब स्तर (डी. बी. ए.)
(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1)	102
1	105
=	107
)	110
(	115

टिप्पणियाँ––

1. 115 डी. बी. ए. से अधिक का कोई उच्छन अनुज्ञात नहीं है।
2. उच्छन की किसी ऐसी अवधि के लिये, जो स्तम्भ 1 में उपदर्शित किसी अंक और उसके निकटतम ऊपर वाले अथवा नीचे वाले अंक के बीच में आती है, ध्वनी दाब स्तर अनुपातिक आधार पर बहिर्बेधन द्वारा निश्चित किया जाएगा।

अनुसूची 7
भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय जाँच की आवधिकता
(नियम 81 (पअ) और 223 (क) (पपप) देखें)

1. नियोजक ऐसे सभी भवन निर्माण कर्मकारों की जो उत्थापक साधित्रों और परिवहन उपस्करों में चालकों, आपरेटरों के रूप में नियुक्त हैं, नियुक्ति से पूर्व और बीमारी अथवा क्षति के पश्चात्, यदि यह प्रतीत होता है कि बीमारी अथवा क्षति से उसकी आरोग्यता प्रभावित हुई होगी और तत्पश्चात् चालीस वर्ष की आयु तक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष में एक बार चिकित्सीय जाँच की व्यवस्था करेगा।

2. चिकित्सीय जाँच का संपूर्ण और गोपनीय अभिलेख नियोजक अथवा नियोजक द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा रखा जायेगा।

3. चिकित्सीय जाँच में निम्नलिखित होंगेः–

(क) संपूर्ण चिकित्सीय और उपजीविकीय इतिहास।

(ख) निम्न के प्रति विशिष्ट प्रतिनिर्देश से नैदानिक जाँच––

(प) सामान्य शरीर गठन;

(पप) **दृकशक्ति :** मानक आर्थोरेटर जैसे टिटनस विजन टेस्टर का उपयोग करके संपूर्ण दृकक्षमता का प्राककलन किया जाना चाहिए और विहित कार्य मानकों के अनुसार तैनाती के लिए उपयुक्तता अभिनिश्चित की जाएगी।

(पपप) **श्रवण शक्ति :** सामान्य श्रवण क्षमता वाले व्यक्ति को चौबीस फुट की दूरी से जोर लगाकर की गई कानाफूसी सुनने में समर्थ होने चाहिए। श्रवण सहाय प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति कोलाहलपूर्ण कार्यकरण स्थितियों में चेतावनी पुकार सुनने में समर्थ होना चाहिए।

(अप) **श्वसन :** मानक पीक ∂लों मीटर का प्रयोग करते हुए पीक ∂लों की दर तथा सामान्य पीक फ्लों की दर का विनिश्चय, किये गये परीक्षण के पाठन से किया जाना चाहिये। तैनाती पूर्व चिकित्सीय जाँच के अभिलिखित परिणाम उसी व्यक्ति के, उसी ऊँचाई पर पश्चात्वर्ती जाँचों के लिए मानक निर्देश के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं।

(अ) **ऊपरी अंग :** दोनों बाजुओं की पर्याप्त क्रियाशीलता और पकड़

(अप) **निचला अंग :** टांगों और पांवों की पर्याप्त क्रियाशीलता।

(अपप) **रीढ़ की हड्डी :** सम्बन्धित कार्य के लिए पर्याप्त नम्यता।

(अपपप) **साधारण :** बुद्धि के साथ अच्छी दृष्टि, हाथ और पावं समन्वयन के साथ मानसिक सतर्कता और स्थिरता।

(ग) अन्य कोई परीक्षण जो जाँच करने वाला डाक्टर आवश्यक समझे।

अनुसूची 8
(नियम 209 (1) और (2) देखें)
सुरक्षा अधिकारियों की संख्या, अर्हताएं , कर्त्तव्य इत्यादि

सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

सुरक्षा अधिकारियों की संख्या––

इन नियमो के प्रवर्तन के छह माह के भीतर प्रत्येक स्थापन जो पांच सौ से अधिक भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजनकर्ता है और प्रत्येक अन्य भवन निर्माण कर्मकार का नियोजक नीचे दिये गये मान में यथाअधिकथित सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

1. 1000 भवन निर्माण कर्मकारों तक –– एक सुरक्षा अधिकारी
2. 2000 भवन निर्माण कर्मकारों तक –– दो सुरक्षा अधिकारी

3. 5000 भवन निर्माण कर्मकारों तक —— तीन सुरक्षा अधिकारी

4. 10000 भवन निर्माण कर्मकारों तक —— चार सुरक्षा अधिकारी

प्रत्येक अतिरिक्त 5000 भवन निर्माण कर्मकारों या उसके भाग के लिये एक सुरक्षा अधिकारी।

प्रत्येक नियुक्ति के समय ऐसे सुरक्षा अधिकारी की अर्हताओं, सेवा के निर्वधन और शर्तों के पूर्ण ब्यौरे देते हुये क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को अधिसूचित की जाएगी।

(क) कोई व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र तब होगा जबकि वहः

(प) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या स्थापत्यकला के किसी शाखा में मान्यता प्राप्त उपाधि रखता हो और उसे किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में पर्यवेक्षक की हैसियत में कम से कम 2 वर्ष के कार्य का व्यावहारिक अनुभव हो अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक हो और उसे किसी भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में पर्यवेक्षक की हैसियत से कम से कम पांच वर्ष की अवधि का व्यवहारिक अनुभव होः

(पप) औद्योगिक सुरक्षा में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा धारक हो जिसका कम से कम एक प्रश्नपत्र सन्निर्माण सुरक्षा (ऐच्छिक विषय के रूप में) हो; और

(पपप) उस निर्माण स्थल के, जहाँ उसकी नियुक्ति की जानी है, बहुसंख्यक भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की पर्याप्त जानकारी रखता हो।

(ख) खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट उपबंध के होते हुए भी कोई व्यक्ति जोः—

(प) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या स्थापत्यकला में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा धारक है और ऐसे क्षेत्र में जो कारखाना अधिनियम, 1948 या डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1996 के प्रशासन से जुड़ा है, कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता है;

(पप) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा धारक है तथा भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य से जुड़े क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव या किसी उद्योग, बन्दरगाह अथवा संस्थान या किसी स्थापन में दुर्घटना निवारण के क्षेत्र में अध्ययन, परामर्श या अनुसंधान कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो भी ऐसे सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

परन्तु यह कि, ऐसे व्यक्ति के मामले में जहाँ कोई व्यक्ति भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य से जुड़े किसी उद्योग या बन्दरगाह, , संस्थान या किसी स्थापन में सुरक्षा अधिकारी के रूप में , इन नियमों के प्रवृत होने की तारीख को कम से कम तीन वर्ष तक कार्यरत रहा हो, वहां मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, उपर्युक्त अर्हताओं में से सभी को अथवा किसी एक शर्त को शिथिल कर सकता है।

सेवा की शर्तें :

(क) जहाँ नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक से अधिक हो, वहाँ उनमें से एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अभिहित किया जाएगा और उसकी प्रास्थिति अन्य से ऊपर होगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी उपखंड (पअ) में परिकल्पित सभी सुरक्षा कृत्यों का और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाले अन्य सुरक्षा अधिकारियों का समग्र प्रभारी होगा।

(ख) मुख्य सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी, जहाँ केवल एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त है, को वरिष्ठ कार्यपालक की प्रास्थिति दी जायेगी और वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा। सभी अन्य सुरक्षा अधिकारियों को समुचित प्रास्थिति प्रदान की जायेगी ताकि वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके।

(ग) सुरक्षा अधिकारियों, जिनमें मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी सम्मिलित है, को वही वेतनमान और भत्ते तथा सेवा शर्तें प्रदान की जायेंगी जो उस स्थापन में जिसमें वे नियोजित हैं, के तत्समान प्रास्थिति के अधिकारियों की है।

सुरक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य :—नियोजक को उसकी कानूनी अथवा अन्य वैयक्तिक क्षति की रोकथाम और सुरक्षित कार्यकरण वातावरण बनाए रखने संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सलाह और सहायता देना है। इन कर्त्तव्यों में निम्न हैं, अर्थात्:—

(प) भवन निर्माण कर्मकारों को, वैयक्तिक क्षति के प्रभावी नियंत्रण के उपायों की योजना बनाने और उनके आयोजन करने के लिए सलाह देना;

(पप) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चुने हुये कार्यकलापों का विस्तृत सुरक्षा अध्ययन करना;

(पपप) वैयक्तिक क्षति को रोकने के लिये की गयी या प्रस्तावित कार्य की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना;

(पअ) वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण की खरीद की सलाह देना और उसकी गुणवत्ता को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना;

(अ) भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कार्य की, वास्तविक परिस्थतियों और भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा अपनाए जाने वाली कार्य पद्वति और प्रक्रिया के संप्रेक्षण के लिये सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित वास्तविक परिस्थितियों को दूर करने और भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा किए जाने वाले असुरक्षित कार्यों को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले उपायो पर सलाह देना;

(अप) सभी घातक और अन्य चुनी हुई दुर्घटनाओं का अन्वेषण करना;

(अपप) उपजीविका जन्य रोग लगने के मामलों और रिपोर्ट किए जाने योग्य खतरनाक घटनाओं का अन्वेषण करना;

(अपपप) ऐसे अभिलेख को, जो दुर्घटनाओं खतरनाक घटनाओं और उपजीविका जन्य रोगों के संबंध में आवश्यक है बनाए रखने पर सलाह देना;

(पग) सुरक्षा समितियों के कार्यकरण को बढ़ावा देना और ऐसी समितियों के सलाहकार के रूप में कार्य करना;

(ग) संबंधित विभागों के सहयोजन से अभियान, प्रतिस्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों का, जो भवन निर्माण कर्मकारों की कार्य सुरक्षित परिस्थियों और प्रक्रियाओं की स्थापना में अभिरूचि बढ़ाए और बनाए रखे;

(गप) भवन निर्माण कर्मकारों की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्वतंत्र रूप से या अन्य अभिकरणो के सहयोग से उपयुक्त प्रशिक्षण या शिक्षा कार्यक्रम डिजाइन करना और चलाना;

(गपप) स्थापन के ज्येष्ट अधिकारियों के परामर्श से सुरक्षा नियमों को बनाना और सुरक्षित कार्यकरण पद्वतियों को विकसित करना:

(गपपप) बन्दरगाहों, स्थापन के भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्यों में ली जाने वाली सुरक्षा सावधानियों का पर्यवेक्षण करना और मार्गदर्शन करना।

सुरक्षा अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाएँ।

प्रत्येक नियोजक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाऍ उपस्कर और जानकारी उपलब्ध कराएगा जो उसके कर्त्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिये आवश्यक है।

अन्य कर्त्तव्यों के पालन का निषेधः

किसी सुरक्षा अधिकारी से ऐसा कोई कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो इस अनुसूची में विहित कर्त्तव्यों के पालन से असम्बद्ध हो, असंगत हो या उनके लिये अहितकर हो ।

छूटें:

मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण, किसी नियोजक अथवा नियोजकों के समूहों को, इन नियमों के किन्हीं या सभी उपबन्धों से ऐसी शर्तों के साथ छूट प्रदान कर सकता है, जो उसके अनुमोदन और लिखित आदेश के पश्चात् अधिसूचित किए जायें कि इन नियमों की पालना के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है।

अनुसूची 9
(नियम 225 देखें)
परिसंकटमय प्रक्रिया

(1) छत का कार्य;
(2) इस्पात का परिनिर्माण;
(3) पानी के भीतर और सतह से ऊपर कार्य;
(4) ध्वस्तीकरण।
(5) परिरूद्ध स्थानों पर कार्य;

अनुसूची 10
(नियम 225 (ख) देखें)
व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाएं और सुविधाएँ

(1) ऐसे भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में जो एक हजार तक कर्मकारों का नियोजन करता है, के लिये एक पूर्णकालिक सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मकारों या उसके भाग के लिये एक अतिरिक्त सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी।
(2) प्रत्येक सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी के साथ कार्य के सभी घंटों में स्टाफ जिसमे एक नर्स, एक ड्रेसर, कम्पाउण्डर, सफाई वाला एवं सह वार्ड बॉय सम्मिलित है।
(3) व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसका फर्श क्षेत्र न्यूनतम पन्द्रह वर्ग मीटर हो जिस पर चिकनी और इम्परवियस दीवार वाले दो कमरे बने हों और जो पर्याप्त मात्रा में प्रदीप्त और संवातित हों।
(4) दिन प्रतिदिन के उपचार के लिये पर्याप्त उपस्कर।
(5) किसी चिकित्सीय आपात का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक उपस्कर।

अनुसूची 11
(नियम 119 (2) और नियम 225 (ग) देखें)
सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी की अर्हता

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एम.बी.बी.एस. की उपाधि; और
(2) औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा अथवा औद्योगिक स्वास्थ्य या सामान्य स्वास्थ्य में प्रशिक्षण का समतुल्य स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र।
(3) ऐसे चिकित्सा अधिकारी के लिये जिसको खानों, बन्दरगाहों तथा गोदीयों, कारखानों और भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्यों में नियोजित कर्मकारों से संबंधित नीति निर्धारण, निष्पादन तथा सलाह के साथ–साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यकरण अनुभव हो। मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण के समाधान के अध्यधीन, उपर्युक्त मद संख्या (2) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त होना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) उपरोक्त प्रमाण–पत्र के लिये निर्धारित तथा ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले संगठनों का अनुमोदन उत्तरांचल सरकार द्वारा किया जायेगा जो समय–समय पर ऐसे संगठनों का पैनल भी बना सकेगी।

(5) सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी का नाम, अर्हताएं और अनुभव के संबंध में सम्पूर्ण विशिष्टियां अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को संसूचित की जाएँगी।

अनुसूची 12
(नियम 152 (क) देखें)
कार्य वातावरण में कतिपय रासायनिक पदार्थों का अनुज्ञेय स्तर

क्रम संख्या	पदार्थ	उच्छन की अनुज्ञा सीमा टाईम–वेड औसत सांद्रता (टी डब्ल्यू ए) (8 घंटे)		लघु अवधि उच्छन की सीमा (एस टी इ एल) (15 मिनट)'	
		पी. पी. एम.	मि.ग्रा. /मि.	पी.पी.एम.	मि.ग्रा./मि.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एसिटेलडीहाइड	100	180	150	270
2.	एसिटिक एसिड	10	25	15	37
3.	एसिटोन	750	1780	1000	2375
4.	एरोलिन	0.1	0.25	0.3	0.8
5.	एकिलोनाइटराइल – स्किन	2	4.5	–	–
6.	(एस.सी)	–	0.25	–	–
7.	एल्ड्रिन–स्किन	1	3	2	6
8.	एलाइल क्लोराइड	25	18	35	27
9.	अमोनिया	2	10	–	–
10.	एनीलाइन– स्किन	0.1	0.5	–	–
11.	एनीसाइडाइन (ओ–पी–आइसोमर) –स्किन	–	0.2	–	–
12.	आरसिनिक एण्ड	10	30	–	–
13.	सॉलूबिल कम्पाउन्डस् (ए.एस. के रूप में)	–	0.002	–	–
14.	बेनजीन (एस.सी.)	1	3	–	–
15.	बेरिलियम और कम्पाउन्डस् (बी.ई.के रूप में) (एस.सी.) बोरोन ट्राइ∂लोराइड –सी ब्रोमीन	0.1	0.7	0.3	2

' ऊर्ध्वाधर एल्यूट्रिएटर काटन डस्ट सैंपलर द्वारा यथा मापित लाइन फ्री डस्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	ब्यूटेन	800	1900		
17.	2. ब्यूटानोन (मेथायल इथायल कीटोन– एम बी के)	200	590	300	885
18.	एन – ब्युटाइल	150	710	200	950
19.	एसीटेट	50	150	–	–
20.	एन–ब्युटाइल एल्कोहल – स्किन – सी	200	950	–	–
21.	सेकेण्डरी /टर्शरी ब्युटाइल एसीटेट	0.5	1.5	–	–
22.	ब्युटाइल मर्कपटान				
	केडमियम धूल और साल्ट	–	0.05	–	–
23.	(सीडी के रूप में)	–	2	–	–
24.	केल्शियम आक्साइड	–	5	–	–
25.	कार्बटाइल (सेविन)	–	0.1	–	–
26.	कार्बोफयुरान (फयुराडान)	10	30	–	–
27.	कार्बन डाइसल्फाइड – स्किन	50	55	400	440
28.	कार्बन मोनोआक्साइड				
	कार्बन टैट्राक्लोराइड– स्किन	5	30	–	–
29.	(एस.सी)	–	0.5	–	–
30.	क्लोरडेन – स्किन	1	3	3	9
31.	क्लोरिन	75	350	–	–
32.	क्लोरोबेनजीन (मीनोक्लोरोबेनजीन)	10	50	–	–
33.	क्लोरोफार्म (एस.सी)	0.001	0.005	–	–
34.	बिस (क्लोरोमेथाइय (ईथर) एच. सी.)	–	0.05	–	–
35.	क्रोमिक एसिड और क्रोमेटस (सी आर के रूप में)	–	0.5	–	–
36.	(पानी में विलय)	–	0.2	–	–
37.	क्रोमस साल्ट्स (सी.आर.के रूप में)	–	0.2	–	–
38.	कॉपर फयूम	5	22	–	–
39.	काटन धूल, कच्ची	–	1	–	–
40.	क्रिसोल, सभी आइसोनर – स्किन	10	20	–	–
41.	सायनाइड्स (सी. एन. के रूप में) –	–	1	–	–
42.	स्किन	0.01	0.1	–	–
	सायनोजन				
	डी. डी. टी. (डाइक्लोरो डाइफिनायल ट्राइक्लोरोइचेन)				
	डिमेटोन – स्किन				

लाइन मुक्त धूल जो वर्टीकल इलूट्रीएटर काटन – धूल साम्पलर द्वारा मापी गई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.	डायोजिनोन –	–	0.1	–	–
44.	स्किन	–	5	–	–
45.	डायब्युटाइलो थेलेट	0.1	1	–	–
46.	डायक्लोरवोस (डी. डी. वी. पी.) –	–	0.25		
47.	स्किन	0.15	1	–	–
48.	डाइएल्ड्रिन – स्किन	–	1.5	–	–
49.	डाइनाइट्रोबेनजीन (सभी आइसामर)	0.2	1.5	–	–
50.	स्किन	–	0.1	–	–
51.	डाइनाइट्रोटोलबीन– स्किन	–	0.1	–	–
52.	जाइफिनाइल (बायफिनाइल)	400	1400		
53.	एन्डोसल्फेन	1000	1900	–	–
54.	(थायोडेन – स्किन)	10	18	–	–
55.	इन्ड्रिन– स्किन	–	2.5	–	–
	इथायल एसीटेट	1	2	–	–
56.	इथायल एल्कोहल	1	4	2	4
57.	इथायल अमीन	1.0	1.5	2	3
58.	फलोराइड (एफ के रूप में)	5	9	–	–
59.	फलोरीन	300	900	500	1500
60.	फोरमेल्डीहाइड (एस. सी)	0.1	0.1	–	–
61.	फोर्मिक एसिड	5	7	–	–
62.	गैसोलीन	10	10	–	–
63.	हाइड्राजीन– स्किन	3	2.5	–	–
64.	हाइड्रोजन–क्लोराइड – सी				
65.		1	1.5	–	–
66.	हाइड्रोजन साइनाइड – स्किन – सी	10	14	15	21
		0.1	1	–	–
67.	हाइड्रोजन फलोरीन (एफ के रूप में) – सी	–	5	–	–
68.	हाइड्रोजन परआक्साइड	100	525	–	–
69.		100	360	125	450
70.	हाइड्रोजन सल्फाइड	50	150	–	–
71.	आयोडीन – सी	–	0.15	–	–
	आयरन आक्साइड फयूम (एफ ई ओ) (एफ. ई. के रूप में)	–	0.5	–	–
72.	आइसोएमाइल एसीटेट	–	10	–	
73.					–
74.	आइसोएमाइल एल्कोहल	–	5	–	
	आइसोब्युटाइल एल्कोहल				
	सीसा, इनओर्गेनिक धूलें और फयूम (पी.				

	बी. के रूप में) लिनडने – स्किन मेलाथिओन – स्किन मेंगनीज डस्ट एण्ड कम्पाउंडस एज एम एन सी				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75.	मेंगनीज डस्ट (एज एम एन)	–	1	–	–
76.	मरकरी (एज एच. जी..)	–	0.01	–	0.03
	– स्किन	–	0.05	–	–
	(प) एल्कायल सम्मिश्रण				
	(पप) एल्कायल वाष्प के सिवाय सभी रूप	–	0.1	–	–
77.	(पपप) एल्कायल और इनआर्गेनिक सम्मिश्रण	200	260	250	310
78.	मिथायल एल्कोहल (मिथानोल) – स्किन	5	16	–	–
79.	मिथायल कोलोसाल्व (2– मिथोक्सी – इथेनोल)	50	205	75	300
80.	– स्किन	0.02	0.05	–	–
81.	मिथायल आइसोब्युटाइल	10	50	15	75
82.	किटोन	0.05	0.35	–	–
83.	मिथायल आइसोसायनेट – स्किन	2	5	4	10
84.		25	30	–	–
85.	नेपथालीन	1	5	–	–
86.	निकेल कार्बोनायल	3	6	5	10
87.	(एन आई के रूप में)	–	5	–	10
88.	नाइट्रिक एसिड	0.1	0.2	0.3	0.6
89.	नाइट्रिक आक्साइड	–	0.1	–	–
90.	नाइट्रोबेनजीन – स्किन	5	19	–	–
91.	नाइट्रोजन डाइआक्साइड	–	0.05	–	0.2
92.	आयल मिस्ट, मिनरल	0.1	0.4	–	–
93.	ओजोन	0.3	0.4	1	1
94.	पैराथिओन – स्किन	–	1	–	3
95.	फिनोल – स्किन	–	0.1	–	–
96.	फोरेट (थिमेट) – स्किन	0.1	1	–	–
97.	फॉसजीन (कार्बोक्साइल क्लोराइड)	0.2	1.5	0.5	3
98.		–	0.1	–	0.3
99.	फॉसफीन	5	15	–	–
100.	फासफोरिक एसिड	7	–	–	–
101.	फासफोरिक (पीला)	–	2	–	–
102.	फासफोरस पेन्टाक्लोराइड फासफोरस ट्राईक्लोराइड	50	215	100	425
103	पिअरे एसिड – स्किन	2	5	5	10
104.	पिरिडीन	1000	6000	–	–
105.	सिलेन (सिलिकोन	–	1	–	–
106.	टैट्राहुड्राइड)5	–	0.1	–	–

107.	सोडियम हाइड्रोक्साइड –	100	375	150	560
108.	सी	2	9	–	–
109.	सटाइरीन, मोनोमर	0.2	2.5	–	–
110.	(फिनायल – इथायलीन)	50	270	200	1080
111.	सल्फर डाइआक्साइड	–	0.2	–	0.6
112.	सल्फर हैक्सा फ्लोराइड	5	10	–	–
113.	सल्फ्यूरिक एसिड	–	5	–	–
114.	ट्रेट्रा इथाइललिड (पीबी के	100	435	150	655
115.	रूप में) स्किन				
	टोलयून (टोलयूल)	–	5.0	–	10
	ओ – टीलबीडीन – स्किन(	–	10.0	–	–
	एस.सी.)				
116.	ट्राइब्यूटवी फास्फेट	–	5	–	10
	ट्राईक्लोराइथायलीन				
	यूरेनियम प्राकृतिक (यू के				
	रूप में)				
	विनायल क्लोराइड (एच.सी)				
	वेलडिंग फ्यूम				
	जाइलीन(ओ–, एम–,				
	पी–आइसोमर)				
	जिंक आक्साइड				
	(1) फ्यूम				
	(2) धूल (कुल धूल)				
	जिरकोनियम सम्मिश्रण (				
	जेड आर के रूप में)				

पी.पी.एम 250 से. और एच. जी के 760 मि.मी. पर वोल्यूम से दूषित वायु के प्रति दस लाख भाग में वाष्प अथवा गैस के भाग।

मि. ग्रा./मी. वायु के प्रति क्यूबिक मीटर में पदार्थ के मिलीग्राम।

* एक दिन में 4 बार से अधिक नहीं और आनुक्रमिक उच्छन्नों में कम से कम 60 मिनट का अंतराल हो।

** मि.ग्रा. /मी. $\frac{\text{त्र मालीक्यूलर भार ग्र पी पी एम}}{24.45}$

जी. अधिकतम सीमा का द्योतक है।

त्वचा त्वचीय मार्ग से जिसमें श्लेष्म झिल्ली और ऑख भी सम्मिलित है, होने वाले समग्र उच्छन्न को संभाव्य अभिदाय का द्योतक है।

एस.सी. संदिग्ध मानवीय कर्कट जनकों का द्योतक है।

एच.सी. कुष्ट मानवीय कर्कट जनकों का द्योतक है।

पदार्थ औसत	अनुज्ञेय टाइम बेएड औसत सांद्रता (टी. डब्ल्यू ए) (8 घण्टे)
सिलिका, एस. आई.ओ. (क) स्फाटकीय (प) स्फाटिक	
(1) धूल गणना के रूप में	10600 ―――――――― एम.पी.पी.ई.एम. : स्फाटिक = 10
(2) सांस लेने योग्य धूल के रूप में	10 ―――――――― मि.ग्रा./मी3 : सांस लेने योग्य स्फाटिक. 2
(3) कुल धूल के रूप में	30 ―――――――― मि.ग्रा/मी3 : स्फाटिक. 3
(पप) क्रिस्टोवलाइट	स्फाटिक के प्रति दी गई सीमा से आधी।
(पपप) ट्राइडवमाइट	स्फाटिक के प्रति दी गई सीमा से आधी।
(पअ) सिलिका, फ्यूस्ड	वह सीमा जो स्फाटिक के लिये है।
(अ) ट्राइपोली	वह सीमा जो मद (2) में सूत्र में स्फाटिक के प्रति दी गई है।
(ख) एमार्फस सिलिकाकेट्स	10 मि. ग्रा/मी3.,कुल धूल
एस्बेस्टस (एच.सी)	* फाईबर्स/मि.ली लंबाई में 5 मी. से अधिक और चौड़ाई में 3 मी. से कम जिसका लंबाई चौड़ाई अनुपात 3 : 1 के समतुल्य या अधिक है।
पोर्टलैंड सीमेंट	10 मि.ग्रा./मी3कुल धूल जिसमें स्फटिक 1 : से कम है।
कोयला धूल	2 मि.ग्रा. /मी3 सांस लेने योग्य धूल का भाग जिसमें स्फटिक 5 : से कम है।

एम पी. पी सी एम — लाईट – फील्ड तकनीकों द्वारा गणित इमपिंगर सैम्पल पर आधारित वायु के प्रति क्यूबिक मीटर में दस लाख कण।

* जैसा कि 400–450 ग मेग्निफिकेशन (4. मि.मी. आबजेक्टीव) फेस कन्ट्रास्ट इल्मुमिनेशन पर मेक्वरेन फिल्टर विधि द्वारा यथाअवधारित सांस लेने योग्य धूल।

निम्नलिखित लक्षणों वाला भाग जो साइज – सलैक्टर से गुजरता है।

एअरोडायनमिक व्यास (मी.) (यूनिट डेन्सिटी स्फीयर)	सलैक्टर से गुजरनेवाला :
(1)	(2)
ढ2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25
10	0

प्ररूप–८
(नियम 23 (1) देखें)

भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने वाले स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन

1. स्थापन का नाम और अवस्थिति जहाँ भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है।
2. स्थापन का डाक पता।
3. स्थापन का पूरा नाम और स्थायी पता, यदि कोई हो।
4. स्थापन के प्रबंधक अथवा उसके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता।
5. स्थापन मे किये जा रहे /किये जाने वाले भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य की प्रकृति।
6. किसी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या।
7. भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अनुमानित तिथि।
8. भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य समाप्त होने की अनुमानित तिथि।
9. संलग्न किए गये मांग–देय ड्राफ्ट की विशिष्टियॉ (बैंक का नाम, धनराशि, मांग–देय ड्राफ्ट का क्रमांक और तारीख)।

नियोजक द्वारा घोषणाः

(प) मैं, घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियॉ मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

(पप) मैं भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूँ।

मुख्य नियोजक
मुद्रा सहित स्टांप

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन)
अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के
अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय।

आवेदन प्राप्ति की तारीखः

प्ररूप –पप

(नियम 24 (1) देखें)

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उत्तरांचल सरकार

संख्या...................................... **दिनांक ....**

....

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा (3) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, उपाबंध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए
मेसर्स..को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र प्रदान किया जाता है।

1. उस स्थान का डाक का पता/अवस्थिति, जहां नियोजक द्वारा भवन निर्माण अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है।
2. नियोजक का नाम और पता जिसमें भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य की अवस्थिति भी सम्मिलित है।
3. स्थापन का नाम और स्थायी पता।
4. उस कार्य की प्रकृति जहां भवन निर्माण कर्मकार नियोजित है या नियोजित किये जाते हैं।
5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या।
6. कार्य के प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख।
7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिये अन्य सुसंगत विशिष्टियॉ ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सील सहित हस्ताक्षर

उपाबंध

यहाँ ऊपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये , अर्थातः–

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र अहस्तांतरणीय होगा;

(ख) किसी भी दिन स्थापन में नियोजित कर्मकार रहते हुए या भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को प्रदान करने के लिए संदत्त की गई फीस अप्रतिदेय होगी;

(घ) भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजक द्वारा संदेय मजदूरी की दर, ऐसे नियोजन के लिए जहॉ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) के अधीन विहित दरों से कम नहीं होगी और जहां, दरें किसी करार, समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गई हैं वहां इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होंगी, और

(ङ) नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

प्ररूप– ए
(नियम 24 (2) और 25(2) देखें)

स्थापनों का रजिस्टर

क्रम.संख्या (1)	रजिस्ट्रीकरण सं. और तारीख (2)	रजिस्ट्रीकृत स्थापन का, जहाँ भवन निर्माण अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य होना है, नाम और पता व अवस्थिति (3)	नियोजक का नाम और उसका पता (4)	भवन निर्माण अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य की प्रकृति (5)

स्थापन का नाम और स्थायी पता (6)	कार्य प्रारंभ होने की संभावित तारीख (7)	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या (8)	भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की संभाव्य कालावधि और कार्य समाप्ति की संभावित तारीख (9)	टिप्पणियाँ (10)

प्ररूप – पट
(नियम 26 (3) और नियम 239 (1) देखें)

भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारंभ/समाप्ति की सूचना

1. (प) स्थापन का नाम और स्थायी पता ....
   (पप) नियोजक का नाम और पता...
2. स्थान का नाम और स्थिति, जहाँ भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य करने का प्रस्ताव है,........ ....
3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की संख्या और तारीख...
4. सन्निर्माण कार्य के भारसाधक व्यक्ति का नाम और पता
5. वह पता जहाँ भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित संसूचना भेजी जा सके
6. अन्तर्ग्रस्त कार्य की प्रकृति और सुविधायें जिसमें दी गई संयत्र या मशीनरी भी है।
7. भवन निर्माण अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले विस्फोटक, यदि कोई हो तो, उसकी भण्डारण व्यवस्था
8. कार्य प्रारंभ करने की सूचना मात्र की स्थिति में, कार्य की संभावित कालावधि

मैं/हम सूचना देता हूँ/देते हैं कि भवन निर्माण अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य (कार्य का नाम) जिसका राजिस्ट्रीकरण सं.....तारीख.....है.....तारीख से/को प्रारंभ/समाप्त होने की संभावना है।

नियोजक के हस्ताक्षर
दिनांक

सेवा में,
निरीक्षक,
.....

.....

प्ररूप – ट
(नियम 56 और नियम 74 (ख), अनुसूची 1 देखें)

विंच, डेरिक और उनके उपसाधन गियर के प्रारंभिक तथा कालिक जाँच और परीक्षण का प्रमाण–पत्र

परीक्षण प्रमाण–पत्र सं.....

सन्निर्माण स्थल की दशा में, उस सन्निर्माण स्थल का नाम जहाँ उत्थापक साधित्र फिट/अवस्थित/संस्थापित है।

सुभेदक संख्याँक या चिन्ह (यदि कोई है) सहित उन उत्थापक साधित्रों और गियर की स्थिति और वर्णन जिनकी सम्पूर्ण जाँच और परीक्षण किया गया है। (1)	क्षैतिज डैरिक बूम का वह कोण जिस पर परीक्षण भार लगाया गया है (डिग्री) (2)	लगाया गया परीक्षण भार (टन) (3)	स्तंभ (2) में दिखाए गए कोण पर निरापद कार्य करण भार (टन) (4)	जाँच और परीक्षण करने वाली लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म या परीक्षण स्थापन का नाम और पता (5)	लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म या परीक्षण स्थापन के सक्षम व्यक्ति का नाम और पद (6)

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि स्तंभ (1) में दर्शाए उत्थापक साधित्र को उसके आवश्यक गियर के साथ तारीख..... तथा पीछे वर्णित रीति के अनुसार मेरी उपस्थिति में परीक्षण किया गया और

यह कि उक्त उत्थापक साधित्र की सावधानीपूर्वक की गयी जाँच के पश्चात् परीक्षण में यह दर्शाया गया है कि इसने बिना किसी हानि या स्थायी विरूपता के परीक्षण भार को सहन कर लिया है और उक्त उत्थापक साधित्र और उपसाधन गियर का निरापद कार्यकरण भार स्तंभ (4) में दर्शाया गया है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर तारीख.....

.....

सील

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण /प्राधिकार संख्या

प्ररूप – टप

(नियम 56 और नियम 74 (ख) देखिए)

क्रेनों या उत्तोलकों और उनके उपसाधन गियर के प्रारंभिक और कालिक परीक्षण और जाँच का प्रमाण–पत्र

परीक्षण प्रमाण–पत्र सं.....

सन्निर्माण स्थल का नाम जहाँ पर क्रेन या उत्तोलक फिट/अवस्थित/संस्थापित हैः–

स्थिति और वर्णन (1)	जिब–क्रेन के लिये अर्द्धव्यास पर परीक्षण भार लगाया गया था (मीटर) (2)	लगाया गया परीक्षण भार (टन) (3)	जिब–क्रेन के लिये सुरक्षित कार्यकरण भार स्तंभ (2) में दर्शाए गए अर्द्धव्यास पर है (टन) (4)	परीक्षण और जाँच करने वाले लोक सेवा, संगम, कम्पनी या फर्म अथवा परीक्षण स्थापन का नाम और पता (5)	लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म अथवा परीक्षण स्थापन के सक्षम व्यक्ति का नाम और पद (6)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि .....वर्ष की तारीख ..... को उपरोक्त उत्थापक साधित्रों की उसके उपसाधन गियर के साथ, दूसरी ओर दी गई रीति से परीक्षण किया गया था के पश्चात् उक्त उत्थापक साधित्र और गियर की सावधानीपूर्वक जाँच ने यह दर्शाया है कि इसमें बगैर किसी हानि अथवा स्थायी विरूपता के परीक्षण भार को सहन कर लिया है और उक्त उत्थापक साधित्र तथा गियर को सुरक्षा कार्यकरण भार को स्तंभ (4) में दर्शाया गया है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर तारीख

मोहर

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकार संख्या

प्ररूप– टप्प
(नियम 70 और 74 (ख) देखिए)

लूज गियर की प्रारंभिक और कालिक जाँच तथा परीक्षण का प्रमाण–पत्र

परीक्षण प्रमाण–पत्र सं...

सन्निर्माण स्थल का नाम जहाँ पर लूज गियर फिट/अवस्थित/संस्थापित हैं:

सुभेदक– क्रमांक अथवा चिन्ह (1)	गियर/युक्ति का वर्णन, परिमाप तथा प्रयुक्त सामग्री (2)	परीक्षण संख्या (3)	परीक्षण की तारीख (4)	लगाया गया परीक्षण भार (टन) (5)	निरापद कार्यकरण भार (नि.का.भा.) (टन) (6)

विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता का नाम और पता (7)	प्रारंभिक परीक्षण और जाँच प्रमाण–पत्र सं. और तारीख (केवल कालिक जांच और परीक्षण की दशा में) (8)	जाँच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म अथवा परीक्षण स्थापन का नाम और पता (9)	लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म अथवा परीक्षण स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद (10)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि .... वर्ष की तारीख .... को उपरोक्त गियर का परीक्षण किया गया था और दूसरी ओर दी गई रीति से परीक्षण कि उक्त गियर/युक्ति की परीक्षण ने यह दर्शाया कि इसमें बिना किसी हानि अथवा विरूपता के परीक्षण भार को सहन कर लिया है और उक्त गियर/युक्ति के सुरक्षा कार्यकरण भार स्तंभ (6) में दर्शाया गया है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर तारीख
सीील
सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकार संख्या

प्ररूप – टप्पप
(नियम 62 और नियम 74 (ख) देखिए)

उपयोग में लाए जाने से पूर्व तार–रस्सी या रज्जु की जाँच और परीक्षण का प्रमाण–पत्र

परीक्षण प्रमाण – पत्र सं...

(1) विनिर्माता के आपूर्तिकर्ता का नाम और पता:
(2) (क) रज्जु की परिधि/व्यास
(ख) लड़ियों की संख्या
(ग) प्रति लड़ी तार की संख्या
(घ) बल (बटन)

(ङ) सार भाग

(3) तार की क्वालिटी (जैसे उत्तम प्लाउ स्टील, इत्यादि)

(4) (क) रज्जु के नमूना–परीक्षण की तारीख

(ख) वह भार जिस पर नमूना टूटा हो (टनों में)

(ग) रज्जु का सुरक्षित कार्यकरण भार (टनों में)

(घ) आशायित उपयोग

(5) जाँच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म अथवा परीक्षण स्थापन का नाम और पता,

(6) लोक सेवा, संगम, कम्पनी या फर्म अथवा परीक्षण स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद

मै, यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विशिष्टियाँ सही हैं तथा यह जाँच और परीक्षण मेरे द्वारा किए गए हैं और इसमें कोई त्रुटि नहीं मिली जिससे उसका सुरक्षित कार्यकरण भार (सु.का.भा) प्रभावित हो।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर सील तारीख

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकार संख्या

प्ररूप – घ

(नियम 72 और नियम 74 (ख) देखिए)

लूज–गियर के तापानुशीतन का प्रमाण–पत्र

परीक्षण प्रमाण–पत्र सं.....

सन्निर्माण स्थल का नाम, जहाँ पर लूज–गियर फिट/अवस्थित/स्थापित किए गए हैं:

सुभेदक चिन्ह अथवा संख्या (1)	गियर का वर्णन (2)	जाँच और परीक्षण प्रमाण–पत्र सं. (3)	तापानुशीतित संख्या (4)	तापानुशीतन की तारीख (5)	तापानुशीतन के पश्चात् सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर पाई गई त्रुटियाँ (6)

तापानुशीतन और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म अथवा परीक्षण स्थापन का नाम और पता (7)	लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म अथवा परीक्षण स्थापन के सक्षम व्यक्ति का नाम और पद (8)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि स्तम्भ (1) से (4) में वर्णित गियर स्तम्भ (5) में दर्शाई गई तारीख को, मेरे पर्यवेक्षण के अधीन प्रभावी तौर पर तापानुशीतित की गई थी और यह कि इस प्रकार तापानुशीतन के पश्चात्, प्रत्येक वस्तु का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया गया और यह कि इसमें स्तम्भ (6) में उपदर्शित त्रुटियों से भिन्न इसकी सुरक्षा कार्यकरण दशा को प्रभावित करने वाली अन्य कोई त्रुटि नहीं मिली।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर सील तारीख

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकार संख्या

प्ररूप – ग

(नियम 69 और 73 देखिए)

तापानुशीतन से छूट प्राप्त लूज–गियर का सम्पूर्ण वार्षिक जाँच प्रमाण–पत्र

सन्निर्माण स्थल का नाम, जहाँ पर उत्थापक गियर फिट/ अवस्थित/स्थापित हैं :

सुभेदक चिन्ह अथवा संख्या (1)	गियर का वर्णन (2)	आरंभिक और कालिक जाँच और परीक्षण के प्रमाण–पत्र की संख्या (3)	टिप्पणियाँ (4)	जाँच और परीक्षण करने वाली लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म अथवा परीक्षण स्थापन का नाम और पता (5)	लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म अथवा परीक्षण स्थापन के सक्षम व्यक्ति का नाम और पद (6)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि .....वर्ष की तारीख..... को, स्तम्भ (2) में वर्णित उपरोक्त गियर की पूर्ण रूप से परीक्षा की गई हैं और यह कि इसमें स्तम्भ (4) में उपदर्शित त्रुटियों से भिन्न इसकी सुरक्षा कार्यकरण दशा को प्रभावित करने वाली अन्य कोई त्रुटि नहीं मिली।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर **मोहर** **तारीख**
सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण /प्राधिकार संख्या

प्ररूप – ग
(नियम 223 (ग) देखिए)

चिकित्सकीय जाँच का प्रमाण–पत्र

1. प्रमाण– पत्र की क्रम संख्या.....
   तारीख .....
2. नाम. .....
   पहचान चिन्ह (1) .....
   (2) .....
3. पिता का नाम .....
4. लिंग .....
5. निवास .....पुत्र/पुत्री .....
   .....
   .....
   .....
6. जन्म की तारीख, यदि उपलब्ध हो .....
   और/या आयु प्रमाण पत्र .....
7. शारीरिक स्वस्थता :

   मैं प्रमाणित करता हूँ (नाम) ..... पुत्र/ पुत्री / पत्नि ..... जो ..... का निवासी है जिसका परीक्षण मैंने व्यक्तिगत रूप से किया है मेरे परीक्षण से उसकी आयु यथाशक्य निकटतम ..... वर्ष अभिनिश्चित की जाती है और वह भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित होने का इच्छुक है और वयस्क/ किशोर है जो .... में नियोजन के लिए उपयुक्त है।
8. कारण के लिए :––

(1) इन्कार करने का प्रमाण – पत्र .....
...

.....

(2) प्रतिसंहृत करने का प्रमाण– पत्र .....
....

.....

भवन कर्मकार के हस्ताक्षर /

सील सहित हस्ताक्षर
चिकित्सकीय निरीक्षक /
मुख्य चिकित्सा

बाएं हाथ के अँगूठे का निशान
अधिकारी

टिप्पणी –– 1. शारीरिक निःशक्कता के कारण के यथावत ब्यौरे स्पष्ट तौर पर दिए जांए।
2. यदि निःशक्कता का कथन किया गया है तो क्रियात्मक / उत्पादन कार्य योग्यताओं का भी विवरण दिया जाएगा।

प्ररूप – ग्प्
(नियम 223 (घ) देखिए)

स्वास्थ्य रजिस्टर

(भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित व्यक्तियों की बाबत् जिसमें जोखिम वाली प्रक्रियाएँ अंतर्ग्रस्त हैं)

सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा निरीक्षक का नाम

(क) श्री..... तारीख ..... से ..... तक
(ख) श्री .....तारीख ..... से .....तक
(ग) श्री ..... तारीख ..... से ..... तक

क्र.सं. (1)	संकर्म सं. (2)	भवन कर्मकार का नाम (3)	लिंग (4)	आयु (जन्म की पिछली तारीख को) (5)	वर्तमान कार्य में नियोजन की तारीख (6)	दूसरे कार्य पर चले जाने या स्थानांतरण की तारीख (7)

छोड़ने, स्थानांतरण पर चले जाने या सेवोन्मुक्त करने का कारण (8)	कार्य या उपजीविका की प्रकृति (9)	हथाली गई कच्ची सामग्री या उप–उत्पाद (10)	प्रमाणकर्ता शल्यक / चिकित्सीय निरीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण की तारीख (11)

चिकित्सीय परीक्षा का परिणाम (12)	यदि कार्य से निलंबित हो तो विस्तृत कारणों सहित निलंबन की अवधि (13)	चिकित्सीय निरीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर सहित ड्यूटी पर फिर से वापस आने को उपयुक्त प्रमाणित किये गये (14)	यदि कर्मकार की अनुपयुक्तता या निलंबन जारी किया गया है तो उसका प्रमाण–पत्र (15)

चिकित्सीय निरीक्षक के हस्ताक्षर सहित तारीख

टिप्पणी : – (प) स्तम्भ 8 –– स्थानांतरण या सेवामुक्त के लिए कारण ब्यौरेवार संक्षिप्त में कथित किए जाएं।

(पप) स्तम्भ 12 –– उपयुक्त / अनुपयुक्त / निलंबित के रूप में उल्लिखित किए जाएं।

प्ररूप – ग्ण्ण्

(नियम 230 (क) देखिए)

विषाक्तता या उपजीविकाजन्य अधिसूचनीय रोगों की सूचना

1. नियोजक का नाम और पता :
2. भवन कर्मकार का नाम और उसकी कार्य संख्या, यदि कोई हो:
3. भवन कर्मकार का पता:
4. लिगं और आयु :
5. उपजीविका :
6. ठीक–ठीक बताएँ कि रोग लगने के समय मरीज क्या कर रहा था:
7. उस विषाक्तता या रोग की प्रकृति जिससे भवन कर्मकार पीड़ित है :

तारीख

नियोजक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: जब कोई भवन कर्मकार अनुसूची 12 में विनिर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित है तब ऐसी सूचना तत्काल मुख्य निरीक्षक, भवन और सन्निर्माण निरीक्षण को भेजें।

प्ररूप – ग्ट

(नियम 210 (7) देखिए)

दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की रिपोर्ट

1. परियोजना / कार्य का नाम
2. परियोजना / कार्य का अवस्थान
3. सन्निर्माण कार्य का प्रक्रम
4. नियोजक की विशिष्टियाँ

क. फर्म / कंपनी का मुख्य ठेकेदार
नाम
पता
फोन नं.
कारबार की प्रकृति

ख. उप ठेकेदार की विशिष्टियाँ
नाम
पता
फोन नं.
कारबार की प्रकृति

5. **क्षतिग्रस्त व्यक्ति की विशिष्टियाँ :**
   (क) नाम
   (प्रथम) (मध्यम) (उपनाम)
   (ख) घर का पता
   (ग) उपजीविका
   (घ) कर्मकार की हैसियत
   नैमित्तिक
   स्थायी
   (ङ) लिंग : पुरूष / स्त्री
   (च) आयु
   (छ) अनुभव
   (ज) वैवाहिक स्थिति : विवाहित / अविवाहित / विच्छिन्न विवाह
5. **दुर्घटना की विशिष्टियाँ :**
   (क) वास्तविक स्थान जहां पर दुर्घटना हुई थी।
   (ख) तारीख
   (ग) समय
   (घ) क्षतिग्रस्त व्यक्ति दुर्घटना के समय क्या काम कर रहा था?
   (ङ) मौसम की स्थिति
   (च) इस विशिष्ट कार्य के लिए इस व्यक्ति को आप द्वारा कब से नियुक्त किया गया है?
   (छ) दुर्घटना के पश्चात्, प्रयुक्त उपस्कर / मशीन / औजार की स्थिति का विवरण ?
   (ज) दुर्घटना का संक्षिप्त वर्णन
7. **क्षति की प्रकृति :**
   (क) घातक
   (ख) अघातक
   (ग) यदि अघातक हो तो क्षति की प्रकृति का संक्षिप्त ब्यौरे दें जैसे दाहिने हाथ की हड्डी का टूटना, मोच आना आदि)
   (घ) प्राथमिक उपचार : किया गया : नहीं किया गया :

(ङ) यदि नहीं किया गया तो उसका कारण बताएँ ?

(च) ऐसे व्यक्ति का नाम और पदनाम जिसके द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया था :

(छ) क्या अस्पातल में भर्ती है,

अस्पताल का नाम,

अस्पताल का पता :

फोन नं. चिकित्सक का नाम

8. **परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन का प्रकार**

एम्बुलेंस ट्रक टैम्पो टेक्सी प्राइवेट कार

9. (क) क्षतिग्रस्त व्यक्ति को हटाने में कितना समय लगा था ? यदि बहुत विलंब हुआ था उसके कारण बताएं।

(ख) किस प्रकार रिपोर्ट की थी।

टेलीफोन से टेलीग्राम से विशेष संदेशवाहक से पत्र से

(ग) दुर्घटना स्थल का पहली बार किसने निरीक्षण किया और उसके द्वारा क्या कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी।

(घ) नियोजक द्वारा दुर्घटना के अन्वेषण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ? (फोटोग्राफ/ वीडियो फिल्म/ दिए गए माप

इत्यादि के बारे में वर्णन करें)

10 साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की विशिष्टियाँ

(क) नाम पता उपजीविका

1.

2.

3.

4.

(ख) क्या अस्थायी स्थायी

11. घातक दुर्घटना की दशा में विशिष्टियाँ :

तारीख समय

क्या कर्मकार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड है ? यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण संख्या दें

12. **विनियम सं. के अन्तर्गत आने वाली खतरनाक घटनाएँ (ब्यौरे दें)**

(क) उत्थापक साधित्रों , उत्तोलक, प्रवहणियों आदि के बैठ जाने व विफल हो जाने

(ख) मिट्टी, कोई दिवार, फर्श, गैलरी आदि के बैठ जाने या धंस जाने

(ग) पारेषण टावरों, पाइपलाइनों, पुलों आदि के बैठ जाने

(घ) रिसीवर, जलयान आदि का विस्फोट

(ङ) अग्नि और विस्फोट

(च) परिसंकटमय पदार्थों का छलकाव या रिसाव

(छ) परिवहन उपस्कर के बैठ जाने, उलट जाने, गिर पड़ने या टकराने

(ज) सन्निर्माण स्थान पर हानिकारक विषैली गैसों के रिसाव या विमोचन

(झ) उत्थापक साधित्र, लूज गियर, उत्तोलक या भवन और सन्निर्माण कार्य की तंत्र, परिवहन, उपस्कर आदि के विफल हो जाने।

13. नियोजक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्रमाणपत्र।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त विशिष्टियाँ सभी प्रकार सही है।

स्थान : हस्ताक्षर
तारीख : पदनाम

प्रति निम्नलिखित की जानकारी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अग्रेषित

1.
2.
3.

टिप्पणी : – यदि एक से अधिक व्यक्ति अतर्ग्रस्त हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानकारी पृथक प्ररूपों में दी जानी है।

प्ररूप – ग्ट

(नियम 240 तथा 276 देखिए)

नियोजक द्वारा नियोजित भवन कर्मकारों का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम तथा पता, जहाँ भवन या अन्य सन्निर्माण : ..... कार्य किया जाता है।
2. स्थापन का नाम तथा स्थायी पता : .....
3. भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार : .....
4. नियोजक का नाम तथा पता : .....

क्र0सं0 (1)	कर्मकार का नाम तथा उपनाम (2)	आयु तथा लिंग (3)	पिता/पति का नाम (4)	नियोजन की प्रकृति/पदनाम (5)	कर्मकार का स्थायी घर का पता (ग्राम, तहसील तथा जिला) (6)	स्थानीय पता (7)	नियोजन के प्रारंभ की तारीख (8)
1. 2. 3. 4. 5.							

कर्मकार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	नियोजन की समाप्ति की तारीख	समाप्ति के कारण	यदि भवन कर्मकार हिताधिकारी है तो हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण की तारीख, रजिस्ट्रीकरण संख्या और कल्याण बोर्ड का नाम	टिप्पणी
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. 2. 3. 4. 5.				

उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार

प्ररूप – ग्ट्प्

(नियम 241 (1) (क) देखिए)

मस्टर रोल

1. स्थापन का नाम तथा पता, जहाँ भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है। : .....
2. स्थापन का नाम तथा स्थायी पता : .....
3. भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार : .....
4. नियोजक का नाम तथा पता : .....

.....

मास के लिए

क्रम संख्या (1)	भवन कर्मकार का नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	लिंग (4)	तारीख (5)	टिप्पणियाँ (6)
1. 2. 3. 4. 5.					

प्ररूप – ग्ट्प्प्

(नियम 241 (1) (क) देखिए)

मजदूरी का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम और पता जहाँ पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है।

2. स्थापन का नाम तथा स्थायी पता

.....

3. भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार और पता

4. नियोजक का नाम

मजदूरी अवधि :

मासिक

क्रम संख्या (1)	कर्मकार का नाम (2)	कर्मकार रजिस्टर में क्रं सं. (3)	कर्मकार का पदनाम/ कार्य की प्रकृति (4)	कार्य किए गए दिनों की संख्या (5)	किए गए कार्य की यूनिट (6)

अर्जित मजदूरी की रकम

मजदूरी की दैनिक दर/ मात्रानुपाती दर (7)	मूल मजदूरी (8)	मंहगाई भत्ते (9)	अतिकालिक (10)	अन्य नकद संदाय (संदाय का प्रकार उपदर्शित करें) (11)	कुल (12)

कटौती यदि कोई हो, (उपदर्शित करें) (13)	शुद्ध संदत्त रकम (14)	कर्मकार के हस्ताक्षर/अँगूठा निशान (15)	नियोजक या उसके प्रतिनिधि के आद्यक्षर (16)

प्ररूप — ग्टप्प्

(नियम 241 (1) (ख) देखिए)

मजदूरी एवं मस्टर–रोल के रजिस्टर का प्रारूप

1. स्थापन का नाम और पता जहाँ पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है।

2. स्थापन का नाम तथा स्थायी पता

.....

3. भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

4. मजदूरी अवधि

क्रम संख्या (1)	भवन कर्मकारों के रजिस्टर में क्रम सं. (2)	कर्मचारी का नाम (3)	कर्मकार का पदनाम / कार्य की प्रकृति (4)	दैनिक उपस्थिति / किए गए कार्य की यूनिट (5)	कुल उपस्थिति / किये गए कार्य की यूनिट (6)
				1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.

दैनिक मजदूरी की दर / मात्रानुपाती दर (7)	मूल मजदूरी (8)	मंहगाई भत्ते (9)	अतिकालिक (10)	अन्य नकद संदाय (संदाय का प्रकार उपदर्शित करें) (11)	कुल (12)

कटौती यदि कोई हो, (उपदर्शित करें) (13)	शुद्ध संदत्त रकम (14)	कर्मकार के हस्ताक्षर अँगूठा निशान (15)	नियोजक या उसके प्रतिनिधि के आद्यक्षर (16)

प्ररूप – ग्ग

(नियम 241 (1) (ख) देखिए)

नुकसान या हानि के लिए कटौती का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम और पता जहाँ पर भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है।

2. नियोजक का नाम और स्थायी पता

3. भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

4. मजदूरी अवधि

क्रम संख्या (1)	कार्य का नाम (2)	पिता / पति का नाम (3)	नियोजन का नाम / प्रकार (4)	नुकसान या हानि की विशिष्टियाँ (5)	नुकसान या हानि की तारीख (6)	क्या भवन कर्मकार ने कटौती के विरूद्ध कारण दर्शाया है (7)

उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में भवन कर्मकार का स्पष्टीकरण सुना गया था (8)	अधिरोपित कटौती की रकम (9)	किश्तों की संख्या (10)	वसूली की तारीख	
			प्रथम किश्त (11)	अंतिम किश्त (12)

प्ररूप – ग

(नियम 241 (1) (ख) देखिए)

जुर्माने का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम और पता जहाँ पर भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है।

2. स्थापन का नाम और स्थायी पता

3. भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

4. मजदूरी अवधि

क्रम संख्या (1)	भवन कर्मकार का नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	पदनाम, नियोजन का नाम और प्रकार (4)	कार्य/लोप जिसके लिये जुर्माना अधिरोपित किया गया (5)	अपराध की तारीख (6)

क्या भवन कर्मकार ने जुर्माने के विरूद्ध कारण दर्शाया है (7)	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में भवन कर्मकार का स्पष्टीकरण सुना गया (8)	मजदूरी अवधि और संदेय मजदूरी (9)	अधिरोपित जुर्माने की रकम (10)	तारीख जिसको जुर्माना वसूल किया गया (11)	टिप्पणियाँ (12)

प्ररूप – गग

(नियम 241 (1) (ख) देखिए)

अग्रिम धन का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम और पता जहाँ पर भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है।

2. स्थापन का नाम और स्थायी पता

3. भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य की प्रकृति

4. मजदूरी अवधि

क्रम संख्या (1)	नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	पदनाम, नियोजन की प्रकृति (4)	मजदूरी की अवधि और संदेय मजदूरी (5)	तारीख और दिए गए अग्रिम की रकम (6)

प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम दिया गया है। (7)	किश्तों की संख्या जिनमें अग्रिम का प्रतिदाय किया जाना है। (8)	प्रतिदत्त प्रत्येक किश्त की तारीख और रकम (9)	अंतिम किश्त के प्रतिदाय की तारीख (10)	टिप्पणियाँ (11)

प्ररूप — गगप

(नियम 241 (1) (ग) देखिए)

अतिकाल के संदाय का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम और पता जहाँ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है।

2. स्थापन का नाम और स्थायी पता

3. सन्निर्माण कार्य की प्रकृति एवं स्थान।

4. मजदूरी अवधि

क्रम संख्या (1)	भवन कर्मकार का नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	लिंग (4)	पदाभिदान/नियोजन की प्रकृति (5)	तारीख जिसको अतिकाल किया गया (6)

मात्रानुपाती दर की दशा में कुल अतिकाल किया गया या उत्पादन (7)	मजदूरी की सामान्य दर (8)	मजदूरी की अतिकाल दर (9)	उपार्जित अतिकाल (10)	तारीख जिसको अतिकाल मजदूरी संदत्त की गई (11)	टिप्पणियाँ (12)

प्ररूप – ग्गप्प
(नियम 241 (2) (क) देखिए)

मजदूरी–पुस्तिका

1. स्थापन का नाम और पता जहाँ भवन एवं 2. स्थापन का नाम और स्थायी पता
अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है।
3. निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य की प्रकृति एवं स्थान। 4. मजदूरी अवधि

सप्ताह/पक्ष/माह के लिए

1. दिनों की संख्या जब तक कार्य किया :. ....
2. मात्रानुपाती दर के कर्मकारों की दशा में कार्य की गई :. ....
इकाइयों की संख्या .
3. दैनिक मजदूरी/मासिक मजदूरी/मात्रानुपाती दर मजदूरी की दरें : ....
4. अतिकाल मजदूरी की रकम : ....
5. संदेय सकल मजदूरी : ....
6. निम्नलिखित के कारण कटौतियाँ, यदि कोई हो, :–
(क) जुर्माना
(ख) नुकसान या हानि
(ग) ऋृण और अग्रिम
(घ) भविष्य निधि के लिए अभिदान
(ङ) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण की निधि के लिये अभिदान
(च) अन्य कटौतियाँ जैसे सहकारी सोसाइटी के लिये अभिदान या सहकारी सोसाइटी से उधार लेखा/मजदूरी संदाय अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (त) के उपबंध के अनुसार किसी अन्य राहत निधि में अशंदान या जीवन बीमा निगम प्रीमियम के लिये संदाय।
8. संदत्त मजदूरी की शुद्ध रकम ।

नियोजक या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्ररूप – ग्गप्ट
(नियम 241 (2) (ग) देखिए)

सेवा प्रमाण – पत्र

1. स्थापन का नाम और पता जहाँ भवन एवं 2. स्थापन का नाम और स्थायी पता
अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है।
3. भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य की प्रकृति एवं स्थान। 4. कर्मकार का नाम और पता

5. आयु अथवा जन्म तिथि
6. पहचान का चिन्ह
7. पिता/पति का नाम

क्रम संख्या (1)	नियोजन की कुल अवधि..... तक से (2) (3)	किये गये कार्य की प्रकृति (4)	मजदूरी की दरें (मात्रानुपाती कार्य की दशा में यूनिट की विशिष्टियाँ) (5)	यदि भवन निर्माण कर्मकार रजिस्ट्रीकृत फायदाग्राही है तब उसका रजिस्ट्रीकरण सं., तारीख और बोर्ड का नाम (6)

पर्यवसित नियोजन के कारण/आधार (7)	टिपपणियाँ (8)

हस्ताक्षर

प्ररूप – ग्ट

(नियम 242 देखिए)

नियोजक द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाने वाली की वार्षिक विवरणी

31 दिसम्बर ..... को समाप्त होने वाला वर्ष

1. स्थापन का पूरा नाम और पता जहाँ भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य किया जाना है (स्थान, डाकघर, जिला) .....
2. स्थापन का नाम और स्थायी पता .....
3. नियोजक का नाम और पता .....
4. किये जा रहे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य की प्रकृति .....
5. स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी प्रबंधक या अन्य व्यक्ति का पूरा नाम .....
6. साधारणतया नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या .....
7. वर्ष के दौरान कुल दिनों की संख्या जिनमें भवन निर्माण कर्मकार नियोजित थे .....
8. वर्ष के दौरान कुल कार्य दिनों की संख्या जिनमें भवन निर्माण कर्मकारों ने काम किया .....
9. वर्ष के दौरान किसी अन्य दिन नियोजित अधिकतम भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या .....
10. वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या निम्नवत है : –
    (क) कुल दुर्घटनाओं की संख्या
    (ख) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से कम समय के लिए भवन निर्माण कर्मकार शारीरिक रूप से अशक्त हो गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या तथा नष्ट कार्य दिवसों की संख्या।

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से अधिक समय के लिये भवन निर्माण कर्मकार शारीरिक रूप से अशक्त हो गये हैं परन्तु ऐसी अशक्तता न तो आंशिक है और न पूर्ण रूप से स्थायी है, दुर्घटनाग्रस्त भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या तथा ऐसी हुई दुर्घटनाओं के कारण से नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या।

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी, आंशिक अथवा पूर्ण निःशक्तता हुई। दुर्घटनाग्रस्त कर्मकारों की संख्या और ऐसी दुर्घटना के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या।

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या, जिसमें भवन कर्मकारों की मृत्यु हुई तथा परिणामिक मृत्यु की संख्या।

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थापनों के स्वामियों को यह निर्देश देगा कि वे सम्बद्ध राज्य सरकार या समुचित सरकार की बाबत रजिस्ट्रीकृत स्थापनों के नियोजकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की प्रतियां, अधिनियम की धारा 60 के उपबन्धों के फलस्वरूप महानिदेशक, निरीक्षण को भेजें।

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक ऐसे स्थापनों के स्वामियों को, जो सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, यह निर्देश देगा कि वे वार्षिक विवरणी की प्रतियां, अधिनियम की धारा 60 के उपबन्धों के फलस्वरूप महानिदेशक को भेजें।

11. स्थापन के प्रबंध में, उसके अवस्थान या किसी अन्य में यदि परिवर्तन किया जाये तब उसकी विशिष्टियॉ का विवरण रजिस्ट्रीकरण के लिये निर्धारित आवेदन में, जिसमें तिथि भी उपदर्शित हो, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देनी होगी।

प्ररूप – ग्ट्प्
(नियम 74 (ख) देखिए)

उत्थापक यंत्र और गियर आदि की कालिक जाँच – परीक्षण का रजिस्टर

भाग – 1

उत्थापक यंत्रों की आरंभिक और कालिक भार की जाँच तथा उनका संपूर्ण वार्षिक परीक्षण

'' संपूर्ण परीक्षण '' से अभिप्रेत है प्रत्यक्ष परीक्षा और यदि आवश्यक हो तो उसके अनुपुरक के लिये किसी अन्य साधनों के द्वारा जैसे हथौड़ा–परीक्षण जो कि यदि परिस्थितियॉ अनुज्ञात करें उसे सावधानीपूर्वक किया जाए, ताकि जाँच किए गये पुर्जों की हिफाजत के लिए एक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाला जा सके, और यदि आवश्यक हो तब जाँच के लिए उत्थापक साधित्रों और गियर को खोल दिया जाए।

(क)

उत्थापक यंत्र की आरंभिक और कालिक भार की जाँच			
जाँच किये गये उत्थापक यंत्रों की अवस्थिति और वर्णन, पहचान चिन्ह क्रमांक सहित।	जाँच का प्रमाण–पत्र और सक्षम व्यक्ति के परीक्षण का संख्याक।	मैं, प्रमाणित करता हूँ कि उस तिथि को जब मैनें हस्ताक्षर किए हैं , स्तम्भ (1) में दर्शाये गये उत्थापक यंत्र की जाँच हुई थी और उसमें स्तम्भ (5) में दशाई गई ऐसी कोई खराबियां नहीं पाई	टिप्पणियाँ (हस्ताक्षर के साथ तिथि भी अंकित हो।)

		गई, जो उसके सुरक्षित कार्यकरण परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों। मोहर के साथ मोहर के साथ तारीख तारीख और हस्ताक्षर	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 2.			
(ख)			

(ख)

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि उस तिथि को जब मैनें हस्ताक्षर किए हैं , स्तम्भ (1) में दर्शाये गये उत्थापक यंत्र की जाँच हुई थी और उसमें स्तम्भ (12) में दशाई गई ऐसी कोई खराबियां नहीं पाई गई, जो उसके सुरक्षित कार्यकरण परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों।

सम्पूर्ण वार्षिक परीक्षण

मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि (6)	मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि (7)	मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि (8)	मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि (9)	मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि (10)	मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि (11)	मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि (12)
1. 2.						

टिप्पणियॉ :–– यदि उत्थापक यंत्रों का सम्पूर्ण परीक्षण उसी तारीख को हो जाता है तो वे '' सब उत्थापक यंत्रों '' के स्तम्भ (1) में प्रविष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि नहीं, तो वे उन तारीखों को स्पष्ट तौर पर उपदर्शित करें जिन पर उनका सम्पूर्ण परीक्षण किया गया है।

भाग – 2

लूज गियर का भार–परीक्षण का आरंभिक एवं कालिक परीक्षण तथा संपूर्ण वार्षिक परीक्षण

लूज गियर की सूची :–

लूज गियर की निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं, अर्थात् :–

1. कुट्टनीय ढलवां लोहे से बनी चेनें।
2. प्लेट से जुड़ी चेनें।
3. इस्पात से बनी चेनें, छल्ले, हुक, कुन्डे और चूलछल्ला।
4. गाढ़ी गई चेनें।

5. गाढ़ी गई चेनें, पुली ब्लाक, आधान, बिछाने का उपकरण, किस्ती, स्लिंग, बास्केट आदि वैसी ही कोई अन्य गियर के साथ स्थायी रूप से जुड़े छल्ले, हुक, कुन्डे और चूलछल्ले।
6. स्क्रू–थ्रेड वाले हुक और चूलछल्ले या बाल बियरिंग या अन्य आवरणयुक्त कड़े पुर्जे, और
7. बोर्डिएक्स कनेक्शन।

लूज गियर का भार परीक्षण की आरंभिक एवं कालिक जाँच

पहचान चिन्ह तथा क्रमांक	लूज गियर का विवरण जिसकी जाँच और परीक्षण किया गया।	परीक्षण और जाँच प्रमाण पत्र की संख्या जो सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किए गये	मैं, प्रमाणित करता हूँ कि उस तिथि को जब मैनें हस्ताक्षर किए हैं , स्तम्भ (1) और (2) में दर्शाये गये लूज गियर की सम्पूर्ण जाँच की गई और उसमें स्तम्भ (6) में दशाई गई खराबियों के अलावा अन्य ऐसी कोई खराबियाँ नहीं पाई गई, जो उसके सुरक्षित कार्यकरण परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों।		टिप्पणी :– हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित की जाये।
			मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि	मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि उस तिथि को जब मैनें हस्ताक्षर किए हैं , स्तम्भ (1) और (2) में दर्शाये गये लूज गियर की जाँच मेरे द्वारा सम्पूर्ण रूप से की गई और उसमें स्तम्भ (10) में दशाई गई ऐसी कोई खराबियाँ नहीं पाई गई, जो उसके सुरक्षित कार्यकरण परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों।

मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि (6)	मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि (7)	मोहर सहित हस्ताक्षर और तिथि (8)	टिप्पणीयाँ (तिथि सहित हस्ताक्षर) (9)

भाग – 3

चेन, छल्ले, हुक, कुण्डे और चूल छल्ला का तपानुशीतन (छूट प्राप्त उपकरणों को छोड़कर)

(भाग–2 देखें)

सामान्य प्रयोग के 12.5 मि0 मी0 एवं अन्य छोटी जंजीरें, छल्ले, हुक, कुण्डे और चूल छल्ले, अन्य प्रकार की जंजीरें, छल्ले, हुक, कुण्डे और चूल छल्ले आदि जो साधारण प्रयोग में हैं	यदि इनका प्रयोग विद्युत चालित उत्थापक साधित्र के साथ किया जाता है तब प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार तापानुशीतन किया जाय। यदि इनका प्रयोग केवल हस्तचालित उत्थापक साधित्र के साथ किया जाता है तब बारह मास में कम से कम एक बार तापानुशीतन किया जाय यदि इनका प्रयोग विद्युत चालित उत्थापक साधित्र के साथ किया जाता है तब 12 मास में कम से कम एक बार तापानुशीतन किया जाय। यदि इनका प्रयोग केवल हस्तचालित उत्थापक साधित्र के साथ किया जाता है तब प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार तापानुशीतन किया जाय

टिप्पणीः— यद्यपि यह इन नियमों के अधीन अपेक्षित नहीं है परन्तु इसके लिये संस्तुति की जाती है कि तापानुशीतन प्रक्रिया उचित प्रकार से निर्मित भट्टी के अन्दर 1100 डिग्री से 1300 डिग्री फैरहानाईट या 600 डिग्री तथा 700 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान पर 30 और 60 मिनट तक जारी रखी जाये।

पहचान चिन्ह अथवा क्रमांक	तापानुशीतित गियर का विवरण	जाँच और परीक्षण के संबंध में दिये गये प्रमाणपत्रों की संख्या	मैं, प्रमाणित करता हूँ कि उस तिथि को जब मैनें हस्ताक्षर किए हैं , स्तम्भ (1) और (2) में वर्णित गियर की जाँच मेरे पर्यवेक्षण में ठीक प्रकार से की गई और इस प्रकार तापानुशीतित प्रत्येक हिस्से की सावधानी पूर्वक जाँच की गई तथा उसमें स्तम्भ (7) में दशाई गई ऐसी कोई खराबियाँ नहीं पाई गई, जो उसके सुरक्षित कार्यकरण परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों।			टिप्पणी हस्ताक्षर और तिथि के साथ अंकित की जाये।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप — ग्टप्प

बजट

(नियम 269 देखिए)

रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन

(देखिए नियम 266 (4))

1. नाम
2. पता
3. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं
4. पिता का नाम
5. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित/विधवा /विधुर
6. जन्म तिथि
7. प्रतिष्ठान का नाम, पता तथा पंजीकरण संख्या जहाँ आवेदक कार्यरत है
8. ई0 एस0 आई0/पी0 एफ0 नं0
9. सेवायोजक का नाम एवं पता
10. कुल सेवाकाल
11. अंशदान की दर
12. बैंक एवं उसकी शाखा का नाम जहाँ अशंदान का भुगतान किया गया
13. यदि आवेदक पहले से ही किसी कल्याण बोर्ड का सदस्य है तो उस कल्याण बोर्ड का नाम, तथा आवेदक की उक्त बोर्ड में पंजीकरण संख्या

उपरोक्त तथ्य उसकी सम्पूर्ण जानकारी और सूचना के अनुसार सत्य हैं।

स्थानः—

दिनांकः—

आवेदक के हस्ताक्षर

सेवायोजक का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप — ग्गटप्प

(देखिए नियम 266(7))

नाम निर्देशन का प्रारूप

मैं, अपनी मृत्यु की दशा में, कल्याण निधि से समस्त शोध्यों को मेरी ओर से प्राप्त करने के लिए **निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरे कानूनी वारिस के रूप में एतद् द्वारा नाम निर्देशित करता हूँ।**

नाम निर्देशिती/निर्देशितीयों का नाम तथा पता (1)	लाभार्थी सदस्य से संबंध (2)	नाम निर्देशिती की आयु (3)	नाम निर्देशितों को भुगतान किए जाने वाले शोध्यों का प्रतिशत धनराशि (4)

स्थानः—
दिनांक : —

आवेदक कर्मकार का नाम व पता
पंजीकरण संख्या
साक्षी का नाम व पताः—

प्ररूप — ग्गप

उत्तरांचल भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

(देखिए नियम 274)

भवन निर्माण के लिए अग्रिम हेतु आवेदन पत्र

प्रार्थनापत्र संख्या **शुल्क रूपया**

1. (क) आवेदक का नाम
(ख) स्थायी पता
(ग) वर्तमान पता
2. जन्म तिथि
3. सेवानिवृति की तिथि
4. (क) पंजीकरण संख्या
(ख) पंजीकरण की तिथि
(ग) भुगतान की दर
(घ) भुगतान की प्रथम निर्गमन की तिथि
(ङ) भुगतान की अंतिम निर्गमन की तिथि
(च) कुल निर्गमित भुगतान
(छ) क्या सदस्यता किसी समय पुनरूज्जीवित की गई थी यदि हाँ तो उसका विवरण।
(ज) पुनरूज्जीवित करने का विवरण
5. अग्रिम लेने का उदेश्य (नया निर्माण/ मरम्मत—अनुरक्षण/भवन सहित भूमि की खरीद)
6. क्या आवेदक का अपना भवन है (यदि हाँ तो विवरण दिया जाये)
7. वाँछित अग्रिम धनराशि

8. भूसंपत्ति का विवरण
   (क) पंचायत/नगर का नाम
   (ख) ग्राम
   (ग) तालुका
   (घ) जिला
   (ङ) क्षेत्र
   (च) सर्वे नं.
   (छ) संपत्ति का मूल्याँकन
9. क्या आवेदक ने भवन निर्माण अग्रिम के रूप में किसी अन्य स्रोत से ऋण लिया है यदि हाँ तो उसका विवरण
10. प्लान के अनुसार भवन निर्माण/ अनुरक्षण की अनुमानित लागत
11. ऋण के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से एकत्रित धनराशि का विवरण
12. क्या आवेदक ने बोर्ड पूर्व में से कोई ऋण लिया है

घोषणा

मैं, एतद् द्वारा घोषण करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और शुद्ध है।

हस्ताक्षर
नाम

स्थान :–
दिनांक :–

प्रस्तुत किये गए अभिलेखों का विवरण

1. मानचित्र एवं आकलन
2. 14 वर्षीय ऋणभार बंधक पत्र
3. स्थलीय प्रमाण पत्र
4. भूमि कर रसीद
5. मूल अभिलेख
6. अनुरक्षण या मरम्मत के लिए आवेदन की स्थिति में राशन कार्ड की सत्यापित प्रति
7. भवन स्वामित्व का विवरण (केवल मरम्मत के प्रयोजनार्थ)
8. सेवान्त प्रसुविधा घोषणा
9. पहचान पत्र और पास बुक की सत्यापित प्रति
10. निर्विवाद स्वामित्व का प्रमाण पत्र
11. भवन का आयु संबंधी प्रमाण पत्र (केवल मरम्मत के प्रयोजनार्थ)
12. भवन का मूल्यांकन प्रमाण पत्र
13. निर्माण प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र
14. आवेदक द्वारा इस आशय का घोषणापत्र की न वह स्वंय, न उसकी पत्नि अथवा बच्चे किसी भवन के स्वामि हैं (केवल नये भवन के निर्माण के प्रयोजनार्थ)

बन्धक–विलेख

यह बन्धक पत्र आज दिनांक.....वर्ष .....को श्री/श्रीमति .... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... आयु ..... वर्ष ..... निवासी ग्राम.. ..... तहसील ..... जिला ..... एवं श्री/श्रीमति .....

..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... आयु ..... वर्ष ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... (एतद्पश्चात् बन्धककर्ता/बन्धककर्तागण नाम से सम्बोधित जिसमें उसके/उनके निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि तथा अधिन्यासी भी सम्मिलित कर अभिप्रेत है) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम के अधीन गठित उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में निष्पादित किया गया जिसका मुख्य कार्यालय, उत्तरांचल में स्थित है और जो एतद्पश्चात् बन्धकदार के नाम से सम्बोधित होगा जिसमें उसके उत्त्राधिकारी, अधिन्यासी, जहाँ जिस संदर्भ में जैसा अर्थ वाँछित या अनुमत हो, के पक्ष में निष्पादित किया जाता है।

चूँकि बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं ने एतद्द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित भूमि जिसका वर्णन अनुसूची में किया गया है पर गृह निर्माण हेतु वांछित रू0 50 हजार का ऋण बन्धक पर दिये जाने का आवेदन किया है।

और चूँकि बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं की प्रार्थना पर बन्धकदार ने बन्धक पर रू0 50 हजार मात्र की अग्रिम धनराशि दो किश्तों में ऋण के रूप में एतद्पश्चात् वर्णित वचनपत्र, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ परिशोध्य ऋण जिसकी अदायगी इस प्रकार की जायेगी जैसा यहां अभिव्यक्त किया जाय।

अतः यह बन्धक–विलेख निम्न प्रकार साक्षीकृत किया जाता हैः–

1. उक्त सहमति के अनुसार बन्धकदार ने बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं को रू0 50 हजार मात्र ऋण के रूप में अग्रिम भुगतान किया है (जिसकी प्राप्ति बन्धककर्ता ने स्वीकार कर रसीद लिख दी है) बन्धक कर्ता/बन्धककर्तागण एतद्द्वारा साधारण बंधक के तौर पर अपनी अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण बन्धकदार के पक्ष में करते हैं जिसका उल्लेख विशेष रूप से करते हुये अनुसूची में वर्णित किया गया है, जिसमें वह भवन भी सम्मिलित है जिसका निर्माण किया जायेगा तथा अन्य सुधार जो समय–समय पर उक्त सम्पत्ति और भवन के विषय में किए जायें तथा ऐसे सुधार सहित बन्धकदार को ऋण की वापसी ब्याज सहित तथा व्यय के साथ अदायगी प्रतिभूति के तौर पर भारित की जायेगी तथा बन्धकदार का उक्त सम्पत्ति पर प्रथम अधिकार होगा।
2. बन्धकदार द्वारा बन्धकर्ता/बन्धककर्ताओं को ऋण राशि का भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा जिसकी पहली किस्त 20 हजार रू0 मात्र की होगी, जो कुल स्वीकृत ऋणराशि का 40 प्रतिशत है, का भुगतान निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने पर किया जायेगा तथा दूसरी व अंतिम किश्त रू0 30 हजार मात्र की होगी जोकि कुल स्वीकृत ऋणराशि का 60 प्रतिशत होता है, छत निर्माण पूर्ण होने पर तथा फिनिशिंग का कार्य प्रारम्भ होने पर भुगतान किया जायेगा। द्वितीय किश्त का उपयोग करते हुए प्रत्येक दशा में भवन के निर्माण का कार्य पूरा कर दिया जायेगा और निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाणपत्र अंतिम किश्त की प्राप्ति के 2 माह के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।
3. किश्तों का भुगतान धन की उपलब्धता होने पर किया जा सकेगा और धन की कमी के कारण भुगतान न होने पर बन्धककर्ता/बन्धककर्तागण किसी हानि के लिये बन्धकदार को उत्तरदायी मानकर उससे हर्जाना वसूल नहीं करेगा।
4. बन्धककर्ता/बन्धककर्तागण बन्धकदार को एतद्द्वारा विश्वास दिलाते हैं कि एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति पर उसका/उनका निर्द्वन्द स्वामित्व है तथा वे सभी ऋणभार से मुक्त हैं अथवा किसी किस्म के प्रभार, कुर्की अथवा अपवर्तनीय निरोध से ग्रस्त नहीं हैं।
5. बन्धकर्ता/बन्धककर्तागण इस प्रतिभूति के विद्यमान रहते हुये कोई अन्य बन्धकीय धारणाधिकार सृजित नहीं करेंगे अथवा अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति को अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रभार से भाराक्रान्त नहीं करेंगे, उसे रेहन अथवा किसी अन्य ऋणभार में नहीं डालेंगे जब तक कि उसके लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पूर्वलिखित अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है तथा जब तक कि पूरी धनराशि ब्याज सहित अदा नहीं की जाती है।
6. इस ऋण पर 5 प्रतिशत वार्षिक दर से अथवा ऐसी उच्चतर दर से ब्याज देय होगा जो कि बन्धकदार समय–समय पर निश्चित करें।

7. ऋण की अदायगी बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं द्वारा वर्णित मासिक तिथि पर की जायेगी जिसकी दर बन्धकदार द्वारा निश्चित की जायेगी और सूचित की जायेगी। प्रथम किश्त की अदायगी ऋण की पहली किश्त के भुगतान की तिथि से 6 माह की समाप्ति पर देय होगी और उसके बाद उत्तरवर्ती किश्तों का भुगतान आने वाले माह की दसवीं तारिख पर अथवा उससे पूर्व किया जायेगा जो कि 167 माह तक जारी रहेगा। ऋण पर देय किसी ब्याज की अदायगी किश्त के भुगतान के समय उसके विरूद्ध बकाया धनराशि को सम्मिलित कर किश्त के साथ भुगतान किया जायेगा।
8. दूसरी किश्त के भुगतान के समय बन्धकदार ब्याज और प्रथम किश्त के भुगतान के समय अन्य व्यय को भी काट सकेगा। यदि बन्धकदार धन की अनुपलब्धता के कारण ऋण के केवल एक भाग का ही भुगतान बन्धककर्ता को करता है तब ऋण के उस भाग की अदायगी की जायेगी जो बन्धकदार द्वारा निश्चित की जाये तथा सूचित की जाये।
9. यदि बन्धककर्ता/बन्धककर्तागणों की मृत्यु ऋण की शेष किश्तों के भुगतान से पूर्व तथा एक या एक से अधिक ऋण की किश्त प्राप्त करने के पश्चात् हो जाती है और यदि उसका/उनका/उनके उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी निष्पादक/निष्पादकगण शेष किश्तों का उपयोग करना अस्वीकार कर देता है अथवा ऋण के प्रथम किश्त के भुगतान की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्वीकृत नक्शे व आकलन के अनुसार निर्माण कार्य को पूरा करना अस्वीकार करता/करते हैं तब सम्पूर्ण ऋण धनराशि की वसूली ब्याज सहित मृतक, बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं की चल अथवा अचल सम्पत्ति से राजस्व वसूली के कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत जो तत्समय प्रवृत हो तथा उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकार वसूल की जायेगी मानों वह लोक राजस्व के रूप में भूमि पर बकाया है अथवा उस विधि से जैसा कि बन्धकदार उचित समझे।
10. यदि मृतक बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं के वारिस/निष्पादनकर्ता वारिसान ऋण की अवशेष किश्तों के भुगतान की मांग नहीं करते हैं और उसके बावजूद अपने व्यय पर ही निर्माण कार्य को पूरा करना चाहते हैं तब उस स्थिति में बन्धककर्ता/बन्धककर्तागणों को स्वीकृत ऋण की धनराशि से भुगतान की जा चुकी राशि को ही वास्तविक रूप में स्वीकृत ऋण की राशि माना जायेगा तथा उस ऋण राशि की वसूली निर्धारित दर पर किश्तों के साथ भुगतान करने के लिये प्रभावी मानी जायेगी।
11. बन्धककर्ता/बन्धककर्तागण किश्तों का भुगतान बन्धकदार द्वारा निर्धारित बैंक के माध्यम से इस निमित निर्धारित रीति से करेंगे अथवा उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करेंगे।
12. यदि मूल धन की किसी किश्त अथवा ब्याज का भुगतान नियत तिथि तक नहीं किया जाता है उस दशा में दण्डस्वरूप ब्याज के तौर पर सामान्य दर पर 5 प्रतिशत अधिक ब्याज भी अदा किया जायेगा तथा ऐसा भुगतान भी नियत तिथि तक भुगतान किया जायेगा।
13. ऋण राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत किया गया है। खण्ड 2 में निर्दिष्ट ऋण की किश्त का उपयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जायेगा। यदि बन्धककर्ता/बन्धककर्तागण अनुवर्तीय किश्तों का भुगतान पिछली आहरित किश्त की तिथि से 3 माह के भीतर नहीं करते हैं तब पिछली किश्त ही अंतिम किश्त मान ली जायेगी, जब तक कि बन्धकदार द्वारा इस हेतु निर्धारित समय अवधि में विस्तार नहीं किया जाता है, वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभावी हो जायेगी जो उन्हीं शर्तों एवं अनुबन्धनों के अधीन होगी जो कि ऋण की स्वीकृति के लिये निर्धारित की गई है।
14. यदि बन्धनकर्ता/बन्धककर्तागण ऋण की किसी किश्त का उपयोग अनुमन्य अधिकतम अवधि के भीतर करने में सफल नहीं होते हैं तथा शर्तों के अधीन प्रावधानित अनुवर्ती ऋण की किश्तों के लिये आवेदन नहीं करते हैं तब उस दशा में सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त ब्याज सहित उससे/उनसे वसूल की जा सकेगी।

14 (क) यदि बन्धककर्ता/बन्धककर्तागण गृह का निर्माण कार्य बन्धकपत्र में उल्लिखित गृह के निर्माण हेतु निर्धारित अवधि के भीतर करने में असफल होना पाये जाते है तब उस स्थिति में बन्धकदार

सम्पूर्ण ऋण राशि को प्रभार और एकमुश्त धनराशि को बसूल करने के लिये हकदार होंगे, जो तीस दिन के भीतर भुगतान किये जाने के निमित प्रेषित पंजीकृत नोटिस जारी करने के पश्चात् प्रभावी होगी।

(प) यदि बन्धककर्ता /बन्धककर्तागण देय धनाशि एकमुश्त ब्याज सहित निर्धारित तिथि के भीतर अदा कर देते हैं तब यह बन्धक–विलेख मुक्त कर दिया जायेगा।

(पप) यदि बन्धककर्ता /बन्धककर्तागण देय धनराशि की अदायगी साठ दिन के भीतर नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर शर्त रखी गयी है, तब उस स्थिति में बन्धकदार सम्पूर्ण देय धनराशि एकमुश्त बोर्ड से वसूल करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के अधिकारी होंगे। उक्त के अतिरिक्त शास्ति के रूप में ऋणराशि जो वास्तविक रूप में ऋणी व्यक्ति ने प्राप्त की है की 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी अथवा रू0 1000 जो भी अधिक होगा बन्धककर्ता /बन्धककर्ताओं से वसूल किया जायेगा।

15. आवेदन मे प्रस्तुत की गयी किसी सूचना के असत्य पाये जाने अथवा पर्याप्त रूप से अशुद्ध पाये जाने की दशा में बन्धकदार ऋण को निरस्त कर देगा तथा बकाया धनराशि की वसूली एकमुश्त ब्याज सहित वसूल कर सकेगा जो बन्धक सम्पत्ति को बेचकर की जा सकेगी। साथ ही ऐसे विधिक कार्यवाही ऋण लेने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कर सकेगा जो अभीष्ट समझा जाये।
16. बन्धककर्ता/बन्धककर्तागण बन्धक के रूप में अर्जित सम्पत्ति पर बनने वाले भवन में बन्धकदार स्वीकृत नक्शे में कोई उलटफेर या संशोधन नहीं कर सकेंगे जिससे कि सम्पत्ति का मूल्य घट जाये या उस सम्पत्ति पर कोई दूसरी इमारत का निर्माण करे।
17. यदि बन्धककर्ता/बन्धककर्तागण किसी समय निरन्तर दो अनुवर्ती किश्तों के भुगतान में चूक करते हैं अथवा इसमें वर्णित सभी अथवा किसी एक शर्त और अनुबन्धों का उलंघन करते हैंतब मूलधन का शेष ब्याज सहित आगे भुगतान के रूप में देय होगा और यदि सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान में चूक की जाती है उस स्थिति में तत्काल ही बन्धकदार के पास ऐसी शक्तियाँ होगी कि वह बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के बन्धक सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले सकेगा और उसे बेच सकेगा। बिक्री से प्राप्त धनराशि में बन्धकदार के प्रति देय धनराशि का समायोजन करने के बाद अवशेष धनराशि बन्धककर्ता को दे दी जायेगी। बन्धकदार को सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अन्तर्गत वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो किसी बन्धकदार में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निहित हैं।
18. बन्धकदार को किसी एक अथवा सभी अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बन्धकदार के प्रति सभी धनराशि जो देय होनी पायी जाये अथवा इस विलेख के अनुसार बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं से और उसके/उनके सम्पत्तियों, चल, अचल सम्पत्तियों की वसूली आदि राजस्व वसूली कानून से संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत, जो तत्समय प्रवृत हो, भूमि पर लोक राजस्व के बकाया के रूप में तथा उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी किसी अन्य विधि से वसूल किया जा सकेगा जैसा बन्धकदार उचित समझे।
19. बन्धककर्ता/बन्धकर्तागण आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों और अनुबन्धनों से बंधे होंगे जो कि इस बन्धकपत्र का भाग है जैसे कि वही शर्तें इस बन्धकपत्र में सम्मलित की गई है।
20. बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं को इस बन्धकपत्र की शर्तें पूर्णरूप से स्पष्ट कर दी गई हैं और बन्धककर्ता/बन्धकर्तागण ने बन्धकपत्र को पूर्णरूप से समझबूझ कर निष्पादित किया है तथा उसके सभी विविक्षित अर्थों से परीचित हैं तथा उसके/उनके दायित्वों से भिज्ञ हैं जिसकी उन्हें यह सूचना प्राप्त होने के बाद जानकारी है।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची
(यहां सभी भूमि और भवनों के ब्यौरे दें।)

इसके साक्ष्य स्वरूप श्री .....बन्धककर्ता ने ऊपर प्रथम उल्लिखित तारीख और वर्ष को और श्री/श्रीमती ..... द्वारा साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये–

1. .....
2. .....

श्री/श्रीमती ..... ने साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये–

उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा गृह निर्माण ऋण स्कीम के अधीन स्वीकृत अग्रिम धनराशि की दूसरी किस्त दिये जाने के लिये प्रक्रम प्रमाण पत्र –

लाभग्राही **सम्पत्ति**

1. रजिस्ट्रीकरण संख्या – जिला–
2. नाम– तालुका–
3. पता– ग्राम–
4. हस्ताक्षर– खाता संख्या–

ऊपर विनिर्दिष्ट लाभग्राही द्वारा ऊपर वर्णित सम्पत्ति में भवन का सन्निर्माण, नींव, बेसमेन्ट के पूरा होने तक और लिन्टर स्तर तक पूरा होने/लिन्टर कार्य के पूरा होने/लिन्टर कार्य के पूरा होने और छत के कार्य होने तक पचास प्रतिशत तक और शटर कार्य के लिए सामग्री भण्डारित करने/छत कार्य पूरा होने तक हो चुका है तथा योजनानुसार अन्तिम कार्य के चालीस प्रतिशत तक पूरा हो गया है और लाभग्राही उत्तरांचल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा स्वीकृत ऋण की दूसरी किस्त के लिए पात्र है।

प्रमाणित किया जाता है कि ..... से लाभग्राही द्वारा रू0 ..... के मूल्य का कार्य करा लिया गया है।

स्थानः–
तारीखः–

जिला कार्यपालक अधिकारी/टी0ई0ओ0
या किसी
प्राधिरत अधिकारी का नाम और पदनाम
सहित

हस्ताक्षर
कार्यालय का नाम

प्ररूप – ग्ग

(देखिए नियम 268(2))

उत्तराचंल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

कर्मकारों के संबंध में मासिक विवरण —— माह

अधिष्ठान का नाम और पता

क्र.सं.	विगत माह के अन्त में कर्मकारों की संख्या	माह में सेवा का पद त्याग करने वाले कर्मकार/कर्मकारों की संख्या एवं नाम	कर्मकार/कर्मकारों के नाम एवं संख्या जिन्हें पंजीकृत किया जाना है	चालू माह के अंत में कर्मकारों की संख्या

स्थान :–
दिनांक :–

सेवायोजक का नाम और हस्ताक्षर :–

(कार्यालय की मोहर)

प्ररूप – ग्ग्ग्

☺ (देखिए नियम 268 (3))

उत्तराचंल भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अधिष्ठान के संबंध में विशिष्टियाँ

1. अधिष्ठान का नाम
2. अधिष्ठान यदि कंपनी/भागीदारी फर्म/एकमात्र स्वत्वाधिकारी है उसका विवरण
3. भागीदारों/निदेशकों/स्वत्वाधिकारी के नाम
4. प्रबंध भागीदार/प्रबंध निदेशक/उस व्यक्ति का नाम जिसके पूर्ण नियंत्रण में अधिष्ठान का संचालन होता है
5. अधिष्ठान की शाखाओं का विवरण
6. दखलकारों के नाम और विवरण

स्थान

दिनांक **नाम, हस्ताक्षर, पदनाम**

(कार्यालय मोहर)

प्ररूप – ग्ग्ग्

(देखिए नियम 266 (8))

पहचान पत्र का प्रारूप

पृष्ठ 1

लाभार्थी का फोटो

पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय मुद्रा सहित उसके हस्ताक्षर, पदनाम और तिथि

पृष्ठ 2

सदस्य का नाम
पता
पुरूष/स्त्री
कार्य का नाम
पंजीकरण संख्या
जिला
पंजीकरण का दिनांक
बैंक एवं उसकी शाखा का नाम जिसमें अंशदान जमा होना है।
अंशदान की दर , रू0 20/–

पृष्ठ 3

जन्मतिथि
आयु के पूर्ण वर्ष
सेवानिवृति की तिथि
वैवाहिक स्थिति– विवाहित/अविवाहित
पत्नि/पति का नाम
पता
क्या पत्नि/पति इस कल्याण बोर्ड का सदस्य है यदि हाँ तो उसका नाम एवं रजिस्ट्रीकरण संख्या
हां/नहीं

नामितियों के नाम
सदस्य से संबंध
सदस्य के हस्ताक्षर/अँगूठे का नाम
पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

प्ररूप– गगगप्प
(देखिए नियम 266 (8))

पहचान पत्र जारी करने की पंजिका

क्रम संख्या	पहचान पत्र की संख्या	जारी करने का दिनांक	कर्मकार का नाम और पता	कार्यपालक अधिकरी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप – गगग्प्ट
(देखिए नियम 271)

प्रसूति–प्रसुविधा हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता
2. पंजीकरण संख्या
3. आयु एवं जन्मतिथि
4. पति का नाम
5. प्रसवावस्था प्रारंभ होने की तिथि
6. क्या इस प्रसुविधा हेतु पूर्व में भी आवेदन किया गया है
7. यदि हाँ तो कितनी बार एवं उसका विवरण
8. पंजीकरण का दिनांक
9. प्रथम अंशदान के भुगतान की तिथि एवं धनराशि
10. अंतिम अंशदान के भुगतान की तिथि
11. बैंक का नाम और स्थान
12. संलग्न किये जा रहे अभिलेखों की सूची

(क) चालान या पासबुक की प्रतिलिपि
(ख) चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पूर्ण रूप में

ऊपर दिये गए विवरण मेरी जानकारी और सूचना के अनुसार सत्य हैं

स्थान :–
दिनांक :– **आवेदक का नाम**
एवं हस्ताक्षर

चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप
(चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त)

मैंने श्रीमति .... आयु .... पत्नि श्री .... का परीक्षण किया। वह .... माह की अवधि में गर्भवती थी, और उसनें दिनांक .... को एक बच्चे को जन्म दिया।

स्थान :–
दिनांक :–

चिकित्सक का नाम, मोहर और हस्ताक्षर

प्ररूप – ग्ग्ट
(देखिए नियम 273 (1))

पेंशन के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम एवं पता
2. पंजीकरण संख्या
3. साठ वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि
4. प्रथम अंशदान के भुगतान की तिथि, धनराशि और बैंक का नाम
5. भुगतान में यदि व्यतिक्रम हुआ हो तो उसका कारण
6. अंतिम अंशदान के भुगतान की तिथि, धनराशि तथा बैंक का नाम
7. अभिलेखों की सूची

(क) पहचान पत्र
(ख) पासबुक
(ग) चालान

8. पता जहाँ पेंशन भेजी जानी है
9. अन्य कोई सूचना (यथा) किसी दूसरे कल्याण बोर्ड/बोर्डों से प्राप्त कोई लाभ, यदि कुछ है तो उसका विवरण दिया जाये

ऊपर दिये गए तथ्य मेरी सर्वोतम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सही हैं

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप – ग्गटप्
(देखिए नियम 273 (6))

पेंशन संदाय का रजिस्टर

पी0 पी0 ओ0(पेंशन भुगतान ओदश) नं0	पेंशन भोगी का नाम और पता तथा उत्तरांचल भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में उसकी सदस्यता संख्या	जन्म तिथि स्कीम में प्रवेश की तारीख	सेवानिवृति की तारीख	कुल सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्वीकृति कर्ता अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तारीख	पेंशन की मासिक दर रूपया	सचिव के आद्य हस्ताक्षर	टिप्पणी पेंशन निरस्तीकरण आदि आदेश का उल्लेख यहां कारण तथा तिथि सहित करते हुए बोर्ड के सचिव एत्दर्थ अपने आद्य–हस्ताक्षर भी अंकित करें।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

भुगतान की गई पेंशन का विवरण

माह / वर्ष	पेंशन की धनराशि	मनीआर्डर प्रेषण की तिथि	दिनांक सहित बोर्ड के सचिव के आद्य–हस्ताक्षर	टिप्पणी बिना प्राप्त हुए वापस मनीआर्डर आदि का विवरण यहाँ दिया जाये।
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप – ग्गटप्प्
(देखिए नियम 279 (1))

मृत्योपरान्त सहायता हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम एवं पता
2. मृत कर्मकार से संबंध
3. मृत कर्मकार का नाम और पता
4. रजिस्ट्रीकरण संख्या
5. आयु एवं जन्मतिथि

6. क्या मृतक विवाहित था
7. मृत्यु का कारण (ब्यौरे दें)
8. प्रस्तुत दस्तावेजों के ब्यौरे
9. आवेदित वित्तीय सहायता की धनराशि

उपरोक्त ब्यौरे मेरी ज्ञान और जानकारी के अनुसार सही है

स्थानः–
दिनांक :– **आवेदक का नाम और हस्ताक्षर**

प्ररूप – गगटपप
(देखिए नियम 279 (4))
मृत्योपरान्त सहायता का रजिस्टर

क्रम संख्या	आवेदन की प्राप्ति की तारीख	कर्मकार का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या	प्रेषण की अवधि	मृत्यु की तारीख	आदेश संख्या और तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

नाम निर्देशिती का नाम, पता एवं मृतक सदस्य से उसका संबंध	मृत्योपरान्त सहायता की धनराशि	प्रतिदाय (रिफन्ड) की धनराशि	योग	आद्य–हस्ताक्षर
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

प्ररूप – गगगप
(देखिए नियम 275(2))

निःशक्तता पेंशन हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम एवं पता
2. आयु एवं जन्मतिथि
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या
4. प्रथम अंशदान के संदाय की तारीख, धनराशि बैंक और शाखा का नाम
5. अंतिम अंशदान के संदाय की तारीख, कुल धनराशि बैंक और शाखा का नाम
6. अंशदान की कुल धनराशि
7. रोग/दुर्घटना का ब्योरा
8. बीमारी/दुर्घटना जनित निःशक्तता की प्रकृति
9. सरकारी अस्पताल में हुए उपचार का ब्योरा, भर्ती/डिस्चार्ज की तारीख
10. क्या रोगी प्लास्टर बंध था? यदि हाँ तो कितने दिनों तक?
11. उपचार के लिए खर्च की गई धनराशि (पुष्टिस्वरूप चिकित्सीय बिल जो उपचारकर्ता डाक्टर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों)
12. प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची
13. पूर्व में प्राप्त फायदे का ब्योरा यदि कोई है

14. उपर्युक्त उपचार के लिए सरकार से या किसी अन्य संस्था से प्राप्त फायदों का ब्योरा यदि कोई है

उपरोक्त तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सही हैं

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

स्थान :–
दिनांक :–

प्ररूप – ग्स
(देखिए नियम 276)

आवेदन संख्या.....

उपकरण ऋण के लिए आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास का पता
4. रजिस्ट्रीकरण संख्या
5. बैंक का नाम जिसमें अंशदान संदत्त किया है
6. आयु एवं जन्मतिथि
7. मासिक आय
8. अन्य सम्पत्तियों के ब्यौरे यदि कोई है, जो आवेदक के स्वामित्व या कब्जाधीन है
9. प्रतिभूओं का ब्योरा
   - (प) नाम और पता
   - (पप) व्यवसाय और पता
   - (पपप) आयु एवं जन्मतिथि
   - (पअ) वर्तमान शुद्ध मासिक आय
   - (अ) अन्य संपत्तियों का ब्योरा जो प्रतिभू, स्वामित्व, कब्जाधीन है
   - (अप) क्या प्रतिभू ने पहले किसी अन्य समव्यवहार स्वंय को प्रतिभू के रूप में प्रस्तुत किया है यदि हॉ तो उसका ब्योरा
10. क्या नियोजक से वेतन प्रमाणपत्र संलग्न हैः–
11. खरीदे जाने वाले उपकरणों के संबंध में विशिष्टियाँ :–
    - (क) वर्णन
    - (ख) मेक
    - (ग) मॉडल
    - (घ) बीजक कीमत (प्रति संलग्न)
    - (ङ) आपूर्तिकर्ता/व्यवहारी का नाम और पता

12 (क) आवेदित ऋण की धनराशि
   (ख) ऋण के प्रतिदाय के लिए प्रस्तावित मासिक किस्तों की संख्या

घोषणा

(क) मैं/हम यह पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि निधि का प्रयोग कथित प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा और/या असामाजिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

(ख) मैं/हम यह समझता हूँ/ समझते हैं कि बोर्ड के पास ऋण राशि को वापस मांगने का अधिकार है यदि उसका उपयोग कथित प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(ग) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि इस सुविधा की स्वीकृति बोर्ड के विवेकाधीन है और मैं/हम बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुसार उसके समाधान के लिए आवश्यक प्रतिभू दस्तावेज से निष्पादित करूंगा/करेंगे।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर और नाम

प्रतिभू–1 नाम और हस्ताक्षर

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

श्री ..... मैसर्स .....में ..... के रूप में नियोजित है द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सत्यापन किया गया है। उधार लेने वाले व्यक्ति के नियोजन का प्रमाण पत्र और उसके प्रतिभू एवं नियोजक द्वारा प्रदत्त वचनवद्धता का प्रमाणपत्र संलग्न है।

अतः रूपया ..... (शब्दों में)..... इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है। बीजक में अंकित राशि का पचहतर प्रतिशत धनराशि रूपया .... (शब्दों में)..... समान मासिक किस्तों में वसूल की जानी है।

अन्तिम किस्त में .....किस्त को भेजने के पश्चात्, जिसमें ऋण खाता को बन्द करते समय बोर्ड के अन्य देय भी हैं, बकाया धनराशि सम्मिलित होगी।

स्वीकृत/अस्वीकृत सचिव

नियोजन का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति ..... पुत्री/पुत्र/पत्नि श्री..... ..... मकान नं..... ग्राम /नगर..... जिला..... जो अब मकान नं..... ग्राम/नगर ..... जिला..... में निवास कर रहा/रही है, स्थायी/स्थानापन्न/कार्यवाहक/अनन्तिम (पदनाम.....) है ।

उनकी सेवा के ब्यौरे निम्नवत हैं

1. सेवा में प्रवेश की तारीख.....
2. वह तारीख जिससे निरन्तर सेवा प्रारम्भ होती है.....
3. सेवानिवृत्ति की तारीख .....

वेतन आदि के ब्यौरे निम्नवत हैं

(अ) वेतन

1. मूल वेतन
2. मंहगाई भत्ता
3. मकान किराया भत्ता

(क) भविष्य निधि

(ख) जीवन बीमा की वसूली

(ग) आयकर

4. प्रतिकर भत्ता

5. अन्य भत्ते

योग (अ)

(घ) ऋण की वसूली

(ङ) अन्य वसूलियाँ

योग (ब)

(अ)–(ब) रू0 .....

शुद्ध वेतन.....

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यलय/विभागाध्यक्ष

(कार्यालय मोहर)

स्थानः–

दिनांक :–

वेतन से वसूली के लिए वचनबद्ध

मैं..... (पूरा नाम लिखा जाय)..... (कार्यालय/विभाग का नाम)..... उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को रू0 ..... अदा करने के लिये वचनबद्ध हूँ जिसका भुगतान रू0 ..... की समान मासिक किस्तों में प्रत्येक माह की ..... तारीख तक अदा करने के लिये वचनबद्ध हूँ तथा एत्दद्वारा सहमत हूँ कि उक्त संव्यवहार के सम्बन्ध में मासिक किस्तों के संदाय में, व्यातिक्रम की दशा में, ऐसी धनराशि की मासिक वसूली जो समय–समय पर बोर्ड द्वारा नियत की जाय, जिसकी सूचना बोर्ड द्वारा दी जायेगी, स्रोत पर मेरे वेतन से की जा सकेगी और बोर्ड या उसके सम्यकत् प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रेषित या संदत्त की जा सकेगी।

कर्मकार के हस्ताक्षर

स्थानः–

दिनांक :–

मैं उक्त वसूली कराने के लिए सहमत हूँ

विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

कार्यालय मोहर सहित

स्थान :–

दिनांक :–

प्ररूप – ग्स्

(देखिए नियम 277)

अंत्येष्टि–सहायता के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता
2. मृत कर्मकार से आवेदक का संबंध
3. मृत कर्मकार का नाम और पता
4. रजिस्ट्रीकरण संख्या
5. रजिस्ट्रीकरण की तारीख
6. प्रथम अंशदान के संदाय की तारीख, धनराशि, बैंक और शाखा का नाम
7. अंतिम अंशदान के संदाय की तारीख धनराशि, बैंक और शाखा का नाम
8. सदस्यता की कालावधि
9. क्या सदस्यता जीवित थी?
10. कर्मकार की मृत्यु की तारीख
11. मृत्यु का कारण

12. क्या आवेदक कर्मकार का नामनिर्देशिती है?
13. यदि नहीं तो क्या आवेदक ने आश्रित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है?
14. नामनिर्देशिती का नाम, आयु तथा जन्मतिथि
15. यदि नामनिर्देशिती अवस्यक है, तो अभिरक्षक का नाम और अवयस्क बालक से उसका संबंध
16. क्या अन्य नामनिर्देशितियों ने सहमति पत्र भी प्रस्तुत किया गया है ?(जहॉ नाम नामनिर्देशिती एक से अधिक हैं)
17. क्या अवयस्क बालक द्वारा संरक्षकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है?
18. आवेदित सहायता राशि

उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार सही हैं

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक का नाम और पता

प्ररूप – ग्स्प्
(देखिए नियम 280)

चिकित्सा फायदे के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता
2. आयु और जन्मतिथि
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या
4. प्रथम अंशदान के संदाय की तारीख, धनराशि तथा बैंक का नाम
5. अंतिम अंशदान के संदाय की तारीख, धनराशि तथा बैंक का नाम
6. कुल प्रेषित धनराशि
7. रोग /शल्य चिकित्सा का ब्योरा
8. रोग /शल्य चिकित्सा के कारण हुई निःशक्तता यदि कोई हो
9. सरकारी अस्पतालों में रोगी के रूप में उपचार की अवधि (अस्पताल में भर्ती/डिस्चार्ज की तारीख)
10. प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची
11. पूर्व में प्राप्त चिकित्सीय फायदों का ब्योरा यदि कोई हो

ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरी सर्वोतम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सही हैं

आवेदक का नाम और पता

स्थान :–
दिनांक :–

प्ररूप – ग्स्प्प्
(देखिए नियम 281)
शिक्षा छात्रवृति के लिए आवेदन

1. छात्र का नाम
2. बालक / बालिका
   (क) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
   (ख) क्या सबूत संलग्न है?
3. कालेज और सहबद्ध विश्वविद्यालय / बोर्ड का नाम
5. पाठ्यक्रम का नाम एवं अध्ययन वर्ष
6. पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख
7. छात्र की आयु और जन्मतिथि
8. उत्तीर्ण अर्हक परीक्षा का ब्योरा

परीक्षा का नाम .	**बोर्ड / विश्वविद्यालय जिससे संबद्ध है का नाम**	**अर्हक परीक्षा उर्तीण करने का माह तथा वर्ष**

9. अर्हक परीक्षा मे प्राप्त अंक

विषय	**प्राप्तांक**	**पूर्णांक**	**अधिकतम अंक प्रतिशत**
कुल योग			

10. (क) आवेदक के माता पिता का नाम
   (ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या
   (ग) प्रथम अंशदान के संदाय की तारीख
   (घ) अंतिम अंशदान के संदाय की तारीख
   (ङ) संदत्त किस्तों की संख्या
   (च) संदत्त कुल अंशदान धनराशि
   (छ) स्थायी पता
   (ज) क्या सदस्यता पुनरूज्जीवित की गई है? हॉ / नहीं
   यदि हॉ तो पुनरूज्जीविता की अवधि

उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान के अनुसार सही हैं यदि छात्रवृति के लिए चयन किया जाता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं स्कीम में अनुबद्ध शर्तों का पालन करूंगा।

छात्र का नाम और उसके हस्ताक्षर

स्थानः–
दिनांक :–

छात्र के माता–पिता का शपथपत्र

मैं..... (नाम और पता) .....पुत्र/पुत्री..... (नाम और पता) ..... मैं ..... सत्यनिष्ठा से निम्नवत प्रतिज्ञान करता हूँ/करती हूँ कि

1. मेरा पुत्र/पुत्री./श्री/श्रीमति..... अध्ययन पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रम का नाम और वर्ष) में अध्ययन कर रहा/रही है
2. मैं वर्ष..... से बोर्ड का/की सदस्य हूँ और मेरी रजिस्ट्रीकरण संख्या..... .....है।
3. अंशदान ..... तक संदत्त किया जा चुका है
4. यदि उपरोक्त में से कोई तथ्य बाद में गलत पाया जाता है तब छात्र को अनुदत्त की गई छात्रवृति की धनराशि मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी। इस संबंध में सचिव के निर्णय का विनिश्चय मुझ पर लागू होगा वह अंतिम होगा और मुझे मान्य होगा।
5. मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मुझसे शोध्य व्यातिक्रम की कोई धनराशि वसूल किए जाने के लिए भी सहमत हूँ।

नाम और हस्ताक्षर

स्थानः–
दिनांक :–

(विधायक/सांसद/पंचायत अध्यक्ष/राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी राजपत्र अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किया जाना है)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमति..... ने मेरी उपस्थिति में यह हस्ताक्षर किये हैं।

स्थानः–
दिनांक :– सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम और पदनाम
मोहर सहित

मैं..... (संस्था का नाम)..... के प्रधान के रूप में प्रमाणित करता हूँ कि श्रीमति/श्री ..... वर्ष..... (पाठ्यक्रम का नाम)..... .....का छात्र/छात्रा है। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आवेदन की मैंने जाँच कर ली है तथा मैं सन्तुष्ट हूँ कि यह सही है। यह संस्था ..... बोर्ड/विश्वविद्यालय से सहबद्ध है।

प्रधानाचार्य/प्रधान के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम मोहर सहित
स्थान :–
दिनांक :–

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी की जाँच रिपोर्ट

1. श्री/श्रीमति..... इस बोर्ड का जीवित सदस्य है तथा उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या..... है और नियमित रूप से अंशदान का संदाय कर रहा/रही है।
2. उसने ..... से .....तक के अंशदान का संदाय नियमित रूप से किया है। अंशदान के संदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है। उसकी सदस्यता ....से .....तक की अवधि के लिये पुनरूजीवित है। मैं..... आवेदन की संस्तुति करता हूँ/नहीं करता हूँ (अस्वीकृति की दशा में कारण)

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप– ग्स्ट

विवाह सहायता के लिये आवेदन
(देखिए नियम 282)

1. आवेदक का नाम
2. पता
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या
4. आयु एवं जन्मतिथि
5. प्रथम अंशदान के संदाय की तारीख, धनराशि, बैंक और शाखा का नाम
6. अंतिम अंशदान के संदाय की तारीख, धनराशि, बैंक और शाखा का नाम
7. सदस्यता की कालावधि
8. क्या सदस्यता जीवित है?
9. क्या आवेदन पुत्र/पुत्री के विवाह के लिए है?
   (1) क्या पति या पत्नि बोर्ड के सदस्य हैं?
   (2) यदि हॉ तो क्या उसने आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किया है
   (3) पुत्र/पुत्री जिसका विवाह हो रहा है, की जन्मतिथि
   (4) पुत्रवधु का नाम और पता
   (5) विवाह की तारीख और स्थान
   (6) विवाह का प्रमाण पत्र संख्या एवं दिनांक , उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसने प्रमाणपत्र जारी किया है।
   (7) क्या अपने किसी अन्य पुत्र/पुत्री के विवाह के लिये भी आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किया है? यदि हाँ तो उसका ब्योरा
10. क्या स्वंय के विवाह हेतु आवेदन किया गया है? (केवल महिला कर्मकार के लिये)
   (1) पति/वर का नाम और पता
   (2) विवाह का स्थान और तारीख
   (3) विवाह प्रमाण पत्र की संख्या एवं दिनांक, प्रमाणपत्र दाता अधिकारी जिसने प्रमाणपत्र जारी किया है, का नाम और पता ।
   (4) क्या आपने सरकार से अथवा किसी अन्य संस्था से इस प्रयोजन हेतु कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की है? यदि हाँ तो उसका ब्योरा

उपरोक्त तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सही हैं

आवेदक के हस्ताक्षर और नाम

स्थानः–
दिनांक :–

प्ररूप – ग्स्ट
(देखिए नियम 283)

कुटुम्ब पेशंन हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता
2. पेंशनार्थी/कर्मकार का पता
3. कर्मकार से संबंध
4. कर्मकार की मृत्यु की तिथि
5. कर्मकार द्वारा प्राप्त मासिक पेंशन
6. क्या आवेदक किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग या किसी अन्य संस्था से पेंशन प्राप्त कर रहा है? यदि हाँ तो उसका ब्योरा

7. क्या आवेदक किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग/निजी संस्थाओं से वेतन प्राप्त कर रहा है? यदि हाँ तो उसका ब्योरा

8. प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची

उपरोक्त तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सही हैं

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

स्थान :–

दिनांक :–

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची–

1. कर्मकार का मृत्यु प्रमाण पत्र
2. आवेदक और कर्मकार के मध्य संबंध दर्शित करने वाला प्रमाण पत्र
3. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजीसंस्था से प्राप्त प्रमाणपत्र यह कि आवेदक उनसे कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हैं।
4. सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग /निजीसंस्था का प्रमाण पत्र कि आवेदक उनसे कोई वेतन प्राप्त नहीं कर रहा है।

प्ररूप – ग्स्ट॰
(देखिए नियम 280)

दुर्घटना के कारण चिकित्सा–सहायता हेतु अनुग्रह राशि के लिये आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता
2. आयु और जन्मतिथि
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या
4. प्रथम अंशदान के संदाय की तारीख, धनराशि, चालान नं0 तथा बैंक, शाखा का नाम
5. अंतिम अंशदान के संदाय की तारीख, धनराशि, चालान नं0 तथा बैंक, शाखा का नाम
6. अंशदान की कुल धनराशि
7. दुर्घटना के संबंध में विवरण
8. दुर्घटना के कारण निःशक्तता की प्रकृति
9. क्या सरकारी अस्पताल में उपचार हुआ? यदि हाँ तो भर्ती और डिस्चार्ज की तारीख
10. क्या आवेदक प्लास्टर बंध था? यदि हाँ तो कितने दिनों तक ?
11. प्रस्तुत दस्तावेजों के ब्यौरे
12. आवेदित वित्तीय सहायता
13. क्या पूर्व में भी आपने उपचार हेतु कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की है? यदि हाँ तो उसका विवरण दें

उपरोक्त तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सही हैं

स्थानः–

दिनांक :– आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

....

....

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 963 /टप्प्/680–श्रम/2004/05 तद्दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक निरीक्षण, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।
5. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
6. उपश्रमायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, देहरादून/हल्द्वानी।
7. स्टाफ ऑफिसर, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तरांचल शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
10. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जिला–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त नियमावली को असाधारण गजट में प्रकाशित कर, 500 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गोपन अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)
अनुसचिव।